लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[छठा सत्र
Sixth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 22 में अंक 21 से 29 तक हैं
Vol. XXII contains Nos. 21 to 29]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 29, शुक्रवार, 22 दिसम्बर, 1972/१ पौष, १८९४

No. 29, Friday, December 22, 1972/Pausa 1, 1894 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
561. मेवा व्यापार निगम	Dry Fruit Trading Corporation	1—2
562. उड़ीसा में कोणार्क, चिलका झील और गोपालपुर को पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव	Proposal to develop Konarak, Chilka Lake and Gopalpur in Orissa as Tourist Centres	2—5
565. निर्यातोन्मुख उद्योगों में विदेशी सहयोग के बारे में अध्ययन	Study on foreign Collaborations in Export Oriented Industries	5—7
566. बीटा नेफ्थौल पर सामूहिक शुल्क में वृद्धि	Composite Duty Rise on Betanaphthol	7—8
567. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा धन का वितरण	Disbursement of Money by Industrial Development Bank of India	8—10
568. भारतीय पर्यटन विकास निगम के मुख्यालय के कर्मचारियों को महंगाई के लिए मुआवजा देना	Steps to compensate Headqurarters Employees of ITDC for Rise in Prices	10
569. विदेशी फर्मों की ओर करों की बकाया राशि	Arrears of Taxes against Foreign Firms ..	11—18
570. पश्चिम बंगाल में संकटग्रस्त चाय बागानों का अधिग्रहण	Take over of Sick Tea Estates in West Bengal	18—20
571. भारतीय कम्पनियों द्वारा शेयरों का हस्तान्तरण किये जाने के कारण विदेशी मुद्रा की हानि	Loss of Foreign Exchange due to transfer of shares by Indian Companies ..	20—21

नोट : किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

NOTE : The sign + marked above the name of a Member indicates that the quetion was actually asked on the floor of the House by that member.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
572. वर्षा के कारण एशिया 72 में हुई क्षति के लिये उसमें भाग लेने वाले विदेशी मण्डपों द्वारा क्षतिपूर्ति की मांग	Compensation demanded by foreign participants in Asia 72 for losses suffered due to rains	21—22
573. भारत के सांस्कृतिक केन्द्रों का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने का प्रस्ताव	Proposal to develop Indian Cultural Centres as Tourist Centres	22—23
563. विश्व बैंक से सहायता	Assistance from World Bank	23

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
564. अमरीका से बोईंग विमानों के फालतू पुर्जों के मिलने में कठिनाई	Difficulty in getting Spares from USA for Boeing Planes	23
574. राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक बोर्डों का गठन	Formation of Boards of Directors of Nationalised Banks	24
575. भारत तथा जापान के बीच व्यापार वार्ता	Trade talks between India and Japan	24
576. राज्य व्यापार निगम को पटसन, जूते और सीमेंट की सप्लाई के लिये विदेशों से प्राप्त आर्डर	Orders secured by STC from foreign countries for supply of jute, shoes and cement	25
577. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मैसूर में किसानों को ऋण	Loans advanced by nationalised banks to farmers in Mysore	25
578. बाजार में नए ऋण लेने की घोषणा	Announcement of fresh market borrowings	26
579. सरकार अथवा सरकारी उपक्रमों द्वारा किये गये ठेकों में से एस्केलेशन खण्ड का हटाया जाना	Elimination of escalation clause from contracts entered into by Government or Public Sector Undertakings ..	26
580. रबड़ बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस	Bonus to Rubber Board employees	27
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5403. गुजरात से कपास खरीदने के बारे में परामर्श देने के लिये समिति	Committee to advise purchase of cotton in Gujarat	27

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5404.	मैसर्स मेकेन्जीज लिमिटेड, बम्बई	M/s. Mckenzies Limited, Bombay	27
5405.	कोयला उद्योग में और पूंजी लगाना	Fresh investment in Coal Industry	27—28
5406.	मेहता प्रिंटिंग प्रेस और दैनिक 'अवन्तिका' द्वारा स्टेट बैंक आफ इण्डिया की उज्जैन शाखा को ऋण के लिये आवेदन पत्र का दिया जाना	Loan Application given to Ujjain Branch of State Bank of India by Mehta Printing Press and Daily Avantika	28
5407.	जापान जाने वाले कुछ पाकिस्तानी नागरिकों को दिल्ली के एक होटल में ठहरने की सुविधा देना	Facility for stay given in a hotel of Delhi to Pakistani Citizens on way to Japan ..	28
5408.	हीरा मिल्स लिमिटेड, उज्जैन में आग लग जाने की जांच	Enquiry into fire in Hira Mills Ltd., Ujjain ..	28
5409.	विभिन्न वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि/कमी	Increase/decrease in export of various commodities ..	29—30
5410.	समुद्री उत्पाद निर्यात संवर्धन प्राधिकरण	Marine Products Exports Development Authority ..	30
5411.	सान्ताक्रुज निर्बाध व्यापार जोन में स्थापित किये जाने वाले उद्योग	Industries to be set up in Santa Cruz Free Trade Zone	30—31
5412.	पटसन की कमी	Shortage of Jute	31—32
5413.	चाय की मण्डियों का हाथ से चला जाना	Loss of tea Markets ..	32
5414.	अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा के लिए पटसन की वस्तुओं पर निर्यात शुल्क हटाना	Abolition of Export duty in Jute goods to compete with other Foreign countries ..	33
5415.	बैंक आफ इंडिया में अधिकारियों की सेवा शर्तों का संहिताबद्ध किया जाना	Codification of service conditions of officers in Bank of India ..	33
5416.	नारियल की भूसी के मूल्य के बारे में नये आदेश का प्रारूप	New draft order for price of coconut husk ..	33—34

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5417.	त्रिवेन्द्रम जिला (केरल) में पीनुमुडी का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास	Development of Ponmudi in District Trivandrum (Kerala) as a Tourist Centre	34
5418.	कम्पनियों द्वारा शेयरों का हस्तान्तरण	Transfer of Shares by Companies	34
5419.	मैसर्स बोलानी ओर्स लिमिटेड क्योंझर (उड़ीसा) और मैसर्स सेठिया माइनिंग एण्ड मैन्युफक्चरिंग कारपोरेशन लिमिटेड के अशंधारी	Shareholders of M/s. Bolani Ores Ltd. Keonjhar (Orissa) and M/s. Sethia Mining and Manufacturing Corporation Ltd. ..	34—35
5420.	भारत में औद्योगिक एवं कृषि विकास कार्यों के लिये अमरीकी सहायता	US aid for Industrial and Agricultural Development Works in India	35
5421.	अपना निजी विमान रखने वाले व्यक्ति और कम्पनियां	Names of Private Companies and Individuals who have their own Aircraft	37
5422.	बड़े उद्योग समूहों में 3000 रुपये और अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी	Employees of big industrial groups drawing a Salary of Rs. 3000 and above ..	37
5423.	डाल्टनगंज (बिहार) के लिए विमान सेवा आरम्भ करना	Proposal to put Dalton Ganj (Bihar) on airmap	37
5424.	आगामी 5 वर्षों में और अधिक संख्या में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की योजना	Plan to increase the inflow of Foreign Tourists during the next five years	37—38
5425.	विदेशों में एयर इण्डिया के मैनेजर को दी गई शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए निकाले गये तरीके	Checks devised to ensure that powers delegated to Air India's Managers based in foreign countries are not being misused	38
5426.	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलैक्टोरेट मदुरै द्वारा तीसरी पार्टी के माल का पकड़ा जाना	Seizure of Third Party Goods by the Collectorate of Central Excise Madurai	39
5427.	गैर कोकिंग कोल सैक्टर को ऋण सुविधाएं देना	Credit facilities to non-coking coal sector	39
5428.	पत्तनों पर लौह अयस्क का जमा हो जाना	Accumulation of Iron Ores at Ports ..	39—40

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
5429. संघ राज्य क्षेत्रों में शराब से प्राप्त राजस्व में वृद्धि	Increase in Liquor Revenue in Union Territories ..	40
5430. कच्चे माल का सीधा आयात	Direct imports of raw materials ..	40
5431. औद्योगिक विकास के लिए भारत ब्रिटेन करार	Indo-UK Agreement for Industrial Development	40—41
5432. भारत, संयुक्त अरब गणराज्य और यूगोस्लाविया के बीच वार्ता	Talks among India, UAR and Yugoslavia	41—42
5433. बीस बड़े व्यापार गृहों के प्रतिनिधियों द्वारा 1972 में अमरीका तथा स्विट्जरलैण्ड की यात्रा	Visits to USA and Switzerland by Representatives of 20 Large Business Houses, in 1972 ..	42
5434. राज्यों को सहायता देने के लिये बागान संस्थान की सलाहकार समिति की सिफारिशें	Recommendations of Advisory Committee of Plantation Institution for assistance to States ..	42—43
5435. 20 औद्योगिक गृहों को दिये गये ऋण	Loans advanced to 20 Industrial Houses ..	43—44
5436. संस्थागत जमा राशियों तथा बड़े ऋण खातों के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्रतियोगिता	Competition among Nationalised Banks for Institutional Deposits and big loan accounts ..	44
5437. शराब का आयात	Import of Liquor	44—45
5438. पश्चिम बंगाल को बाढ़ राहत के लिए स्वीकृत राशि	Amount sanctioned to West Bengal for Flood Relief ..	45
5439. ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों के माध्यम से नियंत्रित मूल्य के कपड़े की बिक्री	Sale of controlled cloth in rural areas through Co-operatives	45—46
5440. कोका कोला निर्यात निगम, नई दिल्ली, को आयात संपूर्ति	Import replenishment to Coca Cola Export Corporation, New Delhi ..	46
5441. इटली द्वारा वस्तु विनियम के आधार पर औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना	Setting up of Industrial Projects by Italy on barter basis ..	46—47
5442. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों का आरक्षण	Reservation of posts for SC & ST in Indian Audit and Accounts Department ..	47

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5443. सरकारी क्षेत्र में बीमार कारखानों की सहायता करने का औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम का प्रस्ताव	Offer of Industrial Reconstruction Corporation to help sick units in Public Sector	47—48
5444. फेल्ट निर्माण उद्योग को ऊन आयात करने के लिये लाइसेंस देना	Grant of Import licence for Wool to Felt Manufacturing Industry ..	48
5445. एकाधिकार आयोग द्वारा जनता से सुनवाई	Public hearings by Monopolies Commission ..	48
5446. पाकिस्तानी फिल्मों की प्रदर्शनी	Exhibition of Pakistani Films	49
5447. छोटे सिक्कों की वार्षिक आवश्यकता	Annual requirement of small coins	49
5448. भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग द्वारा विदेशों में स्थापित किए गए संयुक्त उपक्रम	Joint ventrues set up abroad by Indian Engineering Industries	49—50
5449. दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर बालयोगेश्वर के सामान की तलाशी के बारे में एक संसद सदस्य का प्रधान मन्त्री को पत्र	Letter from a Member of Paliament to Prime Minister regarding search of baggage of Balyogeshwar at Palam Airport, Delhi	51
5450. आयकर अधिनियम 1961 में संशोधन के लिए ज्ञापन	Memorandum for Amendment of Income Tax Act 1961 ..	51
5451. कृषि आयकर के बारे में बरुआ समिति की सिफारिश	Barua Committee's recommendation regarding tax on Agricultural Income ..	51—52
5452. चाय निगम के माध्यम से चाय का निर्यात करने के बारे में चाय निर्यात समिति की मांग	Tea Export Committee's demand for export of tea through Tea Corporation ..	52
5453. अलौह-धातुओं पर अत्यधिक कमीशन लेने के बारे में खनिज तथा धातु व्यापार निगम के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against MMTC for charging exhorbitant Commission on Non-Ferrous Metals ..	52
5454. योकोहमा (जापान) में भारतीय माल जहाज से अफीम का पकड़ा जाना	Seizure of opium from Indian Freighter in Yokohama (Japan) ..	52—53
5455. औद्योगिक नीति संकल्प के अन्तर्गत भावी विकास के लिए होटल उद्योग का स्थान	Place of Hotel Industry for future Development under the Industrial Policy Resolution	53

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

5456.	तस्करी में लगे विदेशियों की गिरफ्तारी	Arrest of foreigners involved in Smuggling Activities ..	54
5457.	अलजीरिया के साथ व्यापार करार	Trade Agreement with Algeria	54—55
5458.	देश के हवाई अड्डों पर चोरी छिपे लाई गई वस्तुओं की जब्ती	Seizure of Smuggled articles on airports in the Country	55
5459.	औद्योगिक सम्बन्धों के लिए श्रीराम केन्द्र द्वारा भारत पर्यटन विकास निगम के लिए बनाये गये सेवा नियमों को लागू करना	Implementation of Service Rules Drafted by Shri Ram Centre for industrial relations for INDC	55—56
5460.	सोवियत संघ द्वारा चाय की थोक खरीद	Purchase of Wholesale Tea from Market by USSR ..	56
5461.	पश्चिम बंगाल चाय उद्योग की समस्यायें	Problem in West Bengal Tea industries	56
5462.	योरोप से संयंत्रों को हटाना	Shifting of Plants from Europe	56
5463.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर में की गयी अस्थायी भर्ती में कथित अनियमिततायें	Alleged Irregularities in Temporary Recruitments made in State Bank of Bikaner and Jaipur	57
5464.	चौथी योजना के प्रथम तीन वर्षों में पर्यटन से अर्जित विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange earned from Tourism during the First Three Years of Fourth Plan	57
5465.	रियायती दर पर आर्थिक सहायता की घोषणा के बाद पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना में हुई प्रगति	Response to setting up Industries in Backward areas after announcement of Concession	57—59
5466.	निर्यात बैंक की स्थापना	Creation of Export Bank ..	59
5467.	भारतीय रिजर्व बैंक में अनुभवी कर्मचारी	Experienced Personnel in Reserve Bank of India	60
5468.	पश्चिम बंगाल में राज्य कपड़ा निगम की स्थापना	Setting up of State Textile Corporation in West Bengal ..	60
5469.	निर्धन वर्गों को सरकारी क्षेत्रीय बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों में वृद्धि	Increase in lending by Public Sector Banks to weaker Sections ..	61

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
5470.	उर्वरक उत्पादन के लिए प्रयोग में आने वाले ईंधन तेल पर लगा उत्पादन शुल्क हटाना	Withdrawal of Excise Duty on Fuel Oil used for fertiliser production	61
5471.	बंगला देश द्वारा प्रतिस्पर्धा के कारण पटसन के निर्यात में कमी	Decline in Jute Exports due to Competition from Bangladesh ..	61—62
5472.	फिल्मों के राज्य व्यापार निगम द्वारा वितरण के कारण एम० जी० एम० और 20 सैंचुरी फाक्स कारपोरेशन के कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of Employees of Metro Goldwyn Mayor and 20th Century Fox Corp etc. employeed due to distribution of US Films through STC ..	62—63
5473.	अपने निर्यात प्रोत्साहन लाइसेंसों का दुरुपयोग करने वाली फर्मों के विरुद्ध की गई कार्यवाही	Action taken against Firms misusing their export incentive licences ..	63
5474.	हस्त शिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम में दैनिक मजदुरी पर काम कर रहे व्यक्ति	Persons working on Daily Wages in HHFC	64
5475.	स्वेज और अलेक्जेन्ड्रिया के बीच स्थल सेतु (लैंड ब्रिज) के माध्यम से भारत का माल भेजने की संयुक्त अरब गणराज्य सरकार की पेशकश	UAR Government's offer to tranship Indian Goods through Land Bridges between Suez and Alexandria	64—65
5476.	इंडियन एयरलाइन्स की दिल्ली-गोरखपुर - दरभंगा - सिलीगुड़ी गोहाटी स्थानों के लिए दैनिक अथवा द्विसाप्ताहिक सेवा का प्रस्ताव	Proposal for a daily or Bi-weekly service of Indian Airlines covering Delhi-Gorakhpur-Darbanga-Siliguri and Gauhati	65
5477.	जमा राशि की तुलना में ऋण देने में कमी	Shortfall in advancing credits as compared to deposits	65—66
5478.	मेवे के व्यापार के लिए राज्य व्यापार निगम में एक नई शाखा खोलना	Establishment of a New Wing in STC to handle dry fruits	66
5479.	चाय बागान को नियंत्रण में लेने के सम्बंध में राज्य सरकारों को अनुदेश	Instructions to State Governments for take over of tea gardens ..	66

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5480. चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा ब्रिटेन और पश्चिमी यूरोपीय देशों को भेजा गया प्रतिनिधिमण्डल	Delegation sent by Leather Export Promotion Council to UK and western European countries ..	66—67
5481. सरकारी उपक्रमों के लिए पृथक कानून	Separate Laws for Public Undertakings ..	67
5482. एशिया 72 मेले में भारतीय गुड़ियों में रुचि प्रकट करने वाले देशों के नाम	Names of countries which have shown interest in Indian dolls in Asia 72	67
5483. आयातित काजू का आवंटन	Allocation of imported cashew nuts	67
5484. एकाधिकार और प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के प्रतिवेदन	Reporrs made by Monopolies and Restricitive Trade Practices Commission ..	68
5485. केरल में अधिक पूंजी निवेश के लिये जीवन बीमा निगम द्वारा की गई कार्यवाही	Steps taken by LIC to invest more capital in Kerala	68—69
5486. केरल में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना और कृषि कार्यों के लिए बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	Opening of branches of Nationalised banks and loan advanced by the Banks for agricultural purposes in Kerala	69
5487. केरल में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं का खोला जाना	Opening of branches of Nationalised Banks is Kerala	69—70
5488. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा केरल में कृषकों से ऋण के लिए आवेदन पत्र	Loan applications received by Nationalised Banks from agriculturists in Kerala State ..	70
5489. पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मण्डी जिला (हिमाचल प्रदेश) रिवालसर स्थान को सुन्दर बनाने का प्रस्ताव	Proposal to beautify Revalsar in Mandi District (Himachal Pradesh) for attracting tourists	70
5490. जीवन बीमा निगम द्वारा हिमाचल प्रदेश में पूंजी निवेश	Investment of Capital by Life Insurance Corporation in Himachal Pradesh	71
5491. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा हिमाचल प्रदेश में कृषकों तथा लघु उद्योगों को ऋण दिया जाना	Loans sanctioned by Nationalised Banks to agriculturists and small scale industries in Himachal Pradesh	71
5492. विहार में राजगीर को विमान सेवा द्वारा जोड़ना	Proposal to connect Rajgir in Bihar by Air ..	71—72

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

5493.	हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक सौन्दर्य का ज्ञान कराने के लिए प्रचार सामग्री	Publicity material to highlight the scenic beauty of Himachal Pradesh ..	72
5494.	चालू वर्ष के दौरान किये गये करार	Agreements signed during current Year	72
5495.	सट्टा बाजार के केन्द्रों पर छापे	Raid conducted in Delhi on Centres of Forward Trading	72—73
5496.	फोर्डफाउन्डेशन के अधिकारियों को राजनयिक विमुक्तियां	Diplomatic immunities to the Officers of Ford Foundation	73
5497.	अधिक वसूल किये गये आयकर को वापिस देना	Refund of Income tax recovered in excess	73—74
5498.	भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंटों को मोटर गाड़ियां खरीदने के लिए ऋण देना	Sanction of advance to Agents of LIC for purchasing Motor Vehicles	74—76
5499	नई दिल्ली स्थित कोका कोला निर्यात निगम द्वारा मुख्य कार्यालय खर्च के रूप में धनराशि की अदायगी	Remittance abroad of Head Office expenses by Coca-Cola Export Corporations, New Delhi ..	76—77
5500.	विदेशी कम्पनियों द्वारा शेयरों का जारी करना	Issue of shares by Foreign Companies	77
5501.	कोका कोला निर्यात निगम, नई दिल्ली द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय (सेवा शुल्क) व्यय का विदेश भेजा जाना	Remittances abroad of Area Office (Service Charges) expenses by Coca-Ccla Export Corporation, New Delhi ..	78
5502.	नारियल जटा और नारियल जटा उत्पादों के निर्यात में कमी	Decline in export of Coir and Coir products	79—80
5503.	सामान्य बीमा के एजेन्टों को दिया जाने वाला कमीशन	Rate of Commission to Agents of General Insurance ..	80
5504.	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को कृषि ऋण	Agricultural advances by Nationalised Banks to farmers	80
5505.	एशिया '72 के प्रचार कार्य का ठेका एक गैर-सरकारी फर्म को देना	Publicity Contract for Asia '72 given to a Private Firm	80—81
5506.	ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण दिया जाना	Loans advanced by Nationalised Banks in Rural Areas ..	81

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

5507. वर्ष 1972-73 में मध्य प्रदेश में विमान सेवा चालू करने का प्रस्ताव	Proposal for extending AIR Services in Madhya Pradesh during 1972-73	81
5508. पिछड़े जिलों में कताई मिलों की स्थापना	Setting up of Spinning Mills in Backward Districts ..	81—82
5509. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क कलक्टरी में हिन्दी अनुवादकों की नियुक्ति	Appointment of Hindi Translators in Central Excise and Customs Collectorate	82
5510. राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण के सम्बन्ध में शिकायतें	Complaints regarding working of Nationalised Banks	82
5511. केन्द्रीय सहायता के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से ज्ञापन	Memorandum from West Bengal Government for Central Assistance	82—83
5512. आंध्र प्रदेश में रेशम का उत्पादन	Silk production in Andhra Pradesh .	83
5513. आंध्र प्रदेश में परियोजना के लिए विश्व बेंक से वित्तीय सहायता	Financial assistance from World Bank for Projects in Andhra Pradesh	83—84
5514. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा आंध्र प्रदेश का तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण	Techno-Economic Survey of Andhra Pradesh by Industrial Development Bank of India	84
5515. गत तीन वर्षों में राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात किए गए विभिन्न किस्मों के ताजा फल	Different kinds of fresh fruits exported by STC during the last three years ..	84—85
5516. घरेलू बचतें	Domestic Savings	85
5517. इंडियन एयर लाईन्स द्वारा अपनी आय बढ़ाने के लिए वर्ष 1972 में किए गए उपाय	Steps to increase income by Indian Airlines during the year 1972 ..	85
5518. वर्ष 1971 और 1972 में पर्यटन विभाग द्वारा अध्ययन दौरों के लिए भेजे गये अधिकारी	Officers sent on Study Tours during the year 1971 and 1972 by Tourist Department	86
5519. विदेशी व्यापार के क्षेत्र में भारतीय व्यापारियों की प्रतिष्ठा	Credit of Indian Businessmen Abroad in the sphere of Foreign Trade	86
5520. गैर-परम्परागत माल के लिए नई मण्डियों की खोज	Exploration of New Markets for Non-Traditional Goods ..	86—87

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5521.	दिल्ली स्थित पालम हवाई अड्डे पर विदेशियों के कब्जे अफीम भांग (हशीश) का पकड़ा जाना	Seizure of Opium and Hashish from Foreigners at Palam Airport, Delhi	87
5522.	इण्डियन एयरलाइब्स की हैदराबाद से कलकत्ता तक की एवरो उड़ान का 24-11-72 को भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर रद्द किया जाना	Cancellation of Indian Airline's Avro flights from Hyderabad to Calcutta at Bhubaneshwar Aerodrome on 24.11.1972	87—88
5523.	इण्डियन एयरलाइंस के कलकत्ता से उड़ने वाले केरेबील विमान का मद्रास में 27 नबम्बर, 1972 को छतरी की सहायता से भूमि पर उतरना	Parachute Landing of Indian Airline's Caravelle Flight from Calcutta at Madras on 27th November 1972	88
5524.	भारतीय औजारों, अलार्म क्लार्कों तथा माल डिब्बों के लिए चैकोस्लोवाकिया का आर्डर	Czeshoslovakia Order for Indian Hand Tools, Alarm Clocks and Wagons	88—89
5525.	सांताक्रुज हवाई अड्डे के निकट एक्सपोर्ट प्रौसेसिंग जोन की स्थापना का उद्देश्य	Purpose of setting up Export Processing Zone near Santa Cruz Airport	89
5526.	रूस के साथ व्यापार समझौता	Trade Protocol with USSR	89—90
5527.	तृतीय संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का विकासशील देशों के लिए नवीन व्यापार और सहायता सम्बन्धी उपाय खोजने में असफल रहना	Failure of UNCTAD III to evolve new trade and aid Measures for Developing Countries	90
5528.	भारतीय इंजीनियरिग उत्पादों के लिये कनाडा से मांग	Demand of Indian Engineering Products from Canada	90—91
5529.	लंदन में लगे आई० बी० एम० 360 कम्प्युटरों के प्रयोग के लिये एयर इण्डिया का बी० ओ० ए० सी० के साथ करार	Air India's agreement with BOAC for using IBM 360 Computers installed in London	91
5530.	भारत के इन्जीनियरिग माल में रूस की रुचि	USSR'S interest in Indian Engineering Goods	91—22

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5531. आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण को रोकने में एकाधिकार आयोग की भूमिका	Role of Monopolies Commission in checking concentration of Economic Power	92
5532. छोटे सिक्कों को पिघला कर एल्युमीनियम बर्तन बनाना	Mauufacture of aluminium utensils by melting Small Coins	92
5533. इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा खरीद के लिए डगलस कम्पनी द्वारा निर्मित डी० सी० 10 विमानों का मूल्यांकन	DC 10 Plane Manufactured by Douglas Company being evaluated for purchase by Indian Airlines ..	92—93
5534. कोलर स्वर्ण खाने	Kolar Gold Mines	93
5535. बिड़ला जूट मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी के शेयर खरीदने के लिये जीवन बीमा निगम का प्रस्ताव	Proposal of LIC to buy shares of Birla Jute Mauufacturing Co.	93—94
5536. आयकर विभाग में पदोन्नति के अवसर	Avenues for Promotion in Income tax Department	94
5537. समान मूल्य पर पटसन के निर्यात के बारे में भारत और बंगलादेश का निर्णय	Decision by India and Bangladesh to export Jute on same price	94
5538. अर्हताप्राप्त उद्यमी योजना के अन्तर्गत स्टेट बैंक आफ पटियाला द्वारा लघु उद्योगों का वित्तपोषण	Finance to Small Scale Industries by State Bank of Patiala under Qualified Entrepreneurs Scheme ..	94
5539. सुनारों को दिए गए ऋण	Loans advanced to Goldsmiths ..	95
5540. रत्नगिरी जिले में सीमा शुल्क कार्यालयों में काम करने वाले अर्जीनवीसों द्वारा जमानत जमा करना	Security deposit by Petition Writers working on Customs Offices in Ratnagiri District ..	95—96
5541. निर्यात की गई वस्तुओं के बारे में विदेशों से शिकायतें	Complaints from Foreign Countries regarding Goods exported ..	96
5542. कनाडा से विकास ऋण के लिये करार	Agreement for Development Loan from Canda	96—97
5543. नारियल जटा उद्योग के विकास में पुनः गति लाने के लिए विदेश व्यापार संस्थान की योजना	L.I.F.T. Scheme for revitalising Development of Coir Industry ..	97

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5544. मत्स्य उत्पादन तथा निर्यात सम्बन्धी विदेशी व्यापार को भारतीय संस्था की योजना	L.I.F.T. Scheme for Fish Production and Export ..	97—98
5545. काले धन का पता लगाने के लिये उपाय	Measures to unearth Black Money	98
5546. होटल उद्योग का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Hotel Industry ..	98—99
5547. लघु उद्योगों के लिए कच्चे माल के आयात की जांच के लिए विशेष समिति	Special Committee to Examine Import of Raw Material for Small Industries ..	99
5548. कन्ट्रोलर आफ डिफेन्स एकाउन्ट्स, पटना में काम कर रहे कर्मचारियों का तबादला	Transfer of employees working in the Office of Controller of Defence Accounts, Patna	99
5549. बिहार के रांची जिले में कार्य कर रही राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं	Branches of Nationalised Banks working in Ranchi District, Bihar ..	100
5550. आम के लिए नई निर्यात योजना	New Export Scheme for Mangoes	101
5551. बैल खरीदने के लिए छोटे किसानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण दिये जाने की योजना	Scheme to Advance Loans by Nationalised Banks to Small Farmers for purchasing Bullocks ..	101
5552. विदेशी मुद्रा के घोटाले में लगी यात्रा एजेन्सियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही	Action taken ugainst Travel Agencies indulging in Foreign Exchange Rackets ..	101—102
5553. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड के सदस्यों का पुनः नियोजन	Re-employment of Members of Central Board of Excise and Customs	102
5554. नगरीय सम्पत्ति का सर्वेक्षण	Survey of Urban Property ..	102—103
5555. पूर्वी जर्मनी से आयात	Imports from East Germany ..	103—104
5556. भारत बंगला देश सन्धि के उपबन्धों के अनुसार कार्य	Fulfilment of Provision of Indo-Bangladesh Pact ..	104—105
5557. राज्यों को दिये गये केन्द्रीय ऋणों की बकाया राशि	Outstanding amount of Central Loan given to States ..	105—108

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5558.	सीमा शुल्क विभाग द्वारा भारत भूटान सीमा पर एक विदेशी धर्म प्रचारक से ट्रांसमीटर का पकड़ा जाना	Seizure of Transmitter from a Foreign Missionary on Indo Bhutan Border by Customs ..	108
5559.	उड़ीसा के बालासौर जिले में स्टेट बैंक आफ इण्डिया की भद्रक शाखा में बकाया ऋण	Loans outstanding in the SBI Bhadrak Branch District Balasore (Orissa)	109
5560.	दिल्ली और राज्यों के राजधानियों के बीच सीधी वायुयान सेवा	Direct Air Service between State Capitals and Delhi ..	109—110
5561.	उड़ीसा के बालासौर जिले में स्टेट बैंक आफ इण्डिया की भद्रक शाखा द्वारा दिया गया ऋण	Loan granted by the SBI Bhadrak Branch in Balasore District Orissa ..	110
5562.	जापान को असली रेशम का भेजा जाना	Shipment of Mulberry Spun Silk to Japan ..	110—111
5563	पटसन उद्योग को सरकार द्वारा अपने हाथ में लिये जाने के बारे में इन्टक नेताओं की मांग	INTUC Leaders' demand for take-over of Jute Industry ..	111
5564.	वर्ष 1970-71और 1971-72 में साइकिलों का निर्यात	Export of Bicycles during 1970-71 and 1971-72 ..	111
5565.	सवाई माधोपुर सीमेंट कारखाना	Swai Madhopur Cement Factory ..	111—112
5566.	एयरोड्रोम आपरेटर सेलेक्शन ग्रेड–I को स्थायी बनाने के बारे में शिकायतें	Complaint regarding confirmation of Aerodrome Operators Selection Grade I ..	112
5567.	1968 की सांकेतिक हड़ताल के फलस्वरूप पदोन्नत किये जाने तथा स्थायी बनाने जाने से वंचित कर्मचारी	Employees who were deprived of promotion and confirmation as a result of Token Strike in 1968	112
5568.	इस्पात, सीमेंट, पेट्रोलियम, विद्युत तथा उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये 1973-74 में विदेशों से 'टर्नकी' सहायता	Turn Key Assistance from Foreign Countries in 1973-74 to boost production of Steel, Cement, Petroleum, Power and Fertilisers ..	112—113
5569.	समाजवादी देशों के साथ व्यापार	Trade with Socialist Countries ..	113

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
5570. क्यूबा के साथ व्यापार	Trade with Cuba	113
5571. सी० आई० ए० के प्रभाव के अन्तर्गत रूस द्वारा आयात का आर्डर रद्द किया जाना	Cancellation of import orders by USSR under CIA influence	114
5572. दिल्ली में शुष्क पत्तन	Dry Port at Delhi	114
5573. छोटे बैंकों का विलय	Merger of Small Banks	114
5574. गैर बैंककारी वित्तीय संस्थानों निगमों तथा चिट फन्डों का कार्यकरण	Functioning of non-banking financial Institutions, Corporations and Chit Funds	115
5575. चाय के बागानों का पुनः लगाया जाना	Replantation of tea gardens	115
5576. भारतीय चलचित्र निर्यात निगम द्वारा फिल्मों का निर्यात	Export of films by MPEC	116
5577. छोटी बचतों से वसूल राशि में राज्यों का भाग	States' share in collections from small savings	116
5578. नगर निगमो, नगरपालिकाओं और जिला परिषदों आदि की भविष्य निधियों को सावधिक जमा योजना में लगाई जाने की अनुमति का सुझाव	Suggestion to permit Provident Funds of Municipal Corporations Municipalities and Zilla Parishads etc. in Time Deposit Scheme ..	116—117
5579. छोटी बचत योजनाओं में पूंजी लगाने के लिए संस्थानों को आयकर से छूट दिया जाना	Grant of exemption from Income-tax to institutions from investment in Small Savings	117
5580. अपरिष्कृत पटसन की सप्लाई की स्थिति	Supply position of raw Jute ..	117—118
5581. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की भर्ती के बारे में स्टेट बैंक आफ इंडिया के अधिकारियों को दिए गए निदेश	Directions issued to authorities of State Bank of India in regard to recruitment of SC and ST ..	118—119
5582. होशंगाबाद में और पूर्वी निमाड़ जिलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	Loans advanced by nationalised Banks in Hoshangabad and Eastern Nimar Districts of Madhya Prodesh ..	119
5583. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सरकारी क्षेत्र को कम ऋण का दिया जाना	Less amount of loans advanced by Nationalised Banks to Cooperative Sector ..	119

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

5584. कम्पनियों के अंशधारियों को मुआवजे का भुगतान	Payment of compensation to shareholders of Companies ..	119—112
5585. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को स्कूटर खरीदने के लिए ऋण	Advance to Central Government Employees for purchase of Scooter	120
5586. सरकारी कर्मचारियों को संशोधित प्रतिबन्धों के अन्तर्गत स्कूटर खरीदने के लिए ऋण	Advance of loan to Government Employees for purchase of Scooter under Modified Restrictions ..	120—121
5587. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क कलक्टरी में हिन्दी अधिकारियों की नियुक्ति	Appointment of Hindi Officers in Central Excise and Customs Collectorate	121
5588. सीरा तथा एलकोहल का निर्यात	Export of Molasses and Alcohol ..	121—122
5589. विदेश व्यापार के बारे में गलत आंकड़े	Wrong Statistics on Foreign Trade ..	122—123
5590. निर्यातकर्त्ता फर्मों द्वारा विदेशों में प्राप्त कमीशन संबंधी कदाचार	Malpractices by exporting firms for commissions received in Foreign Currencies ..	123
5591. बम्बई-न्यूयार्क बम्बई और दिल्ली-न्यूयार्क-बम्बई उड़ानों में मध्य विश्राम (स्टाप ओवर) का प्रस्ताव	Proposal to allow stop overs on Bombay-New York-Bombay and Delhi-New York-Bombay Flights	124
5592. इण्डियन एयर लाइंस की उड़ानों में यात्रियों को दिये गये नाश्ते, मध्याह्न भोजन तथा रात को भोजन के लिए दी गई राशि	Amount paid for breakfast lunch and dinner served to passengers on Indian Airlines Flights ..	124
5593. आयकर अधिकारी श्रेणी II की वरिष्ठता निर्धारित करने के बारे में नियम	Rules Regarding Fixation of Seniority of Income Tax Officers Class II ..	124—125
5594. मैसर्स कछार प्लाई बुड लिमिटेड, करीमगंज आसाम की ओर आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income Tax against M/s. Cachar Plywood Limited, Karimganj, Assam ..	125
5595. ब्रेबोर्न प्रोपरटीज प्राईवेट लिमिटेड कलकत्ता की ओर आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income Tax against Brabourne Properties Private Limited Calcutta ..	125
5596. मैसर्स जेम्स फिनले एंड कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता	M/s. James Finlay and Company Limited, Calcutta ..	126

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5597. सहायकों तथा आशुलिपिकों को एफ० आर० 22-सी का लाभ	Benefit of FR 22-C to Assistants and Stenographers ..	126—127
5598. कपड़ा मिलों द्वारा परिसम्पत्तियों को बेचने के समाचार	Textile Mills reported to dispose of assets	127
5599. बैंक ऋणों में वृद्धि	Increase in Bank Loans	127
5600. खोवाई हवाई अड्डे (त्रिपुरा) के धावन पथ को पक्का बनाए जाने की योजना	Plan to make the Runway of Khowai Airport (Tripura) Pucca Built	127—128
5601. एल० आई० सी० में कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति के मामले में कथित भ्रष्टाचार	Alleged corruption in appointment of Legal Counsel in LIC	128
5602. खोवाई हवाई अड्डे (त्रिपुरा) पर एक नई टर्मिनल बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव	Proposal to contsruct a New Terminal Building at Khowai Airport (Tripura) ..	128
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance ..	129—133
बिहार, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने सम्बन्धी कानूनों को स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब	Delay in approving Land Ceiling Legislation of Bihar, Andhra Pradesh, Maharashtra and other States ..	129—131
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha ..	129—131
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed ..	129—131
सभा-पटल पर रखे पये पत्र	Papers Laid on the Table ..	133—139
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha	139
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	Leave of Absence from the Sittings of the House	140
गैर-सरकारी सदस्यों विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—कार्यवाही सारांश सभा-पटल पर रखा गया	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—Minutes Laid ..	140
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति—कार्यवाही	Committee on Absence of Members from the Sittings of the House—Minutes Laid ..	140

सारांश सभा-पटल पर रखा गया		
संविधान (संशोधन) विधेयक	Constitution Amendment Bill	140
सातवीं अनुसूची का संशोधन	Amendment of Seventh Schedule by	
श्री एस० सी० सामन्त का विधेयक	Shri S. C. Samanta	141
पर राय सभा-पटल पर रखी गयी	Opinions on Bill—laid ..	141
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	141
60 वां और 61 वां प्रतिवेदन	Sixtieth and Sixty-first Reports	141
याचिका समिति	Committee on Petitions ..	141
आठवां और नौवां प्रतिवेदन	Eighth and Ninth Reports	141
लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति	Joint Committee on Officers of Profit	141
चौथा प्रतिवेदन	Fourth Report ..	141
गेहूं और चावल के थोक व्यापार को सरकारी नियन्त्रण में लेने के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Take-over of whole-sale trade in wheat add rice	142
श्री फखरूद्दीन अली अहमद	Shri F. A Ahmed	142
बेलापुर शूगर एण्ड एलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मामले में निरीक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Action Taken on the Inspection Report in the Case of Belapur Sugar and Allied Industries Ltd.	142
श्री रघुनाथ रेड्डी	Shri Raghunatha Reddy ..	142—144
वेतन आयोग के अन्तिम प्रतिवेदन के बारे से	Re. Final Report of Pay Commission ..	144—145
उत्तर प्रदेश के बुनकरों द्वारा धरना देने के बारे में	Re. Dharna by U.P. Weavers	145
तमिलनाडु के मुख्यमन्त्री और उसके मंत्रिमण्डल के सहयोगियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के बारे में	Re. Charges against Tamil Nadu Chief Minister and his Cabinet colleagues ..	145—147
भारतीय और पाकिस्तानी सेना के हटने और नियन्त्रण रेखा के युक्तिकरण के बारे में	Re. Withdrawal of Indian and Pakistani Troops and Rationalisation of Line of control ..	148
कार निर्माण के बारे में सरकार की नीति पर प्रस्ताव–अस्वीकृत	Motion Re. Policy of Government in Regard to Manufacture of Car—Negatived ..	148—170
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu ..	148—169
श्री अमृत नाहाटा	Shri Amrit Nahata ..	152
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee ..	154—156

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री एन० के० पी० साल्वे	Shri N. K. P. Salve	156
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	157—58
श्री एच० के० एल० भगत	Shri H. K. L. Bhagat	158—59
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody	159
श्री आर० डी० भण्डारे	Shri R. D. Bhandare	160
श्री जी० विश्वनाथन्	Shri G. Viswanathan	161—62
श्री सतपाल कपूर	Shri Sat Pal Kapur	162
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra	.. 158,162-164
श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh	164
श्री सी० सुबहमण्यम	Shri C. Subrahmaniam	164—168
कम्पाला में भारतीय उच्चायोग के प्रथम सचिव, श्री एन० एन० देसाई के निष्कासन के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Fxpulsion of Shri N. N. Desai, First Secretary in the High Commission of India in Kampala	.. 170—171
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह	Shri Surendra Pal Singh	170—171
वियतनाम में अमरीका द्वारा बमबारी के बारे में वक्तव्य	Statement Re. U.S. Bombing in Vietnam	.. 171—172
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह	Shri Surendra Pal Singh	171—172
राष्ट्रीय पुस्तकालय विधेयक—विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने का संशोधन स्वीकृत	National Library Bill Amendment to refer the Bill to Joint Committee—Adopted	.. 173—176
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 21 वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत	Motion Re. Twenty First Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions—Adopted	.. 177
श्री जी० जी० स्वैल	Shri G. G. Swell	.. 177

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 22 दिसम्बर, 1972/1 पौष, 1894 (शक)
Friday, December 22, 1972/Pausa 1, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

मेवा व्यापार निगम

*561. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**
डा० महीपतराय मेहता :

क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने मेवा व्यापार निगम बनाने का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया था ;

(ख) क्या वित्त मन्त्रालय इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो क्यों ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) : प्रस्थापना को प्रोसेस किया जा रहा है ।

Shri Sukhdeo Prasad Verma : Sir, may I know the date on which this proposal was sent to the Ministry of Financial and what are the functions of the proposed carporation and approximate expenditure likely to be incurred in this connection?

Shri L. N. Mishra : We have decided to set up trading carporation to import dry fruits. We have circulated this proposal to various Ministeries. The replies of various Ministries including Ministry of Finance have been received. The proposal is being examined with the cooperation of all concerned. Some adjustments have to be made in the original proposal. The Ministry of Finance would like to make some amendments in it. It is difficult to make an assesssment of investment at this movement. However the amount may be one or two corores.

Shri Sukhdeo Prased Verma : Sir, may I know the time by which the trading corporation would start functioning ?

Shri L. N. Mishra : It is very diffficult to give a definate date because other countries especially Afghanistan have to be persuaded to sell their dry fruits to the Trading Corporation instead of private firms. In view of this the date can be decided in consultation with workta other countries such as Iran, Iraq and Afghanistan. We are, therefore, unable to give any definite date at the moment.

Shri Hukam Chand Kachwai : When a corporation would be set up for this purpose then no business man would be importing dry fruits directly from the foreign countries. They can import them through this corporation. So there is no need of consulting foreign countries in this matter. In view of this will the honible Minister agree to set up this corporation at an early date to make available the dry fruits to consumers at reasvnable prices ?

Shri L. N. Mishra : That is right and we have taken this desision because Pvivate traders charge exarbitant prices. But it is necessary to consulte foreign countries in order to know their mind and may I know whether they would like to sell their goods through this trading corporation or in the private capacity. We can not do it without consulting them.

श्री जी० विश्वनाथन् : सूखे मेवे बेचने वाले आयातकर्ता इस समय 400 से 500 प्रतिशत तक लाभ अर्जित कर रहे हैं। क्या मन्त्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि यह निगम न्यूनतम लाभ अर्जित करेगा और मेवों का मूल्य कम हो जायेगा ?

श्री एल० एन० मिश्र : इस निगम का यह मुख्य उद्देश्य है।

उड़ीसा में कोणार्क, चिलका झील और गोपालपुर को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव

*562. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के समक्ष कोणार्क, चिलका झील और गोपालपुर को पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) : 1. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग 3.75 लाख रुपये की अनुमानित लागत से कोणार्क के सूर्य मन्दिर पर पुंजप्रकाश व्यवस्था करेगा तथा इस कार्य के मार्च 1973 के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है।

2. पर्यटन विभाग ने स्थल विकास तथा प्राकृतिक दृश्य योजना के लिए कोणार्क के मंदिर के आसपास की भूमि का अधिग्रहण करने के लिए राज्य सरकार के माध्यम से कार्य-वाही शुरू कर दी है। इस उद्देश्य के लिए चौथी योजना में 1.00 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।

3. इससे पहली योजनाओं के दौरान पर्यटन विभाग ने 1,78,000/-रुपये की लागत से एक पर्यटक बंगला बनाया तथा कोणार्क में एक निम्न आय वर्ग विश्राम गृह के निर्माण के लिए 1,43,994.00 रुपये और रंगा में निम्न आय वर्ग विश्रामगृह के लिए 2,24,875.00 रुपये का अंशदान किया।

4. समुद्र-स्थित गोपालपुर में निजी क्षेत्र में एक दो-स्टार वाला होटल है।

श्री डी० के० पंडा : यद्यपि कोणार्क मन्दिर और समुद्र स्थित गोपालपुर के सम्बन्ध में मन्त्री महोदय के उत्तर का स्वागत है परन्तु चिलका झील के बारे में कोई उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा सरकार से पुरी और कोणार्क के बीच मेरिन ड्राइव का विकास करने और रत्नगिरि, उदयगिरि, ललितगिरि तथा कोणार्क को मिलाने के लिए कोई प्रस्ताव मिला है और यदि हां, तो क्या सरकार निकट भविष्य में निर्माण कार्य आरम्भ करेगी?

डा० सरोजिनी महिषी : हमें राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। परन्तु कुछ समय पूर्व हमने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत की थी कि उड़ीसा में मेरिन ड्राइव, झील आदि के समूह का किस प्रकार का विकास किया जा सकता है। हमारा विचार चिलका झील में पक्षी शरणस्थल बनाने का था जबकि राज्य सरकार वहां पर कुछ रम्य स्थलों का विकास कर रही है। हम उन कार्यों को स्वीकार करने के लिए रजामन्द हैं जो पर्यटन विभाग आरम्भ कर सकता है। परन्तु राज्य सरकार से अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री डी० के० पंडा : उड़ीसा सरकार की पांचवी योजना के पृष्ठ 15 पर पुरी और कोणार्क के बीच एक मेरिन ड्राइव बनाने का उल्लेख है।

डा० सरोजिनी महिषी : पांचवी योजना विचाराधीन है। हमें राज्य सरकार से योजना के प्रारूप की एक प्रतिलिपि प्राप्त हुई है। जहां तक मेरिन ड्राइव का सम्बन्ध है, यह 70 मील के लगभग एक बहुत लम्बी सड़क है। हमें पता चला है कि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में पहल कर रही है। पर्यटन विभाग इतनी लम्बी सड़कें बनाने का कार्य नहीं करता है। जब तक कोई छोटी-सी सड़क किसी स्मारक तक जाने वाली न हो, हम उसको नहीं बनाते हैं।

श्री डी० के० पंडा : जहां तक चिलका झील में मनोरंजन सम्बन्धी सुविधाओं के विकास का सम्बन्ध है उनको विश्व की सबसे बड़ी झील फ्रेंच देवीरा से उपलब्ध सुविधाओं के बराबर लाया जा सकता है। इस विचार से मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या चिलका झील में कुछ हाऊस बोट और मोटर बोट रखने के बारे में उड़ीसा सरकार और केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के बीच कोई विचार विमर्श हुआ है और क्या वहां पर 13 5 करोड़ रुपये की लागत के विकास कार्यों का प्रस्ताव था?

डा० सरोजिनी महिषि : चिलका झील पर 13 करोड़ रुपये खर्च करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उपरोक्त झील का विकास करने का विचार था। हमने 8 या 10 महीने पहले उड़ीसा सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत की थी। हमें उनसे कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए है। विकास में कई कार्य शामिल हैं। इसमें पक्षी शरणस्थल भी है। यदि हमें उसमें कुछ अन्य किस्मों के पक्षी रख दे तो यह भी विकास है, यदि हम वहां पर कुछ आवास बना दें और नौकाएं रख दे तो यह भी विकास होगा। अतः विकास कार्यों में राज्य सरकार ने क्या कार्य करने हैं ओर हमने कौन से करने हैं, इस बारे में निर्णय अभी किया जाना है।

श्री के० डी० मालवीय : मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या किसी पर्यटक स्थल का विकास करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों का कोई विभाजन है ?

डा० सरोजिनी महिषी : जी, हां। समस्त देश में विकास किये जाने वाले स्थलों की संख्या काफी बड़ी है। स्मारक, वन्य पशु शरणस्थल, पर्वतीय स्थल, तटवर्ती स्थल आदि कई पर्यटक स्थल हो सकते हैं और भारत सरकार इन सभी स्थलों का ध्यान नहीं रख सकती है। वैसे पर्यटन राज्य का विषय है और भारत सरकार कुछ ऐसी मुख्य परियोजनाओं का कुछ भाग अपने जिम्मे लेती है जो उसे स्वकार्य होता है और भारत सरकार द्वारा किया जा सकता है।

श्री के० डी० मालवीय : केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच पर्यटन स्थलों के विकास के सम्बन्ध में मतभेदों को ध्यान में रखते हुए क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों का वर्गीकरण कर देगी ताकि पर्यटन स्थलों को सुन्दर और सार्थक बनाया जा सके ?

डा० सरोजिनी महिषी : यह वर्गीकरण पहले ही किया हुआ है। राज्य सरकार ने राज्य की पंचवर्षीय योजना और वार्षिक योजना में भी अपनी पर्यटन विकास योजना को शामिल किया हुआ है। इसके अतिरिक्त निःसंदेह, केन्द्रीय सरकार की भी योजनाएं हैं। ये कुछ मुख्य परियोजनाओं तक सीमित हैं जो राज्य सरकार आरम्भ नहीं कर सकती है।

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : पर्यटन विकास का काम निश्चय ही सहकारी काम है और इसमें राज्य सरकारों, भारत सरकार और निजी क्षेत्र सबका योगदान अपेक्षित है, इस पर्यटन विकास की योजना, जैसाकि मेरे सहयोगी ने कहा है, हम इन विभिन्न निकायों के सभी संसाधनों को एक सूत्र में बांध कर तैयार करते हैं। पर्यटन विकास सम्बन्धी कार्यों का विभाजन नहीं किया जा सकता। जहां भारत सरकार के लिए सम्भव होता है, हम योजनाएं आरम्भ करते हैं। परन्तु सम्पूर्ण समन्वय से ही पर्यटन का उचित विकास किया जा सकता है।

श्री डी० पी० जदेजा : मंत्री महोदय ने अभी अभी कहा है कि नौसैनिक परियोजना के कारण चिलका झील परियोजना को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। इससे पूर्व सभा को बताया गया था कि नौसैनिक परियोजना की क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है क्योंकि वहां पक्षी शरणस्थल बनाया जा रहा है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि इन दोनों परियोजनाओं में से किसको प्राथमिकता दी जा रही हैं ?

डा० सरोजिनी महिषी : पक्षी शरण स्थल से नौसैनिक परियोजना को प्राथमिकता दी जायेगी परन्तु यदि राज्य सरकार ने हमसे कहा कि नौसैनिक परियोजना क्रियान्वित नहीं की जा रही है और पक्षी शरण शरण स्थल बनाया जाना चाहिये तो निश्चय ही उसे बनाया जायेगा ।

श्री मोहनराज कलिंगारायर : क्या मंत्री महोदय बतायेंगी कि क्या राज्य सरकार ने मद्रास के निकट वेदान्तंगल पक्षी शरण स्थल बनाने के लिए कुछ वित्तीय सहायता देने के लिए केन्द्रीय सरकार से कई बार अनुरोध किया है ओर यदि हां, ...

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का मुख्य प्रश्न के साथ क्या सम्बन्ध है ?

श्री मोहनराज कलिंगारायर : आपने एक सामान्य प्रश्न की अनुमति दी है । अतः मैं पूछना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने पक्षी शरण स्थल बनाने के लिए कितनी राशि आवंटित की है और क्या कोई विकास हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि प्रश्न असंगत है ।

श्री जी० विश्वनाथन : आपने एक सामान्य प्रश्न की अनुमति दी है । फिर अनुपूरक प्रश्न पूछने में क्या गलती है ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप तर्कवितर्क न कीजिए । मुझे खेद है कि में इसकी अनुमति नहीं दे सकता ।

निर्यातोन्मुख उद्योगों में विदेशी सहयोग के बारे में अध्ययन

+

565. **श्री राजदेव सिंह** :
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने निर्यातोन्मुख उद्योगों में विदेशी सहयोग के बारे में अध्ययन आरम्भ किया है जिसमें विदेशी सहयोग वाले उद्योग भी शामिल होंगे ताकि उनके निर्यात सम्बन्धी कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया जाए तथा ऐसे सहयोग के लिए और अधिक निर्यातोन्मुख उद्योगों का पता लगाया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो यह अध्ययन कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

विदेश व्यापार मन्त्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने, निर्यात निष्पादन तथा सहयोग देने वाले उद्यमों का मूल्यांकन करने तथा विदेशी सहयोग के लिए अतिरिक्त निर्यातोन्मुख उद्योगों का पता लगाने की दृष्टि से गवेषणा सम्बन्धी अपने नियमित कार्यकलापों के एक भाग के रूप में एक गवेषणा अध्ययन आरम्भ किया है ।

(ख) आंकड़ों की उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए संस्थान को 1973 के अन्त तक अध्ययन पूरा करने की आशा है ।

श्री राजदेव सिंह : मेरे प्रश्न के भाग (ख) के संदर्भ में क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह आशंका है कि गैर-सरकारी क्षेत्र आंकड़े रोक सकता है और यदि हां, तो उन्हें प्राप्त करने के क्या उपाय है ?

श्री एल० एन० मिश्र : प्रश्न विदेश व्यापार संस्थान द्वारा किये गए अनुसंधान कार्य के बारे में है। उनके पास विभिन्न प्रकार के अध्ययन करने के तरीके यथा व्यक्तिगत रूप से सदस्यों का साक्षात्कार करने रिकार्ड राज पत्र, अधिसूचनाएं देखने आदि हैं और वे प्रतिवेदन तैयार करते हैं।

माननीय सदस्य को यह आशंका है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के लोग आंकड़े न दें। इसे व्यवहारिक प्रयोजनों के लिये रखने के लिए एक शैक्षिक अध्ययन किया जा रहा है। मैं इससे अधिक और कुछ नहीं कह सकता कि यह संस्थान उन लोगों को समझाने की कोशिश करेगा।

श्री पी० एम० मेहता : विदेश व्यापार संस्थान ने किन-किन उद्योगों को उनके निर्यात संबन्धी कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने और विदेशी सहयोग वाले उद्यमों तथा अतिरिक्त निर्यातोन्मुख उद्योगों का पता लगाने के लिये चुना है ?

श्री एल० एन० मिश्र : मैं केवल इस संस्थान के उद्देश्य और निदेश पदों के बारे में बता सकता हूं। उद्योगों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उन्हें अभी-अभी ही यह मिला है और अभी उन्हें कार्य आरंभ करना है।

श्री पी० एम० मेहता : मन्त्री महोदय को उन उद्योगों के नाम बताने चाहिए जिन्हें अध्ययन के लिये चुना गया है।

श्री एल० एन० मिश्र : मैंने अपने उत्तर में बताया है कि निर्यातोन्मुख उद्योगों का अध्ययन किया जायेगा। वास्तव में यह विषय औद्योगिक विकास मंत्रालय से सम्बन्ध रखता है। जहां तक भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा किये जाने वाले अनुसंधान कार्य का सम्बन्ध है, मेरा सम्बन्ध उतने भाग से ही है। इस प्रयोजन के लिये उन्हें विशिष्ट निदेश पद दे दिये गए हैं और उन्हें अपने उसी अधिकार के अन्तर्गत अध्ययन करना है। यह निदेश पद हैं (1) निर्यात सम्बन्धी कार्य निष्पादन और विदेशी सहयोग वाले उद्यमों का मूल्यांकन (2) निर्यात में बाधक बातों का अध्ययन करना, (3) विदेशी सहयोग के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीति का मूल्यांकन और (4) विदेशी सहयोग हेतु अतिरिक्त निर्यातोन्मुख उद्योगों का पता लगाना।

ये चार निदेश पद उन्हें दिये गये हैं और जो-जो उद्योग इनके अन्तर्गत आयेंगे, वे उनका अध्ययन करने की कोशिश करेंगे।

श्री पी० एम० मेहता : निदेश पदों के अनुसार विदेश व्यापार संस्थान को कुछ उद्योगों का अध्ययन करना चाहिये था और मंत्री महोदय यह जानकारी इस सभा को देने से इन्कार कर रहे हैं। कृपया मंत्री महोदय से कहें कि वह इस अध्ययन के लिये चुने गए उद्योगों के नाम बतायें।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न निर्यातोन्मुख उद्योगों में विदेशी सहयोग के अध्ययन के बारे में है जो

विदेशी सहयोगवाले उद्योगों का भी किया जायेगा और उनके निर्यात सम्बन्धी कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करेगा ।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं कोई जानकारी देने से क्यों इन्कार करूंगा ? जितनी जानकारी मेरे पास है वह सारी जानकारी मैं उन्हें दे चुका हूं । यह संस्थान अभी आरंभ हुआ है । कुछ अन्य मामले हैं जो औद्योगिक विकास मन्त्रालय से सम्बद्ध हैं । हमारा सम्बन्ध अनुसंधान कार्य और संस्थान द्वारा किये जाने वाले कार्य से है । उन्हें उद्योगों का चयन करने में थोड़ा समय लगेगा, कुछ सप्ताह या एक महीना अथवा अगले सत्र तक परन्तु यदि माननीय सदस्य जानना ही चाहते हैं तो मैं उनसे यही कहूंगा कि अभी वे किसी उद्योग को चुनने योग्य नहीं है ।

श्री पी० एम० मेहता : आज तक वे नहीं चुन सके हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है ।

श्री एस० आर० दामाणी : क्या विदेशी सहयोग-कर्ताओं से चीनी उद्योगों और चीनी एककों की स्थापना के लिये कोई आवेदन-पत्र मिले हैं ? यह प्रश्न ऐसी वस्तुओं से सम्बद्ध है जिनका निर्यात किया जायेगा इसलिए मैं इसे पूछ रहा हूं । क्या मन्त्री महोदय हमें ऐसी फर्मों का ब्यौरा और नाम बता सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे समझ नहीं पाया । क्या यह अलग प्रश्न है अथवा इसी प्रश्न से सम्बद्ध है ?

श्री एस० आर० दामाणी : कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें निर्यात कार्यों के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है । यह विदेशी सहयोग से सम्बद्ध है और इसीलिये इससे मेरा प्रश्न उत्पन्न होता है । कितने आवेदन-पत्र मिले हैं और किन-किन वस्तुओं को स्वीकार किया गया है ?

श्री एल० एन० मिश्र : मैं संस्थान की ओर से उत्तर दे रहा हूं । उद्योगों से सम्बन्ध भाग औद्योगिक विकास मंत्रालय के अन्तर्गत है । मुझे केवल अनुसन्धान वाला भाग दिया गया है । यह संस्थान अनुसन्धान कार्य करेगा ।

श्री पी० जी० मावलंकर : मन्त्री महोदय ने बताया है कि अनुसन्धान सम्बन्धी अध्ययन 1973 के अंत तक पूरा हो जायेगा । क्या भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कुछ अन्तरिम अध्ययन प्रतिवेदन देगा ?

श्री एल० एन० मिश्र : मेरी जानकारी में नहीं है ।

बीटा नैपथौल पर सामूहिक शुल्क में वृद्धि

*566. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 दिसम्बर, 1972 के "हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड" में कम्पोजिट ड्यूटी राइज हिटस् रबर केमिकल युनिट्स (सामूहिक शुल्क में वृद्धि का रबड़ केमिकल कारखानों पर विपरीत प्रभाव) शीर्षक से बीटानैपथौल पर सामूहिक शुल्क में वृद्धि से सम्बन्धित प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या लगभग 2500 मीट्रिक टन यह कच्चा माल प्रतिवर्ष आयात किया जाता है ?

विदेश व्यापार मन्त्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार को विनिश्चय पर पुनः विचार करने के लिए कोई आधार नहीं मिला है ।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान बीटानेफथौल के आयात इस प्रकार रहे :—

1969-70	—	1906 मे० टन
1970-71	—	2588 मे० टन
1971-72	—	1600 मे० टन

श्री भान सिंह भौरा : इसे ध्यान में रखते हुए कि टायरों के उत्पादन में उत्पादक कारखाने 'बीटानैफ्थोल' का प्रयोग करते हैं जहां सामूहिक शुल्क लगभग 89 प्रतिशत है तो देश में टायरों की कमी को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस मामले में किये गये अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगी ?

श्री एल० एन० मिश्र : यह भी मुख्यतः वित्त मंत्रालय से सम्बन्धित प्रश्न है । जहां तक प्रश्न के टायर वाले का भाग का सम्बन्ध हैं, वहां 12 प्रतिशत सीमा-शुल्क लगा हुआ है । वह 12 प्रतिशत तक सीमित है । परन्तु ब्यौरे के बारे में मैं इस अवस्था में कोई उत्तर नहीं दे सकता ।

श्री भान सिंह भौरा : समाचार में यह निम्न प्रकार से दिया हुआ है :

"हिन्दुस्तान स्टील बी० टी० एक्स० एन० के अंश से 'नैफ्थालीन' नहीं ले रहा है और ईधन के रूप में जलाने के बदले अपने संयंत्रों में उसे ही जला रहा है ।"

इसे ध्यान में रखते हुए क्या सरकार कोई कार्यवाही करेगी और यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री एल० एन० मिश्र : मैंने भी वह समाचार देखा है । मैं इसे इस्पात और खान मन्त्रालय को भेज दूंगा ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा धन का वितरण

*567. **श्री सरजू पांडे** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने गत वर्ष जुलाई-सितम्बर के तीन महीनों की तुलना में जुलाई-सितम्बर, 1972 के दौरान कम राशि दी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी, हां । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा तीसरी तिमाही जुलाई-सितम्बर 72 के दौरान भुगतान की गयी सभी प्रकार की नकद सहायता की कुल रकम 18.42 करोड़ रुपया हुई जबकि इसकी तुलना में 1971 की तदनुरूप अवधि के दौरान वितरित सहायता की रकम 21.37 करोड़ रुपया थी ।

(ख) विकास बैंक जैसी दीर्घावधिक शिखर वित्तीय संस्था के सम्बन्ध में किसी एक वर्ष की तिमाही जैसी छोटी अवधि के दौरान किये गये भुगतानों के आंकड़ों की उससे पहले के वर्ष की तदनुरूप अवधि के आंकड़ों से तुलना करना अधिक उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि उस प्रकार की अल्पावधि के दौरान किये गये भुगतानों के आँकड़ों में घट-बढ़ होती है। यह घट-बढ़ संयंत्र और मशीनों की सुपुर्दगियों और स्थापन, भवनों आदि के निर्माण जैसी मुख्य परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति पर निर्भर रहती है, जिनके क्रियान्वयन में सामान्यतः दो तीन वर्ष लग जाते हैं।

Shri Sarjoo Pandey : The Hon. Minister has stated in his statement that it is time that there has been less disbursement in 1972 as compared to 1971 and at the same time he is also saying that it is not good to compare. Will the hon. Minister tell us about the difference between 1971 and 1972 and the main reasons for shortfall ?

May I know whether any arrangement is going to be made in which the Industrial Development Bank provides money for the backward regions ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : क्या मैं उनके प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर पहले दे सकता हूं ? उनके प्रश्न के वास्तव में दो भाग हैं। उनके प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के लिये क्या औद्योगिक विकास बैंक की कोई योजना है ? मैं समझता हूं कि यह बहुत ही वैध प्रश्न है और औद्योगिक विकास बैंक ने भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में बहुत से सर्वेक्षण किये हैं और कुछ विचार उत्पन्न हुए हैं जिनका पालन किया जायेगा। साथ ही, पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले उद्योगों को औद्योगिक विकास किसी न किसी प्रकार की रियायतें भी दे रहा है।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि समूचे वर्ष में कितना वितरण होगा, जैसा कि मैं बता चुका हैं, कि पिछले वर्ष की एक तिमाही की दूसरी तिमाही के साथ तुलना करना सही नहीं है। मैं नहीं समझता हूं कि मेरे पास 1971 के सारे आंकड़े हैं। मजूरी में काफी वृद्धि हुई है परन्तु कठिनाई यह है कि वितरण तभी होता है जब उपकरण और पूंजीगत वस्तुओं का वितरण होता है। अतः कभी-कभी वितरण अवधि में कम ज्यादा होता रहता है। ऐसा हो सकता है कि समूचे 1971 के आंकड़ों की तुलना में 1972 के आंकड़े कम हो सकते हैं परन्तु वह किसी विशेष पहलू को इंगित नहीं करता है

Shri Sarjoo Pandey : Uttar Pradesh is the poorest state. It appears from the statistics published by the Planning Department that there is excessive poverty in Uttar Pradesh and there are about 38 per cent of people below average poverty line. Particularly the condition of eastern Uttar Pradesh is the worst. The hon. Minister has just said that the Industrial Development Bank has plans for the development of backward regions. May I know whether this Bank has received schemes for the development of these rogions of Uttar Pradesh ? If so, the draft thereof ?

Shri Yeshwantrao Chavan : As I have said, they have received certain reports. I cannot say what scheme have they received for Uttar Pradesh. I have no information at the moment. I shall reply later on if question is asked.

श्री के० एस० चावड़ा : क्या सरकार ऋण देने सम्बन्धी अपनी नीति को उदार बनाने की वांछनीयता पर विचार करेगी ताकि नये और छोटे उद्यमियों को लाभ मिल सके ?

Mr. Speaker : This is a particular question as to why there was much disbursement last year and not this year. You have gone beyond the scope of the question.

भारतीय पर्यटन विकास निगम के मुख्यालय के कर्मचारियों को महंगाई के लिये मुआवजा देना

+

*568. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :**
श्री धामनकर :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री क्रमशः 7 अप्रैल, 1972 और 26 मई, 1972 अतारांकित प्रश्न संख्या 2138 और 7601 के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय पर्यटन विकास निगम में उक्त निगम के मुख्यालय के कर्मचारियों को मूल्य वृद्धि के लिये मुआवजा देने हेतु क्या कदम उठाये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० सरोजिनी महिषी) : भारत पर्यटन विकास निगम के मुख्यालय के कर्मचारियों ने वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 के लिये 10% दी दर से बोनस प्राप्त किया ।

Dr. Laxminarain Pandeya : Mr. Speaker, my question was quite different. I had asked what compensation has been given to the employees of the Headquarters office of the Corporation for rise in the price index. But the hon. Minister has stated that bonus has been given to them. My contention is that the India Tourism Development Corporation is registered under Companies Act and it is a commercial undertaking. It is, therefore, necessary to give bonus to the employees of this Corporation. Payment of bonus to the employees is not an obligation. I want to know from the hon. Minister what efforts have been made to compensate them for rise in the price index ?

Dr. Sarojini Mahishi : Efforts have been made to compensate them. An employee working in the headquarters gets more wages in the form of dearness allowance, house rent allowance and city compensatory allowance as compared to those being given to an employee of the same grade working in Ashoka Hotel or Janpath Hotel.

Dr. Laxminarain Pandeya : Is it a fact that since 1970, when first interim relief was given, there has been sharp rise in the price-index, but there has been no change in the wages of the employees since then ?

Dr. Sarojini Mahishi : If there has been no increase in the wages of the employees, their dearness allowance, house rent allowance and city compensatory allowance have been increased to a great extent. According to the Award of 1968 of the Wage Board which was set up by the Dehli Administration, the dearness allowance is linked with the price index and as such there has been adequate upward revision in these allowances.

Dr. Laxminarain Pandeya : I have asked as to whether it is a fact that in 1970 when first interim relief was given, what amount of wages the employees were getting the same are being given to them even today.

Dr. Sarojini Mahishi : It is not correct.

Shri Ram Ratan Sharma : The hon. Minister has mentioned about house rent. I want to know, whether house rent allowance at the rate of 25 percent of their basic pay is given to all the employees ; if not, why 25 percent house rent allowance is included in their total emoluments ?

Dr. Sarojini Mahishi : 25 per cent house rent allowance is not given to all the employees. This is given only to the employees who produce rent receipt. The employees, who do not produce rent receipt generally get 15 per cent house rent allowance.

विदेशी फर्मों की ओर करों की बकाया राशि

*569. **श्री जगन्नाथ मिश्र :**
श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कार्य कर रही अनेक विदेशी फर्मों की ओर करों की एक बड़ी राशि बकाया है ;

(ख) यदि हां, तो इन फर्मों तथा विशेष रूप से उन फर्मों से, जो भारत में अब तक अपना व्यापार बन्द कर चुकी हैं, करों की बकाया राशि बसूल करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(ग) उन फर्मों के नाम क्या हैं जिन पर करों की राशि बकाया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) : आय-कर अधिनियम में 'विदेशी फर्म' शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है । आय-कर के आंकड़े भारतीय और विदेशी कर-निर्धारितियों के बारे में अलग-अलग नहीं रखे जाते हैं । लेकिन आय-कर अधिनियम, 1967 की धारा 80 ख (4) में 'विदेशी फर्म' की परिभाषा ऐसी कम्पनी के रूप में की गई है, जो स्वदेशी कम्पनी नहीं है। ऐसी विदेशी कम्पनियों के बारे में सूचना एकत्रित की गई है, जिन पर 31-3-1972 को वसूली के लिए बकाया आयकर 50,000 रु० या इससे अधिक था । इन ब्यौरे से पता चलता है कि ऐसी 20 कम्पनियां है । इन कम्पनियों के नाम, 31-3-1972 को बकाया आय-कर की रकम और बकाया करों को वसूल करने के लिए की गयी और की जा रही कार्यवाही सदन की मेज पर रखे गए विवरण-पत्र में दी गयी है ।

इन 20 कम्पनियों में से केवल दो कम्पनियों, अर्थात् मैसर्स एफ० सी० ओसलर लि० और मैसर्स एमको फरनेस कंस्ट्रक्शन लि० ने भारत में अपना कारबार समाप्त कर दिया है । चार अन्य कम्पनियों के मामले में बकाया आय-कर अब घट कर 'शून्य' रह गया है ।

विवरण

क्र० सं०	विदेशी कम्पनी का नाम	31-3-1972 को वसूली के लिए बकाया आयकर की कुल रकम (रुपयों में)	बकाया को वसूल करने के लिए किये गये और किए जा रहे उपाय
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मैसर्स विलियर्स इंजीनियरिंग कं० लि०	81,862	कम्पनी की भारत में कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं थी, लेकिन एनफील्ड इन्डिया लि०, मद्रास में शेयरों के रूप में 3,95,000 रु० मूल्य की परिसम्पत्तियां हैं। पूरी बकाया मांग अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त के समक्ष अपील में विवादग्रस्त है। मार्च 1972 में वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है।
2.	मेसर्स डोमीनिटवर्क जी. एम. बी. एच.	52,838	कम्पनी का भारत में कोई कारबार नहीं था। इसकी आय केवल मेसर्स ट्रांसफार्मर एण्ड स्विचगीयर लि० को सेवाएं देने के लिए तकनीकी फीस के रूप में होती है। मांग आय-कर अपीलीय न्यायाधिकरण के सम्मुख अपील में विवादग्रस्त है। वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया है। कर वसूली अधिकारी ने निर्धारिती को बकाया मांग 7,500 रु० की मासिक किस्त में अदा करने की अनुमति दे दी है। बकाया अब घट कर 338 रु० रह गयी है।
3.	रैपको आस्ट्रेलिया लि०	4,17,000	कम्पनी का स्वचालित गाड़ियों के फालतू पुर्जे बनाने के लिए इन्डिया पिस्टंस रैपको लि० के साथ सहयोग-करार है। कर-निर्धारण सहायक अपीलीय आयकर आयुक्त के सम्मुख विवादग्रस्त हैं। 1-9-1972 को बकाया कर घट कर 7,560 रु० रह गया। इन बकाया करों के शीघ्र वसूल हो जाने की आशा है। कम्पनी के पास भारतीय कम्पनी के 12 लाख रु० से अधिक के इक्विटी शेयर हैं और इस प्रकार बकाया कर की वसूली में कोई कठिनाई नहीं आयेगी।

क्र० सं०	विदेशी कम्पनी का नाम	31-3-1972 को वसूली के लिए बकाया आयकर की कुल रकम (रुपयों में)	बकाया को वसूल करने के लिए किये गये और किए जा रहे उपाय
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	मैट्रोपोलिटन कैमेल कं० लि०	2,75,000	अनिवासी कम्पनी को देय तकनीकी फीस का निर्धारण निर्धारिती के तर्क के अनुसार नकदी के आधार पर करने की बजाय उनके प्रोदभव आधार पर किया गया। कर-निर्धारण अपीलों में विवाद-ग्रस्त हैं। वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर दिए गए हैं। बकाया अब घट कर 2,58,078 रु० रह गयी है।
5.	इंडियन टैक्सटाइल इन्जीनियरिंग प्रा० लि०, डाबसन एण्ड बारलोरो के एजेंट के रूप में	67,000	भूल सुधार के परिणामस्वरूप मांग अब घट कर शून्य रह गई है।
6.	इन्डियन टैक्सटाइल इन्जीनियर्स प्रा० लि०, हावर्ड एण्ड बुलो के एजेंटों के रूप में	1,17,000	वसूली के लिए बकाया रकम 1947-48 से बाद के पुराने कर-निर्धारणों के बारे में है। निर्धारिती ने किए गए कर-निर्धारणों पर आपत्ति करते हुए कई प्रश्न उठाए हैं। अन्तर्ग्रस्त मुख्य सामान्य प्रश्न पुराने स्टाक का पुनर्मूल्यांकन और 1940-41 से बाद के कर-निर्धारणों के पुनरीक्षण से है। भूल सुधारों/पुनरीक्षणों का काम निर्धारिती द्वारा सप्लाई किए जाने वाले कुछ ब्योरों के उपलब्ध न होने के कारण रुका पड़ा है। लेकिन भूल सुधारों को शीघ्रता से करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
7.	इन्डियन टैक्सटाइल इन्जीनियर्स प्रा० लि०, प्लैट ब्रदर्स के एजेंट के रूप में	4,63,000	वसूली के लिए रकम 1947-48 से बाद के पुराने कर-निर्धारणों के बारे में है। निर्धारिती ने किए गए कर-निर्धारणों पर आपत्ति करते हुए कई प्रश्न उठाए हैं। अन्तर्ग्रस्त मुख्य सामान्य प्रश्न पुराने स्टाक का पुनर्मूल्यांकन और 1940-41 से बाद के कर-निर्धारणों के पुनरीक्षण से है। भूल सुधारों/पुनरीक्षणों का

क्र० सं०	विदेशी कम्पनी का नाम	31-3-72 को वसूली के लिए बकाया आयकर की कुल रकम (रुपयों में)	बकाया को वसूल करने के लिए किए गये और किए जा रहे उपाय
(1)	(2)	(3)	(4)
			काम निर्धारिती द्वारा सप्लाई किए जाने वाले कुछ व्यौरों के उपलब्ध न होने के कारण रुका पड़ा है। लेकिन भूल सुधारों को शीघ्रता से करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। मांग अब घट कर 2,17,000 रू० की रह गई है।
8.	मेसर्स वैस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक इन्टरनेशनल कं० लि०	6,23,000	निर्धारिती ने दावा किया कि स्रोत पर कटौती द्वारा तमाम रकम अदा कर दी गयी है। अब इस दावे की पुष्टि हो गई है और बकाया घट कर शून्य रह गयी है।
9.	प्लैट इन्टरनेशनल लि०	2,52,000	भूल सुधारों के परिणामस्वरूप बकाया घट कर अब शून्य रह गयी है।
10	मेसर्स में एण्ड बेकर लि० (दागनर्हम)	23,00,000	निर्धारिती का दोहरे अतिलाभ कर से राहत का दावा अनिर्णीत पड़ा है। इस मामले में बोर्ड ने ब्रिटिश इंलैंड रेवन्यू प्राधिकारियों को लिखा है। उनका उत्तर प्राप्त होने तथा राहत के दावे का निपटान होने तक कर की वसूली स्थगित रखी गई है।
11.	मेसर्स मोहम्मदी स्टीमशिप कं० लि०	3,25,000	यह पाकिस्तान की कम्पनी है जिसकी भारत में कोई ज्ञात परिसम्पत्तियां नहीं हैं। वसुली-प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं।
12.	मेसर्स पाकिस्तान शिपिंग लाइन लि०	6,09,000	यह भी पाकिस्तान की कम्पनी है और इसकी भारत में कोई ज्ञात परिसम्पत्तियां नहीं है। मांगे अब कम हो कर 4,24,206 रु० रह गई है। इस रकम में 3,66,347 रु० भी शामिल है जिसके विरुद्ध अपील की गई है।

क्र० सं०	विदेशी कम्पनी का नाम	31-3-1972 को वसूली के लिए बकाया आयकर की कुल रकम (रुपयों में)	बकाया की वसूल करने के लिए किए गये और किए जा रहे उपाय
1	2	3	4
13.	मेसर्स वेनविक एण्ड कं० लि०	17,12,000	वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं। कम्पनी कुष्तिया (बंगलादेश) में स्थित है। इसकी भारत में कोई ज्ञात परिसम्पत्तियां नहीं हैं।
14.	मेसर्स जनरल इलेक्ट्रिकल टेकनिकल सर्विसेज कं० (प्रा०) लि०	2,00,443	कर-निर्धारण के विरुद्ध अपीलीय सहायक आयुक्त के पास अपील की गई है। मांग फरवरी 1972 में देय हो गई थी। दांडिक कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।
15.	मेसर्स देना कारपोरेशन	1,35,508	निर्धारिती का दावा है कि उसने स्रोत पर कर की कटौती द्वारा बकाया कर अदा कर दिया है। दावे की जांच की जा रही है।
16.	मेसर्स मेविमलन एण्ड कं० लि०	6,41.451	20,000 रु० की अनिर्णीत मांग जो कर-निर्धारण वर्ष 1965-66 की थी, कम हो कर कुछ नहीं रह गई है क्योंकि वह अपील में रद्द कर दी गई थी। निर्धारण वर्ष 1965-66 की 19,624 रु० की नियमित मांग, निर्धारिती कम्पनी द्वारा किये गये स्वयं निर्धारण के प्रति समायोजित की जा रही है। शेष मांग का सम्बन्ध आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 और 217 के अधीन ब्याज से है। निर्धारिती कम्पनी ने ब्याज छोड़ देने के लिए आयकर आयुक्त को याचिका दी है। याचिका विचाराधीन है।
17.	मेसर्स एफ० एण्ड सी० ओस्लर लि०	2,17,000	कम्पनी ने 1946 में अपना कारबार समाप्त कर दिया। दोहरे आयकर तथा दोहरे अति-लाभ कर राहतों और युद्धोत्तर अतिलाभ कर वापसी के प्रति समायोजन न होने के कारण बकाया अनिर्णीत पड़ी है। समायोजनों के बाद बकाया समाप्त हो जायगी।

क्र० सं०	विदेशी कम्पनी का नाम	31-3-1973 को वसूली के लिए बकाया आयकर की कुल रकम (रुपयों में)	बकाया को वसूल करने के लिए किए गये और किए जा रहे उपाय
1	2	3	4
18.	मेसर्स एम्को फर्नेस कंस्ट्रक्शन लि०	71,000	कम्पनी का कारबार 1968 में समाप्त हो गया था। मांग के विरुद्ध अपील की गई है।
19.	मेसर्स क्लान लाइम स्टीयर्स लि०	2,89,000	अपीलीय आदेशों को लागू करते समय पूर्ववर्ती वर्षों की वापसियों का समायोजन करके पूरी मांग अब वसूल कर ली गई है। इसलिए इस समय कोई बकाया नहीं है।
20.	मेसर्स पाकिस्तान एयर लाइन्स कारपोरेशन	13,22,000	निर्धारिती ने सितम्बर, 1966 से भारत में कारबार बन्द कर दिया है। कर वसूली अधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र ऋणी, अर्थात् शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक, बम्बई को जिनमें निर्धारिती की परिसम्पत्तियां निहित हैं, नोटिस तामील किये जाने पर, अभिरक्षक ने कर-वसूली अधिकारी से निवेदन किया है कि उस समय तक मांग स्थगित रखी जाय जब तक भारत तथा पाकिस्तान की सरकारों के बीच फिर से सामान्य सम्बन्ध स्थापित नहीं हो जाते।

श्री जगन्नाथ मिश्र : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन विदेशी फर्मों ने, जिनकी ओर राशि बकाया है, भारत में अपना व्यापार बन्द करने के लिए भारत सरकार से अनुमति मांगी है और उनसे बकाया राशि वसूल करने से पूर्व उन्हें ऐसा करने की अनुमति क्यों दी गई ?

श्री के० आर० गणेश : मेरे पास अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री जगन्नाथ मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि शिमला समझौते के परिणामस्वरूप पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध सामान्य हो जाने के उपरान्त क्या पाकिस्तान से पाकिस्तान एयरलाइन्स, पाकिस्तान शिपिंग लाइन्स तथा मोहम्मदी स्टीमशिप कम्पनी की ओर बकाया करों की वसूली का प्रश्न उठाया गया है, और यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं।

श्री के० आर० गणेश : तीन पाकिस्तानी कम्पनियों की ओर बकाया राशि के बारे में 'डी० आई० टी० रिलीफ' की प्रतीक्षा की जा रही है। और जब उन्हें पाकिस्तानी अधिकारियों से उचित दस्तावेज प्राप्त हो जायेंगे तो कार्यवाही की जायेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सरकार के पास ऐसी कोई सूचना है कि एक अत्यन्त पुरानी विदेशी कम्पनी मैसर्स एण्ड्रयू यूले कम्पनी जो अनेक वर्षों से मैनेजिंग एजेंसी हाउस के नाम से कार्य संचालन करती थी अब भारत में अपना व्यापार कार्य बन्द करने का विचार कर रही है और यदि हां, तो इस कम्पनी के बन्द होने और यहां से जाने से पूर्व उनपर जो कर बकाया हैं उन्हें समय रहते वसूल करने के लिय क्या उपाय किए जायेंगे ?

श्री के० आर० गणेश : अनेक माननीय सदस्यों ने भी सरकार को यह सूचना भेजी है और कर्मचारियों के संगठनों ने सरकार के साथ यह मामला उठाया है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि यदि इस विशिष्ट फार्म पर कर बकाया हैं तो उन्हें ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से पूर्व वसूल करने के किए विशेष प्रयास करेगी।

श्री के० एस० चावडा : क्या लाभ और आस्तियां बाहर भेजने से पूर्व कर का भुगतान अनिवार्य बनाने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

श्री के० आर० गणेश : माननीय सदस्य का सुझाव अच्छा है और सरकार उस पर विचार करेगी।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मद सख्या 10 के बारे में एक कम्पनी पर 25 लाख रुपये बकाया हैं और इसे वसूल करने के लिए ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया है। मद संख्या 16 में उल्लिखित कम्पनी ने आय-कर आयुक्त को ब्याज माफी की याचिका दी हुई है, यह मामला 1961 से अब 1972 तक क्यों लम्बित रहा है ?

श्री के० आर० गणेश : प्रत्येक कम्पनी के बारे में विस्तृत जानकारी मैं पहले ही दे चुका हूं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : आपका उत्तर तीसरे कालम में है आप देखें तो सही।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इन विदेशी कम्पनियों में क्या भारतीय व्यापारी भी सम्बद्ध हैं और यदि हां, तो क्या ये लोग उन 75 व्यापार-गृहों के हैं जिनकी जांच एकाधिकार आयोग ने की थी ?

श्री के० आर० गणेश : जहां तक मुझे पता है ये कम्पनियां पूर्णतया विदेशी हैं। फिर भी मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री आर० पी० यादव : विवरण में मद संख्या 13 में उल्लिखित रेनविक एण्ड कम्पनी पर 17,12,000 रुपये बकाया है और कहा गया है कि वसूली प्रमाणपत्र जारी कर दिए गए हैं परन्तु क्योंकि यह कुश्तिया (बंगला देश) में स्थित है तो वसूली कैसे की जाएगी जबकि इसकी भारत में कोई आस्तियां नही हैं ?

श्री के० आर० गणेश : इस कारण वसूली वास्तव में बहुत कठिन है परन्तु सभी प्रयत्न कर लेने तक यह स्थिति बनी ही रहेगी।

श्री आर० पी० यादव : ये प्रमाणपत्र किस को भेजे जाएंगे ?

श्री के० आर० गणेश : इसकी भारत में कोई न कोई शाखा तो होगी ही ।

श्री जी० विश्वनाथन : वैस्टिंग हाउस इलैक्ट्रिक इंटरनेशनल कम्पनी पर 6,23,000 रुपये कर के बकाया दिखाये गये हैं । इसका स्पष्टीकरण बहुत रोचक है । कहा गया है कि "निर्धारिती का दावा है कि स्रोत पर कटौती द्वारा पूरी राशि जमा कराई जा चुकी है । इसकी जांच करने पर बकाया कोई राशि नहीं है ।"

कर की कटौती और निर्धारण करने वाली पार्टी एक ही है, तो इस अज्ञानता के लिए कौन उत्तरदायी है ?

श्री के० आर० गणेश : इस मामले की जांच के बाद ही सत्य का पता चलेगा । जानकारी दी जा चुकी है और जांच करना शेष है ।

पश्चिम बंगाल में संकटग्रस्त चाय बागानों का अधिग्रहण

*570. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 नवम्बर, 1972 के "पैट्रियट" में सेन्टर गिव्स् क्लीयरेन्स, वैस्ट बेंगाल टू टेक ओवर सिक टी एस्टेट्स्' पश्चिम बंगाल संकट ग्रस्त बागानों का अधिग्रहण करेगा केन्द्र द्वारा अनुमति शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किए गए निर्णय की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उक्त निर्णय को सम्भवत: कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

विदेश व्यापार मन्त्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) : कुछ चाय बागानों को ग्रहण करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कतिपय प्रस्थापनाएं की गई हैं । मामले पर विचार किया जा रहा है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या पश्चिम बंगाल के श्रम मन्त्री कुछ सप्ताह पूर्व उनसे मिले थे और उनका ध्यान विशेष रूप से इस बात की ओर दिलाया गया था कि उत्तर बंगाल में पांच ऐसे चाय बागान पहले ही बन्द हो चुके हैं और 30 अन्य बागान बन्द होने जा रहे हैं और क्या उन्होंने चाय बागान पुनर्निर्माण निगम की स्थापना के लिए केन्द्र से सहायता मांगी थी जो इन बागानों को अपने अधिकार में लेकर चला सके ? यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री एल० एन० मिश्र : यह सच है कि वह मुझे मिले थे और उन्होंने ऐसा निगम बनाने का प्रस्ताव किया था जिसमें 51 प्रतिशत अंश राज्य सरकार के और 49 प्रतिशत अंश केन्द्रीय सरकार के हों । उन्होंने 6 बन्द चाय बागानों, 5 दारजीलिंग में और एक जलपायगुड़ी में है, का जिक्र भी किया था । मेरा सुझाव था कि राज्य सरकार अपना निगम बनाए जिसके लिए केन्द्र चाय विकास निधि में से वित्तीय सहायता दे देगा । वह पुनः यहां पर आए थे और हमने इस पर चर्चा की थी । मुझे आशा है कि राज्य सरकार अपना निगम स्थापित करेगी । वित्तीय सहायता हम उन्हें चाय विकास निधि में से दे सकेंगे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि विशेषकर

दारजीलिंग में, जहां संसार भर में सर्वोत्तम चाय पैदा होती है और जिससे हमारे देश को काफी विदेशी मुद्रा की आय होती है, पुरानी कम्पनियों के मालिक पौधे पुनः लगाने के लिए पूंजी-निवेश के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि पुराने पौधों में शक्ति नहीं रही है और वे सूख रहे हैं और क्योंकि इसमें न केवल और अधिक लोगों को काम पर लगाने का प्रश्न है बल्कि उत्पादन और विदेशी मुद्रा की भी हानि होगी। अतः मैं जानना चाहता हूं कि यदि दारजीलिंग में वे स्वयं नए पौधे नहीं लगाना चाहते तो क्या सरकार स्वयं कोई कार्यवाही करेगी ताकि यह उद्योग तबाह न हो ?

श्री एल० एन० मिश्र : पश्चिम बंगाल सरकार का उद्देश्य भी यही है और इसीलिए वे यह निगम बनाना चाहते हैं। पहले वे भारत सरकार को भो इसमें शामिल करना चाहते थे परन्तु मैंने कहा कि राज्य सरकार के लिए अपना निगम बनाना बेहतर होगा, वित्तीय सहायता हम दे देंगे। सदस्य महोदय ने ठीक ही कहा है कि बागान-मालिक नए पौधे लगाने में अधिक रुचि नहीं रखते। यद्यपि हमने उन्हें दिए जाने वाले ऋण की राशि 7460 रुपये से बढ़ाकर 11,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और राजसहायता 4000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दी है। इसका हल यही है कि यहां निगम बने और इन बागानों को अपने हाथ में लेकर चलाए। जहां तक वित्त या अन्य प्रकार की सहायता का सम्बन्ध है हम उन्हें सहायता देने में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे।

श्री के० डी० मालवीय : हमारे देश में चाय बागानों में विदेशी उद्योगपतियों द्वारा सहयोग और रुचि में अभाव को देखते हुए और चूंकि यह समस्या काफी पुरानी है, भारत सरकार इस उद्योग को बचाने हेतु इसके अधिकांश भाग को अपने अधिकार में लेने और इसके प्रशासन के सम्बन्ध में क्यों कोई विशिष्ट नीति निर्धारित नहीं कर रही है ?

श्री एल० एन० मिश्र : पश्चिम बंगाल के चाय बागान के मालिक विदेशी नहीं हैं, भारतीय हैं। अतः यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। मैं माननीय जी को यह बता दूं कि केरल में यह स्थिति अवश्य है।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : क्योंकि देश के विभिन्न भागों में 'बीमार' चाय बागानों की संख्या काफी अधिक है इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि इनके बारे में सरकार की क्या नीति है और क्या भारत सरकार का विचार चाय व्यापार निगम का कार्यक्षेत्र बढ़ाकर उसके द्वारा बीमार बागानों की सहायता करने और राज्य चाय निगम का वित्तपोषण करने का है ?

श्री एल० एन० मिश्र : सदस्य महोदय स्वयं चाय बोर्ड के सदस्य हैं और वह यह बात जानते हैं। जहां तक उन्हें सहायता देने का प्रश्न है हम इसके लिए तैयार हैं और हमारे पास धन की कमी नहीं है। प्रश्न तो बागान मालिकों की सहमति का है। चाय व्यापार निगम का यह कार्य नहीं है उसे तो निर्यात के लिए बनाया गया है।

श्री त्रिदिव चौधरी : इन विशिष्ट बागानों के बारे में क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने इनके लाभप्रद आधार पर कार्य करने की सम्भाव्यता के बारे में कोई रिपोर्ट भेजी है ? ऐसा लगता है कि इनमें से कुछ बागानों के पौधे बिलकुल समाप्त हो चुके हैं। क्या सरकार ने अपनी और राज्य सरकार की सूचना के आधार पर यह पता लगाया है कि कम से कम कुछ बागान लाभप्रद बनाए जा सकते हैं यदि इन्हे पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाए ?

श्री एल० एन मिश्र : जी हाँ । मैं यही कह रहा था कि इनका उचित वित्तपोषण, तथा संचालन किया जाए। इसीलिए राज्य सरकार को निगम बनाने का सुझाव हमने दिया है और हम इसके लिए धन उपलब्ध करने के लिए भी तैयार हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या पश्चिम बंगाल सरकार के विचारानुसार मन्त्रालय किसी निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इन बीमार बागानों की यह दशा कैसे हुई ? इसका वास्तविक कारण क्या है ? क्या यह दशा प्रबन्धकों में भ्रष्टाचार और आस्तियों के दुरुपयोग के कारण हुई है और क्या उन्हें अब 'बीमार' इसलिए घोषित किया गया है ताकि सरकार इनके लिए धन दे और मालिकों को लाभ मिले ?

श्री एल० एन० मिश्र : यह ठीक है कि चाय बागानों में कोई निवेश किए बिना इनसे लाभ उठाया गया है। जैसाकि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है नए पौधे लगाने और खाद आदि डालने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यह दशा बागान-मालिकों द्वारा इन्हें निचोड़ने से ही पैदा हुई है।

भारतीय कम्पनियों द्वारा शेयरों का हस्तान्तरण किये जाने के कारण विदेशी मुद्रा की हानि

*571. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि कई भारतीय कम्पनियों ने विदेशी कम्पनियों को अपने शेयर दिए हैं ताकि वे विदेशी कम्पनियों के व्यापार चिन्हों का उपयोग कर सकें;

(ख) गत तीन वर्षों में ऐसी कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा की कितनी राशि बाहर भेजी गयी ; और

(ग) ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) सरकार की मौजूदा नीति यह नहीं है कि भारतीय कम्पनियों को केवल विदेशी ब्रांडों के नामों और व्यापार चिन्हों (ट्रेड मार्क) के उपयोग के लिए विदेशी सहयोगियों के नाम शेयर जारी करने की अनुमति दी जाय। परन्तु, यह सम्भव है कि बहुत पहले कुछ कम्पनियों ने इस प्रकार के शेयर जारी किए हों। यदि माननीय सदस्य के ध्यान में कुछ विशिष्ट मामले हों तो उन पर विचार किया जा सकता है और अपेक्षित सूचना दी जा सकती है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : सरकार विदेशी मुद्रा की हो रही हानि को (जैसाकि प्रश्न में बताया गया है) रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ? दूसरे सरकार विदेशी कम्पनियों द्वारा कमाए गए धन की कितनी अधिकतम राशि देश से बाहर भेजने की अनुमति देती है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इसके लिए काफी लम्बी जानकारी देनी होगी। मैं एक वर्ष की जानकारी देता हूं। यह धन लाभों, लाभांशों, रायल्टियों और तकनीकी जानकारी के रूप में भेजा

जाता है । ये विभिन्न रूप हैं जिनके अन्तर्गत धन बाहर जमा कराया जाता है । 1970–71 के आंकड़े मेरे पास उपलब्ध हैं । वर्ष 1970-71 में लाभों के मामले में यह राशि 13,12,000 रुपये तथा लाभांशों के मामले में 43,48,00,000 रुपये थी । रायल्टी के रूप में 5,23,00,000 रुपये और तकनीकी जानकारी के रूप में 20,63,000 रुपये देश से बाहर भेजे गए ।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने देश से बाहर भेजी जाने वाली राशि की कोई अधिकतम सीमा या प्रतिशतता निर्धारित की है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ नहीं हूं क्योंकि यह अलग अलग मामलों पर निर्भर करता है ।

श्री मुख्त्यार सिंह मलिक : मन्त्री महोदय का कथन है कि विदेशी कम्पनियों को शेयर जारी करने की नीति कोई वर्तमान नीति नहीं है । इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कम्पनी विभाग ने विभिन्न कम्पनियों को ये निदेश या अनुदेश जारी किए हैं कि जब भी वे विदेशी कम्पनियों को शेयर हस्तांतरित करना चाहें उसकी जानकारी विभाग को दें ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैंने कहा कि ऐसे शेयरों को केवल मात्र ट्रेड मार्कों आदि का प्रयोग करने के प्रयोजन हेतु अन्तरित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी किन्तु यदि इसके साथ अन्य उद्देश्य भी निहित हो तो इसकी निश्चय ही अनुमति दी जाएगी । स्वाभाविक है कि जब सरकार ने एक नीति निर्धारित की है तो सम्बन्धित प्राधिकारियों को, जिसमें रिजर्व बैंक आफ इण्डिया भी शामिल है ,आवश्यक अनुदेश भी जारी किए गए हैं ।

वर्षा के कारण एशिया '72 में हुई क्षति के लिए उसमें भाग लेने वाले विदेशी मण्डपों द्वारा क्षतिपूर्ति की मांग

\+

*572. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** :
श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया '72 के ",हाल आफ नेशन्स" में जो विदेशी मण्डप हैं उन्होंने 27 नवम्बर, 1972 की वर्षा के कारण उनकी हुई क्षति के लिए संयुक्त रूप से मेला प्राधिकारियों से क्षतिपूर्ति की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : क्या सरकार को इस प्रेस रिपोर्ट की जानकारी है कि एशिया '72 में लगे कुछ विदेशी मण्डपों ने 27 नवम्बर 1972 को हुई वर्षा के कारण पहुंची क्षति के लिए मुआवजा मांगा है ?

श्री ललित नारायण मिश्र : मैंने प्रेस रिपोर्ट देखी है पर यह ठीक नहीं ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Few days ago the hon. Prime Minister had declared that this fair will continue for another 31 days and the foreign stalls will also remain. If it is a fact whether these stalls will be given any compensation or relaxation.

Mr. Speaker : You are asking an irrelevant question ?

Proposal to Develop Indian Cultural Centres as Tourist Centres

*573. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether Government have under consideration any proposal to develop Indian Cultural Centres and Tourist Centres with a view to attract more tourists and propagate Indian culture abroad ; and

(b) if so, the broad outlines of the proposal in this regard ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : पर्यटन के आधारभूत उपादानों (इन्फ्रास्ट्रक्चर) के विकास में सांस्कृतिक महत्व के स्थानों पर भी यथोचित ध्यान दिया जाता है ।

Shri Dhan Shah Pradhan : Has any test been made of the cultural centres at different places in the country ; if so, the details thereof.

Dr. Karan Singh : The question of making a special list does not arise since ours is vast country with such culture heritage.

Shri Dhan Shah Pradhan : Is it a fact that in other countries tourists are attracted not only by natural sceneries and historical monuments but also by cultural centres. Cultural centres are given sufficient importance and they are the main attraction for tourists. Keeping in view the rich cultural heritage is the Government going to pay attention to this subject?

Dr. Karan Singh : Mr. Speaker, Sir, I have not been able to follow the question completely. As far as the question of the development of our cultural centres is concerned we are giving due attention and due regard is also being paid to cultural centres in our propaganda for the tourists from abroad so that there is proper dissemination of information about them and that the tourists coming to India do not enjoy the natural beauty of our country but also they get inside our cultural heritage.

Shri Govind Das Richaria : There are a number of worth seeing places in Bundelkhand. Does the Government propose to develop those places ?

Dr. Karan Singh : The hon. Member has referred to Bundelkhand. We have no such project under consideration but we are prepared to consider the proposal made by the hon. Member.

Shri Phool Chand Verma : May I know from the hon. Minister if there is any proposal for developing Ujjain Nagar which is an old cultural town of the Madhya Pradesh from the point of view of tourists.

Dr. Karan Singh : The Government have no such proposal but as far as I think the State Government is doing something for Ujjain. I will secure information about it.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त ।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन् : आज संसद का अन्तिम दिन है । मैं अनुरोध करता हूं कि आप प्रश्नकाल का समय 5 मिनट और बढ़ा दें ताकि जो थोड़े बहुत प्रश्न हमें पूछने हैं पूंछ सके ।

अध्यक्ष महोदय : आप नई प्रक्रिया न डालें ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

विश्व बैंक से सहायता

*563. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक दल भारत को 20 करोड़ डालर की सहायता देने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उक्त सहायता को संभवत: किन योजनाओं पर खर्च किया जायेगा ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) भारत के राजस्व वर्ष 1971-72 में हमने विश्व बैंक समूह के साथ 50.60 करोड़ डालर की रकम के करारों पर हस्ताक्षर किये थे और अनुमान है कि चालू राजस्व वर्ष 1972-73 में लगभग 40.00 करोड़ डालर के करारों पर हस्ताक्षर किए जायेंगे ।

(ग) यह सहायता कृषि, कृषि सम्बन्धी ऋण विपणन और शिक्षा, उर्वरक, जलपूर्ति, नगर विकास, बिजली पारेषण, दूर संचार औद्योगिक आयातों जैसे विभिन्न क्षेत्रों की परियोजनाओं पर खर्च की जायगी ।

अमरीका से बोइंग विमानों के फालतू पुर्जों के मिलने में कठिनाई

*564. **श्री सी० जनार्दन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या अमरीका से बोइंग विमानों के फालतू पुर्जे प्राप्त करने में कोई कठिनाई पैदा हो गई है ; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितने विमान बेकार हो गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक-बोर्डों का गठन

*574. **श्री भोगेन्द्र झा :** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 14 राष्ट्रीकृत बैंकों के निदेशक बोर्डों के गठन के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है जिनमें श्रमिकों, किसानों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों आदि के प्रतिनिधि शामिल हों ; और

(ख) क्या ऐसे निकाय निचले स्तरों पर भी बनाएं जाएंगे ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और विविध उपबन्ध) योजना 1970 के खण्ड 3 के अनुसार 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के नये निदेशक मण्डलों का गठन 11 दिसम्बर, 1972 से कर दिया गया है ।

(ख) उपर्युक्त योजना के खण्ड 14 के द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों के मण्डलों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे जैसा भी उचित समझें इस प्रकार की समितियों का गठन कर सकते हैं जिनमें पूरे के पूरे निदेशक हों अथवा पूरे के पूरे अन्य व्यक्ति या कुछ निदेशक और कुछ अन्य व्यक्ति हों। ये समितियां मण्डल द्वारा सामान्य अथवा विशिष्ट रूप से उन्हें भेजे गये मामलों के सम्बन्ध में मण्डल को परामर्श देंगी ।

भारत तथा जापान के बीच व्यापार वार्ता

*575. **श्री मुहम्मद शरीफ :**

श्री वी० मायावन : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस महीने भारत तथा जापान के बीच कोई व्यापार वार्ता हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या क्या निर्णय किए गए ?

विदेश व्यापार मन्त्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) तथा (ख) : एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग द्वारा आयोजित अन्तःक्षेत्रीय व्यापार संवर्धन कर्ताओं के एक भाग के रूप में हुई वार्ताओं के अलावा भारत तथा जापान के बीच व्यापार के सम्बन्ध में सरकारी तौर पर कोई वार्ता नहीं हुई ।

1966 से जो अंतःक्षेत्रीय व्यापार संवर्धन वार्ताएं हुई हैं वे एशियाई व्यापार मेलों के संबन्ध में थी । तृतीय एशियाई मेले के सम्बन्ध में नई दिल्ली में हुई वार्ताओं में भारत तथा जापान सहित 15 देशों ने भाग लिया ।

एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग के संकल्प के अनुसरण में ये विचार विमर्श बन्द कमरे में होते हैं तथा कार्यवाही का कोई औपचारिक रिकार्ड नहीं रखा जाता है ।

7 तथा 8 दिसम्बर, 1972 को नई दिल्ली में भारत तथा जापान की व्यवसाय सहयोग समितियों की भी एक बैठक हुई । तथापि ये, उद्योगपतियों तथा व्यवसायियों की गैर-सरकारी समितियां हैं और यह बैठक फैडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित की गई थी ।

राज्य व्यापार निगम को पटसन, जूते और सीमेंट की सप्लाई के लिये विदेशों से प्राप्त आर्डर

*576. **श्री रणबहादुर सिंह :**
श्री धर्मराव अफजलपुरकर :

क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राज्य व्यापार निगम ने पटसन की वस्तुयें, जूते और सीमेंट की सप्लाई के लिए विदेशों से आर्डर प्राप्त किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन वस्तुओं के नाम क्या हैं जिनके आर्डर प्राप्त किए गए हैं और इन सौदों से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होगी ?

विदेश व्यापार मन्त्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-4142/72]**

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मैसूर में किसानों को ऋण

*577. **श्री पम्पन गौडा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मैसूर राज्य में बड़े और छोटे किसानों को अब तक दिए गए ऋणों की राशि कितनी है ; और

(ख) ऋणों की कितने प्रतिशत राशि वसूल कर ली गई है और ऋणों की कितने प्रतिशत राशि बट्टे खाते में डाले जाने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जून, 1972 के अंत में मैसूर राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों के सम्बन्ध में बकाया रकम 16.69 करोड़ रुपये थी। छोटे और बड़े किसानों के बीच इन आंकड़ों का ब्योरा उपलब्ध नहीं है क्योंकि बैंक इस प्रकार के आंकड़े तैयार नहीं करते जिस प्रकार से पूछे गए हैं।

(ख) मैसूर राज्य में वसूल किए गए ऋणों की प्रतिशतता के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

ऋण उसी समय वसूल न हो सकने वाला माना जाता है जब उसे वसूल करने के लिए किए गए सभी प्रयत्न, जिनमें कानूनी कार्रवाई भी शामिल है, असफल हो जाते हैं। इसलिए इस समय बट्टे खाते वाले ऋण का ठीक अनुमान लगाना समय से पूर्व होगा।

बाजार से नए ऋण लेने की घोषणा

*578. **श्री सी० टी० दण्डपाणि :**
श्री गिरिधर गोमांगो :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोक सभा के चालू सत्र में मूल्य वृद्धि पर हुई चर्चा के बाद 100 करोड़ रुपए के नए बाजार ऋण उगाहने की घोषणा की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र ने जो 215 करोड़ रुपये के शुद्ध ऋणों के अनुमान लगाये थे, 28 नकम्बर, 1972 तक केन्द्र को बाजार ऋणों द्वारा उससे 108 करोड़ रुपये अधिक प्राप्त हो चुके हैं ; और

(ग) यदि हां, तो नवीनतम स्थिति क्या है और इससे मूल्य-वृद्धि रोकने में कितनी सहायता मिली है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) 1972-73 के राजस्व वर्ष में अब तक जारी किए गए बाजार ऋणों से केन्द्रीय सरकार को 433.19 करोड़ रुपये की शुद्ध प्राप्तियां हुई हैं ।

बाजार ऋणों के द्वारा साधन जुटाकर सरकारी खर्च को पूरा करने से सरकार बैंकिंग व्यवस्था में अतिरिक्त नकदी या नकदी जैसी परिसम्पत्ति को समेट सकती है और इसके मूल्यों पर पड़ने वाले दबाव को कम करने में सहायता मिलती है । परन्तु, मूल्यों पर कई कारणों की परस्पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है और इसलिए यह बताना सम्भव नहीं है कि कि किसी एक उपाय का कितना प्रभाव हुआ है ।

सरकार अथवा सरकारी उपक्रमों द्वारा किये गये ठेकों में से एस्केलेशन खण्ड का हटाया जाना

*579. **श्री ई० बी० विखे पाटिल** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न परियोजना कार्यों को पूरा करने के लिए सरकार अथवा सरकारी उपक्रमा द्वारा गैर सरकारी ठेकेदारों के साथ किये गये ठेकों में से एस्केलेशन खंड के हटाए जाने के बारे में सरकार को कुछ सुझाव प्राप्त हुए थे ; और

(ख) यदि हां, तो उनपर क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) विभिन्न परियोजना कार्यों को पूरा करने के लिए सरकार अथवा सरकारी उपक्रमों द्वारा निजी ठेकेदारों के साथ किए गए ठेकों में से वृद्धि (एस्केलेशन) खंड हटा दिए जाने के सम्बन्ध में कोई सुझाव सरकार को प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

रबड़ बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस

*580. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस देने सम्बन्धी एक योजना सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

विदेश व्यापार मन्त्री (श्री एल० एन० मिश्र) (क) तथा (ख) रबड़ बोर्ड के कर्मचारियों को वोनस के देने सम्बन्धी प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

गुजरात में कपास खरीदने के बारे में परामर्श देने के लिए समिति

5403. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय रुई निगम का प्रतिनिधि उस समिति का सदस्य है जो गुजरात सरकार ने गुजरात में कपास खरीदने के बारे में परामर्श देने के लिए नियुक्त की थी ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि गुजरात सरकार द्वारा ऐसी कोई समिति नियुक्त की गई है। भारतीय रुई निगम ने गुजरात के लिए एक क्षेत्रीय क्रय परामर्शी समिति की स्थापना की थी, निगम के क्षेत्रीय प्रबन्धक जिसके संयोजक थे।

M/S Mckenzies Limited, Bombay

5404. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Company Affairs** be pleased to state :

(a) the year up to which the Mckenzies Limited, 59, Apollo Street, Bombay has furnished its last Balance-sheet ;

(b) whether a large number of payments to its suppliers, on account of various supplies made to this Company, are outstanding in Calcutta ; and

(c) if so, what action Government propose to take to ensure payments to these suppliers by this Company ?

The Minister of Company Affairs (Shri Raghunatha Reddy) (a) The information is being collected and it will be laid on the Table of House.

(b) and (c) The matter does not come within the purview of the Companies Act.

कोयला उद्योग में और पूंजी लगाना

5405. **श्री दरबारा सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में अंशपूंजी, प्राथमिकता और इक्विटी तथा 10 वर्ष से अधिक अवधि के दीर्घवधि ऋणों के रूप में वास्तव में कोयला उद्योग में कितनी और पूंजी लगाई गई है ; और

(ख) ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं और प्रत्येक कम्पनी ने इन खातों में कितनी धन-राशि एकत्र की है)

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Loan application given to Ujjain Branch of State Bank of India by Mehta Printing Press and Daily 'Avantika'

5406. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Mahadeepak Singh Shakya :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether any application supported by certain bills has been given to the State Bank of India, Ujjain Branch by Mehta Printing Press and Daily 'Avantika' for loan and fixation of limit ;

(b) if so, whether any complaint has been received by Bank administration in regard to the genuineness of the bills ; and

(c) if so, the facts of the case ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) (a) to (c) The facts are being ascertained.

Facility for stay given in a Hotel of Delhi to Pakistani Citizens on Way to Japan

5407. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether in the last week of August, 1972, due to their aeroplane developing certain defects some Pakistani citizens on their way to Japan were given the facility of staying in a hotel in Delhi and not kept at the Airport itself ;

(b) whether those passengers who where given the facility of staying in the hotel did not have any valid passports for India ; and

(c) if so, the reasons for giving them the facility of staying in the hotel ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b) Yes, Sir.

(c) All passengers in the plane, irrespective of whether they had travel documents endorsed for India or not, were permitted to stay outside the airport because there are no hotel facilities yet at Palam.

Enquiry into fire in Hira Mills Ltd., Ujjain

5408. **Shri Hukam Chand Kachwai** :Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3013 on the 22nd August, 1972 regarding loss suffered by Hira Mills Limited, Ujjain and state :

(a) whether a representation has in the meanwhile been received by Government in regard to the inquiry into the loss suffered as a result of fire in the carding and frame sections of the spinning department of the mill ; and

(b) if so, the gist thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

विभिन्न वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि/कमी

5409. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 और 1971-72 में सूती कपड़े, चाय, दस्तकारी की वस्तुओं, बने बनाए वस्त्रों और जूतों के निर्यात में कितनी वृद्धि/कमी हुई ; और

(ख) इन वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) **निर्यातों में वृद्धि अथवा कमी**

(करोड़ रु० में)

वस्तुएं	1969-71 की तुलना में 1970-71 में	1970-71 की तुलना में 1971-72 में
सूती वस्त्र (मिल निर्मित)		
—सूती थान, सूत तथा धागा	— 4.7	— 5.7
—सूती परिधान	+ 3.1	+ 5.4
चाय	+ 23.8	+ 8.0
हस्तशिल्प की वस्तुएं	— 3.4	+ 11.8
परिधान (सूती परिधान छोड़कर)	+ 5.5	— 0.5
जूते	+ 2.2	+ 0.4

टिप्पणी : आंकड़े वाणिज्यिक जानकारी तथा अंक-संकलन के महानिदेशक के वर्गीकरण पर आधारित हैं ।

(ख) विशिष्ट वस्तुओं के सम्बन्ध में जो मुख्य निर्यात संवर्धन उपाय किए जा रहे हैं वे निम्नलिखित प्रकार हैं :

सूती वस्त्र (सूती परिधानों सहित)

क्वालिटी उत्पादन में सुधार लाने के लिए जटिल किस्म की आयातित वस्त्र मशीनरी के सम्बन्ध में निर्यात करने वाली मिलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं, बशर्ते कि विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो । आयातित कपड़े के आधार पर सीमा शुल्क ब्रांड के अन्तर्गत परिधानों के निर्यात उत्पादन की योजना उदार कर दी गई है । ताकि परिधानों के निर्यात अधिकतम हो । सूती फैब्रिक्स तथा सूत के शुल्क आदेश प्राप्त करने के लिए भी समन्वित प्रयास किये जा रहे हैं । औद्योगिक देशों को इस बात के लिए मनाने हेतु कि वे अपने आयात उदार कर दें, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों तथा विपक्षीय बातचीत दोनों प्रकार के माध्यमों से अपने प्रयासों को जारी रखने की भी प्रस्थापना है । वर्ष 1972-73 के दौरान सूती वस्त्रों के निर्यातों में अच्छी वृद्धि हो रही है ।

चाय

1-3-1970 से चाय पर निर्यात शुल्क समाप्त करने के साथ साथ एफ० ए० एस० कीमतों पर आधारित निर्यातों पर उत्पादन शुल्क की छूट देना ; चाय की कीमतें स्थिर करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों में भाग लेना ; स्थानीय बिलन्डरों/पैकरों के सहयोग से विदेशों में चुने हुए बाजारों में भारतीय चाय के विशेष पैकों का संवर्धन ।

जूते

सरकार ने हाल ही में जो मुख्य कदम उठाया है वह है राज्य व्यापार निगम के माध्यम से सभी प्रकार के जूतों के निर्यात का मार्गीकरण करना। चमड़े के जूतों के निर्यात संवर्धन हेतु किए गए अन्य उपाय है—विदेशों में ब्रिक्री सह-अध्ययन दलों को भेजना, विदेशों में विशिष्ट व्यापार मेलों में भाग लेना तथा हवाई जहाज भाड़ा सहायता देना ।

हस्तशिल्प की वस्तुएं

कच्चे माल की सुविधाए तथा विदेशी बाजारों में रत्नों तथा आभूषणों सहित भारतीय हस्तशिल्प की वस्तुओं को लोकप्रिय बनाना ।

समुद्री उत्पाद निर्यात संवर्धन प्राधिकरण

5410. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्री उत्पाद निर्यात संवर्धन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी और उस प्राधिकरण के सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ख) उक्त प्राधिकरण के कृत्य क्या हैं ; और

(ग) इस प्राधिकरण में कितने गैर-सरकारी सदस्य हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना 16 अगस्त, 1972 को हुई थी । प्राधिकरण के सदस्यों के नाम संलग्न अनुबन्ध-1 में दिए गए हैं । **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या में एल० टी० 4148/72]**

(ख) प्राधिकरण के कार्य अनुबन्ध-2 में दर्शाये गये हैं ।

(ग) प्राधिकरण में 12 गैर-सरकारी सदस्य हैं ।

सान्ताक्रूज निर्वाध व्यापार जोन में स्थापित किये जाने वाले उद्योग

5411. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में सान्ताक्रूज हवाई अड्डे के आस पास कोई निर्वाध व्यापार जोन स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस जोन में स्थापित किये जाने वाले उद्योगों का ब्यौरा क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार ने बम्बई में सान्ताक्रूज हवाई अड्डे के निकट एक निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र की स्थापना करने का विनिश्चय किया है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) इलैक्ट्रानिक उपस्करों का विनिर्माण ।

विवरण

स्कीम की मुख्य बातें ये होंगी :

(1) यह क्षेत्र सांताक्रुज हवाई अड्डे से 7 कि० मी० की दूरी पर 100 एकड़ के क्षेत्रफल में स्थापित किया जायेगा । जमीन पहले से ही निर्धारित की जा चुकी है ।

(2) परियोजना पूर्णतः निर्यात-अभिमुख है । इस क्षेत्र में प्रवेश पाने वाले एककों को अपने उत्पादन का 100 प्रतिशत निर्यात करना पड़ेगा, अर्थात् उन उत्पादों का शेष भारत में प्रवेश निषिद्ध होगा । इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित करने का विचार है कि क्षेत्र में समस्त कार्यचालन पर जोड़े जाने वाला कुल मूल्य औसतन निर्यातों के जहाज पर मूल्य का लगभग 50 प्रतिशत होगा, अर्थात् निर्यातित उत्पादों के विनिर्माण में प्रयोग किये जाने वाले कच्चे माल अथवा संघटकों के आयात हेतु नियोजित विदेशी मुद्रा निर्यात के आधे मूल्य से अधिक नहीं होगी । व्यक्तिगत मामलों में जोड़ा गया न्यूनतम कुल मूल्य, किसी भी स्थिति में, 20 प्रतिशत से कम नहीं होगा और यदि सम्भव हो तो 30 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए ।

(3) क्षेत्र में स्थापित एककों को कुछ सुविधाएं तथा रियायतें देने का विचार है, जैसे कि विचार है, जैसे कि कच्चे माल, संघटकों, पूंजीगत उपस्करों आदि के आयात के मामले में ।

(4) यह क्षेत्र भारत से इलैक्ट्रानिक्स उपस्करों तथा संघटकों का निर्यात काफी बढ़ाने में सहायक होगा ।

पटसन की कमी

5412. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :** क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन की 74 लाख गांठों की आवश्यकता है परन्तु इस समय 55 लाख गाठों से अधिक पटसन उपलब्ध नहीं है ।

(ख) यदि हां, तों पटसन की 19 लाख गांठों की कमी पूरी करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या इस मात्रा के आयात के लिये पक्का वचन दिया गया है और यदि हां, तो शीघ्र आयात करने के लिये सरकार की क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि यह उद्योग अपने निर्यात सम्बन्धी वचनों को पूरा करने के लिये चलता रहे ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) : वर्ष 1972-73 के लिये पटसन तथा मेस्टा की लगभग 73.5 लाख गांठों की कुल आवश्यकता होने का अनुमान है । कुल उपलब्धि भी उतनी ही मात्रा में है (इसमें वर्ष के आरम्भ में पिछला बचा हुआ माल तथा इस

मौसम की फसल शामिल है ।) जब तक नयी फसल बाजार में नहीं पहुंचती, तब तक के लिये मिल को अगले मौसम तक खपत के लिये कुछ स्टाक बचा कर रखने की आवश्यकता होगी । इस दिशा में, पर्याप्त आयात करने की योजना बनाई गई है । पहले से आयातित कुछ मात्रा के अतिरिक्त, फरवरी, 1973 को समाप्त तीन महीनों के दौरान 2 लाख गाठें आयात करने की संविदा की जा चुकी है । इस प्रकार उद्योग, निविर्द्ध रूप से उत्पादन और पटसन माल की निर्यात मांग को पूरा कर सकेगा ।

चाय की मण्डियों का हाथ से चला जाना

5413. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय के निर्यात के परम्परागत व्यापार में यू० के०, यू० एस० ए० और यूरोपीय देशों की मण्डियां धीरे धीरे भारत के हाथ से निकल कर अफ्रीका के हाथ में जा रही हैं ;

(ख) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों से देश को हो रही इस उत्तरोत्तर हानि के बारे में कोई अनुमान लगाया है ; और

(ग) क्या चाय पर विशेषकर अपर आसाम चाय पर लगा उत्पादन शुल्क अपेक्षाकृत अधिक है और इससे भारतीय चाय के मूल्य बहुत बढ़ जाते हैं और यदि हां, तो क्या सरकार चाय उद्योग को पर्याप्त राहत देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि हाथ से निकली मण्डियां पुनः हाथ में आ जाएं और यदि हां, तो इसका सार क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ग) : हालांकि भारतीय चाय को अफ्रीकी देशों से बढ़ती हुई प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है परन्तु 1969 से भारतीय चाय के निर्यात नहीं गिरे हैं क्योंकि कुछ देशों को किये गये निर्यातों में आई गिरावट को अन्य देशों में अधिक निर्यात करके पूरा कर लिया गया है जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से देखा जा सकता है :

	(मात्रा करोड़ किग्रा० में)
1969	16.87
1970	20.202
1971	20.607

(ग) भारतीय चाय को विश्व बाजार में प्रतियोगी बनाने और निर्यात के लिये अधिक अच्छी क्वालिटी की चाय का अपेक्षाकृत अधिक परिणाम में उत्पादन करने हेतु कुछ सन्निहित प्रोत्साहन देने के लिये भी सरकार ने 1-3-1969 से चाय पर निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया और क्षेत्रीय उत्पादन शुल्क की दरें बढ़ा दीं । चाय के निर्यातों में वृद्धि करने के लिये 15-4-1970 से विभिन्न कीमतों के अनुसार निर्यात स्थल पर उत्पादन शुल्क में कटौती की घोषणा की गई थी । चाय के उत्पादन शुल्क में कर सम्बन्धी राहत देने के प्रश्न पर निरन्तर पुनर्विलोकन किया जाता है ।

अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा के लिये पटसन की वस्तुओं पर निर्यात शुल्क हटाना

5414. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :** क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश का पटसन उद्योग अपने उत्पादन को भारत की अपेक्षा 8 से 10 प्रतिशत सस्ते मूल्यों पर बेच रहा है जिससे भारतीय निर्यातकों को विश्व मण्डी में भारी हानि हुई है ;

(ख) क्या इसे देखते हुए सरकार ने पटसन उत्पादों पर से निर्यात शुल्क हटाने की वांछनीयता पर या कोई और ऐसा प्रोत्साहन देने का विचार किया है ताकि विश्व मण्डी में अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा की जा सके ; और

(ग) क्या सरकार ने राज्य व्यापार निगम को विश्व मण्डी में विशेषकर बोरों (सेकिंग) में अन्य निर्यातक देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने को कहा है जिनके निर्यात में 70·80 प्रतिशत कमी हुई है और सरकार ने उसे इससे होने वाली आय बढ़ाने को भी कहा है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) जी हां ।

(ख) इसका निरन्तर पुनरीक्षण होता रहता है । पिछले पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप 9 औंस तथा ऊपर प्रति वर्ग गज वजन वाले पटसन प्राइमरी गलीचा-अस्तर कपड़े पर निर्यात शुल्क 1,11-72 से घटा दिया गया है ।

(ग) जी हां ।

बैंक आफ इण्डिया में अधिकारियों की सेवा-शर्तों का संहिताबद्ध किया जाना

5415. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक आफ इण्डिया में अधिकारियों की सेवाशर्तों को संहिताबद्ध किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस बैंक के अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमण्डल इस सम्बन्ध में कस्टोडियन से मिला था और उन्होंने अधिकारियों की एसोसिएशन के साथ परामर्श करके सेवाशर्तों को संहिताबद्ध करने का वचन दिया था ; और

(ग) यदि हां, तो सेवाशर्तों को कब तक संहिताबद्ध किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) : बैंक आफ इंडिया के अनुसार बैंक ने अधिकारियों की सेवा-शर्तों की जांच करने और उनकी संहिता का मस्विदा तैयार करने के लिये वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति का गठन किया है और इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि अधिकारी संघ से परामर्श करने के बाद यथाशीघ्र इसे अन्तिम रूप दे दिया जाय ।

नारियल की भूसी के मूल्य के बारे में नये आदेश का प्रारूप

5416. **श्री वयालार रवि :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार से नारियल की भूसी के मूल्य पर नियंत्रण के बारे में नये आदेश का प्रारूप सरकार को मिला हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

त्रिवेन्द्रम जिला (केरल) में पोनुपुडी का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास

5417. **श्री वयालार रवि** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के अध्ययन दल ने सिफारिश की है कि त्रिवेन्द्रम जिला (केरल) में पोनपुडी का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास किया जाना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) अध्ययन दल की अन्य सिफारिश क्या हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) पर्यटन विभाग को पोनपुडी का एक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने के लिये भारतीय विदेश व्यापार संस्थान की किसी सिफारिश की जानकारी नहीं है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

कम्पनियों द्वारा शेयरों का हस्तान्तरण

5418. **श्री दरबारा सिंह** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971-72 में पश्चिम बंगाल में पंजीकृत और कलकत्ता शेयर बाजार में दर्ज कोयला खनन कम्पनियों के शेयरों में कोई फेर-बदल हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या आन्दु यूले या शा वेलेस ने अपने बहुत से शेयर एक भारतीय ग्रुप को हस्तान्तरित कर दिये हैं ; और

(ग) किस ग्रुप को कितने शेयर हस्तान्तरित किये गये हैं ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) सूचना संग्रहीत की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

मैसर्स बोलानी ओर्स लिमिटेड क्योंझर (उड़ीसा) और मैसर्स सेठिया माइनिंग एण्ड मेन्युफेक्चरिंग कारपोरेशन लिमिटेड के अंशधारी

5419. **श्री साधू राम** : क्या **वित्त** मन्त्री 1 सितम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4194 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है ;

(ग) क्या इस बीच कोई ऋण वितरित किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो कितना और ऋण की शेष राशि के वितरित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) आवश्यक सूचना आज अलग से संसद कार्य विभाग द्वारा सभा-पटल पर रखी जा रही है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने मैसर्स बोलानी ओर्स लि० को 200 लाख रुपये का सावधिक ऋण मंजूर किया, जिसमें से ऋण की वह रकम घटा दी जायगी जो दूसरी वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर की जायगी। जिनके परिणामस्वरूप भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के भाग में 50 लाख रुपये की कमी हो गयी। इस सम्बन्ध में ऋण सम्बन्धी कागजात अभी तैयार किये जाने हैं। फिर भी ऋण सम्बन्धी कागजातों को अन्तिम रूप दिये जाने तक 42 लाख रुपये के भुगतान की पहले ही व्यवस्था की जा चुकी है।

मैसर्स सेठिया माइनिंग ऐण्ड मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन लि० ने जो दो कोयला खानें चला रखी हैं, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से निजी तौर पर जारी किये गये ऋण पत्रों के रूप में 90 लाख रुपये की वित्तीय सहायता के लिए आवेदन किया है। आवेदन-पत्र विकास बैंक के विचाराधीन है जो कम्पनी से और सामग्री सूचना की प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि उसके द्वारा अब तक प्रस्तुत किये गये आंकड़े अभी भी आवेदनपत्र पर विचार करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

भारत में औद्योगिक एवं कृषि विकास कार्यों के लिए अमरीकी सहायता

5420. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 में औद्योगिक और कृषि सम्बन्धी विकास कार्यों के लिए अमरीका ने भारत को कुल कितनी सहायता दी थी ; और

(ख) वर्ष 1970-71 में औद्योगिक विकास के लिए अमरीका से कुल कितना ऋण प्राप्त हुआ और इस ऋण पर ब्याज की दर क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सहायता की रकम (करोड़ रुपयों में)	ब्याज की दर	टिप्पणी
अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण		
1. परिवार नियोजन अनुदान दिनांक 30-6-1970	15.00 —	अधुदान इसलिए दिया गया है कि भारत 15 करोड़ रुपये की रकम से परिवार नियोजन कार्यक्रम का विस्तार कर सकें। किन्तु विदेशी

सहायता की रकम (करोड़ रुपये में		ब्याज की दर	टिप्पणी
			मुद्रा की रकम भारतीय उद्योग और कृषि के लिए आवश्यक वस्तुओं तथा वस्तुओं से सम्बंधित सेवाओं का संयुक्त राज्य अमरीका से आयात करने के लिए दी गयी थी ।
2. भारत उत्पाद ऋण दिनांक 13-3-1971	116.25	पहले 10 वर्षों में 2 प्रतिशत वार्षिक और शेष 30 वर्षों में 3 प्रतिशत वार्षिक	यह परियोजना-भिन्न ऋण है जिसका उपयोग उर्वरक औद्योगिक कच्चा माल, आलोह धातु, पेट्रोलियम, तेल और चिकनाने के पदार्थ इस्पात, अखबारी कागज, चरबी, फालतू पुर्जे और संघटक आदि जैसी विभिन्न अनुरक्षण मदों के आयात के लिए किया गया ।
निर्यात-आयात बैंक			
1. छठा ऋण दिनांक 22-4-70	11.25	6 प्रतिशत वार्षिक	सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों के लिए, पूंजीगत उपकरण, प्रारम्भिक फालतू पुर्जों और सम्बद्ध सेवाओं के आयात के लिए ।
2. श्री सिन्थेटिक्स दिनांक 11-9-70	1.46	,,	नाइलोन फिलेमेनट धागा तैयार करने के लिए उज्जैन में एक संयंत्र की स्थापना के लिए उपकरन तथा सम्बद्ध सेवाओं की खरीद के लिए ।
तकनीकी सहायता (अनुदान)	4 08	—	ये अधुदान कृषि विश्व विद्यालयों और कृषि विकास के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए दिये गये थे ।
	148 04		

अपना निजी विमान रखने वाले व्यक्ति और कम्पनियां

5421. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन किन व्यक्तियों और कम्पनियों के पास अपने निजी विमान हैं ; और

(ख) क्या विदेश यात्रा के लिए विमानों का उपयोग किया जाता है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) अपेक्षित सूचना दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4144/72]**

(ख) वायुयान नियम, 1937 के नियम 5-क के अनुसार भारत में पंजीकृत कोई भी विमान नागर विमानन के महानिदेशक की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ सकता है। निकट भूतकाल में कोई ऐसी अनुमति नहीं दी गयी है।

बड़े उद्योग समूहों में 3000 रुपये और अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी

5422. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टाटा, बिरला, साहू-जैन मफतलाल और गोयनका ग्रुप के उद्योग समूहों में उन कर्मचारियों के नाम और कार्यालय के पते क्या हैं जिन्हें 3000.00 रुपये से अधिक का वेतन प्रतिमास मिलता है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : विभाग के पास इस प्रकार के ब्यौरे की सूचना नहीं है, क्योंकि कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत किए जाने वाली विवरणियों में अभी कर्मचारियों के इस प्रकार के ब्यौरे प्रदर्शित करना आवश्यक नहीं है।

डाल्टनगंज (बिहार) के लिए विमान सेवा आरम्भ करना

5423. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार डाल्टनगंज (विहार) में सप्ताह में कम से कम एक विमान सेवा आरम्भ करने का है ; और

(ख) यदि हा, तो कब से ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आगामी पांच बर्षों में और अधिक संख्या में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की योजना

5424. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने इस उद्देश्य से कोई राज्यवार योजना बनाई है कि आगामी पांच वर्षों में और

अधिक संख्या में विदेशी पर्यटक देश में आयें और यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : पांचवीं योजना की स्कीमें तैयार की जा रही हैं।

विदेशों में एयर इण्डिया के मैनेजरों को दी गई शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए निकाले गए तरीके

5425. **श्री के० सूर्यनारायण : क्या पर्यटन और नागर विमात्रन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों में कर्मचारियों पर परिवहन और एयर इण्डिया के विमानों की मरम्मत और उनके लिए ईंधन पर किए जाने वाले खर्च को छोड़ अन्य शीर्षों के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा में खर्च के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो विदेशों में एयर इण्डिया के मैनेजरों को मनोरंजन और अन्य आकस्मिक कार्यों पर विदेशी मुद्रा में कितना खर्च करने की शक्तियां दी गई हैं और इस खर्च के औचित्य पर निगरानी रखने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ;

(ग) विदेशों में नियुक्त एयर इण्डिया के मैनेजरों को विदेशियों तथा अन्य लोगों को क्रास कंट्री ट्रेवल्ज या अन्तर्राष्ट्रीज यात्रा के लिए सम्मानार्थ पास जारी करने के लिए दी गई शक्ति का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं कि इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होता है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) 40 लाख रुपये से अधिक के पूंजीगत व्यय के प्रत्येक पद पर, चाहे वह विदेशी मुद्रा में हो अथवा नहीं, केन्द्र सरकार की अनुमति लेनी होती है। अचल सम्पत्ति को 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पट्टे पर देने अथवा किसी ऐसी सम्पत्ति को बेचने के लिए भी, जिसका कि मूल अथवा किताबी मूल्य 10 लाख रुपये से अधिक हो, केन्द्र सरकार की अनुमति लेनी होती है। कारपोरेशन के अधिकारियों द्वारा किए गए समस्त खर्च, चाहे भारत में हों अथवा विदेशों में, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा बजट नियंत्रण तथा लेखा-परीक्षा के अधीन होते हैं। कारपोरेशन को विदेशी मुद्रा की आय एवं व्यय की आवधिक रिपोर्ट रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करनी होती हैं।

(ग) एयर इण्डिया द्वारा सम्मानार्थ परिवहन-पास जारी करना आई० ए० टी० ए० के संकल्प 200, 200 छ तथा 200 जा द्वारा विनियमित होता है।

(घ) एयर इण्डिया के बोर्ड ने विभिन्न अहलकारों को शक्तियां प्रदान करने के लिए एक संकल्प पास किया है और यह प्रबन्धक-वर्ग का कर्तव्य है कि वह उनके प्रयोग पर निगरानी तो रखे। जारी किए गए पासों के मासिक विवरण मैनेजर द्वारा मुख्यालयों को प्रस्तुत किये जाने होते है।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क डायरेक्टोरेट मदुरै द्वारा तीसरी पार्टी के माल का पकड़ा जाना

5426. **श्री के० सूर्यनारायण:** : क्या **वित्त** मंत्री 17 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 812 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच आवश्यक जानकारी एकत्र कर ली गई है और क्या इसे सभा-पटल पर रखा जायेगा ; यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं ;

(ख) इसे एकत्र करने में कितना समय और लगेगा ; और

(ग) पकड़े गये माल को छोड़ने तथा सम्बद्ध पार्टियों द्वारा निर्माताओं के पास जमा किए उत्पादन-शुल्क को वसूल करने और उसे संतप्त पार्टी को अदा करने के लिए क्या नवीनतम कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) अतारांकित प्रश्न संख्या 812 के उत्तर में दिनांक 17 नवम्बर, 1972 को दिए गए आश्वासन के कार्यान्वयन में, अभिग्रहण के 84 मामलों से सम्बन्धित अपेक्षित सूचना, सभा पटल पर रखे जाने के निमित्त 19 दिसम्बर, 1972 को संसदीय कार्य विभाग को प्रेषित कर दी गई थी ।

गैर-कोकिंग कोल सेक्टर को ऋण सुविधाएं देना

5427. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971 और 1972 में गैर-कोकिंग कोल सेक्टर को ऋण सुविधाएं देने के बारे में इस्पात और खान मन्त्री से कोई सिफारिश प्राप्त हुई है । और

(ख) यदि हां, तो कितनी बार और प्रत्येक बार की गई सिफारिश का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

पत्तनों पर लौह अयस्क का जमा हो जाना

5428. **श्री एस० सी० वेसरा** :
चौधरी राम प्रकाश :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गलत आयोजन के कारण पत्तनों पर बहुत अधिक लौह अयस्क जमा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

संघ राज्य क्षेत्रों में शराब से प्राप्त राजस्व में वृद्धि

5429. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संघ राज्यों के सम्बन्ध में गत तीन वर्षों में, वर्षवार, शराब से प्राप्त राजस्व में कितनी वृद्धि हुई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : मांगी गयी सूचना एकत्रित की जा रही है ओर सभा-पटल पर रख दी जायगी।

कच्चे माल का सीधा आयात

5430. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अत्यावश्यक कच्चे माल के जिनका आयात इस समय सरकारी क्षेत्र की एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है ? सीधे आयात की अनुमति देने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि राज्य व्यापार निगम, आई० आर० एम० ए० सी०, तथा आई० डी० पी० एल० जैसी सरकारी क्षेत्र की एजंसियां निर्यात-कर्ताओं को बराबर परेशान कर रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं। वास्तविक प्रयोक्ताओं का मार्गीकरण एजंसियों को जारी किए गए लाइसैंसों के आधार पर प्राधिकार पत्र जारी करने की प्रथा पहले ही विद्यमान है ताकि उन मामलों में जहां मार्गीकरण एजेंसियां तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हों, वे अपनी आवश्यकता का कच्चा माल आयात कर सकें।

(ख) और (ग) जीं नहीं। तथापि, रिलीज आदेशों के आधार पर माल सप्लाई करने में देरी की कुछ शिकायतें कभी कभी होती हैं, जिनकी तुरन्त जांच की जाती है।

औद्योगिक विकास के लिए भारत-ब्रिटेन करार

5431. **श्री गिरिधर गोमांगो :**
श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ब्रिटेन के बीच नवम्बर, 1972 में दो करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन दो करारों से भारत में उद्योगों को लाभ पहुंचेगा ; और

(ग) इन करारों के अन्तर्गत किन परियोजनाओं का विकास किया जाएगा ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ग) भारत सरकार तथा ब्रिटिश सरकार के बीच 9 नवम्बर, 1972 को निम्नलिखित दो ऋण करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे : —

(i) 2.5 करोड़ पौण्ड (47.42 करोड़ रुपये) का ब्रिटेन/भारत अनुरक्षण ऋण करार, 1972 ।

(ii) 1.6 करोड़ पौण्ड (30.35 करोड़ रुपये) का ब्रिटेन/भारत मिश्रित परियोजना ऋण करार, 1972 ।

अनुरक्षण ऋण का उपयोग संघटकों, फालतू पुर्जों, कच्चे माल तथा सम्बन्धित सेवाओं के आयातों के वित्त पोषण के लिए किया जाना है । मिश्रित परियोजना ऋण, बड़े मूल्यों की परियोजनाओं की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताओं की वित्त व्यवस्था के लिए है । इस ऋण के अन्तर्गत ऐसी निम्नलिखित परियोजनाओं का वित्त पोषण किया जा रहा है :

(क) मैसर्स इण्डियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव की गुजरात में काण्डला और कलोल नामक स्थानों पर उर्वरक परियोजना ।

(ख) मैसर्स सदर्न पेट्रोकेमिकल इण्डस्ट्रीज कारपोसेशन की तमिलनाडु में तुत्तिकुड़ि नामक स्थान पर उर्वरक परियोजना ।

(ग) मैसूर राज्य में मेसर्स मंगलौर केमिकल्स ऐण्ड फर्टिलाइजर की उर्वरक परियोजना ।

(घ) भारतीय नौवहन निगम के लिए दो मालवाहक जहाज ।

(ङ) सीधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लिमिटेड बम्बई के लिए एक मालवाहक जहाज ।

(च) ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कम्पनी बम्बई के लिए एक उत्पाद वाहक जहाज ।

(छ) दोमोदर घाटी निगम के लिए एक 120 मेगावाट का वायलर और मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड के लिए ऐसे दो वायलार । और

(ज) इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड की गुजरात स्थिति नेप्था क्रेकर परियोजना ।

भारत, संयुक्त अरब गणराज्य और यूगोस्लाविया के बीच वार्ता

5432. **श्री प्रभुदास पटेल :**
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी समय के बाद भारत संयुक्त अरब गणराज्य और यूगोस्लाविया में एक बार फिर त्रिपक्षीय वार्ता हो रही है ;

(ख) क्या अब तक हुई वार्ताओं की प्रगति बहुत धीमी रही ;

(ग) ये वार्ताएं पहले न किये जाने और उनकी धीमी प्रगति होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) त्रिपक्षीय बैठक के निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क)से (ग) करार पर हस्ताक्षर होने के समय से ही, त्रिपक्षीय मन्त्रियों की बैठकों में किये गये विनिश्चयों के क्रियान्वयन की पुनरीक्षा करने के लिये तीनों में से किसी देश में, त्रिपक्षीय करार के अन्तर्गत गठित कार्यकारी दल व उप-दल समय समय पर अपनी बैठकें करते रहते हैं। कार्यकारी दलों की सिफारिशों पर विचार करने के लिये तीनों देशों के मंत्री अभी तक तीन बार मिले हैं। अक्तूबर 1971 में हुई विकासशील देशों के 77 के समूह की बैठक और अप्रैल-मई 1972 में हुई तृतीय अंकटाड की बैठक तथा अपनी स्वयं की आन्तरिक समस्याओं में मन्त्रियों की पूर्वव्यवस्तता के कारण, सितम्बर, 1970 में हुई मन्त्रियों की तृतीय बैठक के पश्चात वार्ताओं में देरी हुई है। तथापि नई दिल्ली में शीघ्र होने वाली मन्त्रियों की चतुर्थ बैठक के लिये तैयारी करने के सम्बन्ध में कार्यकारी दल 1972 में अपनी बैठकें कर चुके हैं।

(घ) व्यापार तथा प्रशुल्कों के क्षेत्र में, करार के अन्तर्गत अधिमान प्राप्त मदों की वर्तमान सूची में जोड़ने के लिये नई मदों की सूची को अन्तिम रूप दिया जा चुका है। उद्योगों के क्षेत्र में, त्रिपक्षीय सहयोग के लिये अनेक परियोजनाओं को अभिज्ञात कर लिया गया है और इस विषय पर औद्योगिक विकास मन्त्रालय द्वारा और आगे कार्यवाही की जा रही है। जहाजरानी के क्षेत्र में, माल के समुद्री परिवहन, राष्ट्रीय मार्गों के बीच अनेमी पोत माल को बांटने, पोतस्थलों के लिये उपस्करों की सप्लाई और अन्य क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग की संभाव्यताओं पर नौवहन और परिवहन मन्त्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है, पर्यटन के क्षेत्र में तीनों देशों द्वारा संवर्धनात्मक प्रयास किए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप पर्यटक यातायात में वृद्धि हुई है।

बड़े बड़े व्यापार गृहों के प्रतिनिधियों द्वारा 1972 में अमरीका तथा स्विट्जरलैण्ड की यात्रा

5433. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **वित्त** मन्त्रीयह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीस बड़े व्यापार गृहों के उन प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं जिन्होंने 1972 में अमरीका तथा स्विट्जरलैण्ड की यात्रा की ;

(ख) उनकी यात्रा का उद्देश्य क्या था ; और

(ग) क्या वे यात्राएं वाणिज्यिक स्वरूप की नहीं थी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक व्यापार, उद्योग तथा वाणिज्य के विकास के लिये व्यापार सम्बन्धी विदेशी यात्राओं के लिये विदेशी मुद्रा देता है और आवेदन पत्रों पर प्रस्तावित यात्रा की अनिवार्यता के आधार पर विचार किया जाता है। आवेदन-पत्रों की जांच पड़ताल के लिये भारतीय रिजर्व बेंक के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अपनाए जाने वाले मार्ग-दर्शन सिद्धांत निर्धारित कर दिए गए हैं। आवश्यक सूचना इकट्ठी की जायगी और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

Recommendations of Advisory Committee of Plantation Institution for assistance to States

5434. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether the Advisory Committee of Plantation Institution has recommended to the

Central Government that additional assistance be provided by the Centre to the State Governments so that they could reduce their income from Agriculture ; and

(b) if so, the amount of assistance provided by the Centre, State-wise, and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) (a) and (b) Information is being collected.

Loans Advanced to 20 Industrial Houses

5435. **Shri Jagannath Rao Joshi :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of loans given to the first 20 Industrial houses in the country by Industrial Finance Corporation and other Central financial institutions and nationaised Banks during the last three years ; and

(b) The percentage thereof to the total amount of loans given by them and the guidences followed by Government in this regard ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b) The amount of loans sanctioned and disbursed by the all India long term public sector finanial institutions namely, the Industrial Development Bank of India, Industrial Finance Corporation of India and the life Insurance Corporatioa of India to the industrial concerns belonging to the first 20 large industrial houses listed in Appendix II of the report of the industrial Licensing Policy Inquiry Committee during the last three financial years together with the percentage thereof to the total amount of loans sanctioned and disbursed by these institutions to all borrowers is given in the attached Statement. **[Placed in Library. See No. L. T. 4145/72]**.

As regards the nationalised bank ; they generally give only working capital loans, expressed in terms of credit limits of various descriptions up to which business concerns can draw funds from the banks from time to time, for their daily operations. These limits sanctioned or the amounts drawn against each one of the limits, are not static but change from time to time. It is, therefore, difficult to ascertain the precise position of credit facilities given to a concern at a particular point of time. The following statement shows the comparative position of the aggregate amount of advances outstanding against all concerns belonging to the first 20 large industrial houses by all the nationalised banks taken together with precentage to the aggregate advances outstanding against all borrowers as on the last Friday of June, 1970, June 1971 and June, 1972 :

(Rs. in lakhs)

	Balance of Advances Outstanding as on the last Friday of		
	June 1970	**June 1971**	**June 1972**
(i) First 20 Large Industrial Houses.	25,743.45	28,473.95	29,580.17
(ii) Percentage of (i) to the advances outstanding against all borrowers.	11.4	10.9	10.0

The institutions and banks meet the legitimate and genuine requirements of credit of any concern so as to promote and sustain the desired levels of production and distribution and there is no intention to deny financial assistance required by any company for productive purposes whether it belongs to a large Industrial house or otherwise. The institutions exercise a close watch on the end-use of assistance given to all concerns and specially those which are inter-connected and belong to large industrial groups. They also insist on the large industrial groups contributing higher percentage of the capital cost than other entrepreneurs. In the case of major private sector projects assisted by them on a significant scale from the year 1970-71 onwards, the institu-

tions have commenced participating meaningfully in the management of the assisted concerns at policy levels by nominating directors on the Boards of such assisted conceens. Convertibility clauses have also been written in, in the loan/debenture assistance agreements where significant financial assistance has been given by them to any industrial concern. The scheme of finanec of all new or expansion projects of industrial concerns belonging to the large industrial houses are also scrutinised by the Central Government under the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 and where considered necessary, the advice of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission is also sought for by the Government before granting its approval.

संस्थागत जमा राशियों तथा बड़े ऋण खानों के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्रतियोगिता

5436. **श्री पीलू मोदी :**

श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान 14 नवम्बर, 1972 के 'इकानामिक टाइम्स' में "बैंक्स टू बिग पार्टीज, इगनौर दि स्माल मैन" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीयकृत बैंक विरोधी उद्देश्य से काम कर रहे हैं और उनमें संस्थागत जमा राशियों तथा बड़ी ऋण खातों के लिए प्रतियोगिता चल रही है ;-और

(ख) क्या इस समाचर की सरकार ने सावधानी के जांच की है और यदि हां, तो इस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) यह कहना सही नहीं होगा कि बैंक बड़े ऋणकर्ताओं को पसंद करते हैं तथा छोटों की अवहेलना करते हैं । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों (कृषि, लघु उद्योगों, व्यावसायिकों और आत्म नियोजित व्यक्तियों तथा खुदरा व्यापार, छोटे व्यापार आदि) के सम्बन्ध में ऋण खातों की संख्या सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सम्बन्ध में जून, 1969 में 3 लाख थी जो बढ़ कर जून, 1972 में 15 लाख हो गई । इसी प्रकार, जमा खातों की संख्या जो 1968 में 120 लाख थी इस समय अनुमानता 350 लाख है बैंकिग प्रणाली के विद्यमान भुगतान साधनों के संदर्भ में कुछ ऐसे उदाहरण हुए हैं जब ऋण-खाते एक बैंक से दूसरे बैंकरो को अन्तरित कर दिए गए हैं । इसके बारे में 14 नवम्बर, 1972 को रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य अधिकारियों से विचार विमर्श हुआ था । वहां इस बात पर सहमति प्रकट की गयी कि एक समिति इस सम्बन्ध में उपयुक्त मार्गदर्शी सिद्धान्त बनायेगी । इस बीच रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को सलाह दी है कि उनमें अस्वस्थ प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए ; और उन्हें किसी पार्टी का कुल मिला कर 25 लाख रुपये या उससे अधिक की ऋण सीमाएं उनके बैंकरों द्वारा निर्धारित की गयी ब्याज दरों से कम ब्याज दरें बता कर एक दूसरे से नहीं लेनी चाहिए ।

शराब का आयात

5437. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1969 से अब तक, वर्षवार, शराब का कितना आयात किया गया ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : आयात-आंकड़े पंचाग वर्षवार उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि आयात व्यापार सम्बन्धी आंकड़े वाणिज्यिक जानकारी तथा अंक-संकलन के महा-निदेश, कलकत्ता द्वारा वित्तीय वर्ष के आधार पर संकलित किये जाते हैं। वर्ष 1968-69 से 1972-73 (मई, 1972 तक) के दौरान मदिरा के आयातों का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

वर्ष	मात्रा '000' लीटरों में	मूल्य '000' रु० में
1968-69	571	6912
1969-70	384	4910
1970-71	252	2911
1971-72	178	2406
1972-73 (मई, 1972 तक)	21	312

पश्चिम बंगाल को बाढ़ राहत के लिए स्वीकृत राशि

5438, **डा० रानेन सेन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल को बाढ़ राहत के लिए कितनी राशि दी ; और

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने कुल कितनी राशि की मांग की थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1969-70 से 1971-72 तक माँगी गयी रकम का और उसे दी गयी रकम का वर्ष-वार ब्योरा इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपयों में)

	मांगी गयी रकम	दी गयी सहायता
1969-70	10.33	5.75
1970-71	66.00	18.91
1971-72	74.95	17.50
जोड़ :	151.28	42.16

ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों के माध्यम से नियन्त्रित मूल्य के कपड़े की बिक्री

5439 **श्री प्रभुदास पटेल :**
श्री वी० मायावन :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों के माध्यम से कपड़ा नियंत्रित मूल्यों पर बेचने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है, यदि हां, तो इसका सारांश क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : नियन्त्रित कपड़े के वितरण संबन्धी नई योजना के अन्तर्गत, जो 1-11-1972 से लागू हुई है, नियंत्रित कपड़े के सम्पूर्ण उत्पादन को निम्नांकित के माध्यम से बेचा जाता है :

(1) मिलों की अपनी खुदरा दुकानें ।

(2) सहकारी क्षेत्र के सुपर बाजार ।

(3) राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता फैडरेशन तथा उससे सम्बद्ध सहकारी संस्थाओं की श्रृंखला ।

(4) राज्य सरकार के तत्वाधान में चल रही उचित मूल्य की दुकानें ।

(5) सम्बद्ध राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट सहकारी क्षेत्र की कोई भी अन्य एजेंसी ।

ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं के माध्यम से नियन्त्रित कपड़े की बिक्री का प्रबन्ध करना राज्य सरकारों का काम है ।

कोका-कोला निर्यात निगम, नई दिल्ली को आयात संपूर्ति

5440. **श्री एस० ए० मुरुगनत्तम** : क्या **विदेश व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 प्रतिशत की आयात संपूर्ति की अनुमति देकर कोका-कोला निर्यात निगम, नई दिल्ली, पर विशेष कृपा की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो आयात संपूर्ति 20 प्रतिशत देने का निर्णय कैसे किया गया जब कि निर्यात में प्रयुक्त आयातित तत्व केवल 4.5 प्रतिशत था ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) (क) से (ग) वर्ष 1970-71 के लिए पंजीकृत निर्यातक हेतु आयात नीति के अनुसार "गैर-ऐलकोहल-पेय समाक्षार के निर्यात पर आयात प्रतिपूर्ति की दर 20 प्रतिशत थी । 1-4-71 से दर घटाकर 4.5 प्रतिशत कर दी गई है । विभिन्न निर्यातित उत्पादों के लिए आयात प्रतिपूर्ति की दर पंजीकृत निर्यातकों के लिए समय-समय पर आयात व्यापार नियंत्रण नीति में विनिश्चित की जाती है ।

इटली द्वारा वस्तु विनियम के आधार पर औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना

5441. **श्री राम भगत पास्वान** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटली ने वस्तु विनियम के आधार पर औद्योगिक परियोजनाओं में भाग लेने पर अपनी सहमति व्यक्त की है और भारतीय पेट्रोल रसायन निगम को हास्पेट क्षेत्र से लौह-अयस्क के बदले में पौलिथिलीन के उत्पादन के लिए सहायक (डाउन स्ट्रीम) एकक स्थापित करने की पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो इन पेशकशों पर क्या निर्णय किया गया है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम, दि इंडियन पैट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड को, जोकि कम घनत्व के पोलिथिलीन हेतु स्थल की स्थापना कर रहा है, इटली की एक फर्म से अन्य बातों के साथ साथ सहयोग की पेशकशें प्राप्त हुई थीं ।

(ख) जो विभिन्न पेशकशें प्राप्त हुई थीं वे प्रासेस जानकारी, आधारभूत इंजीनियरी तथा प्रवास सहायता की व्यवस्था के सम्बन्ध में थीं । परियोजना के लिए विदेशी सहयोग प्रबन्धों को अभी सरकार द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित किया जाना है ।

भारतीग लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों का आरक्षण

5442. **श्री मधुकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में एस० ए० एस० लेखापाल (तीसरी श्रेणी) के संवर्ग से लेखा अधिकारी (दूसरी श्रेणी) के संवर्ग में पदोन्नति के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसुचित जन-जातियों के कर्मचारियों के लिए पदों के आरक्षण के बारे में कोई आदेश जारी किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त आदेश की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ;

(ग) क्या भारतोय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग द्वारा इन आदेशों को क्रियान्वित किया जा रहा है ; और

(घ) प्रत्येक लेखा परीक्षा कार्यालय में इन आदेशों के बाद कितने व्यक्ति लेखा अधिकारी के रूप में पदोन्नत किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ) भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक ने निर्णय किया है कि वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर पदोन्नतियाँ करते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण के सम्बन्ध में वार्षिक विभाग द्वारा हाल ही में 27 नवम्बर, 1972 को जारी किये गये आदेश भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में भी लागू किये जायंगे । इस सम्बन्ध में आदेश जारी किये जा रहे हैं । ये आदेश, जारी होने पर, एस० ए० एस० लेखाकार वर्ग से पदोन्नति द्वारा लेखा अधिकारी वर्ग में की जाने वाली नियुक्तियों को भी लागू होंगे ।

सरकारी क्षेत्र में बीमार कारखानों की सहायता करने का औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम का प्रस्ताव

5443. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम ने सरकारी क्षेत्र के 'बीमार' कारखानों की सहायता करने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो (1) सरकारी क्षेत्र के बीमार कारखानों की सूची और (2) प्रत्येक

मामले में 'बीमारी' का स्वरूप क्या है ; और (3) उक्त निगम द्वारा इन बीमार कारखानों को किस प्रकार की सहायता दिए जाने की आशा है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं हीता ।

फेल्ट निर्माण उद्योग को ऊन आयात करने के लिए लाइसेंस देना

5444. **श्री भारत सिंह चौहान :**
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊनी फेल्ट निर्माण उद्योग को ऊन आयात करने के लिए आयात लाइसेंस दिए गए हैं यद्यपि फेल्ट देशी ऊन से और ऊन उद्योग के बचे-खुचे माल से (सफाई करने के बाद बचा हुआ) सफलतापूर्वक बनाये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो फेल्ट उद्योग के लिए कार्बनीकृत ऊन के आयात की अनुमति दिए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या देश में वर्तमान विभिन्न कारखानों में फेल्ट उत्पादन के बारे में मूल आंकड़े एकत्र किये गये हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) तथा (ख) : ऊनी फेल्ट उद्योग के लिए कार्बनीकृत ऊन के आयात की अनुमति प्रतिबन्धित आधार पर दी जाती है क्योंकि देशी ऊन से तथा सफाई करने के बाद बची-खुची ऊन से बनी फेल्ट क्वालिटी में संतोषजनक नहीं पाये जाते हैं ।

(ख) जिन चार कारखानों को वस्त्र आयुक्त द्वारा कच्चा माल आवंटित किया जाता है उनके उत्पादन से सम्बन्धित मूल आंकड़े उपलब्ध हैं ।

एकाधिकार आयोग द्वारा जनता से सुनवाई

5445. **श्री श्रीकिशन मोदी :**
श्री प्रसन्नाभाई मेहता :

क्या **कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का स्पष्टीकरण किया है कि एकाधिकार आयोग अपने चेयरमैन के बिना भी, जहां आवश्यक हो, जनता से सुनवाई कर सकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह स्पष्टीकरण आयोग ने सरकार से मांगा था ; और

(ग) यदि हां, तो आयोग ने सरकार से और क्या स्पष्टीकरण मांगे हैं ?

कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) तथा (ख) हां, श्रीमान ।

(ग) इस प्रसंग में आयोग ने कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं मांगा है ।

Exhibition of Pakistani Films

5446. **Shri Hari Singh :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether proposal to exhibit Pakistani films in this country is under the consideration of Government ; and

(b) if so, when a decision is expected to be taken in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

छोटे सिक्कों की वार्षिक आवश्यकता

5447. **श्री दलीप सिंह :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में छोटे सिक्कों की वार्षिक आवश्यकता कितनी है और देश को टकसालों में प्रतिवर्ष कितने सिक्के बनते हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : चालू वित्तीय वर्ष के लिए 28.65 करोड़ रुपये के मूल्य के 223 करोड़ छोटे सिक्कों की आवश्यकता है। अनुमान है कि चालू वर्ष में टकसालों द्वारा लगभग 25.10 करोड़ के मूल्य के 217 लाख सिक्के ढाले जायेंगे।

भारतीय इन्जीनियरिंग उद्योगों द्वारा विदेशों मे स्थापित किए गए संयुक्त उपक्रम

5448. **डा० रानेन सेन :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भारतीय इन्जीनियरिंग उद्योगों ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अनेक देशों में और कनाडा और पश्चिम जर्मनी में 50 से अधिक संयुक्त उपक्रम स्थापित किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन भारतीय फर्मों के नाम क्या हैं ; और

(ग) इनमें से प्रत्येक फर्म द्वारा इन परियोजनाओं पर कितना धन लगाया गया है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार ने अभी तक विदेशों में संयुक्त औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने हेतु 145 प्रस्थापनाएं अनुमोदित की है जिनमें से 67 इंजीनियरी उद्योगों के क्षेत्र में हैं। विदेशों में इन्जीनियरी उद्योग स्थापित किये जाने के लिए अनुमोदित 67 प्रस्थापनाओं में से 16 में उत्पादन हो रहा है।

(ख) तथा (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र० सं०	संयुक्त उपक्रम का देश	भारतीय सहयोगी	सहयोग का क्षेत्र	भारतीय इक्विटी निवेश (लाख रु० में)
1	2	3	4	5
1	केन्या	एच० एल० मल्हौत्रा एण्ड सन्स (प्रा०) लि०, कलकत्ता	रेजर ब्लैड फैक्टरी	21.00
2	मारीशस	सिद्धार्थ जसूभाई, अहमदाबाद	मोजिक टाइलें तथा रोलिंग शटर्स मैन्यु० एकक	0 60
3	नाइजीरिया	बिरला ब्रदर्स (प्रा०) लि०, कलकत्ता	इंजीनियरी माल	21.00
4	नाइजीरिया	एच० एल० मल्हौत्रा एण्ड सन्स (प्रा०) लि०, कलकत्ता	रेजर ब्लैड फैक्टरी	25.20
5	श्रीलंका	जय इंजीनिवरिंग वर्क्स, कलकत्ता	सिलाई मशीने तथा बिजली के पंखे	0.40
6	ईरान	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा, बम्बई	फालतू पुर्जे, आटोमोटिव संघटक	4.90
7	मलयेशिया	गोदरेज वायस मैन्यू० कम्पनी, बम्बई	इस्पात का फर्नीचर	31.29
8	मलयेशिया	गुप्ता मशीन टूल्स, बम्बई	प्रिशीसन औजार तथा गेज मैन्यूफैक्चरिंग एकक	5.00
9	मलयेशिया	अजीत इंडस्ट्रीज. बम्बई	एनामेल चढ़ा तांबे का तार तथा विद्युत उपसाधन	2.40
10	मलयेशिया	एल० जी० बालकृष्णन एण्ड ब्रदर्स (प्रा०) लि०, कोयम्बतूर	टाइम तथा मोटर गाड़ी चैनें साइकिलों की तथा औद्योगिक चैनें	4.40 10.00
11	मलयेशिया	मुरुगप्पा एण्ड सन्स लि०, मद्रास		
12	सिंगापुर	टैकसन्स (प्रा०) लि०, बम्बई	मोटर-गांड़ी उपसाधन	12.80
13	थाइलैंड	सच्चा एक्स्पोर्टर्स एण्ड इन्वेस्टर्स (प्रा०) लि०, बम्बई	इस्पात मिल	32.80
14	सऊदी अरब	हिन्दुस्तान टूल इंडस्ट्रीज, बम्बई	भवन-निर्माण सम्बन्ध लोहे का सामान	0.25
15	पश्चिम जर्मनी	किर्लोस्कर आयल इंजिन्स (प्रा०) लि०, पूना	तेल इंजन धान कूटने की	125.30
16	पश्चिम जर्मनी	श्री एन० कृष्णन, बंगलौर	मशीनें आदि होज-किलपें	7.12

Letter from a Member of Parliament to Prime Minister Regarding Search of Baggage of Balyogeshwar at Palam Airport, Delhi

5449. **Shri Bhola Manjhi :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) wether a Member of Parliament has written a letter to the Prime Minister in regard to the search of the baggage of Balyogeshwar of Divine Light Mission at the Palam Airport, New Delhi a few days ago ;

(b) if so, the main features thereof ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b) Yse, Sir. The main issues raised in a letter dated 23.11.72 written by an M. P. to the Prime Minister related to allegations of corruption and high-handedness on the part of the Customs Officers in general and particularly against an officer of the Directorate of Revenue Intelligence. A statement to this effect has already been laid on the Table of the House by the Minister for Revenue and Expenditure on the 29th Nov., 1972.

(c) The allegations of corruption and harassment are baseless. As regards the course of investigations, Government do not wish to interfere, in any way, with the normal course of investigations by field officers in accordance with the law.

आयकर अधिनियम, 1961 में संशोधन के लिए ज्ञापन

5450. **श्री दशरथ देव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री को दार्जिलिंग जिले के विभिन्न अनुसूचित जन-जातिगों के संगठनों के प्रतिनिधियों से ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने मांग की है कि अनुसूचित जन-जातियों के सदस्यों में ही भेदभाव दूर करने हेतु आयकर अधिनियम. 1961 की धारा एस० 10 (26) में संशोधन किया जाए ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार, ज्ञापन में सुझाए गए आधार पर आयकर अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक नहीं समझती ।

Barua Committee's recommendations regarding tax on Agricultural Income

5451. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether the Barua Committee has recommended to Government that the rate of tax on the joint agricultural income should not exceed that of tax on non-agricultural income ; and

(b) if so, the action taken by Government on the recommendations ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) and (b) The Borooah Committee on Tea Industry in their report endorsed the view of the Tea Finance Committee that the rate of tax on the agricultural portion of the composite income

should not exceed the rate of tax on the non-agricultural portion of it. In The Government Resolution announcing the decision taken on the recommendations of the Committee, it was mentioned that the observation of the Committee had been passed on to the State Governments. The matter is being pursued.

Tea Export Committee's demand for export of tea through Tea Corporation

5452. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether the Committee on Tea Export has made a demand to Government that arrangements should be made to export packed tea to foreign countries through the Tea Corporation in order to increase unit price of tea and to earn more foreign exchange ; and

(b) the steps taken by Government in this regard so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) (a) and (b) : There is no Committee on Tea Export as such set up by the Government. But a survey of the working of the Tea Board to find out the extent to which it is meeting its responsibility and the steps needed to help improving its performance is now being undertaken, the report of which is awaited.

अलौह वस्तुओं पर अत्यधिक कमीशन लेने के बारे में खनिज तथा धातु व्यापार निगम के विरुद्ध शिकायतें

5453. **श्री राम भगत पस्वान :** क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलौह धातुओं पर अत्यधिक कमीशन लेने के बारे में खनिज तथा धातु व्यापार निगम के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो अधिक कमीशन लेने के क्या कारण हैं तथा इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) अलौह धातुओं पर खनिज ब धातु व्यापार निगम के कथित ऊंचे मार्जिन के विरुद्ध कभी कभी शिकायतें की जाती हैं। ये शिकायतें ठीक नहीं हैं क्योंकि मार्जिन इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर नियत किये जाते हैं।

योकोहामा (जापान) में भारतीय माल-जहाज से अफीम का पकड़ा जाना

5454. **श्री मोहम्मद शरीफ :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापानी सीमाशुल्क तथा मादक द्रव्य नियंत्रण कर्मचारियों ने 21 नवम्बर, 1972 को एक भारतीय माल जहाज पर छापा मारा था और योकोहाम में 5.6 किलोग्राम अशोधित अफीम जब्त कर ली थी ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का संक्षिप्त विवरण क्या है ; और

(ग) क्या उस मामले में कोई बात की गयी है/थी और यदि हां, तो इस मामले पर/में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जापान की सरकार के सीमाशुल्क अधिकारियों ने अभी हाल ही में योकोहामा बन्दरगाह पर खड़े एक भारवाही भारतीय जहाज की तलाशी ली और 5.6 किलोग्राम अशोधित अफीम पकड़ी ।

(ख) तथा (ग) आगे ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है और सभा-पटल पर रख दिया जायगा ।

औद्योगिक नीति संकल्प के अन्तर्गत भावी विकास के लिए होटल उद्योग का स्थान

5455. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान औद्योगिक नीति संकल्प के अन्तर्गत सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के लिए निर्धारित क्षेत्रों, जिसमें सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित सूची में होटल उद्योग का उल्लेख नहीं किया गया है, के बारे में औद्योगिक विकास मन्त्री के 23 अगस्त, 1972 के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए क्या होटल उद्योग गैर-सरकारी क्षेत्र में ही रहेगा और क्या सरकार सरकारी अधिकरणों द्वारा सरकारी क्षेत्र में बनाये गये होटलों को गैर-सरकारी होटल उद्यमकर्ताओं को देने पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो औद्योगिक नीति संकल्प के अन्तर्गत भावी विकास के लिए होटल उद्योग का स्थान कहां है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के अनुसार उसकी अनुसूची "क" में उल्लिखित उद्योगों के भावी विकास की एकमात्र जिम्मेवारी राज्य की है । होटल उद्योग अनुसूची "क" में सम्मिलित नहीं है । उसका यह अर्थ नहीं है कि राज्य सरकार किसी अन्य उद्योग को, जिसका उल्लेख उस अनुसूची में नहीं है, नहीं चला सकती । वास्तव में आयोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या उद्योग चलाने के लिए अन्य महत्वपूर्ण कारण होने पर राज्य सरकार किसी भी उद्योग को प्रारम्भ कर सकती है ।

होटलों में विनियोजन का अधिकांश भाग निजी क्षेत्र का है तथा इस प्रकार के विनियोजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कर एवं राजस्व सम्बन्धी राहतों के रूप में प्रोत्साहन दिए गए हैं । सरकार के सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यमों ने भी उद्योग में काफी विनियोजन किया है तथा करने का प्रस्ताव है और दोनों क्षेत्र इस प्रकार पर्यटन के आधारभूत उपादानों का निर्माण करने के सम्मिलित प्रयत्न में योगदान करते हैं । देश में इस समय सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत कार्य कर रहे होटलों को निजी क्षेत्र को सौंपने का कोई प्रस्ताव नहीं है । इसके विपरीत, आने वाले वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र की होटल श्रृंखला का काफी विस्तार किया जाएगा ।

तस्करी में लगे विदेशियों की गिरफ्तारी

5456. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से अक्तूबर, 1972 तक माल की देश से बाहर तस्करी करने के आरोप में कुल कितने विदेशी पकड़े गए ; और

(ख) वे किन किन देशों के नागरिक हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) देश से वस्तुओं का आरोपित तस्कर-निर्यात करने के मामलों में जनवरी, 1972 से अक्तूबर, 1972 तक 21 विदेशियों को गिरफ्तार किया गया ।

(ख) उक्त विदेशी निम्नलिखित देशों के हैं :

कनाडा

आस्ट्रिया

अमेरिका

इण्डोनेशिया

मलयेशिया

श्रीलंका

ब्रिटेन

पश्चिम जर्मनी

स्विटजरलैंड

देश से जिन वस्तुओं का तस्कर-नियात करने का प्रयत्न किया गया था उनको जब्त करने के सम्बन्ध में सीमाशुल्क अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णय सम्बन्धी कार्यवाही तथा सम्बन्धित व्यक्तियों पर दण्ड लगाने के अतिरिक्त, गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों में से 5 व्यक्तियों को, सीमाशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत इस्तगासे की कार्यवाही की जाने पर सजा दी गयी । एक व्यक्ति के विरुद्ध इस्तगासे की कार्यवाही अभी चल रही है । 13 व्यक्तियों को, उनके विरुद्ध पासपोर्ट तथा/अथवा उत्पादन-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने की दृष्टि से पुलिस अधिकारियों के हवाले कर दिया गया था । शेष व्यक्तियों के विरुद्ध जांच पड़ताल जारी है ।

अलजीरिया के साथ व्यापार करार

5457. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में अलजीरिया और भारत के बीच व्यापार करार पर हस्ताक्षर हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

देश के हवाई अड्डों पर चोरी-छिपे लाई गई वस्तुओं की जब्ती

5458. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से अक्तूबर, 1972 तक की अवधि में देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा जब्त की गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इनका रुपयों में मूल्य कितना है ; और

(ग) इस अवधि में कितने तस्कर पकड़े गए ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) : जनवरी से अक्तूबर, 1972 तक की अवधि में सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा विभिन्न हवाई अड्डों पर सोना, रत्न, चांदी कलाई घड़ियां, संश्लिष्ट वस्त्र और धागा, हशीश तथा अन्य वस्तुएं पकड़ी गई थीं जिनके मूल्य कुल मिलाकर (लगभग) 213 लाख रुपये है ।

(ग) इस बारे में 59 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे ।

औद्योगिक सम्बन्धों के लिए श्रीराम केन्द्र द्वारा भारत पर्यटन विकास निगम के लिए बनाये गये सेवा-नियमों को लागू करना

5459. **श्री डी० के० पण्डा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री 12 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5872 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक सम्बन्धों के लिए श्रीराम केन्द्र द्वारा निगम के कर्मचारियों के लिये बनाए गए सेवा-नियमों को भारत पर्यटन विकास निगम ने लागू कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निगम ने इन्हें लागू करने से पूर्व सम्बन्धित कर्मचारियों के संघ को विश्वास में लिया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) औद्योगिक सम्बन्धों के लिये श्री राम केन्द्र द्वारा बनाए गए सेवा नियम कारपोरेशन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये पूर्ण रूप से पर्याप्त नहीं पाए गए हैं । तदनुसार, केन्द्र द्वारा प्रस्तुत किये गए प्रारूप तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के कारपोरेशनों के नियमों तथा विनियमों को ध्यान से रखते हुए, सेवा नियमों का एक नया प्रारूप तैयार किया गया है तथा कारपोरेशन में क्रियान्वयन के लिये उन्हें अन्तिम रूप दिया जा चुका है ।

(ख) और (ग) औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 में निर्दिष्ट मामलों के सम्बन्ध में संघों से परामर्श करना आवश्यक है । इस प्रयोजन के लिए अलग से स्थायी आदेश

तैयार कर लिये गए हैं तथा उन्हें, जैसाकि अधिनियम में अपेक्षित है, प्रमाणक अधिकारी को प्रेषित किया जा रहा है जोकि संघों से परामर्श करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करेगा ।

सोवियत संघ द्वारा चाय की थोक खरीद

5460. **श्री डी० के० पण्डा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने मण्डी में उपलब्ध चाय का पूरा स्टाक खरीदने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख). यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल चाय उद्योग की समस्यायें

5461. **श्री डी० के० पण्डा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल चाय उद्योग अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है जैसा कि 9 नवम्बर, 1972 के "हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड" (कलकत्ता) में प्रकाशित समाचार में यह बताया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन समस्याओं को समाप्त करने के लिए सरकार का क्या ठोस कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड में प्रकाशित समाचार में उन समस्याओं का कुछ हद तक सही रूप में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है जो पश्चिम बंगाल में और विशेषकर दार्जिलिंग में चाय उद्योग के सामने आ रही है ।

(ख) चाय उद्योग की समस्याओं का सरकार द्वारा निरन्तर पुनरीक्षण किया जाता है ।

योरोप से संयन्त्रों को हटाना

5462. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार पूर्णतः निर्यातोन्मुख संयन्त्रों को योरोप से भारत ले जाने सम्बन्धी योजना खतरे में है जैसा कि 27 नवम्बर, 1972 के 'टाइम्स आफ इंडिया" में बताया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

स्टेट बैंक आफ बीकानेर ऐण्ड जयपुर में की गयी अस्थायी भर्ती में व्यक्ति अनियमितताएं

5463. **श्री मधुकर :** क्या **वित्त** मंत्री 24 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 166 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या स्टेट बैंक आफ बीकानेर ऐण्ड जयपुर की नई दिल्ली शाखा में की गई अस्थायी भर्ती में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने गम्भीर अनियमितताएं पायी हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि उनके द्वारा की गयी जांच पड़ताल धोखा धड़ी आदि के अभियोगों की छानबीन करने तक ही सीमित थी और भरती सम्बन्धी मामलों की कोई जांच पड़ताल नहीं की गयी है ।

चौथी योजना के प्रथम तीन वर्षों में पर्यटन से अर्जित विदेशी मुद्रा

5464. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश को चौथी योजना के पहले तीन वर्षों में पर्यटन से 110 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आय हुई है ; और

(ख) क्या सबसे अधिक पर्यटक अमरीका या यूरोपीय देशों से आये थे ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) यूरोप के देशों से ।

रियायती दर पर आर्थिक सहायता की घोषणा के बाद पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना में हुई प्रगति

5465. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पिछड़े जिलों और क्षेत्रों में लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार की पहल पर भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम जैसी देश की वित्तीय संस्थाओं ने रियायती शर्तों पर वित्तीय सहायता देने की योजना की घोषणा की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस रियायत के कारण पिछड़े जिलों और क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए उद्यमी आकर्षित हुए हैं ;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार उनकी संख्या क्या है ; और

(घ) क्या राज्य सरकारों को भूमि अधिग्रहण जैसी अन्य औपचारिकताएं प्राथमिकता के आधार पर पूरी करने के आदेश दिये गए हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ने 1970 में विभिन्न राज्यों/संघीय राज्य क्षेत्रों में योजना आयोग द्वारा प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के लिए निर्दिष्ठ औद्योगिक रूप से अल्प विकसित जिलों/क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक कम्पनियों को रियायती शर्तों पर प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है। पुन-वित्तव्यवस्था के क्षेत्र में भी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने राज्य वित्तीय निगमों और बैंकों को रियायतें और प्रोत्साहन दिये हैं। ताकि वे उस प्रकार के जिलों/क्षेत्रों में स्थित उद्यमकर्ताओं को नर्म शर्तों पर सहायता प्रदान कर सकें।

(ख) जी, हां।

(ग) जिन औद्योगिक कम्पनियों को उर्युक्त संस्थाओं ने प्रत्यक्ष और पुनर्वित्त सहायता मंजूर की है उनकी संख्या का राज्यवार वितरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों पर इस बात के लिए जोर डाला है कि औद्योगिक दृष्टि से अल्प विकसित निर्दिष्ट किये गये जिलों। क्षेत्रों में स्थित लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए अधिक आयोजित और संगठित कार्यवाही करने की आंवश्यकता है ताकि वे उपर्युक्त संस्थाओं से रियायती वित्तपोषण पाने के हकदार बन सकें। राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे रियायतों के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार करें और वे न केवल आधारभूत सुविधाओं के अपितु बगलीरेलपथ औद्योगिक श्रमिकों के लिए आवासन बस्तियों आदि जैसी अन्य सुविधाओं के पूर्ण विकास के लिए भी जोरदार प्रयत्न करें। चूंकि राज्य वित्तीय और विकास सम्बन्धी संस्थाओं को भी उपर्युक्त उद्यमकर्ताओं के चुनाव में, उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से सक्षम योजनाएं और उपयुक्त संगठनात्मक प्रबन्ध तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है इसलिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे इस प्रयोजन के लिए विशेष तंत्र संगठित करें।

विवरण

राज्य	सभी संस्थाओं द्वारा दी गयी प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता		भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा दी गयी पुनर्वित्त सहायता	
	खातों की संख्या	स्वीकृत सहायता की रकम लाख रुपयों में	कम्पनियों की संख्या	स्वीकृत सहायता की रकम लाख रुपयों में
आन्ध्र प्रदेश	–	—	35	47.92
असम	1	1550.00	1	0.70
बिहार	1	50.00	14	40.07
गुजरात	1	90.00	68	55.96
हरियाणा	–	—	28	47.77
हिमाचल प्रदेश	–	—	2	6.60

1	2	3	4	5
जम्मू और कश्मीर	–	---	10	5.44
केरल	–	—	73	59.47
मध्य प्रदेश	–	—	26	17.48
मणिपुर	–	—	3	2.51
महाराष्ट्र	6	800.00	44	93.35
मैसूर	1	50.00	42	68.62
नागालैंड	1	100.00	—	—
उड़ीसा	–	—	8	20.97
पंजाब	–	—	10	15.93
राजस्थान	1	45.50	22	22.15
तमिलनाडु	2	90.00	13	26.95
उत्तर प्रदेश संघीय राज्य क्षेत्र	2	102.43	31	47.34
	1	150.00	25	16.30
जोड़	17	3027.93	455	595.53

निर्यात बैंक की स्थापना

5466. **श्री राजदेव सिंह :**
श्री बी० के० दास चौधरी :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने कृपा की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के निर्यात व्यापार में वृद्धि के लिए निर्यात बैंक बनाने के बारे में सरकार के सामने कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त बैंक के प्रयोजन, कार्य तथा क्षेत्राधिकार क्या होंगे ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) बैंकिंग आयोग ने, देश के लिए अलग से निर्यात-आयात बैंक की आवश्यकता की जांच-पड़ताल की है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इस प्रयोजन के लिए अलग से एक बैंकिंग संस्था बनाने का कोई औचित्य नहीं है । फिर भी आयोग ने निर्यात ऋण व्यवस्था कतिपय सुधारों की सिफारिश की है । ये सिफारिशें सरकार के विचाराधीन है।

भारतीय रिजर्व बैंक में अनुभवी कर्मचारी

5467. **श्री राजदेव सिंह :**
श्री बेकारिया :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब सरकार का यह विचार है कि भारतीय रिजर्व बैंक में सबसे ऊंचे पद तक सभी पदो पर आवश्यक अनुभव और ज्ञान प्राप्त व्यक्ति ही नियुक्त होने चाहिए ;

(ख) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिकारी संघ के दिल्ली में हाल में हुए चौथे अखिल भारतीय सम्मेलन में भी यही विचार प्रकट किए गए थे ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक अधिकारी संघ ने 25,29 नवम्बर, 1972 को अपने चतुर्थ अखिल भारतीय सम्मेलन में अन्य बातों के साथ साथ यह संकल्प किया है कि "बैंक में उच्चतम अधिकारी स्तर तक अर्थात् गर्वनर के पद तक व्यावसायिक योग्यता एवं केन्द्रीय बैंककारिता की अपेक्षित बिशेषज्ञता प्राप्त व्यक्ति रखना जरूरी है। इन व्यक्तियों को बैंक में से ही लिया जाय ताकि बैंक, विशेषकर व्यापक सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के सम्बन्ध में राष्ट्रीय वचनवद्धता के अनुसार देश की वित्तीय नीति निर्धारित करने में इस पर पड़ी जिम्मेदारियों और उत्तरदायित्वों के सम्बन्ध में अपनी भूमिका सफलतापूर्वक निभा सके।"

सरकार का यह विचार रहा है और अब भी है कि रिजर्व बैंक के शिखर पदों पर वित्तीय और आर्थिक मामलों का व्यापक ज्ञान और अनुभव प्राप्त व्यक्तियों को ही रखा जाना चाहिए और यह कि चयन के क्षेत्र पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिए।

पश्चिम बंगाल में राज्य कपड़ा निगम की स्थापना

5468. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार का विचार एक राज्य कपड़ा निगम स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित निगम के कार्य क्या होंगे तथा इसकी आवश्यकता क्यों है जब कि सूती कपड़ा निगम पहले ही विद्यमान है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) शायद माननीय सदस्य का सूती वस्त्र निगम से तात्पर्य राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि० से है। वर्ष 1968 में जब राष्ट्रीय बस्त्र निगम की स्थापना की गई थी तब यह सोचा गया था कि अपने अपने राज्यों में संकटग्रस्त वस्त्र मिलों की समस्याओं से निपटने के लिए राज्य सरकारों को भी अपने अपने राज्य वस्त्र निगम स्थापित करने चाहिए। छः राज्यों ने ऐसे निगम पहले ही स्थापित कर दिये हैं। हमारे पास इस सम्बन्ध में निश्चित जानकारी नहीं है कि पश्चिम बंगाल सरकार का अपना स्वयं का राज्य वस्त्र निगम स्थापित करने का विचार है या नहीं।

निर्धन वर्गों को सरकारी क्षेत्रीय बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों में वृद्धि

5469. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कमजोर वर्गों को दिये जाने वाले ऋणों में काफी वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1971-72 में कुल कितने ऋण दिये गये ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा, कृषि, लघु उद्योग, सड़क परिवहन चालकों आत्मनियोजित व्यक्तियों और व्यावसायिकों, छोटे और खुदरा व्यापारियों और शिक्षा आदि जैसे अब तक उपेक्षित रहे क्षेत्रों को दिये गये अग्रिमों की बकाया राशि जो जून 1971 के अंत में 897 करोड़ रुपये थी बढ़कर जून 1972 के अंत में 1048 करोड़ रुपये हो गयी ।

उर्वरक उत्पादन के लिये प्रयोग में आने वाले ईंधन तेल पर लगा उत्पादन शुल्क हटाना

5470. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरक उत्पादन में काम आने वाले ईंधन तेल पर से उत्पादन शुल्क हटाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्यों ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हां ।

(ख) उर्वरक का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता के संदर्भ में देशी उर्वरक उद्योग की आधारभूत सामग्री (फीड स्टाक) में विविध परिवर्तन करने होंगे । आजकल, नैफ्था सबसे अच्छी आधारभूत सामग्री माना जाता है । परन्तु, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नैफ्था पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है । ईंधन तेल को वैकल्पिक आधारभूत सामग्री के रूप में बढ़ावा देना होगा । ईंधन तेल पर आधारित संयंत्रों का पूंजीगत परिव्यय तथा संचालन लागत अपेक्षाकृत अधिक है । ईंधन तेल पर उत्पादन शुल्क, इस प्रकार के उपयोग के लिये 'एक सबसे बड़ी बाधा' होने के कारण, यह निर्णय किया गया है कि इसे उस स्थिति में उत्पादन शुल्क से मुक्त रखा जाय जब इसका उपयोग उर्वरक उत्पादन के लिये आधारभूत सामग्री के रूप में किया जाता हो ।

बंगला देश द्वारा प्रतिस्पर्धा के कारण पटसन के निर्यात में कमी

5471. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश द्वारा प्रतिस्पर्धा के प्रभाव के कारण हमारे पटसन के निर्यात में भारी कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रस्ताबित उपचारात्मक उपाय क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) चालू वित्तीय के पहले 6 महीनों में पटसन माल के निर्यातों में गिरावट आई है और ऐसा संलिष्टों से तथा बंगला देश के उत्पादों से प्रतियोगिता के कारण हुआ है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

हमारे पटसन माल के निर्यातों में सुधार लाने के लिए निम्नांकित उपाय आवश्यक समझे गये हैं :—

(क) यह आवश्यक है कि कालीन अस्तर तथा हेशियन दोनों की कीमतों को यथाशीघ्र उस स्तर तक कम कर दें जिससे वे संश्लिष्टों से प्रतियोगिता कर सकें।

(ख) कीमत में उचित स्थिरता तथा नियमित सप्लाई सुनिश्चित करना आवश्यक है।

(ग) इसके लिए समुचित कीमतों पर कच्चे पटसन की पर्याप्त तया समय पर सप्लाई पूर्व अपेक्षित है।

(घ) गवेषणा तथा उत्पाद विकास के लिए, जहां आवश्यक हो, तथा संबर्धन कार्यों और उन क्षेत्रों में प्रचार के लिए जहां इसका आवश्यक प्रभाव हो, प्रभावपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे।

(ङ) निर्यात संबर्धन, गवेषणा तथा विकास के लिए आवश्यक निधियां उत्पन्न करने के लिथे उपयुक्त उपाय करने चाहिए।

(च) यह वांछनीय है कि पटसन माल के दोनों मुख्य उत्पादकों के बीच शीघ्र ही विचार-विमर्श हो ताकि दोनों पारस्परिक सहयोग की भावना से अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों का प्रयोग कर सकें।

2. जहां तक पद (क) का सम्बन्ध है 9 औंस तथा उपर प्रतिवर्ग गज वजन बाले पटसन प्राईमरी गलीचा अस्तर कपड़े पर 1--11-72 से 400 रुपये प्रति टन निर्यात शुल्क घटा दिया गया है।

3. अन्य मुद्दे विचार की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

फिल्मों के राज्य व्यापार निगम द्वारा वितरण के कारण एम० जी० एम० और 20 सैंचुरी फाक्स कारपोरेशन के कर्मचारियों की छंटनी

5472. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री कलकत्ता और बम्बई के मैट्रो सिनेमाघरों की विक्री के बारे में 24 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1785 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैट्रो गोल्डन मेयर ने अपने भारत में फिल्म वितरण के अधिकार गोल्डन फिल्म एंड फाइनैन्स प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिए हैं ;

(ख) क्या एम० जी० एम० के वितरण पक्ष में काम कर रहे सभी कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई है ;

(ग) क्या अमरीकी फिल्मों का बितरण राज्य व्यापार निगम के माध्यम से करने के सरकारी निर्णयके परिणामस्वरूप 20 सैंचुरी फाक्स कारषोरेशन (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड, वार्नर ब्रदर्स इन्क० और कोलबिया फिल्म्स आफ इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों की भी यही दशा होने वाली है; और

(घ) यदि हां, तो क्या प्रभावित कर्मचारियों को बेरोजगारी से बचाने के लिए कोई प्रबन्ध किया गया है ?

विदेश व्यापापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार को, मेसर्स मैट्रो गोल्डविन मेयर द्वारा फिल्म विनरण अधिकारियों के मैसर्स गोल्डविन फिल्म एण्ड फाइनैन्स प्राइवेट सिमिटेंड को बेचे जाने के सम्बन्ध में जानकारी नहीं है। तथापि, मामले की जांच की जा रही है।

(ख) मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट एसोसिएशन आफ अमरीका इंक द्वारा यह सूचित किया गया है कि मैसर्स मैट्रो गोल्डविन मेयर के कर्मचारियों की सेवाएं उन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 25 एफ० के अधीन क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करके 1 1 नवम्बर, 1972 से समाप्त कर दी गई है।

(ग) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

(घ) जी नहीं।

अपने निर्यात प्रोत्साहन लाइसेंसों का दुरुपयोग करने वाली फर्मों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

5473. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में कई फर्में अपने निर्यात प्रोत्साहन लाइसेंसों का दुरुपयोग कर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष, ऐसे कितने मामलों का पता लगाया गया जिनमें निर्यात प्रोत्साहन लाइसेंसों का दुरुपयोग किया गया ; और

(ग) क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है और यदि हां, तो क्या ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) कुछ मामलों में निर्यातों के आधार पर जारी किये गये आयात लाइसेंसों के अधिकाधिक दुरुपयोग की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) तथा (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम में दैनिक मजदूर पर काम कर रहे व्यक्ति

5474. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम, नई दिल्ली में दैनिक मजूरी पर कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं और उनमें से कितने व्यक्तियों ने तीन वर्ष से अधिक की सेवा अवधि पूरी कर ली है ;

(ख) क्या जिन पदों पर वे काम कर रहे हैं उन पदों के लिये निर्धारित शिक्षा सम्बन्धी योग्यताओं को वे पूरा करते हैं ;

(ग) क्या किन्हीं ऐसे व्यक्तियों को नियमित किया गया है और यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को और कितनी अवधि के बाद ; और

(घ) क्या अन्य व्यक्तियों को नियमित करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रहीं है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) उनतीस । उनमें से किसी ने भी लगातार तीन वर्ष से अधिक सेवा नहीं की ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) उनमे से किसी को भी नियमित करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है क्योंकि इनमें से कोई भी स्थायी नियुक्ति के लिये योग्य नहीं है ।

स्वेज और अलेकजेंड्रिया के बीच स्थल सेतु (लैंड ब्रिज) के माध्यम से भारत का माल भेजने की संयुक्त अरब गणराज्य सरकार की पेशकश

5475. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त अरब गणराज्य सरकार ने स्वेज और अलेकजेंडिरिया के बीच स्थल सेतु के माध्यम से भारत का माल भेजने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त पेशकश की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) जी, हां ।

(ख) स्थल-सेतु, लाल सागर में स्वेज बन्दरगाह और भूमध्य सागर में अलेकजेन्डरिया बन्दरगाह को मिलायेगा । स्वेज बन्दरगाह पर पहुंचाये जाने वाले माल को एलेकजेन्ड्रिया तक लारियों में ले जाया जाएगा और फिर वहां से आगे ले जाने के लिए उसका पुनः जहाजों में लदान किया

जाएगा। दिकैनाल शिपिंग एजेंसीज कम्पनी ने स्थल-सेतु के रास्ते ले जाने वाले सभी माल पर 12 डालर प्रति लदान पत्र पटन की एक समान दर नियत की है। ऐसा कहा जाता है कि इस प्रकार के अन्तर्गत जहाज तक माल का पहुंचाना, लाइटरेज, माल की उतराई-चढ़ाई, स्टोरेज, परिवहन, स्वेज तथा एलेकजेंड्रिया के बीच भूमार्ग सम्बन्धी प्रभार, सीमाशुल्क देनदारियां, निर्बाधित आदि जैसे प्रभार शामिल है। इसके अन्तर्गत युद्ध जोखिम बीमा तथा भूमार्ग परिवहन जोखिम सुरक्षा व्यवस्था भी शामिल होगी। इस प्रभारों के अन्तर्गत संगरोध प्रभार, पशु उत्पादों, कृष्य उत्पादों पर निरिक्षण शुल्क और 200 किग्रा० से अधिक बजन बाले पैकेजों के सम्बन्ध में तट पर क्रेन भाड़ा सम्बन्धी प्रभार शामिल नहीं होंगे। स्थल-सेतु द्वारा परिवहन की अवधि लगभग 3 दिन है।

(ग) स्कीम के ब्यौरे सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

इंडिया एयरलाइन्स की दिल्ली-गोरखपुर-दरभंगा-सिलीगुडी-गोहाटी स्थानों के लिए दैनिक अथवा द्विसाप्ताहिक सेवा का प्रस्ताव

5476. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स की दिल्ली-गोरखपुर-दरभंगा-सिलीगुड़ी-गोहाटी स्थानों के लिए एक दैनिक अथवा द्विसाप्ताहिक सेवा आरम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जमा राशि की तुलना में ऋण देने में कमी

5477. **श्री भोगेंद्र झा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल जमा राशि तथा ऋण देने संबन्धी नवीनतम स्थिति क्या है और गत तीन वर्षों में चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों में उनके विकास की स्थिति क्या थी तथा उसका विकास करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) क्या जमा राशि की तुलना में ऋण देने के सम्बन्ध में आनुपातिक कमी हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) सबसे हाल की तारीख अर्थात् 24 नवम्बर, 1972 को जिसके आकड़े उपलब्ध हैं, 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल जमा और अग्रिम की राशि क्रमश: 4465 करोड़ रुपये और 2913 करोड़ रुपये थी। 24 नवम्बर, 1972 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि में इन बैंकों की जमा में 64.8 प्रतिशत की और ऋणों में 57.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ग) सरकार, जमा और अग्रिमों पर लगातार निगरानी रखती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी वास्तविक उत्पादन प्रयत्नों के लिए ऋण उपलब्ध हो सके। जहां जरूरी है वहां जमा राशि जुटाने और ऋण-वितरण की गति में वृद्धि करने के लिए समुचित कदम उठाये जा रहे हैं।

मेवे के व्यापार के लिए राज्य व्यापार निगम में एक नई शाखा खोलना

5478. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने मेवे के व्यापार के लिए एक नई शाखा खोली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्यों के नाम क्या हैं तथा इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चाय बागान को नियंत्रण में लेने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को अनुदेश

5479. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को चाय बागान का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के सम्बन्ध में कोई अनुदेश जारी किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने चाय बागानों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया गया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा ब्रिटेन और पश्चिमी यूरोपीय देशों को भेजा गया प्रतिनिधिमंडल

5480. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद ने चमड़ा तथा चमड़े के माल के लिए बाजार खोजने के लिए ब्रिटेन और पश्चिमी यूरोपीय देशों को कोई प्रतिनिधिमंडल भेजा है ;

(ख) क्या किसी प्रतिनिधि ने सितम्बर, 1972 में पेरिस में हुए अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला में भाग लिया था ; और

(ग) यदि हां, तो उसमें भारत की क्या भूमिका रही ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद, मद्रास के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस वर्ष ब्रिटेन तथा पश्चिम यूरोपीय देशों का दौरा किया।

तैयार चमड़ा तथा चमड़ा निर्मित वस्तुओं की निर्यात संवर्धन परिषद, कानपुर के एक और प्रतिनिधि-मंडल ने भी ब्रिटेन को छोड़कर पश्चिम यूरोपीय देशों का दौरा किया ।

(ख) इन दोनों परिषदों ने इस मेले में भाग लिया ।

(ग) ये दौरे और मेले में भाग लिया जाना सफल रहे । भारतीय चमड़ा उद्योग का निर्यात निष्पादन बहुत प्रभावोत्पादक रहा है ।

सरकारी उपक्रमों के लिए पृथक कानून

5481. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्रों के लिए अलग कानून बनाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) (क) : नहीं, श्रीमान् ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

एशिया '72 मेले में भारतीय गुड़ियों में रुचि प्रकट करने वाले देशों के नाम

5482. **श्री पम्पन गौडा** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के क्या नाम हैं जिन्होंने एशिया '72 मेले में भारतीय गुड़ियों में रुचि प्रकट की है ; और

(ख) उन गुड़ियों के लिए कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के क्रयादेश प्राप्त हुए हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) बहुत से पश्चिम यूरोपीय देशों ने भारतीय गुड़ियों में दिलचस्पी दिखाई है ।

(ख) हमारे पास सुनिश्चित जानकारी नहीं है ।

आयातित काजू का आबंटन

5483. **श्री पम्पन गौडा** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यहबताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न राज्यों की वहां काजू उद्योग में लगे श्रमिकों की संख्या के अनुसार आयातित काजू की मात्रा आबंटन करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

एकाधिकार और प्रतिबन्धातमक व्यापार प्रक्रिया आयोग के प्रतिवेदन

5484. **श्री ई० बी० बिखे पाटिल** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में एकाधिकार और प्रतिबन्धातमक व्यापार प्रक्रिया आयोग ने कितने विशेष तदार्थ और वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किये और प्रत्येक प्रतिवेदन का विषय क्या है ;

(ख) जैसाकि एकाधिकार और प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित है, क्या सभी प्रतिवेदन संसद् के सभा पटलों पर रखे गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उनमें से कौन-कौन से प्रतिवेदन अब तक सभा पटल पर नहीं रखे गये हैं ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) (क) : एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम ने अभी सरकार को 20 प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं। इनमें, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग को 6 अगस्त, 1970 से 31 दिसम्बर, 1971 तक की अवधि के कार्यकरण की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट भी सम्मिलित है और 19 प्रतिवेदनों में एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अध्याय 3 के अन्तर्गत उसकी जांच के लिए संदर्भित एकाकी मामलों में आयोग की राय उदघोषित की गई है। जिन मामलों में आयोग ने अपनी राय प्रगट की है, उनके ब्यौरे दर्शाता हुआ, एक विवरण-पत्र संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-4146/72**]

(ख) आयोग की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट संसद के सभा पटलों पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(ग) एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग की धारा 62 के अन्तर्गत केवल अधिनियम के उपबन्ध के कार्यकरण से संबंधित सामान्य रिपोर्ट संसद के सभा पटलों पर प्रस्तुत करनी आवश्यक हैं न कि उनको व्यक्तिगत मामलों में जांच के लिए संदर्भित रिपोर्ट।

केरल में अधिक पूंजी निवेश के लिये जीवन बीमा निगम द्वारा की गई कार्यवाही

5485. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम केरल में विकास की असमानता को दूर करने के लिये वहां और अधिक पूंजी-निवेश करने के लिये कार्यवाही कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त पूंजी निवेश सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं तथा केरल में पूंजी निवेश करते समय जीवन बीमा निगम द्वारा क्या मानदण्ड अपनाये जायेंगे ; और

(ग) क्या बिवलोन जिले में भी पूंजी निवेश करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूप रेखा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तथा (ख) जीवन बीमा निगम सम्पूर्ण समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए अपने निवेशों का देश में सम्यक् विस्तार करता है। किसी राज्य में निवेश करते समय निगम इस बात का भी ध्यान रखता है कि उस राज्य में निवेश

के कितने उपलब्ध अवसर हैं, कितना बीमा कारोबार हुआ और कितना प्रीमियम इकट्ठा हुआ। जीवन बीमा निगम ने केरल राज्य में पर्याप्त निवेश किये हैं और उक्त राज्य में निगम के निवेश 31 मार्च 1972 को 53.70 करोड़ रुपये के थे, जो सब राज्यों में किये गये कुल निवेशों का 4.27 प्रतिशत है।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल की पूर्ति करने की योजनाओं के लिए विवलोन जिले की 13 पंचायतों को 1971-72 में 3.22 लाख रुपये के ऋणों की वास्तविक अदायगी की गयी। चालू वित्तीय वर्ष में कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

केरल में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना और कृषि कार्यों के लिए बैंकों द्वारा दिया गया ऋण

5486. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में जिलेवार अब तक राष्ट्रीकृत बैंकों की ग्रामीण क्षेत्र में कितनी शाखाएं खोली गई हैं ;

(ख) चालू वर्ष में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा केरल में कृषि कार्यों के लिये कितना ऋण दिया गया ;

(ग) क्या केरल राज्य में बैंकों द्वारा किसानों को दी जाने वाली ऋण सुविधाएं अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत कम है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

(ख) केरल में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि प्रयोजनों (बागानों को छोड़ कर) के लिये दिये गये 7 अग्रिमों की बकाया राशि 30 जून 1972 को 11.51 करोड़ रुपये थी।

(ग) जी, नहीं। केरल में कृषि के लिये बैंकों द्वारा किया गया पूंजी-निवेश प्रति हैक्टर राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है और विकसित राज्यों के साथ तुलना की जाय तो स्थिति अच्छी ही रहेगी।

(घ) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

केरल में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं का खोला जाना

5487. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल राज्य में खोली गयी राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं की संख्या का जिलेवार ब्यौरा क्या है और चौथीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रत्येक जिले में कितनी शाखाओं के खोले जाने की सम्भावना है ; और

(ख) त्रिवेन्द्रम, विवलोन, अलेप्पी और शेष केरल में प्रति व्यक्ति कितना बैंक ऋण दिया

गया और वहां कितनी राशि जमा हुई और केरल के पिछड़े जिलों को देश के अन्य भागों के स्तर पर लाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) उपलब्ध सूचना अनुबन्ध I में दी गयी है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4147/72]** यह उल्लेखनीय है कि शाखा विस्तार कार्यक्रम पंचवर्षीय आयोजनाओं के साथ साथ नहीं चलता है ।

(ख) उपलब्ध सूचना अनुबन्ध II में दी गयी है।। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4147/72]** अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के शाखा विस्तार कार्यक्रम पिछड़े जिलों को विशेष रूप से ध्यान में रख कर तैयार किये जाते हैं। वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं के विस्तार के साथ-साथ केरल के पिछड़े जिलों में भी बैंकिंग सुविधाओं के धीरे धीरे बढ़ाने की आशा है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा केरल में कृषकों से ऋण के लिए आवेदन पत्र

5488. **श्रीमती भार्गवो तनकप्पन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे केरल में वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 के दौरान कृषकों की ओर से ऋण के लिये कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए तथा अब तक अनिर्णित पड़े आवेदन पत्रों की संख्या कितनी है और उनके निपटान में विलम्ब के क्या कारण है ।

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : सम्भव सीमा तक सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मण्डी जिला (हिमाचल प्रदेश) में रिवालसर स्थान को सुन्दर बनाने का प्रस्ताव

5489 **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मण्डी जिले में हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थान रिवालसर में आवास के समुचित प्रबन्ध हैं ;

(ख) क्या वहां, स्थित झील की पवित्रता को सुरक्षित रखने तथा पर्यटकों को आकृष्ट करने हेतु उपसस्थल को सुन्दर बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य रूप रेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) रिवालसर में तीर्थ यात्रियों के लिये एक वन-विश्रामगृह, एक धर्मशाला और एक पंचायत-घर उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने वहां स्नान के लिये घाटों का, और एक सर्कुलर सड़क का निर्माण किया है, तथा झील के ड्रेजिंग (निर्षकण अर्थात् नीचे बैठी कीचड़, मिट्टी आदि निकालने) का कार्य हाथ में लिया जा रहा है।

जीवन बीमा निगम द्वारा हिमाचल प्रदेश में पूंजी निवेश

5490. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकास सम्बन्धी असमानता दूर करने के लिए जीवन बीमा निगम, हिमाचल प्रदेश में पूंजी का निवेश कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो पूंजी निवेश सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और हिमाचल प्रदेश में पूंजी का निवेश करते समय जीवन बीमा निगम द्वारा क्या आधार अपनाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) जीवन बीमा निगम सम्पूर्ण समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए, अपने निवेशों का देश भर में विस्तार करता है। किसी राज्य में निवेश करते समय निगम इस बात का ध्यान रखता है कि उस राज्य में निवेश के उपलब्ध अवसर कैसे हैं तथा उसमें कितना बीमा कारोबार हुआ और कितनी प्रीमियम आय इकट्ठी हुई , हिमाचल प्रदेश में अभी तक निवेश के उपलब्ध अवसर सीमिति होने के कारण उस राज्य में 31-3-1972 की स्थिति के अनुसार 44 लाख रुपये का अपेक्षाकृत अल्प निवेश हुआ है। चालू वित्तीय वर्ष में जीवन बीमा निगम ने हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के ऋण में 34 लाख रुपये लगाये हैं। जीवन बीमा निगम ने राज्य सरकार को निवेश के विभिन्न अन्य क्षेत्रों के बारे में भी सूचित किया है जिनके लिए वह निधियों की व्यवस्था कर सकता है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा हिमाचल प्रदेश में कृषकों तथा लघु उद्योगों को ऋण दिया जाना

5491. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य में वर्ष 1970-71 और 1971-72 में, जिलावार, कृषकों तथा लघु उद्योगपतियों को कुल कितने ऋण दिये गये ; और

(ख) इन श्रेणियों के उन आवेदकों की संख्या कितनी है जिनके आवेदन-पत्र इस समय अनिर्णीत पड़े हैं और उनके निपटान में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) सम्भव सीमा तक सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

बिहार में राजगीर को विमान सेवा द्वारा जोड़ना

5492. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में राजगीर के बढ़ते हुए महत्व को देखते हुए उसे विमान सेवा द्वारा जोड़ने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना बनाई गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक सौन्दर्य का ज्ञान कराने के लिए प्रचार सामग्री

5493. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक सौन्दर्य का ज्ञान कराने के लिए कोई प्रचार सामग्री प्रकाशित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रकाशित प्रकाशनों के नाम क्या हैं और वे किन-किन भाषाओं में प्रकाशित किए गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी. हां । पर्यटन विभाग ने हिमाचल प्रदेश पर निम्नलिखित प्रचार सामग्री प्रकाशित की है :

(i) हिमायलन हालीडे इंसर्ट (अंग्रेजी) । यह हिमाचल प्रदेश के महत्वपुर्ण स्थानों के बारे में है, जैसे कुल्लू, भनाली, धर्मशाला, कसौली, शिमला और डलहौजी ।

(ii) शिमला, कुल्लू, मनाली फोल्डर (अंग्रेजी)

(iii) कुल्लू सुन्दरी (पोस्टर)

(iv) फिल्म (अंग्रेजी)

हिमालय पर्वत पर अवकाश यापन

चालू वर्ष के दौरान किये गये करार

5494. **श्री एस० एस० जोजफ** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष के दौरान विदेशों के साथ किये गये व्यापार करारों की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : 1972 के दौरान विदेशों के साथ हस्ताक्षरित व्यापार करारों/प्रबन्धों की मुख्य बातें दर्शाने वाला विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4148/72]**

सट्टा बाजार के केन्द्रों पर छापे

5495. **श्री शशि भूषण** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में नवम्बर, 1972 के अन्तिम सप्ताह में सट्टा-बाजार के केन्द्रों पर छापे मारे गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या-क्या दस्तावेज पकड़े गये ;

(ग) क्या सरकार ने उक्त छापा-कार्यवाही के कार्यभारी पुलिस अधीक्षक के इस वक्तव्य पर

ध्यान दिया है है कि इस अवैध सट्टा-बाचार से सम्बन्धित लोग स्थानीय पुलिस तथा डाक व तार कर्मचारियों के साथ मिल कर अपनी गतिविधि चलाते हैं तथा उन व्यक्तियों के बीच प्रतिमास लगभग 25,000 रुपये का वितरण होता है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में विशेष रूप से क्या कार्यवाही की जायेगी ?

वित्त मन्त्रालय में राजमन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) आय-कर विभाग द्वारा वायदा व्यापार केन्द्रों पर नवम्बर के अंतिम सप्ताह में दिल्ली में कोई छापा नहीं मारा गया ।

(ख) से (घ) : यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

फोर्ड फाउन्डेशन के अधिकारियों को राजनयिक विमुक्तियां

5496. **श्री शशि भूषण** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फोर्ड फाउन्डेशन के अधिकारियों को राजनयिक विमुक्तियां दी गई हैं, यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है तथा उनमें से प्रत्येक को किस प्रकार की सुविधायें प्रदान की गई हैं ;

(ख) क्या यह सुनिश्चय कर लिया गया है कि ये अधिकारी इन सुविधाओं का दुरुपयोग न करें और यदि दुरुपयोग का सरकार को पता चला है, तो उसने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या इस प्रकार की सुविधायें एशिया फाउन्डेशन के अधिकारियों को भी दी गई थीं परन्तु बाद में वापस ले ली गई थीं और यदि हां, तो उक्त सुविधायें वापस लेने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या उक्त कारण फोर्ड फाउन्डेशन के अधिकारियों पर लागू होते हैं और यदि हां, तो क्या उनसे भी उक्त सुविधायें वापस लेने का विचार है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) राजनयिक विमुक्तियां से अभिप्राय है मिशन के परिसर और राजनयिक अभिकर्ता के निजी निवास स्थान की अलंघनीयता: दांडिक अधिकारित से विमुक्ति: कुछ मामलों को छोड़ कर असैनिक और प्रशासकीय अधिकारिता से विमुक्ति: पुलिस अधिकारिता और सपीना आदि से छूट जो वियना अभिसमय के अन्तर्गत आते हैं । फोर्ड फाउन्डेशन के कर्मचारियों को इस प्रकार की कोई भी राजनयिक छूट नहीं दी जाती ।

(ख) : यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(ग) : इस सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी जा रही है ।

(घ) : भाग (क) में दिये गये उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

अधिक वसूल किये गये आयकर को वापिस देना

5497. **श्री शशि भूषण** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन सरकारी कर्मचारियों के मामलों में अधिक आयकर उनके वेतन में से काट

लिया जाता है और नियोक्ताओं द्वारा सरकार के पास जमा करा दिया जाता है, उन्हें कहा गया है कि वे काटी गई अधिक राशि को वापिस लेने के लिये आवेदन-पत्र दें और अधिक राशि का अगले वर्ष के आयकर के साथ समायोजन नहीं किया जाता ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि आय-कर की काटी गई अधिक राशि को सरकार से वापिस लेने में कर्मचारियों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ; और

(ग) क्या सरकार का इस प्रकार काटी गई अधिक राशि को अगले वर्ष के आय-कर में समायोजित करने की सम्भावनाओं पर विचार करने और प्रभावित कर्मचारियों को हो रही आवश्यक परेशानी से बचाने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राजमन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सरकारी तथा गैर-सरकारी कर्मचारियों के वेतनों पर देय आयकर स्रोत पर काटा जाता है । साधारणतः, कर की अधिक कटौती के कोई मामले नहीं होने चाहिए । लेकिन जहां भी गलत हिसाब-किताब अथवा अन्यथा कारणों से अधिक कटौती हो जाती है, वहां अतिरिक्त रकम का अगले वर्ष के आय-कर में समायोजन नहीं किया जाता और सम्बन्धित व्यक्ति को वापसी का दावा करने के लिए विवरणी दाखिल करनी पड़ती है ।

(ख) ऐसी विवरणियों के दाखिल करने से उत्पन्न वापसी के दावों पर आमतौर पर विभाग द्वारा शीघ्रता से कार्यवाही की जाती है । लेकिन ऐसे छुट-पुट मामले भी होते हैं, जहां वापसी के दावों के निपटान में देर लग जाती है । आगामी वर्ष में दावे की आवश्यकता को सरकारी कर्मचारी स्वयं यह सुनिश्चित करके टाल सकता है कि वर्ष के दौरान उसे दिए गए वेतन से कर की सही और उचित कटौती की गयी है ।

(ग) जी, नहीं ।

भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंटों को मोटर गाड़ियां खरीदने के लिए ऋण देना

5498. **श्री शशि भूषण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम अपने एजेण्टों को मोटर गाड़ियां खरीदने के लिए ऋण देता है ;

(ख) यदि हां, तो ऋण के रूप में दी जाने वाली राशि कितनी है तथा उस पर कितना ब्याज लिया जाता है ; और

(ग) इस प्रकार मंजूर किये जाने वाले मोटर-गाड़ी ऋण की शर्तें क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हाँ ।

(ख) **मोटर कार के मामले में** : निम्नलिखित रकमों में से निम्नतम रकम की पेशगी दी जाती है :—

(I) एजेन्ट की पिछले वर्ष में नवीकरण कमीशन की रकम ;

(II) यदि एजेन्ट को काम करते हुए 5 साल से कम हुए हैं तो 10,000 रु० और यदि काम करते हुए 5 साल या अधिक हुए हैं तो 15,000 रुपये ;

(III) नई गाड़ी के क्रय मूल्य का $\frac{3}{4}$ भाग ; अथवा पुरानी गाड़ी के (जो छः साल से अधिक पुरानी नहीं हो) क्रय मूल्य का $\frac{2}{3}$ भाग ।

परन्तु जो पजेन्ट चेअरमेन क्लब के सदस्य हैं, उनके मामले में निम्नलिखित रकमों में से निम्नतर रकम की पेशगी दी जाती है :—

(I) पिछले 2 वर्षों का नवीकरण कमीशन ;

(II) नई गाड़ी का पूरा क्रय मूल्य ;

मोटर साइकिल/स्कूटर के मामले में : निम्नलिखित रकमों में से न्यूनतम :

(I) पिछले साल का नवीकरण कमीशन ;

(II) मोटर साइकिल के लिए 3,000 रुपये/स्कूटर के लिए 2,000 रु०

(III) नये वाहन के लिए क्रय मूल्य का $\frac{3}{4}$ भाग अथवा पुराने वाहन के लिये (जो 3 वर्ष से अधिक पुराना नही हो) क्रय मूल्य का $\frac{2}{3}$ भाग ये पेशगियां बिला व्याज हैं ।

(ग) पेशगियां मिलने की शर्तें आदि निम्नानुसार हैं :—

मोटर कार :—

(I) यदि एजेन्ट ने तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष में 4 लाख का कारोबार दिया है तो पेशगी, भाड़ा किस्तों में खरीद करार के अन्तर्गत, 5 वर्षों में फैलाकर वापस होनी है ।

(II) दूसरे मामलों में यदि एजेन्ट ने कम से कम 3 साल कामकिया है, और यदि वह स्टाम्प पर करारनामा और उसके साथ गारंटी का बन्ध पत्र देता है तो पेशगी 18 मासिक किस्तों में वापस होनी है ।

(III) एजेन्ट के लिए यह अधिकार-पत्र पेश करना आवश्यक है कि पेशगी की रकम कमीशन की रकमों में से वसूल की जा सकती है ।

(IV) बीमा प्रीमियम और सड़क-कर एजेन्ट अदा करेगा ।

(V) पुरानी गाड़ियों के मामले में दो प्रसिद्ध गैराजों से उसकी हालत और बाजार मूल्य के बारे प्रमाण पत्र पेश करना आवश्यक है । एजेन्ट के लिए क्षति-पूरण बन्ध पत्र पेश करना भी आवश्यक है ।

(VI) भाड़ा किस्तों में खरीद के करारनामे पर लगनेवाला स्टाम्प-शुल्क एजेन्ट बरदाश्त करेगा ।

(VII) सामान्यतः वर्तमान मोटर कार को 8 वर्ष तक काम में लेने से पहले अथवा गाड़ी काम में लेने के अयोग्य हो जाने से पहले दूसरी पेशगी नहीं दी जाती है ।

मोटर साइकिलें/स्कूटर :

(I) एजेन्ट ने तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष में 2 लाख रुपये का कारोबार दिया हो ;

(II) पेशगी तीन वर्ष की अवधि में वापस कर दी जायगी ।

(III) बीमा का प्रीमियम और सड़क-कर एजेन्ट अदा करेगा ।

(IV) एजेन्ट भाड़ा-किस्तों में खरीद का करारनामा करेगा ।

(V) सामान्यतः, पांच साल के अन्दर दूसरी पेशगी तब तक नहीं दी जाती है जब तक वर्तमान वाहन काम के अयोग्य नहीं हो जाय अथवा एजेन्ट मोटर कार नहीं लेना चाहे ।

चेअरमेन क्लब का सदस्य वह एजेन्ट बन सकता है, जिसने सदस्यता वर्ष के पूर्ववर्ती 5 में से कम से कम 4 वर्षों में 150 जीवन पर 20 लाख रुपये का शुद्ध बीमा कारोबार दिया हो, अथवा जिसने 20,000 रु० का नवीकरण कमीशन और 15,000 रु० का प्रथम-वर्षीय कमीशन अर्जित किया हो और सदस्यता वर्ष के पूर्ववर्ती 3 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के अन्त में जिसकी कम से कम 450 जीवन पर बीमा की हुई पालिसियां चालू हों ।

नई दिल्ली स्थित कोका कोला निर्यात निगम द्वारा मुख्य कार्यालय खर्च के रूप में धनराशि की अदायगी

5499. **श्री एस० ए० मुरूगनन्तम** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली स्थित कोका-कोला निर्यात निगम, न्यूयार्क स्थित कोका कोला कम्पनी को उसके मुख्य कार्यालय के खर्च के लिए अंशदान के रूप में किस फार्मूले के अनुसार धनराशि की अदायगी करता है ;

(ख) नई दिल्ली स्थित कोका कोला निर्यात निगम न्यूयार्क-स्थित मुख्य कार्यालय के खर्च के कितने भाग की अदायगी करता है तथा सरकार इस खर्च की अदायगी की जांच किस प्रकार करती है और उससे भारत को क्या लाभ होता है ;

(ग) क्या खर्च के उक्त अंशदान में राजनैतिक दलों को चन्दे, धर्मार्थ चन्दें तथा जलपान खर्च की कर-रहित राशियां भी शामिल हैं तथा इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ; और

(घ) इस कम्पनी द्वारा भारत में लगाई गई मूल पूंजी की तुलना में वर्ष 1969 से 1971 तक लाभ व हानि के तुलन पत्रों (बैलेंस शीट्स) में पहले से ही वर्णित मुख्य कार्यालय के खर्च की प्रतिशतता कितनी है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन, नयी दिल्ली कोका कोला, लंदन को कोई राशि नहीं भेजता, कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन, नयी दिल्ली सभी रकमें, कोका कोला कारपोरेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका को भेजता है । इस संबंध में स्थिति यह है कि कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व के विभिन्न भागों में, जिनमें लंदन भी शामिल है, कई क्षेत्रीय कार्यालय खोल रखे हैं जो प्रधान कार्यालय के अधीनस्थ कार्यालयों के रूप में काम करते हैं और ऐसे कार्य करते हैं जो उन्हें प्रधान कार्यालय द्वारा सौंपे गए हों । अन्य बातों के साथ-साथ प्रधान कार्यालय के मुख्य काम ये हैं :— (क) विदेशी कारबार का प्रबन्ध (ख) कार्य संचालन नीतियों का निर्माण (ग) निर्यात बाजारों का विकास

(घ) विशेषज्ञ और तकनीकी सलाह देना और मार्ग दर्शन करना (ङ) समुद्रपारीय शाखाओं और उनके ग्राहकों को मशीनों की खरीद और उनके लदान के संबंध में सहायता देना ।

कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन को नयी दिल्ली स्थित शाखा कार्यालय, प्रधान कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय अर्थात् दोनों से परामर्श प्राप्त करता है जैसाकि ऊपर बताया गया है ।

प्रधान कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय का व्यय संसार भर में फैली शाखाओं की बिक्री से प्राप्त राशियों के आधार पर यथानुपात बांट दिया जाता है । कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन के अनुसार व्यय के निर्धारण की यह प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका के आन्तरिक राजस्व विभाग को स्वीकार्य है । जहां तक भारत का संबंध है व्यय की इन रकमों के लिए आय से किए जाने वाले व्यय की ग्राह्यता के बारे में आयकर प्राधिकारियों से एक प्रमाणपत्र या कर-निर्धारण आदेश प्रस्तुत करना पड़ता है और भारतीय रिजर्व बैंक इस आधार पर प्रेषणाओं की अनुमति देता है ।

(ग) जी, नहीं । कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन, नई दिल्ली ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि भारत में राजनीतिक तथा धार्मिक संस्थाओं को दी गयी दान की रकमें, प्रधान कार्यालय व्यय/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय में शामिल नहीं की जाती । कारपोरेशन ने यह भी कहा है कि उसने भारत में राजनीतिक संस्थाओं को कोई दान नहीं दिया है ।

(घ) 1958 में भारत में शाखा कार्यालय के खोले जाने पर प्रधान कार्यालय द्वारा प्रारम्भ में लगायी गयी पूंजी, नियोजित पूंजी तथा गत तीन वर्षों में भारतीय शाखा द्वारा देय प्रधान कार्यालय व्यय/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

	1969	1970	1971
मूल पूंजी	6.61	6.61	6.61
नियोजित पूंजी*	144.14	170.55	272.13
प्रधान कार्यालय व्यय	18.42	22.65	26.17
क्षेत्रीय कार्यालय व्यय	15.32	15.42	15.99

*नियोजित पूजी में शुरू में लगाई गयी मूल पूँजी, प्रधान कार्यालय को देय पूंजी, अर्जित अधि-शेष और विकास छूट प्रारक्षित निधि की रकमें शामिल हैं ।

विदेशी कम्पनियों द्वारा शेयरों का जारी करना

5500. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी स्वत्वधारी कम्पनियों जैसे इण्डियन टोबेको कम्पनी, ग्लैक्सो, रेकिट एण्ड कोलमेन आफ इण्डिया, हिन्दुस्तान लिवर, ब्रिटेनिया बिस्किट्स को भारत सरकार ने उनकी विदेशी सहयोगी कम्पनियों द्वारा अपने व्यापारिक नाम का उपयोग करने हेतु शेयर जारी करने की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में इस प्रकार जारी किए गये शेयरों पर लाभांश के रूप में कितना धन विदेश भेजा गया ;

(ग) क्या सरकार उपभोक्ता उत्पादों के सम्बन्ध में व्यापारिक नाम का प्रयोग करने के लिए रायल्टी का भुगतान करने की अनुमति देती है ; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और जितनी उपलब्ध होगी उतनी लोक सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

(ग) और (घ) : सरकार की मौजूदा नीति यह नहीं है कि देश में बिक्री के उद्देश्य से उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण के हेतु व्यापारिक नामों के उपयोग के लिए रायल्टी की अदायगी की अनुमति दी जाय । परन्तु, विदेशी मुद्रा कमाने की दृष्टि से प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ऐसे उत्पादों के निर्यात पर कमीशन/रायल्टी की अनुमति दी जाती है ।

कोका कोला निर्यात निगम, नई दिल्ली द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय (सेवा शुल्क) व्यय का विदेश भेजा जाना

5501. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोका कोला, लंदन (भूतपूर्व) क्षेत्रीय कार्यालय (सेवा शुल्कों) के व्यय के उसके अंश के रूप में कोका कोला निर्यात निगम, नई दिल्ली उसे किस सूत्र के अनुसार राशि भेजता है ;

(ख) क्षेत्रीय कार्यालय, लंदन के कितने व्यय में कोका कोला निर्यात निगम, नई दिल्ली द्वारा हिस्सा बटाया जाता है और सरकार यह जांच किस प्रकार करती है कि ये खर्चे बांटे जाने हैं और भारत को इससे क्या मिलता है ;

(ग) क्या इस प्रकार बांटे गये क्षेत्रीय कार्यालय के खर्चों में राजनीतिक दलों को दान, धार्मिक दान, मनोरंजन व्यय जैसी कर-निर्धारण की मदें शामिल नहीं होतीं ; इस बारे में भारत सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) इस कम्पनी द्वारा भारत में किये गये मूल-पूँजी निवेश की तुलना में, 1969 से 1971 तक के तुलन मदों में दिये गये ए० ओ० का प्रतिशत क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन, नयी दिल्ली कोका कोला, लंदन को कोई राशि नहीं भेजता । कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन, नयी दिल्ली सभी रकमें, कोका कोला कारपोरेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका को भेजता है । इस संबंध में स्थिति यह है कि कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व के विभिन्न भागों में, जिनमें लंदन भी शामिल है, कई क्षेत्रीय कार्यालय खोल रखे हैं जो प्रधान कार्यालय के अधीनस्थ कार्यालयों के रूप में काम करते हैं और ऐसे कार्य करते हैं जो उन्हे प्रधान कार्यालय द्वारा सौपे गए हों । अन्य बातों के साथ-साथ प्रधान कार्यालय के मुख्य काम ये हैं :— (क) विदेशी कारबार का प्रबन्ध (ख) कार्य संचालन नीतियों का निर्माण (ग) निर्यात बाजारों का विकास (घ) विशेषज्ञ और तकनीकी सलाह देना और मार्ग दर्शन करना (ङ) समुद्रपारीय शाखाओं और उनके ग्राहकों को मशीनों की खरीद और उनके लदान के संबंध में सहायता देना ।

कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन की नयी दिल्ली स्थित शाखा कार्यालय, प्रधान कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय अर्थात् दोनों से परामर्श प्राप्त करता है जैसाकि ऊपर बताया गया है ।

प्रधान कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय का व्यय संसार भर में फैली शाखाओं की बिक्री से प्राप्त राशियों के आधार पर यथानुपात बांट दिया जाता है। कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन के अनुसार व्यय के निर्धारण की यह प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका के आन्तरिक राजस्व विभाग को स्वीकार्य है। जहां तक भारत का संबंध है व्यय की इन रकमों के लिए आय से किए जाने वाले व्यय की ग्राह्यता के बारे में आयकर प्राधिकारियों से एक प्रमाणपत्र या कर-निर्धारण आदेश प्रस्तुत करना पड़ता है और भारतीय रिजर्व बैंक इस आधार पर प्रेषणाओं की अनुमति देता है।

(ग) जी, नहीं। कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन, नई दिल्ली ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि भारत में राजनीतिक तथा धार्मिक संस्थाओं को दी गयी दान की रकमें, प्रधान कार्यालय व्यय/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय में शामिल नहीं की जातीं। कारपोरेशन ने यह भी कहा है कि उसने भारत में राजनीतिक संस्थाओं को कोई दान नहीं दिया है।

(घ) 1958 में भारत में शाखा कार्यालय के खोले जाने पर प्रधान कार्यालय द्वारा प्रारम्भ में लगायी गयी पूंजी, नियोजित पूंजी तथा गत तीन वर्षों में भारतीय शाखा द्वारा देय प्रधान कार्यालय व्यय/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

	1969	1970	1971
मूल पूंजी	6.61	6.61	6.61
नियोजित पूंजी*	144.14	170.55	272.13
प्रधान कार्यालय व्यय	18.42	22.65	26.17
क्षेत्रीय कार्यालय व्यय	15.32	15.42	15.99

*नियोजित पूंजी में शुरू में लगाई गयी मूल पूंजी, प्रधान कार्यालय को देय पूंजी। अर्जित अधि-शेष और विकास छूट प्रारक्षित निधि की रकमें शामिल हैं।

नारियल जटा और नारियल जटा उत्पादों के निर्यात में कमी

5502. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में नारियल जटा और नारियल जटा उत्पादों का कुल कितना निर्यात किया गया ; और

(ख) क्या इनके निर्यात में कोई कमी हुई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) विगत दो वर्षों के दौरान कयर तथा कयर उत्पादों का कुल निर्यात निम्नांकित है : —

	मात्रा (मी० टन)	मूल्य (लाख रुपये)
1970-71	52,218	13.87
1971-72	52,312	14.85

(ख) जी नहीं।

Rate of Commission to Agents of General Insurance

5503. **Shri Arvind M. Patel :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the rate of comission being given to the agents on premium of various kinds of insuranse after the nationalisation of General Insurance ; and

(b) whether Government propose to increase the amount of commission being paid to the agents ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Smt. Sushila Rohatgi) (a) and (b) : Section 40A (3) of the Insurance Act, 1938 provides that the commissson payable to an insurance agent in respect of any policy of General Insurance shall not exceed—

(a) where the policy relates to fire or marine insurance, five per cent of the premium payable on the policy ; and

(b) where the policy relates to miscellaneous insurance, ten per cent of the premium payable on the policy.

The question whether, and to what extent, the above provisions should apply after nationalisation is under consideration.

Agricultural Advances by Nationalised Banks to Farmers

5504. **Shri Arvind M. Patel :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the percentage of total advances given as agricultural advance to farmers by the nationalised banks during the last year ; and

(b) whether Government propose to issue instructions to all the branches of all the nationalised banks to give agricultural advances ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Smt. Sushila Rohatgi) : (a) The percentage of direct agricultural advances to farmers (excluding plantations) to the total advances outstanding at the end of March, 1972, was 5.13. The percentage of total agricultural advances (direct as well as indirect) to the total advances outstanding at the same time was 7.80.

(b) The nationalised banks have been and are being constantly exhorted to advance loans to neglected and priority sectors including agriculture in increasing measure.

एशिया '72 के प्रचार कार्य का ठेका एक गैर-सरकारी फर्म को देना

5505. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :**

श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया '72 के प्रचार-कार्य का ठेका एक गैर-सरकारी फर्म को दिया गया है ;

(ख) यदि हा, तो गैर-सरकारी फर्म को ठेका देने के क्या कारण हैं जब कि सरकार का अपना प्रचार संगठन है तथा इसमें कितना रुपया खर्च होगा ; और

(ग) क्या वित्त मंत्रालय ने उक्त ठेके के संबंध में आपत्ति की है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) निःशुल्क प्रचार तथा दैनिक एशिया '72 के प्रकाशन सहित जनसंपर्क का ठेका मैसर्स कान्सीलियम प्रा० लि०, नई दिल्ली को दिया गया है ।

(ख) विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय, पत्र सूचना कार्यालय तथा फोटो विभाग सभी के माध्यम से सरकारी व्यवस्था का एशिया '72 के संगठन तथा संचालन से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए प्रयोग किया गया है। 40,000 रुपये के शुल्क से मैसर्स कान्सीलियम प्रा० लि० को जो ठेका दिया गया वह इन व्यवस्थाओं के पूरक के रूप में है।

(ग) जी नहीं।

Loans Advanced by Nationalised Banks in Rural Areas

5505. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of loans advanced by the nationalised banks in rural areas during the last three years ; and

(b) the purpose for which the loans were mainly advanced ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Smt. Sushila Rohatgi) : (a) and (b) The nationalised banks provide loans for the productive requirements of different sectors of the economy, from rural as well as urban areas. Figures, however, are not maintained separately advances exclusively flowing to rural areas for all sectors of the economy. Direct agricultural advances for which separate figures are available and which are advanced in rural areas as at the end of March, 1970, 1971 and 1972 are Rs. 80.44 crores, Rs. 127.64 crores and Rs. 150.29 crores respectively. These, however, do not represent the entire lending to rural sector.

Proposal for extending Air Services in Madhya Pradesh during 1972-73

5507. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

the names of the places in Madhya Pradesh to which Air Services are proposed to be extended during 1972-73 ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : The following places in Madhya Pradesh are airlinked :

1. Bhopal
2. Gwalior
3. Indore
4. Khajuraho
5. Raipur

There is no proposal to air-link any new station during 1972-73.

Setting up of Spinning Mills in Backward Districts

5508. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to set up Spining Mills in backward Districts ; and

(b) if so, the action taken or proposed to be taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) (a) and (b) A decision has been taken by Government to permit within the expansion programme of 2.5 million spindles, establishment of new spinning mills of 25,000 spindles in Co-ope-

rative or Public Sector selectively in Backward Districts so categorised for purposes of concessional finance from financing institutions. The criteria for selection would cover considerations of local availability of cotton grown in surrounding areas and the local demand for yarn provided by existence of handlooms/powerlooms near about the location of the mills.

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क कलक्टरी में हिन्दी अनुवादकों की नियुक्ति

5509. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री भोला नाथ मांझी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क कलक्टरी के प्रत्येक प्रधान कार्यालय में हिन्दी अनुवादक काम कर रहे हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क कलक्टरी के प्रधान कार्यालय में दो हिन्दी अनुवादक तथा प्रत्येक डिवीजनल कार्यालय में एक-एक अनुवादक नियुक्त करने का है जैसा कि अखिल भारतीय केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अराजपत्रित) मंत्रालय अधिकारी संघ ने मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

राष्ट्रीयकृत धंकों के कार्यकरण के सम्बन्ध में शिकायतें

5510. **श्री डी० पी० जदेजा :**
श्री वेकारिया :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के धीमे कार्यकरण के बारे में व्यापार संघों और वाणिज्य मण्डलों से कोई शिकायतें मिली हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) जी हां । राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्य-चालन के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित शिकायतें प्राप्त हुई हैं । इस प्रकार की शिकायतें विशेषकर वे शिकायतें जिनमें विशिष्ट उदाहरण दिये गये होते हैं भारतीय रिजर्व बैंक को ओर/अथवा सम्बन्धित बैंक को जांच पड़ताल और प्रतिकारात्मक कार्रवाई के लिए भेज दी जाती हैं ,

केन्द्रीय सहातया के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से ज्ञापन

5511. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य को 45.30 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता

देने के बारे में अनुरोध करते हुए बाढ़ तथा सूखे से हुई क्षति का मूल्यांकन करने के लिए पश्चिम बंगाल के दौरे पर गये केन्द्रीय दल के माध्यम से केन्द्रीय सरकार को एक ज्ञापन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय दल की सिफारिशों के आधार पर, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न राहत और पुनर्वास उपायों के लिए केन्द्रीय सहायता के प्रयोजनों के लिए 10.08 करोड़ रुपये की एक संशोधित अधिकतम सीमा निर्धारित की गयी है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता के रूप में 3 करोड़ रुपये की रकम दी जा चुकी है और अधिक रकम अधिकतम सीमा के अन्तर्गत, राज्य सरकार द्वारा सूचित व्यय की प्रगति के आधार पर दी जायगी ।

आंध्र प्रदेश में रेशम का उत्पादन

5512. **श्री के० कोडण्डा रामी रेड्डी** ; क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में आंध्र प्रदेश में कुल कितनी मात्रा में रेशम का उत्पादन हुआ ; और

(ख) क्या सरकार ने रायल सीमा क्षेत्र के पिछड़े हुए चित्तूर जिले में रेशम का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाये हैं ।

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क)

वर्ष	कच्चे रेशम का उत्पादन
	किग्रा०
1969-70	609
1970-71	495
1971-72	409

(ख) जी हां। 1972-73 के दौरान आंध्र प्रदेश में क्रियान्वित करने हेतु अनुपादित की गई शहतूती रेशम सम्बन्धी छः योजनाओं में से चार योजनाएं 2.55 लाख रुपए की कुल लागत से चित्तूर जिले में चलाई जा रही है ।

आन्ध्र प्रदेश की परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता

5513, **श्री के० कोडण्डा रामी रेड्डी** : क्या **वित्त** मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश की इन परियोजनाओं की संख्या तथा नाम क्या हैं जिनके लिए विश्व बैंक ने अब तक वित्तीय सहायता दी थी ;

(ख) परियोजना वार कितनी-कितनी राशि दी गई थी ;

(ग) उन परियोजनाओं की संख्या तथा नाम क्या हैं जिनके लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 1972-73 तथा उसके बाद के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी है ; और

(घ) क्या श्रीसेलम पन-बिजली परियोजना भी उनमें से एक है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) विश्व बैंक और उदार शर्तों पर ऋण देने वाली उससे सम्बद्ध संस्था अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने अब तक आन्ध्र प्रदेश की निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए सहायता दी है :—

कोटागुडम बिजली परियोजना I और II	—	339.7 लाख डालर
आन्ध्र प्रदेश कृषि ऋण परियोजना	—	244.0 लाख डालर
पोचमपद सिंचाई परियोजना	—	390 0 लाख डालर

इसके अतिरिक्त आन्ध्र द्रदेश बिजली बोर्ड के पारेषण (ट्रांसमिसन) उपकरणों की 127.5 लाख डालर तक की आवश्यक राशियां, प्रथम और द्वितीय बिजली पारेषण (ट्रांसमिसन) परियोजताओं के अंग के अन्तर्गत पूरी की गई है ।

(ग) ओर (घ) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार से कोई और प्रस्ताव नहीं मिला है ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा आन्ध्र प्रदेश का तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण

5514. **श्री के० कोडन्डा रामी रेड्डी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा प्रायोजित अध्ययन दल ने बीच आन्ध्र प्रदेश का तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण पूरा कर लिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका जिलेवार मूल्यांकन और सिफारिशें क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) और(ख) एक संयुक्त सस्थागत अध्ययन दल ने, जिसमें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, कृषि पुनर्वित्त निगम, आन्ध्र प्रदेश राज्य वित्त निगम सिण्डीकेट बैंक और आन्ध्र बैंक लिमिटेड के अधिकारी थे, सितम्बर, 1972 में आंध्र प्रदेश का तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण पूरा कर लिया है । अध्ययन दल आजकल एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण करने के काम में व्यस्त है और रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने तथा उसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को प्रस्तुत करने का काम बाकी है ।

गत तीन वर्षों में राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात किए गए विभिन्न किस्मों के ताजा फल

5515. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में राज्य व्यापार निगम द्वारा कौन-कौन से ताजा फलों का निर्यात किया गया ; और

(ख) यह निर्यात किन-किन देशों को किया गया और इसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) आम, लीची, सेब तथा सन्तरे ।

(ख) आमों का निर्यात ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, स्विटजरलैंड, स्वीडन, सिंगापुर, कुआलालुम्पूर, हांगकांग, कुवैत तथा बेरूत को, लीचियों का निर्यात ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी तथा स्विटजरलैंड को, सेबों का निर्यात ब्रिटेन तथा सन्तरों का निर्यात सिंगापुर को, किया जाता है । इनके निर्यातों से अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1969-70 से 1972-73 के वर्षों में आमों, लीचियों, सेबों तथा सन्तरों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा इस प्रकार थी :—

(हजार रुपयों में)

	आम	लीची	सेब	सन्तरे
1969-70	—	—	23	—
1970-71	159	31.5	—	6.5
1971-72	227	80	—	20
1972-73 (अदयतन)	623	27	—	—

Domestic Savings

5516. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whethe according to the Annual Report of the banks for the year 1971-72 the domestic sayings are going down ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the percentage of decline as compared to the previous year ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) No, Sir.

(b) and (c) : Does not arise.

Steps to increase income by Indian Airlines during the Year 1972

5517. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state ;

(a) whether the Indian Airlines has taken any steps to raise its ineome and if so, the nature thereof ; and

(b) the extent to which its annual income has increased during the year 1972 as a result thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation : (Dr. Karan Singh) (a) Yes, Sir, by increasing the ultilisation of their fleet and by launching a campaign to promote cargo traffic.

(b) During April to November, 1972 the operaring revenue was Rs. 44.41 crores, as against Rs. 35.49 crores during the corresponding period of 1971-72.

Officers sent on Study Tours during the Year 1971 and 1972 by Tourist Department

5518. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the name of Officers who were sent to foreign countries on Study Tours by the Tourist Department during the year 1971 and 1972 for studying the facilities in regard to Tourism ; and

(b) the period of their tour and the amount of expenditure incurred on them by the Tourist Department ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) (a) and (b) : A statement is attached. **[Placed in the Library. See. L-T No. 4150/72]**

Credit of Indian businessmen Abroad in the sphere of Foreign Trade

5519. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the number of countries with which India has foreign trade ;

(b) whether the credit of Indian businessmen abroad in the sphere of foreign trade has gone up as a result of their dealings ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) (a) India has foreign trade with 180 countries as listed in the D. G. C. I. & S's publication "Monthly Statistics of Foreign Trade of India."

(b) and (c) The fact that our exports to foreign countries have been increasing steadily as a fair indication of the credit of Indian businessmen abroad.

गैर-परम्परागत माल के लिए नई मण्डियों की खोज

5520. **श्री पी० गंगा देव :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का विचार अपने गैर-परम्परागत माल के विक्रय के लिये पश्चिम के विकसित देश के अतिरिक्त अन्य देशों में मण्डियों की खोज करने का है और यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य रूपरेखा क्या है ; और

(ख) क्या उसके फलस्वरूप छोटे परन्तु धनी देशों के साथ व्यापार बढ़ जायेगा ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) भारत की गैर-परम्परागत वस्तुओं के लिए नये बाजारों का पता लगाना एक सतत प्रक्रिया है । इस दिशा में किये गये प्रयासों का मोटे तौर से जो ब्यौरा है उसमें सम्मिलित हैं । व्यापार प्रबन्धों के बारे में वार्ताएं : उन्हें सम्पन्न करना, व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का विनिमय, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना, बिक्री-सह-अध्ययन दलों का प्रायोजन करना, औद्योगिक क्षेत्र में संयुक्त सहयोग स्थापित करना, वस्तु सर्वेक्षण का आयोजन करना आदि । यह आशा की जाती है कि ये

प्रयास गैर-परम्परागत क्षेत्र में विकासशील देशों के साथ हमारे व्यापार में वृद्धि करने में सहायक सिद्ध होंगे ।

दिल्ली स्थित पालम हवाई अड्डे पर विदेशियों के कब्जे से अफीम भांग (हशीश) का पकड़ा जाना

5521. **श्री पी० गंगा देव :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमाशुल्क अधिकारियों ने 20 नवम्बर, 1972 को दिल्ली स्थित पालम हवाई अड्डे पर विदेशियों के कब्जे से पांच किलो अफीम तथा आठ किलो भांग (हशीश) पकड़ी थी ;

(ख) यदि हां तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ; और

(ग) क्या उक्त व्यक्ति किसी अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह से सम्बन्धित हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राजमन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां । दिल्ली सीमाशुल्क अधिकारियों ने दिल्ली में पालम हवाई अड्डे पर 20 नवम्बर, 1972 को दो ब्रिटिश राष्ट्रिकों से 5.750 किलोग्राम अफीम और 8.575 किलोग्राम हशीश पकड़ी ।

(ख) दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया और अनिष्टकर औषधि द्रव्य अधिनियम, 1930 के अधीन उनके विरुद्ध मामले दर्ज किये गये । उन्हें मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत पर छोड़ दिया गया ।

(ग) जांच-पड़ताल जारी है ।

इण्डिडन एयरलाइन्स की हैदराबाद से कलकत्ता तक की एवरो उड़ान का 24-11-72 को भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर रद्द किया जाना

5522. **श्री पी० गंगादेब :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयर लाइन्स की हैदराबाद से कलकत्ता तक की 261-एवरो उड़ान को 24 नवम्बर, 1972 को भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर रद्द कर दिया गया था तथा विमान में एक बम पाया गया था ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) 25 नवम्बर, 1972 को इण्डियन एयरलाइन्स के एवरो विमान को, जोकि हैदराबाद-विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर

कलकत्ता मार्ग पर आई० सी०-262 उड़ान को परिचालित कर रहा था, भुवनेश्वर में रोक दिया गया क्योंकि उसे एक टेलीफोन संदेश प्राप्त हुआ था कि इसमें एक टाइम बम रखा हुआ था।

इण्डियन एयरलाइन्स के इन्जीनियरों तथा राज्य पुलिस के कार्मिकों ने यात्रियों तथा सामान की, जिसमें हाथ का सामान भी सम्मिलित था, तलाशी ली परन्तु कुछ भी असाधारण नहीं पाया। विमान द्वारा ले जाये जा रहे सामान को अगले दिन भेजने के लिए रोक दिया गया था।

भुवनेश्वर में उतारे गये यात्रियों को सहायतार्थ विमान द्वारा कलकत्ता लाया गया था।

इंडियन एयरलांइन्स के कलकत्ता से उड़ने वाले केरेवील विमान का मद्रास में 27 नवम्बर, 1972 को छतरी की सहायता से भूमि पर उतरना

5523. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता से उड़ने वाले इण्डियन एयर लाइन्स का केरेवील विमान 27 नवम्बर, 1972 को मद्रास में हवाई अड्डे के ऊपर लगभग तीस मिनट तक चक्कर लगाने के बाद छतरी की सहायता से भूमि पर उतरा था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या मौसम की खराबी के कारण उत्पन्न होने वाले संकट के समय विमान को बचाने का यह एक नया तरीका है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां। 27 नवम्बर, 1972 को इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ान आई० सी०-265 कलकत्ता-मद्रास को परिचालित करने वाले कारवेल विमान को अवतरण धावन को नियंत्रित करने के लिये छतरी (ड्रैग-शूट) का प्रयोग करना पड़ा।

(ख) ड्रैग शूट से सज्जित विमानों के लिये इस उपकरण से अवतरण-धावन को नियंत्रित करने की आम परिपाटी है।

भारतीय औजारों, अलार्म कलाकों तथा माल डिब्बों के लिए चैकोस्लोवाकिया का आर्डर

5524. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चैकोस्लोवाकिया ने भारतीय औजारों अलार्म क्लाकों तथा माल-डिब्बों के लिये आर्डर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसने कितने मूल्य का आर्डर दिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) यह पता चला है कि 3 नवम्बर से 17 दिसम्बर, 1972 तक नई दिल्ली में आयोजित तृतीय एशियाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के चालू रहने की अवधि के दौरान भारतीय पार्टियों द्वारा चैकोस्लोवाकिया के साथ 65 लाख रु० मूल्य के दस्ती औजारों और 25 लाख रु० मूल्य की अलार्म घड़ियों के निर्यात के लिए क्रयादेश बुक किए गए। चैकोस्लोवाकिया ने भारत से चैकोस्लोवाकिया को वैगनों के निर्यात के लिए कोई क्रयादेश नहीं दिया है।

सांताक्रुज हवाई अड्डे के निकट एक्सपोर्ट प्रोसैसिंग जोन की स्थापना का उद्देश्य

5525. **श्री गिरिधर गोमांगो :**

श्री प्रभुदास पटेल :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में शांताक्रुज हवाई अड्डे के निकट एलक्ट्रोनिक्स के लिये प्रस्तावित एक्सपोर्ट प्रोसैसिंग जोन पूर्णतया निर्यात उत्पादन का कार्य ही करेगा ; और

(ख) इस हवाई अड्डा इलैक्ट्रानिक्स परियोजना की स्थापना से क्या लाभप्रद उद्देश्य सिद्ध होगा ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) ऐसी आशा है कि एलैक्ट्रोनिक्स उपस्करों तथा संघटकों के निर्यातों में काफी वृद्धि हो जायेगी।

रूस के साथ व्यापार समझौता

5526. **श्री गिरिधर गोमांगो :**

श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत और रूस के बीच हाल में हुए व्यापार समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : 1973 के दौरान भारत और सोवियत संघ के बीच कुल व्यापार 411 करोड़ रु० से अधिक का होने की आशा है।

वर्ष 1973 के दौरान सोवियत संघ को किये जाने वाले भारतीय निर्यातों में, तेल रहित खली, काजू, गिरी, चाय, काफी, मसाले, तम्बाकू, सूती वस्त्र, पटसन से बना माल, हस्तशिल्प की वस्तुएं आदि जैसी परम्परागत वस्तुओं के अलावा, इंजीनियरी माल, उपभोक्ता माल तथा अन्य अपरम्परागत मदें जैसे सिले सिलाए परिधान, लिनोलियम, गैराज, उपस्कर, बिजली की मोटरों, स्टोरेज बैटरियां, पावर केबल, तार के रस्से, प्रक्षालक, अंगराग, रंजक पदार्थ, दस्ती औजार, शल्य चिकित्सा सम्बन्धी यन्त्र, वैकुम फ्लास्क आदि शामिल होंगी। 1973 के दौरान सोवियत संघ से भारत में आयात की जानेवाली प्रमुख मदें सोवियत संघ की सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए

संघटकों, फालतू पुर्जों तथा कच्ची सामग्री के अलावा सन्यन्त्र तथा मशीनें, पैट्रोलियम उत्पाद, औद्योगिक कच्चा माल जैसे एस्बेस्टोस, जस्ता, निकल, तांबा, पैलेडियम, उर्वरक, अखबारी कागज, रिफैक्ट्रॉं आदि होंगी ।

तृतीय संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का विकासशील देशों के लिए नवीन व्यापार और सहायता सम्बन्धी उपाय खोजने में असफल रहना

5527. **श्री के० बालदण्डायुतम :** क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन विकासशील देशों के लिये नवीन व्यापार और सहायता सम्बन्धी उपाय खोजने में असफल रहा है ;

(ख) क्या मण्डियों की खोज और मूल्य नीति के सम्बन्ध में कोई समझौता नहीं हो सका ;

(ग) क्या प्रशुल्क बाधाओं को हटाने के सम्बन्ध में कोई उल्लेखनींय प्रगति नहीं हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ) जी नहीं । व्यापार तथा विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र के तृतीय सम्मेलन ने व्यापार, मुद्रा सम्बन्धी मामलों तथा नौवहन के क्षेत्रों में अनेक लाभप्रद निर्णय किए जिनका उद्देश्य विकासशील देशों के व्यापार तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है । बाजार में प्रवेश तथा कीमत सम्बन्धी नीति पर सम्मेलन ने विकसित तथा विकासशील देशों द्वारा प्रस्तुत किए गए संकल्पों पर विचार करने के बाद यह विनिश्चय किया कि 1973 में वस्तुओं सम्बन्धी समिति की बैठक इस प्रयोजनार्थ बुलाई जाए कि वह 1970 की दशाब्दी में व्यापार के उदारीकरण तथा कीमत सम्बन्धी नीति पर ठोस तथा महत्वपूर्ण परिणामों को प्राप्त करने के उद्देश्य से विकासशील देशों की रुचि चुनी हुई वस्तुओं पर अन्तः सरकारी आधार पर सघन विचार-विमर्शों का आयोजन करे ।

जहां तक प्रशुल्क सम्बन्धी अवरोधों को समाप्त करने का सम्बन्ध है, विकासशील देशों ने अधिमानों की सामान्यकृत योजना के अन्तर्गत विकसित देशों द्वारा पहले से दी जा रही रियायतों में और अधिक वृद्धि करने की इच्छा अभिव्यक्त की । सम्मेलन विचार विमर्श करने के लिए अंकटाड के स्थायी तन्त्र के एक भाग के रूप में अधिमानों पर विशेष समिति स्थापित करने के लिए सहमत हुआ ताकि अधिमानों की सामान्यकृत योजना में और अधिक सुधार किए जा सकें।

भारतीय इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए कनाडा से मांग

5528. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा में भारतीय इंजीनियरिंग उत्पादों की काफी मांग है ; और

(ख) यदि हां, तो कनाडा की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु माल उत्पादित करने में भारत की निर्माण सम्बन्ध जानकारी की क्षमता क्या है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां। इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय इंजीनियरी माल की अच्छी मांग है।

(ख) जी हां। भारतीय विनिर्माण सम्बन्धी जानकारी कनाडा बाजार की आवश्ययकताओं को पूरा करने में समर्थ हैं।

लंदन में लगे आई० बी० एम० 360 कम्प्यूटरों के प्रयोग के लिये एयर इण्डिया का बी० ओ० ए० सी० के साथ करार

5529. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया ने लन्दन में लगे शक्तिशाली आई० बी० एम० 360 कम्प्यूटरों का प्रयोग करने के लिये बी० ओ० ए० सी० के साथ कोई करार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो करार की मोटी बातें क्या हैं और संचालन स्तर पर ये सुविधायें कब तक उपलब्ध हो जायेंगी।

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। एक करार के अन्तर्गत, जोकि दो वर्ष की अवधि के लिये वैध है, एयर इण्डिया यूरोप तथा यू० एस० ए० में अपने छः स्टेशनों अर्थात् लन्दन, न्यूयार्क, पैरिस, फ्रैंकफर्ट, जैनेवा तथा रोम को बी० ओ० ए० सी० के लंदन स्थित कम्प्यूटरों के साथ जोड़ेगी। इससे इन स्टेशनों पर तात्कालिक आरक्षण सुविधाओं की व्यवस्था हो जाएगी। कम्प्यूटर यात्रियों की उपस्थिति-पड़ताल (चैंक-इन) तथा हीथ से और कैनेडी विमानक्षेत्रों पर लोड और ट्रिप शीट करने में भी सहायता करेंगे। कम्प्यूटर-समय के प्रयोग, संचार तंत्र जाल तथा संधारण पर होने वाला व्यय लगभग 46 लाख रुपये वार्षिक होगा। इन सुविधाओं के 1974 की पहली तिमाही में चालू हो जाने की आशा है।

U. S. S. R.'s interest in Indian Engineering Goods

5530. **Shri M. S. Purty** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether the Soviet Union has shown more interest in our Engineering goods ; and if so, the types of Engineering goods in demand by the Soviet Union ; and

(b) the steps being taken by Government to increase the production of these articles with a view to meet the export requirements ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) (a) : Soviet Union has shown considerable interest in buying Indian engineering goods. They are buying aluminium wires and cables, storage and dry batteries, surgical instruments, wire ropes, EPNS wares, Iron and Steel products (beams and channels) Garage equipment, Petrol Metering and dispensing pumps, small tools and Hand Tools etc. Recently, interest has been shown in auto-ancillaries, textile machinery and spares etc.

(b) The present demand for engineering goods by USSR has generally been met from the existing capacity for production of such goods.

Role of Monopolies Commission in Checking Concentration of Economic Power

5531. **Shri M. S. Purty :** Will the Minister of **Company Affairs** be pleased to state :

(a) Whether Government have made an assessment of the effective role of Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission in checking the concentration of economic power ; and

(b) if so, the outcome thereof ?

The Minister of Company Affairs (Shri Raghunatha Reddy) (a) and (b) : The M. R. T. P. Act came into force on 1st June, 1970 and the Commission has been functioning with effect from 6th August, 1970. The annual Administrative Report on the working of the Commission for the period from 6th August, 1970 to 31st December, 1971 and the first annual report on the working of the M. R. T. P. Act have been laid before the Houses of Parliament pursuant to Section 62 of the M. R. T. P. Act, 1969.

Manufacture of Aluminium utensils by Melting of Small coins

5532. **Shri M. S. Purty :**
Chaudhury Dalip Singh :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that some persons are manufacturing Aluminium utensils by melting small coins ; and

(b) if so, the number of cases registered against such persons during the last two years and the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b) Government have of late not come across any reports regarding melting of small coins for manufacture of aluminium utensils. However, State Governments and Union Territories have been addressed in the matter and necessary information will be laid on the Table of the House as soon as possible.

इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा खरीद के लिए डगलस कम्पनी द्वारा निर्मित डी० सी०10 विमानों का मूल्यांकन

5533. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ महीने पूर्व उन्होंने सभा में यह आश्वासन दिया था कि सरकार डगलस कम्पनी द्वारा निर्मित विमानों को खरीदने पर विचार नहीं करेगी क्योंकि कम्पनी के प्रतिनिधि पर भारत में मुकदमा चल रहा है ;

(ख) क्या प्रतिनिधि मि० कोजारेक के विरुद्ध अभी भी मुकदमा चल रहा है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इण्डियन एयरलाइन्स की आगामी विस्तार योजना में खरीद के लिए जिन विमानों का मूल्यांकन किया जा रहा है उनमें डगलस कम्पनी (जिसको डोन्नेल डगलस कम्पनी

भी कहते हैं) द्वारा निर्मित डी० सी-10 विमान भी हैं जिनके व्यक्ति इण्डियन एयरलाइन्स के साथ बातचीत के लिए अभी दिल्ली में हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सभा में दिए गए आश्वासन से मुनकर होने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) जैसा कि क्रमशः 4-8-1972 तथा 11-8-1972 को लोक सभा में उत्तर दिये गये लिखित प्रश्न संख्या 996 तथा 1822 के उत्तर में कहा गया था, डी० सी-10 विमानों की खरीद का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । इण्डियन एयरलान्स अपने विमान बेड़े की भावी आवश्यकताओं की जांच कर रही है । प्राप्त किये जाने वाले विमानों की संख्या अथवा प्रकार पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ख) श्री कोजारेक के विरुद्ध मुकदमा अभी भी अदालत में चल रहा है ।

कोलार स्वर्ण खान

5534. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलार स्वर्ण खानें, जो भारत में सोना खनन का प्रमुख केन्द्र हैं, अपने निक्षेपों के शीघ्रता से समाप्त होने और परिणामतः कार्यकरण की ऊंची लागत के कारण धीरे-धीरे बन्द होने की स्थिति में आ रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) कोलार स्वर्ण खानों को जिन की कई दशाब्दियों से खुदाई हो रही है, भण्डार घटते जा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनके कार्यचालन का खर्च बढ़ गया है । परन्तु इन खानों को बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । लेकिन जब कभी इन खानों के किसी भाग को चलाना आर्थिक दृष्टि से बहुत मंहगा हो जाय, या सुरक्षा की दृष्टि से खुदाई सम्बन्धी स्थिति के कारण काम करना ठीक न हो, खानों के इन भागों को बन्द करना पड़ सकता है ।

(ख) भारत गोल्ड माइन्स प्राइवेट लिमिटेड ने नये खनिजों का पता लगाने और मौजूदा कार्य की उत्पादकता तथा कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से खानों का और अन्वेषण करने तथा उनका विकास करने की बहुत सी योजनाएं हाथ में ली हैं ।

बिड़ला जूट मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी के शेयर खरीदने के लिए जीवन बीमा निगम का प्रस्ताव

5535. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम का बिड़ला की एक कम्पनी अर्थात् बिड़ला जूट मैन्युफेक्चरिंग कम्पनी के अधिकांश शेयर खरीदने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव जीवन बीमा निगम के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

Avenues for promotion in Income Tax Department

5536. **Shri Srikrishna Agrawal** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the officers of Custom and Excise appointed through the Central examination of 1955 are holding the posts of Heads of Departments in the Department of Central Revenues whereas in the Income Tax Department of the same Ministry, corresponding positions have been reached by Officers taken through similar examinatin held as far back as 1946 ; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government to provide proper incentive to the Officers of the Income Tax Department ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) The last directly recruited Class I Officer who is officiating as Collector of Central Excise was recruited to the Indian Customs and Central Excise Service, Class I, through the Combined Competitive Examination, 1953. The last directly recruited Class I Officer, who is officiating as Commissioner of Income-tax, was recruited to the Indian Income-tax Service Class I, through through the Indian Audit and Accounts and Allied Services Examination, 1945.

(b) The promotion prospects in the various services depend upon the number of vacancies, the age group of Officers holding senior posts and the number of officers recruited at the point of entry into Class I. These conditions vary from service to service and from time to time.

Decision by India and Bangladesh to Export Jute on same Price

5537. **Shri Srikrishna Agarwal** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether India and Bangladesh have decided to export jute on same prices in order to avoid competition in the international jute trade ;

(b) if so, the salient features of the decision ; and

(c) the date since when this decision is likely to be effective ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) (a) : No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

अर्हता-प्राप्त उद्यमी योजना के अन्तर्गत स्टेट बैंक आफ पटियाला द्वारा लघु उद्योगों का वित्तपोषण

5538. **श्री मधु दण्डवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अर्हता प्राप्त उद्यमी योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों, विशेषकर स्टेट बैंक आफ इण्डिया के सहायक बैंक स्टेट बैंक आफ पटियाला द्वारा लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता देने में वर्ष 1971 और गत छः महीनों में कितनी प्रगति की गयी है ; और

(ख) स्टेट बैंक आफ पटियाला में इस योजना के अन्तर्गत कितने आवेदनपत्र विचाराधीन पड़े हैं इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों और अग्रिमों के सम्बन्ध में आंकड़े 'शिल्पी और अर्हता प्राप्त उद्यमकर्ता' मिश्रित श्रेणी के बारे में उपलब्ध हैं। इस श्रेणी के सम्बन्ध में दिसम्बर, 71 तथा मार्च, 72 के अन्त तक की सूचना नीचे दी गयी है :—

	एककों की संख्या	स्वीकृत सीमाएं (लाख रुपये)	बकाया शेष (लाख रुपये)
दिसम्बर, 71 के अन्त तक	6562	1684.61	983.52
मार्च, 72 के अन्त तक *	7881	2312.93	1446.72

स्टेट बैंक आफ पटियाला के सम्बन्ध में सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं। सम्भव सीमा तक उसे इकट्ठा किया जायगा तथा सभा पटल पर रख दिया जायगा।

सुनारों को दिये गये ऋण

5539. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुनारों से उनको उनके पुनर्वास के लिए दिये गये ऋणों को ब्याज सहित वापस ले लिया गया है ;

(ख) क्या वसूली करते समय ऋण देने वाले सुनारों की आस्तियों को भी जब्त कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो राज्यवार उनकी संख्या क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जायगी।

रत्नागिरी जिले में सीमाशुल्क कार्यालयों में काम करने वाले अर्जीनवीसों द्वारा जमानत जमा करना

5540. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रत्नागिरी जिले के विभिन्न सीमाशुल्क कार्यालयों में काम करने वाले अर्जीनवीसों से जमानत जमा करने को कहती रही है ;

(ख) क्या जमानत जमा न करने के कारण इन सीमा शुल्क कार्यालयों में काम कर रहे अर्जीनवीसों के लाइसेन्स रद्द कर दिए गये हैं अथवा वापस ले लिये गये हैं ; और

(ग) यदि हा, तो ऐसे अर्जीनवीसों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) रत्नागिरी जिले के सीमाशुल्क गृहों में कार्य कर रहे जिन 24 पास नोट लेखकों से 200 रुपए की जमानत मांगी गई थीं, उनमें से

*यह सब से हाल की तारीख है जिसके लिए आंकड़े इस समय उपलब्ध हैं।

केवल 4 पास नोट लेखकों ने जमानत जमा की है। इन चार पास नोट लेखकों को भी जमानत इस कारण लौटायी जा रही है कि समाहर्ता ने पूर्ववर्ती आदेश में संशोधन कर दिया है।

(ख) पास नोट लेखकों द्वारा जमानत की रकम की अदायगी नहीं किये जाने पर, न तो कोई लाइसेन्स रद्द किया गया है अथवा वापस ही लिया गया है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

निर्यात की गई वस्तुओं के बारे में विदेशों से शिकायतें

5541. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में विदेशों से उनको निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के बारे में शिकायतें मिली हैं ; और

(ख) यदि हां, तो शिकायतों का ब्यौरा क्या है और ऐसी फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जो ऐसी वस्तुओं का निर्यात करने के लिये जिम्मेदार पाई गई थीं जो नमूनों के अनुरूप नहीं थीं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) शिकायतें इस प्रकार की थीं–घटिया क्वालिटी का माल, सैम्पल के अनुसार माल का न होना, खराब हालत में माल का प्राप्त होना, असंगत क्वालिटी आदि। पिछले 7 महीनों में प्राप्त 45 शिकायतों में से 14 शिकायतें सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटा दी गई हैं और शेष 31 के बारे में उनको सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए निर्यातकों, निर्यात संवर्धन परिषदों तथा वाणिज्यिक जानकारी तथा अंक संकलन के महानिदेशक के बीच पत्र-व्यवहार चल रहा है।

कनाडा से विकास ऋण के लिए करार

5542. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :**

श्री प्रभुदास पटेल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 190 लाख डालर के विकास ऋण के लिए 23 नवम्बर, 1972 को कनाडा से करार हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या इस ऋण और अगस्त 1972 में वादा किए गये ऋण के अतिरिक्त कनाडा ने बम्बई, मद्रास और अन्य भारतीय पत्तनों के विकास के लिए इस प्रकार की सहायता देने पर विचार करने की इच्छा प्रकट की है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) जी, हां। ऋण में, कलकत्ता पत्तन की हल्दिया गोदी के लिए उर्वरकों के उठाने-धरने के यन्त्रों की कनाडा में खरीद किए जाने की व्यवस्था है। यह ऋण सामान्य नरम शर्तों पर दिया गया है और यह 10 वर्षों की रियायती अवधि सहित 50 वर्षों में चुकाया जाना है। ऋण पर कोई ब्याज सेवा अथवा वचनबद्धता प्रभार नहीं लगेगा।

(ग) जी, हां।

(घ) कनाडा सरकार ने अन्य पत्तनों के लिए ऐसी सहायता दिए जाने पर विचार करने के लिए जो रजामंदी प्रकट की है, सरकार उसका स्वागत करती है। सरकार अन्य पत्तनों पर ऐसी सुविधाएं स्थापित किए जाने की सम्भाव्यता की जांच कर रही है।

नारियल जटा उद्योग के विकास में पुनः गति लाने के लिये भारतीय विदेश व्यापार संस्थान की योजना

5543. **श्री वयालार रवि** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने केरल में नारियल जटा उद्योग में पुनः गति लाने और उसका विकास करने की कोई योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) भारतीय विदेश व्यापार सस्थान ने कयर तथा कयर आधारित उत्पादों के सम्बन्ध में भारत की निर्यात सम्भाव्यता का एक सर्वेक्षण किया। उन्होंने कयर उद्योग के विकास के सम्बन्ध में कुछ सिफारिशों की जोकि गवेषणा तथा विकास, सहकारी क्षेत्र में उत्पादन आधार को सरल तथा कारगर बनाये जाने, बिक्री संवर्धन तथा प्रचार, उत्पाद विकास आदि से सम्बन्धित थी। कयर बोर्ड ने गवेषणा तथा विकास के लिए पहले ही एक स्कीम तैयार कर ली है। केरल राज्य सरकार सहकारी क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए उपाय कर रही है। कि बिक्रियों को बढ़ाने के लिए नये प्रदर्शन कक्ष खोले जा रहे हैं। उत्पाद विकास का कार्य शुरू करने और अधिक प्रचार करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

मत्स्य उत्पादन तथा निर्यात सम्बन्धी विदेशी व्यापार को भारतीय संस्था की योजना

5544. **श्री वयालार रवि** . क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विदेश व्यापार संस्था ने मत्स्य के उत्पादन तथा निर्यात को बढ़ाने के लिये एक योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने मछली का उत्पादन तथा निर्यात बढ़ाने के लिए कोई योजना तैयार नहीं की है। तथापि, संस्थान ने, अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा सौंपे गए कार्यभार के अनुसार, वर्ष 1969 के दौरान समुद्री उत्पादों से सम्बन्धित भारत की निर्यात सम्भाव्यता का सर्वेक्षण पूरा करके मार्च, 1970 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी थी। इसमें निर्यात निष्पादन का एक विशेष स्तर प्राप्त करने के लिए समुद्री उत्पाद उद्योग के विकास हेतु निवेश के स्वरूप सहित एक नीति बनाने का सुझाव दिया गया है।

(ख) संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई सर्वेक्षण रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ साथ समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना बड़े गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों का प्रयोग आरम्भ करने, मछली पकड़ने के बड़े देश में बने जहाजों के सम्बन्ध में आर्थिक सहायता देने, मछली पकड़ने वाले जहाजों को बांडेड दरों पर डीजल आयल की सप्लाई करने की सिफारिश की गई थी। सरकार द्वारा समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण पहले ही स्थापित किया जा चुका है। कृषि मन्त्रालय ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के देश में बने जहाजों के सम्बन्ध में इनकी लागत के 27.5 प्रतिशत तक आर्थिक सहायता देने के लिए पहले ही अधिसूचित कर दिया है। ट्रालरों की आवश्यकताओं को पूरा करने सम्बन्धी एक योजना पर सरकार विचार कर रही है। निर्यात से सम्बद्ध मछली पकड़ने की यन्त्रीकृत नौकाओं तथा मछली पकड़ने के बड़े जहाजों के लिए शुल्क मुक्त डीजल आयल प्रदान करने के बारे में सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया गया है।

काले धन का पता लगाने के लिए उपाय

5545. **श्री राम सहाय पांडे**: क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काले धन का पता लगाने और इसके परिचालन को रोकने के लिए अब तक किये गए उपाय बेकार सिद्ध हुए हैं और इसके परिचालन में लगातार वृद्धि होती जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) इस प्रश्न की कि काले धन का पता लगाने और उसके परिचालन को रोकने के लिए अब तक किए गए उपाय सफल रहे हैं या नहीं, वांचू समिति ने अपनी रिपोर्ट में विस्तार से जांच की है। यह रिपोर्ट संसद के सामने भी प्रस्तुत की गयी थी। इस समिति की कुछ सिफारिशें क्रियान्वित की जा चुकी हैं। शेष की जांच की जा रही है।

Nationalisation of Hotel Industry

5546. **Shri Ramsahai Pandey** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether private hotels in the country are fetching more business than the hotels in the public sector ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) whether Government propose to nationalise the entire hotel industry in the country and if so, when a decision is likely to be taken in this regard ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b) Since hotel establishments whether in the private sector or in the public sector, vary a great deal from each other in terms of the facilities offered, tariff charged etc., a general comparison of the quantum of business attracted by hotels sector-wise, is not feasible. Public sector hotels are generally doing very well, and are covering steadily increasing quantum of accommodation.

(c) No, Sir.

लघु उद्योगों के लिए कच्चे माल के आयात की जांच के लिए विशेष समिति

5547. **श्री राजा कुलकर्णी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे माल के आयात के लिए लघु उद्योगों के मामलों की जांच के लिए विशेष समिति है ;

(ख) गत तीन वर्षों में इस समिति ने किन उद्योगों की सहायता की और उद्योगवार विदेशी मुद्रा का कितना लाभ हुआ ;

(ग) कच्चे माल के आयात के लिए किन उद्योगों के मामलों को समिति ने रद्द किया तथा ऐसा किन आधारों पर किया है ; और

(घ) समिति ने लघु उद्योगों के लिए क्या प्रक्रिया निर्धारित की है जिससे वे समिति से लाभ उठा सकें ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (घ) विशेष समिति वास्तविक प्रयोक्ताओं के उन मामलों का पुनरीक्षण करती है जिनके सम्बन्ध में यह समझा जाता है कि विद्यमान नीति क्रियान्वयन से कठिनाई उत्पन्न हो सकती है और औद्योगिक उत्पाद पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। विशेष समिति के विचारार्थ आवेदन करने की प्रक्रिया 1972-73 के लिए आयात व्यापार नियन्त्रण नीति (रेड बुक–वोल्यूम--1) के खण्ड 1 के पैराग्राफ 116 में दी गई है, जिसकी प्रतियाँ संसद पुस्तकालय को भेज दी गई हैं।

(ख) तथा (ग) समिति ने 441 मामलों के बारे में अतिरिक्त लाइसेन्स देने अथवा लाइसैंसों को वित्तपोषण के एक रूप से दूसरे में परिवर्तित करने के लिए सिफारिश की है। समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप रिलीज की गई विदेशी मुद्रा का कोई उद्योगवार लेखा नहीं रखा जाता है। समिति ने 264 मामलों को अस्वीकृत किया जिन पर अतिरिक्त लाइसैंस देने के लिए कोई विशेष विचार करने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

Transfer of Employees working in the Office of Controller of Defence Accounts Patna

5548. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state .

(a) whether the employees working in the office of Controller of Defence Accounts, Patna, have been transferred on a large scale recently ; and

(b) if so, the number thereof and the reasons for which they have been transferred ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Smt. Sushila Rohatgi) (a) : A number of employees working in the organisation of Controller of Defence Accounts, Patna, were transferred recently, i. e. during the period 1.6.72 to 15.12.72.

(b) The total number of employees transferred is 441. Out of these, 358 employees were transferred following the policy of 'rotation'. Out of a total of some 2269 individuals serving in clerical and supervisory posts, about 1500 belonging to Bihar and eastren U. P., whereas the number of posts sanctioned at Patna and in the offices in rest of Bihar and eastern U. P. is about 890. It is therefore, necessary to have regular policy of rotating employees between Bihar and eastern U. P., on the one hand, and the rest of area on the other. Such a policy has been in existence for some time past. Under this policy, after about three to four years service in outlying areas, employees hailing from Bihar/eastern U. P. are brought back and, in their place, replacements are sent. This accounts for bulk of the transfers. The rest of the transfers were due to promotions, or were at the request of individuals, or were for administrative reasons.

Branches of Nationalised Banks working in Ranchi District, Bihar

5549. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of the Branches of the nationalised banks working in the Ranchi District of Bihar ;

(b) whether loans are advanced by these branches to the farmers, transport operators, small industrialists, retail dealers and self-employed people ; and

(c) if so, the bank-wise amount of loans advanced up to September of the current year ?

The Deputy Minister in the Ministty of Finance (Smt. Sushila Rohatgi) (a) The information is given in the attached statement. **[Placed in the Library. See. L-T No. 4150/72]**

(b) Yes, Sir.

(c) The information will be collected to the extent possible and placed on the Table of the House.

Statement

Statement showing the Names of Branches of Nationalised Banks functioning in Ranchi District of Bihar as on the 30th September, 1972.

Name of the Bank	Name of Centre	No. of Offices
1. Central Bank of India	Ranchi	1
2. Bank of India	1. Ranchi	1
	2. Bundu	1
	3. Khelari	1
3. Punjab National Bank	Ranchi	1
4. Bank of Baroda	Ranchi	1
5. United Commercial Bank	1. Ranchi	1
	2. Mesra Village	1
	3. Dhurwa	1
6. United Bank of India	1. Ranchi	1
	2. Hatia	1
	3. Lohardaga	1
	4. Kanke	1
	5. Namkum	1
7. Union Bank of India	1. Ranchi	1
	2. Silli	1
	3. Muri	1
8. Canara Bank	Ranchi	1
9. Allahabad Bank	Ranchi	1

New Export Scheme for Mangoes

5550. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any new scheme for the export of mangoes keeping in view the next mango crop ; and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Scheme to Advance Loans by Nationalised Banks to Small Farmers for Purchasing Bullocks

5551. **Shri G. P. Yadav :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have formulated a scheme to advance loans to small farmers through the nationalised banks to purchase bullocks ; and

(b) if so, the nature of the action proposed to be taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Smt. Sushila Rohatgi) : (a) and (b) The nationalised Banks, under various schemes drawn by them, advance loans for the productive requirements of farmers which include loans for purchase of bullocks also.

विदेशी मुद्रा के घोटाले में लगी यात्रा एजेन्सियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

5552. **चौधरी दलीप सिंह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में, प्रति वर्ष, कितनी यात्रा ऐजेन्सियों का पंजीकरण किया गया ;

(ख) क्या कुछ ऐजेन्सियां विदेशी मुद्रा के घोटाले में लगी हुई हैं ;

(ग) यदि हां, तो उन ऐजेन्सियों के नाम क्या हैं जिसका विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन करने पर चालान किया गया है ; और

(घ) उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान विभाग द्वारा जिन यात्रा अभिकरणों को मान्यता दी गई, उनकी संख्या निम्न प्रकार है :–

वर्ष	मुख्य कार्यालय	शाखा कार्यालय
1970	7	5
1971	4	1
1972	2	4

(ख) से (घ) विदेशी मुद्रा विनियमों की कथित उल्लंघना करने पर अनुमोदित यात्रा अभिकरणों मैसर्स मर्करी ट्रेवल्स (इण्डिया) लि०, कलकत्ता तथा ए० एस० चुघ एण्ड कम्पनी प्रा० लि०,

देहरादून के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई। मर्करी ट्रेवल्स के विरुद्ध फैसला सुना दिया गया है तथा प्रवर्तन विभाग द्वारा उन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना किया गया। अभिकरण ने निर्णय के विरुद्ध अपील की हैं।

जहां तक मैसर्स ए० एस० चुघ एण्ड कं० प्रा० लि० का सम्बन्ध है, न्याय निर्णय की कार्रवाई प्रगति पर है।

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमा-शुल्क बोर्ड के सदस्यों का पुनः नियोजन

5553. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **वित्त** मन्त्री 24 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1670 के उत्तर के सम्बन्धमें यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रश्न के (क) भाग के उत्तर में जिस अधिकारी का उल्लेख किया गया था, उसे उसके सामान्य कर्तव्यों के अतिरिक्त सेन्ट्रल एक्साईज सेल्फ रिमुवल प्रोसीजर (रिव्यू कमेटी) में विभाग के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उन्होने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा-शुल्क बोर्ड के सदस्य के रूप में काम करते हुए कितने समय तक यह कार्य किया ;

(ग) प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता की वर्तमान आवश्यकता के संदर्भ में, इस काम की देख-भाल करने के लिये विशेष कार्य अधिकारी (आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी) का पूर्णकालिक पद बनाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार द्वारा इस अधिकारी के उत्तराधिकारी को बोर्ड के सदस्य के रूप में ये कार्यन सौंपने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क स्वनिर्धारण पर निकासी कार्यविधि (समीक्षा) समिति 11-10-1971 को बनाई गई थी, तब से लगाकर सेवानिवृत्ति की तारीख तक अर्थात् 16 नवम्बर, 1972 के दोपहर पूर्व तक।

(ग) और (घ) विशेष कार्य अधिकारी का कोई पूर्णकालिक पद अब तक नहीं बनाया गया है। ऐसा ख्याल किया गया था कि समिति में उसी वरिष्ठ अधिकारी को बनाये रखने से, विशेषतः अब, समिति के कार्य में तेजी आ जाने पर, और विभाग के नामजद अधिकारी को इस काम में प्रति दिन काफी समय लगाना आवश्यक हो जाने से, स्पष्टतः लाभ होगा। सरकार तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क के सम्बन्ध में भी एक समिति नियुक्त करने को सोच रही थी, और ऐसा नहीं लगा कि बोर्ड का कोई सदस्य बोर्ड की सदस्यता के सामान्य कर्तव्यों को पूरा करते हुए इन समितियों के काम के प्रति न्याय कर सकेगा।

नगरीय सम्पत्ति का सर्वेक्षण

5554. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने हाल ही में कहा है कि आयकर विभाग को नगरीय सम्पत्ति का सर्वेक्षण करना चाहिये और यदि हां, तो सर्वेक्षण का प्रयोजन क्या है ;

(ख) यदि हां, तो सम्पत्तियों का चयन किस प्रकार किया जा रहा है और सर्वेक्षण कौन कौन से क्षेत्रों में किया जा रहा है ;

(ग) सर्वेक्षण करने के लिए कौन-कौन से मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं और कितनी पुरानी सम्पत्तियों का चयन किया जा रहा है ; और

(घ) क्या आयकर विभाग को कोई अनुदेश दिये गये हैं कि वह सम्पत्ति के वास्तविक स्वामियों को परेशान न करें ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) यद्यपि सर्वेक्षण, आयकर विभाग के कार्य का बराबर एक भाग बना रहा हैं, तथापि हाल ही में चुनींदा व्यक्तियों के सर्वेक्षण को तेज करने के लिये अनुदेश जारी किये गये हैं, जिनमें नव-निर्मित या नव अर्जित अचल परि-सम्पत्तियों तथा स्वामित्व वाले फ्लेटों के मालिक भी शामिल हैं। सर्वेक्षण का प्रयोजन आयकर धनकर कर निर्धारितियों को मात्र खोजना ही नहीं है बल्कि ऐसी सम्पत्तियों में लेखा-बाह्य निवेश का पता लगाना भी है ।

(ख) तथा (ग) यह सर्वेक्षण इस समय चुनींदा है । आयकर आयुक्तों को, जिन्हें चयन के मामले में पूरा बिवेकाधिकार प्राप्त है कोई मार्गदर्शन सिद्धान्त जारी नहीं किये गये हैं ।

(घ) चूंकि सर्वेक्षण का प्रयोजन केवल सूचना एकत्रित करना है इसलिए वास्तविक सम्पत्ति स्वामियों को परेशानी होने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

Imports from East Germany

5555. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the names of commodities imported from East Germany during the last two years ; and

(b) the value of imported commodities in Indian and foreign currency ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) (a) and (b) : A statement showing value of commodities imported from German Democratic Republic in Indian Currency, during the years 1970 71 and 1971-72 is laid on the Table of the House. Information regarding value of imported commodities in foreign currency is not maintained.

Statement

STATEMENT SHOWING COMMODITY-WISE IMPORTS FROM GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC DURING 1970-71—1971-72

Value in Lakhs of Rs.

S. No.	Description	1970-71	1971-72
1.	Lactose	11	12
2.	Synthetic rubber	3	1
3.	Waxes of animal or vegetable origin	2	4
4.	Chemicals :		
	(a) Chemical elements and compounds	97	128
	(b) Dyeing, Tanning and Colouring materials	4	3

	(c) Medicinal and Pharmaceutical products	67	19
	(d) Fertilizers, manufactured	228	137
	(e) Other chemicals	13	9
5.	Paper and paper board	30	8
6.	Iron and Steel	424	618
7.	Manufactures of metal	7	1
8.	Machinery, other than electric	512	595
9.	Electrical machinery, apparatus and appliances	91	97
10.	Transport equipment	21	44
11.	Scientific, medical, optical, measuring and controlling instruments and apparatus	71	72
12.	Photographic and cinematographic supplies	251	241
13.	Other items	29	35
	Total Imports :—	1863	2024

भारत बंगला देश सन्धि के उपबन्धों के अनुसार कार्य

5556. **श्री समर गुह** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत बंगला देश संधि के उपबन्धों के अनुसरण में भारत तथा बंगलादेश ने अक्तूबर, 1972 तक कितनी तथा कितने मूल्य की वस्तुओं का निर्यात तथा आयात किया ;

(ख) क्या एक वर्ष की इस संधि के उपबन्धों को मार्च, 1973 तक पूरा कर दिया जायेगा ;

(ग) यदि नहीं, तो वे वस्तुएं क्या हैं जिनमें इन उपबन्धों को पूरा नहीं किया जा सकेगा ; और

(घ) संधि के लक्ष्यों को पूरा करने में आवश्यक प्रगति न होने के क्या कारण है, और इस बात के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि भारत-बंगलादेश एक वर्षीय व्यापार संधि की समाप्ति पर व्यापार शेष किसी देश के विपरीत न हो ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) केवल अप्रैल से जून 1972 के महीनों के निर्यात आंकड़े उपलब्ध हैं जिनके अनुसार निम्नलिखित वस्तुएं बंगला देश को निर्यात की गई थी :

(मूल्य लाख रु० में)

वस्तु	इकाई	अप्रैल-जून 1972	
		मात्रा	मू०
गेहूं	हजार मे० टन में	229	19,66
अरंडी का तेल	हजार किग्रा में	370	11
दलहन	मे० टन	264	4
सीमेंट	हजार मे० टन	38	75
कच्ची रुई	मे० टन	500	52
तम्बाकू अनिर्मित	हजार किग्रा	1679	70
महायोग (अन्य वस्तुओं सहित)			2317

जून 1972 के बाद के आकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

2. अप्रैल-मई 1972 के दौरान बंगला देश से आयात नगण्य थे। मई 1972 के बाद के आयात आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

3. तथापि, जहां तक सीमित भुगतान प्रबन्ध के अन्तर्गत निर्यातित या आयातित वस्तुओं का सम्बन्ध है, 31 अक्तूबर, 1972 तक स्टेट बैंक आफ इंडिया के पास पंजीकृत सविदाओं के मूल्य इस प्रकार हैं : बंगला देश को निर्यातों के लिये 12.55 करोड़ रु० और बंगला देश से आयातों के लिए 5.55 करोड़ रु०। उसके बाद पटसन के आयात के लिए एक संविदा की गई है जिसमें बंगला देश से आयातों सम्बन्धी संबिदाओं की कुल राशि 12.70 करोड़ रु० हो गई है।

4. अनुपयुक्त परिवहन सुविधाओं और अन्य संस्थागत कठिनाइयों से व्यापार प्रवाह में वाधा उत्पन्न हो गई है। पूर्व बंगाल (बंगला देश) और पाकिस्तान के बीच अंतःक्षेत्रीय व्यापार में वृद्धि के फलस्वरूप भारत और बंगला देश के वीच माल वहन के परम्परागत साधनों में उत्तरोत्तर कमी आई और 1965 में पूर्णतः विच्छिन्न हो गये। इन परिवहन प्रबन्धों की फिर से व्यवस्था करना ही एक बहुत बड़ा कार्य है। मुक्ति संघर्ष के दौरान हुई हानियों से यह कार्य और भी दुष्कर हो गया है।

5. अभी यह अनुमान लगाना कठिन है कि चालू व्यापार वर्ष मार्च, 1973 के अंत तक सीमित भुगतान करार के अन्तर्गत कितना वास्तविक आयात व निर्यात होगा।

6. हार्डिग पुल के फिर से खुल जाने, अंतर्देशीय जलमार्ग सेवाओं को पुनः शुरू होने और दोनों देशों में व्यापारिक परिस्थितियों के सम्बन्ध में बढ़ती हुई जानकारी से यह आशा बनती है कि शेष चार महीनों के दौरान पिछले आठ महीनों की तुलना में वास्तविक आयात व निर्यात अच्छा रहेगा।

राज्यों को दिये गये केन्द्रीय ऋणों की बकाया राशि

5557. **श्री समर गुह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा केन्द्रीय सरकार को देय ऋणों की कुल राशि की नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) इस राशि का राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) किन-किन राज्यों ने केन्द्र से केन्द्रीय ऋणों में या तो छूट देने या उन पर मोहलत देने के लिए अपील की है ; और

(घ) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को ऋण मंजूर करने और केन्द्र को बकाया ऋणों की अदायगी के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा किन मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुसरण किया जाता है।

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) वित्तीय लेखों के अनुसार, प्रत्येक राज्य और संघीय राज्य क्षेत्र की सरकारों के नाम केन्द्रीय ऋणों की बकाया रकम का ब्यौरा नीचे

दिया गया है :—

राज्य/संघीय राज्य क्षेत्र	(करोड़ रुपयों में) 31-3-1971 को केन्द्रीय ऋणों की बकाया रकम
1. आन्ध्र प्रदेश	546
2. असम	284
3. बिहार	587
4. गुजरात	259
5. जम्मू और काश्मीर	215
6. केरल	251
7. मध्य प्रदेश	398
8. तमिलनाडु	351
9. महाराष्ट्र	448
10. मैसूर	320
11. उड़ीसा	383
12. पंजाव	213
13. राजस्थान	532
14. हरियाणा	155
15. उत्तर प्रदेश	675
16. पश्चिम बंगाल	595
17. नागालैंड	18
18. हिमाचल प्रदेश	81
19. मेघालय	1
20. पाण्डेचेरी	9
21. गोआ, दमन और दीव	33
22. मणिपुर	21
23. त्रिपुरा	25

(ग) समय-समय पर, बहुत से राज्यों ने केन्द्र द्वारा दिए गये ऋणों को बट्टे खाते डालने/ ऋण-परिशोधन के कार्यक्रम का पुनर्निर्धारण करने के लिये अनुरोध किया हैं। अभी हाल ही में विहार, जम्मू और कश्मीर, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से ऐसे अनुरोध प्राप्त हुए हैं ।

(घ) राज्यों की आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही दिये जाते हैं। केन्द्र प्रायोजित योजनाओं, दैवी विपत्तियों और अल्प बचत संग्रह से सम्बद्ध ऋण और विशेष सहायता, योजना के स्वरूप आदि के विषय मे मान्य सूत्रों और सिद्धांतों के अनुसार दी जाती है।

राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों को दिये गये विभिन्न ऋणों की वापसी-अदायगी के सम्बन्ध में मौजूदा मार्ग-दर्शक सिद्धांत नीचे दिए गए हैं :—

ऋण की श्रेणी	वापसी अदायगी की अवधि
(1)	(2)
1 आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	(15 वर्ष) वापसी अदायगो बराबर-बराबर की 15 वार्षिक किस्तों में
2 अल्प बचत संग्रह से सम्बद्ध ऋण	(25 वर्ष) को वापसी अदायगी 5 वर्ष की रियायती अवधि के बाद बराबर-बराबर की 20 वार्षिक किस्तो में
3 दैवी विपत्तियों के लिए ऋण	(10 बर्ष) वापसी अदायगी बराबर-बरावर की 10 वार्षिक किस्तों में
4 उर्वरकों की खरीद के लिए ऋण	6 महीने
5 साधनों में कमी की पूर्ति करने के लिये विशेष ऋण सहायता	वसूली 1974-75 से 10 बार्षिक किस्तों में
6 आगे ऋण देने के लिये ऋण (पुनर्वास ऋण आदि)	25 वर्ष तक
7. अन्य आयोजना-भिन्न ऋण	प्रयोजनाओं के अनुसार भिन्न-भिन्न शर्तें

* संघीय राज्य क्षेत्रों के मामले में 5 वर्ष की रियायती अवधि के बाद 10 किस्तों में वापसी अदायगी ।

सीमाशुल्क विभाग द्वारा भारत-भूटान-सीमा पर एक विदेशी धर्म प्रचारक से ट्रांसमीटर का पकड़ा जाना

5558. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमाशुल्क अधिकारियों ने हाल मे भारत-भूटान सीमा पर एक विदेशी धर्म प्रचारक से उच्च शक्तिशाली ट्रांसमीटर तथा अन्य वस्तुएं पकड़ी हैं ;

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) बहुत कम अनुवती कार्यवाही किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस बारे में की गई जांच के क्या निष्कर्ष निकले ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) (क) से (ग) अनुबन्ध में बतायी गई वस्तुएं 6-9-1972 को असम में तेजपुर के सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा उदलगुरि कैथोलिक मिशन उदलगुरि जिली दारांग के फादर एम० पलट्टी के पास से पकड़ी गई है। आगे सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

विवरण

पकड़ी गई वस्तुओं की सूची

1.	सबक चलचित्र–एक (दो भागों में) (ट्रांसमिटर) मेक रियलिस्टिक (मूवी टाकी) माडल सं० 6 ए० ओ० (जापान में निर्मित) तथा 0485/5 ए० ओ० (जापान में निर्मित) चेसिस सं० ई० 490 बी मूल्य	=	1100.00 रु०
2.	सैनिओ टेप रिकार्डर (प्रयुक्त) सेलिड स्टेट/ए० सी० वैटरी आपरेटेड पोर्टेबिल म्यूजिक सिस्टम जापान 704 (प्रयुक्त)–एक नग– मूल्य	=	900.00 रु०
3.	सोलिड स्टेट क्राउनकार्डर, सी० टी० आर०–5050 आटोलेविल (टेप रिकार्डर) जापान में निर्मित–एक नग तथा जापान में निर्मित डाइनेमिक माइक्रोफोन (क्राउन)एक नग (प्रयुक्त) मूल्य	=	800.00 रु०
4.	मैकसेल मैग्नेटिक साउण्ड रिकार्डिंग टेप माडल ए० 50-5 दो नग जापान में निर्मित (नया) मूल्य	=	70.00 रु०
5.	होमर ट्रांजिस्टर इण्टरकम मास्टर दो नग–जापान में निर्मित (प्रयुक्त) मूल्य	=	220.00 रु०
6.	कोसीशा (करेंट आपरेटेड टाइम पीस) डी० एफ० 102 (प्रयुक्त) कोसीशा कं० लिमिटेड एक नग मूल्य	=	200.00 रु०
7.	अगत सुपर पान(120 फिल्में) जर्मनी में निर्मित 24 नग मूल्य	=	120.00 रु०
8.	ओ० आर० कलर—एन० सी० 16 डब्ल्यू० ओ० नेगेटिव फिल्म, जर्मनी में निर्मित एक नग मूल्य	=	16.00 रु०

विशेष : मूल्य, मालिक की घोषणा के अनुसार दर्शाया गया है।

उड़ीसा के बालासौर जिले में स्टेट बैंक आफ इण्डिया की भद्रक शाखा में बकाया ऋण

5559. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के बालासौर जिले में स्टेट बैंक आफ इण्डिया की भद्रक शाखा में इस समय कितना ऋण (छोटे व्याहार और कृषि दोनों) बकाया पड़ा है ;

(ख) बैंक ने दोषी व्यक्तियों और गारण्टी देने वालों के विरुद्ध कितने रजिस्टर्ड नोटिस भेजे हैं ;

(ग) क्या बैंक को इस प्रकार ऋण का निरन्तर भुगतान न करने वाले दोषी व्यक्तियों का अनुभव रहा है ; और

(घ) यदि हा, तो निरन्तर भुगतान न करने वाले दोषी व्यक्तियों के बिरुद्ध कितने कानूनी मामले दायर किये गये और यदि कोई कार्रवाई नहीं की गयी है, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) बालासौर जिले (उड़ीसा) में स्टेट बैंक आफ इण्यिया की भद्रक शाखा द्वारा कृषि और लघु उद्योग को दिये मये अग्रिमों की बकाया राशि से सम्बन्धित आकड़े नीचे दिये गये हैं :—

	निम्न तिथि को बकाया अग्रिम		
	दिसम्बर 1970 की समाप्ति पर	**दिसम्बर 1971 की समाप्ति पर** (लाख रुपयों मे)	**अक्तूबर 1972 की समाप्ति पर**
कृषि	5.00	3.14	3.48
लघु व्यापार	35.89	22.42	20.61

(ख) से (घ) स्टेट बैंक आफ इण्डिया की भद्रक शाखा ऋणकर्ताओं से ऋणों की बकाया रकम को वसूल करने में कुछ कठिनाइयों का सामना कर रही है। ऋणकर्ताओं से रकम वसूल करने का यत्न किया जा रहा है। जहां पर आवश्यक है वहा रकम वसूल करने के लिये कानूनी दावे दायर किये गये हैं।

दिल्ली और राज्यों की राजधानियों के बीच सीधी वायुयानसेवा

5560. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राज्यों की कितनी राजधानियों और दिल्ली के बीच सीधी विमान सेवा है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार राज्यों की प्रत्येक राजधानी को दिल्ली से सीधी विमान सेवा द्वारा जोड़ने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख(निम्न चार राज्यों की राजधानियां दिल्ली से विमान सेवा द्वारा जुड़ी हुई नहीं हैं :--

आसाम (शिलांग)

हिमाचल प्रदेश (शिमला)

मेघालय (शिलांग)

नागालैण्ड (कोहिमा)

निम्न पांच राज्यों की राजधानियां दिल्ली से परोक्ष रूप से विमान सेवा द्वारा जुड़ी हुई हैं :-

उड़ीसा (भुवनेश्वर)

केरल (त्रिवेन्द्रम)

मनीपुर (इम्फाल)

त्रिपुरा (अगरतल्ला)

जम्मू (जम्मू-काश्मीर की शीतकालीन राजधानी)

वारापानी में निर्माणाधीन बिमानक्षेत्र के बन कर तैयार हो जाने पर शिलांग के लिये विमान सेवायें प्रारम्भ कर दी जायेंगी ।

उड़ीसा के बालासौर जिले में स्टेट बैंक आफ इण्डिया की भद्रक शाखा द्वारा दिया गया ऋण

5561. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में उड़ीसा के बालासौर जिले में स्थित स्टेट बैंक आफ इण्डिया की भद्रक शाखा द्वारा कितना ऋण दिया गया ;

(ख) हाल ही में ऋण की राशि में कमी के क्या कारण हैं ; और

(ग) इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण:) : (क) से (ग) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और जहां तक सम्भव होगा इकट्ठी की जायगी और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

जापान को असली रेशम का भेजा जाना

5562. **डा० रानेन सेन** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का शीघ्र ही जापान को अपनी रेशम भेजे जाने का विचार है ;

(ख) क्या भारत पहली बार रेशम के विश्व बाजार में प्रवेश करेगा ;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने अब तक भारतीय रेशम की मॉग की है ; और

(घ) इस क्षेत्र में हमारी क्या आशाएं हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी हां ।

(ग) जापान तथा थाइलैंड ।

(घ) भारत कते रेशम का धागा पहली बार विश्व बाजार में भेज रहा है । अत: अभी इसकी सम्भाव्यताओं का आकलन नहीं लगाया जा सकता ।

पटसन उद्योग को सरकार द्वारा अपने हाथ में लिए जाने के बारे में 'इन्टक' नेताओं की मांग

5563. **डा० रानेन सेन** : क्या :**विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के 'इन्टक' के नेताओं ने सरकार से पटसन उद्योग को अपने अधिकार में लेने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस वारे में 'इन्टक' ने कोई अध्यावेदन दिया है ;

(ग) इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ; और

(घ) क्या इस बारे में किसी अन्य सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने भी सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया है ?

विवेश व्यापार मन्त्राऽय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) बंगाल चत्कल मजदूर यूनियन तथा बंगाल जूट मिल वर्कर्स यूनियन द्वारा अप्रैल, 1972 में की गई मांगों में से एक मांग पटसन उद्योग के राष्ट्रीयकरण से सम्बन्धित थी ।

वर्ष 1970-71 और 1971-72 में साइकिलों का निर्यात

5564. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या **विदेशव्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1970-71 तथा 1971-72 में साइकिलों के निर्यात से कितनी विदेशो मुद्रा अर्जित की गई है ?

विदेश व्यापार मन्त्राछय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : 1970-71 तथा 1971-72 के दौरान साइकिलों तथा साइकिलों के संघटकों के निर्यात क्रमश: 6.91 करोड़ तथा 8.04 करोड़ रु० के हुए ।

सवाई माधोपुर सीमैंट कारखाना

5565. **श्री हेमेन्द्र सिंह** : क्या **कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सवाई माधोपुर सीमेंट कारखाने में राजस्थान सरकार के शेयर हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसमें राजस्थान सरकार के कितने प्रतिशत शेयर हैं ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) तथा (ख) नवीनतम सूचना के अनुसार, मैसर्स जयपुर उद्योग लिमिटेड, जिसके पास सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्टरी का स्वामित्व है, की सम्पूर्ण

अधिमान प्रदत्त पूंजी राजस्थान सरकार द्वारा धारित है। राजस्थान सरकार के इस कम्पनी में कोई साम्य हिस्से नहीं हैं। इस प्रकार कम्पनी की कुल प्रदत्त पूंजी में राजस्थान सरकार के हिस्सों का प्रतिशत 20 बैठता है।

Complaint Regarding Confirmation of Aero-drome Operators Selection Grade-I

5566. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether he has received any complaint in regard to some irregularities regarding the confirmation of Aerodrome Operators Selection Grade-I ; and

(b) if so, the action taken thereon ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) (a) Yes Sir,

(b) The matter is under examination.

Employees who were Deprived of Promotion and Confirmation as a result of token strike in 1968

5567. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether as a result of the token strike in September, 1968, the concerned employees working in his Ministry were deprived of their promotions and confirmation ;

(b) whether the aforesaid points were contradicted in the Home Ministry's letter dated the 13th September, 1968 on the subject ; and

(c) if so, the number of employees whose promotions were held up in contravention of these orders together with the reasons therefor ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) to (c) No employee was deprived of his promotion or confirmation so far as the Ministry (Main); the India Meteorological Department, Department of Tourism and Commission of Railway Safety are concerned. Requisite information in respect of the Civil Aviation Department is being collected.

इस्पात, सीमेंट, पैट्रोलियम, विद्युत तथा उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए 1973-74 में विदेशों से "टर्न की" सहायता

5568. **श्री के० मालन्ना :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस्पात, सीमेंट, पैट्रोलियम, विद्युत तथा उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मिश्र देशों से बड़े पैमाने पर "टर्न की" सहायता लेने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिनसे इन परियोजनाओं के लिये सहयता मिलने की सम्भावना है ; और

(ग) 1973-74 में कितनी सहायता मिलने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ग) देश की इस्पात, सीमेंट, पेट्रोलियम, बिजली और उर्वरक परियोजनाओं के लिए मित्र देशों से बड़े पैमाने पर "टर्न की" सहायता प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं। फिर भी सरकार, विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पांचवी पंचवर्षीय आयोजना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इन क्षेत्रों की क्षमता में वृद्धि करने के साथ जोड़ने के लिए मित्र देशों के साथ विचार विमर्श कर रही है। यह विचार-विमर्श अभी अन्तिम दौरे में नहीं पहुंचा है और इसलिए यह बताना सम्भव नहीं है कि किन-किन देशों से और कितनी-कितनी राशि की सहायता प्राप्त होने की सम्भावना है।

Trade with Socialist Countries

5569. **Shri Madhukar :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether the possiblilities of trade with the Socialist countries are not being explored in a proper way ; and

(b) if so, the reasion thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) (a) and (b) : The Government have under constant review the various possibilities of expanding trade with the Socialist countries. Among the steps taken in this regard are annual bilateral trade negotiations with them for bringing about rapid expansion as well as a progressive diversification in India's foreign trade. Indian firms, Public Sector Organisations etc. are encouraged to participate in fairs/exhibitions held in these countries from time to time. Sales-cum-study teams and market surveys have been arranged to study export prospects in these countries. Purchase delegations from these countries are given facilities to visit the various manufacturing centres in our country connected with exports to those countries.

Trade with Cuba

5570. **Shri Madhukar :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the reasons for which India has not started any trade with Cuba for mutual benefit of both the countries ;

(b) whether the Cuban Government have sent some proposals to the Government of India in this regard and the latter have rejected them ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) (a) India and Cuba have been developing more or less on similar lines and it is only the distance between the two countries and the lack of shipping facilities have stood in the way of expansion of trade between the two countries.

(b) No specific proposals have been received from the Cuban Government in this regard. However, the question of development of Indo-Cuban Trade has been considered a number of times but we have not been able to identify the products which could form the basis of trade exchange between the two countries.

(c) Does not arise.

Cancellation of import orders by U. S. S. R. under C. I. A. influence

5571. **Shri Madhukar** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether import orders worth Rs. 10 crores for hosiery goods from India have been cancelled by the U. S. S. R. under the influence of C. I. A. ;

(b) whether Government have taken any decision in the matter ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (**Shri A. C. George**) (a) Government have no information about the cancellation of import orders for Woollen Knitwear by USSR under C. I. A. influence.

(b) and (c) : Do not arise.

दिल्ली में शुल्क पत्तन

5572. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **विदेश व्यापार**मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में एक शुल्क पत्तन बनाये जाने के बारे में सरकार ने निर्णय कर लया है ;

(ख) यदि हां, तो निर्णय का सार क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) सम्पूर्ण प्रस्थापना पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

छोटे बैंकों का विलय

5573. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान छोटे बैंकों के विलय तथा बैंकिंग आयोग के सुझाव, कि इनको सहायक बैंकों के रूप में कार्य करना चाहिए, के बारे में 7 अगस्त, 1972 के "फाइनेशियल एक्सप्रैस" मे छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) सरकार ने समाचार पत्र में प्रकाशित इस रिपोर्ट को देखा है ।

(ख) बैंकिंग व्यवस्था के पुनः संरचना के बारे में आयोग की सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

गैर-बैंककारी वित्ताय संस्थानों, निगमों तथा चिट-फण्डों का कार्यकरण

5574. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** :
श्री राम सहाय पांडे :

क्या वित्त मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जनवरी, 1972 तक कार्य कर रहे गैर-बैंककारी वित्तीय संस्थानों, निगमों तथा चिट फण्डों की संख्या की सूची बनाई है ;

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि ऐसे बहुत से निकायों में गम्भीर कदाचार हो रहा है तथा वे अहितकर तरीके अपना रहे हैं ; और

(ग) क्या सरकार का ऐसे निकायों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने अथवा देश में उनके कार्यकरण को बन्द करने का विचार है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) (क) भारतीय रिजर्व बैंक को भेजे गये निर्धारित विवरणों के आधार पर 31 जनवरी 1972 को 1040 गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां कामकर रही थीं !

(ख) और (ग) जो शिकायतें मिली हैं उनका सम्बन्ध सामान्यत: जमा की राशियों और या उनके व्याज की अदायगी न किये जाने और चिट के दातकों की अदायगी न किये जाने से था। रिजर्व बैंक द्वारा कुछ कम्पनियों के निरीक्षण के दौरान भी कुछ अनियमितताएं देखी गयी। बैंक आयोग ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के ढांचे और उनकी कार्यप्रणाली के बारे में व्यापक पूछताछ की है और उनके सुव्यवस्थित विकास के लिए कुछ सिफारिशें की हैं। उन सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है।

चाय के बागानों का पुन: लगाया जाना

5575. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** :क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रतिवर्ष 7000 हैक्टर भूमि में चाय के बागान लगाने की योजना बनाई थी जब कि 1969-70 में केवल 987 हैक्टर भूमि में बागान लगाये गये ; और

(ख) यदि हां, तो इस धीमी प्रगति के क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) मुख्य कारण वित्तीय अभाव हैं। चाय बागानों की गिरती हुई लाभप्रदता के कारण मालिक नये विकासात्मक कार्यों पर व्यय करने में हिचक रहे हैं। चाय बोर्ड की पुनरेपिण सहायता स्कीम द्वारा दिये जाने वाला प्रोत्साहन अभी भी उद्योग द्वारा अपर्याप्त समझा जाता है।

भारतीय चलचित्र निर्यात निगम द्वारा फिल्मों का निर्यात

5576. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :**

श्री रण बहादुर सिंह :

क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारतीय चलचित्र निर्यात निगम ने 1970-71 और 1971-72 में किसी फिल्म का निर्यात किया है और यदि हां, तो उन फिल्मों के नाम क्या हैं तथा उनसे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ; और

(ख) फिल्में बनाने के लिए भारतीय चलचित्र निर्यात-निगम ने 1970-71 और 1971-72 में कितना ऋण दिया और ऋण प्राप्त करने वालों के नाम क्या हैं तथा ऋण की कितनी राशि को वापस भुगतान किया गया तथा 30 जून, 1972 को कुल कितनी राशि बकाया थी ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4151/172]

छोटी बचतों से वसूल राशि में राज्यों का भाग

5577. **श्री ई० वी० विखे पाटिल :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को राज्य सरकारों से इस आशय का कोई सुझाव प्राप्त हुआ है कि छोटी बचतो से वसूल होने वाली राशि से जो राशि सम्बन्धित राज्यों को दी जाती है उसको ऋण नहीं समझा जाना चाहिए अथवा उसको अधिक से अधिक स्थायी ऋण समझा जाये ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) वर्ष 1972 के दौरान महाराष्ट्र सरकार से यह सुझाव प्राप्त हुआ था कि छोटी बचतों से वसूल होने वाली राशि से जो ऋण दिये जाते हैं, उन्हें स्थायी ऋण समझा जाना चाहिए ।

(ख) और (ग) यद्यपि यह बात स्वीकार नहीं की जा सकती, फिर भी राज्यों की ऋण सम्बन्धी स्थिति और राज्यों के दिये गये केन्द्रीय ऋणों की वापसी-अदायगी की वर्तमान शर्तों में परिवर्तन करने के विषय में सारे प्रश्न छठे वित्त आयोग को सौंप दिये गये हैं ।

नगर निगमों, नगरपालिकाओं और जिला परिषदों आदि की भविष्य निधियों को सावधिक जमा योजना में लगाये जाने की अनुमति का सुझाव

5578. **श्री ई० विखे पाटिल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नागर निगमों, नगरपालिकाओं, जिला परिषदों और बैंकों की भविष्य

निधियों को सावधिक जमा योजना में लगाने के बारे में सुझाव प्राप्त हुआ है जैसा कि औद्योगिक श्रमिकों की भविष्य निधियों के मामले में किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ग) तक कुछ मान्यता प्राप्त भविष्य निधियों से, जिनमें नगर निगमों, नगर पालिकाओं, जिला परिषदों की भविष्य निधियां शामिल हैं, डाक घर सावधि जमा योजना में निवेश करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इन अनुरोधों पर, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से विचार किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कोई निर्णय किया जायगा ।

छोटी बचत योजनाओं में पूंजी लगाने के लिए संस्थानों को आयकर से छूट दिया जाना

5579. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ राज्य सरकारों द्वारा दिये गये इन सुझावों पर विचार किया है कि छोटी बचत योजनाओं में पूंजी लगाने के लिये संस्थानों को आयकर के भुगतान में प्राप्त वर्तमान छूट की सीमा में वृद्धि की जाये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है और यदि नहीं, तो विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) संस्थाओं को, 7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्रों के दूसरे और तीसरे निर्गम में तथा डाक-घर बचत बैंक के सार्वजनिक खातों में निवेश करने की अनुमति है। भविष्य निधियां जिनके निवेश की पद्धति केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, डाकघर सावधि जमा खातों में निवेश कर सकती है।

संस्थायें राष्ट्रीय बचत पत्रों के दूसरे तथा तीसरे निर्गम में कुल मिलाकर 1,00,000 रुपये तथा 50.000 रुपये तक निवेश कर सकती हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि संस्था धामार्थ किस्म की है जिसे दिया गया दान आय-कर से मुक्त है अथवा धार्मार्थ भिन्न संस्था है । भविष्य निधियां राष्ट्रीय बचत पत्रों के दूसरे और तीसरे निर्गम में बिना किसी सीमा के निवेश कर सकती हैं। भविष्य निधियों के लिए डाक-घर बचत बैंक के सार्वजनिक खातों में तथा डाक-घर सावधि जमा खातों में निवेश किए जाने की भी कोई सीमा नहीं है ।

कतिपय राज्य सरकारों ने, संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय बचत पत्रों के दूसरे और तीसरे निर्गम में किए जाने वाले निवेशों की सीमा बढ़ाने के सुझाव दिए हैं किन्तु निर्धारित सीमाएं बढ़ाना सम्भव नहीं है क्योंकि इन बचत पत्रों का ब्याज पूर्णतः आय-कर से मुक्त है।

अपरिष्कृत पटसन की सप्लाई की स्थिति

5580. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपरष्किृत पटसन की सप्लाई की वास्तविक स्थिति को देखते हुए

इण्डियन जूट मिल्स एसोसियेशन का यह कहना उचित है कि पटसन मिलों के कार्य के घंटों में कमी करनी पड़ेगी ;

(ख) यदि हां, तो पटसन के धागे की सप्लाई में अनुमानित कमी कितनी हैं ;

(ग) क्या भारती जूट निगम का वसूली कार्यक्रम असफल रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की भर्ती के बारे में स्टेट बैंक आफ इण्डिया के अधिकारियों को दिये गये निदेश

5581. **श्री डी० के० पंडा : क्या वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इण्डिया के अधिकारियों ने अपने 11 कार्यालयों शाखाओं को मार्च, 1972 में यह निदेश जारी किये थे कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के लिये केवल अनुसूचित जाति/ जनजाति के उम्मीकवारों को भर्ती करें ;

(ख) यदि हां, तो क्या ये निदेश भारत सरकार के आदेशों पर जारी किये गये थे ?

(ग) क्या उक्त निदेशों के बावजूद उक्त बैंक की शाखाओं/कार्यालयों में मार्च, 1972 के पश्चात् अधीनस्थ कर्मचारियों के पदों पर गैर-अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों को भर्ती किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) से (घ) भारतीय स्टेट बैंक ने, अपने आप ही, अपनी सेवाओं में अनुसूचित जातियों/जनजातियों को और प्रतिनिधित्व देने की दृष्टि से मार्च 1972 में यह निदेश जारी किए थे कि अधीनस्थ कर्मचारियों की सभी नयी नियुक्तियां विशेष रूप से अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों में से उस समय तक की जानी चाहिए जब तक प्रारक्षित स्थानों की नियुक्ति में कमी पूरी न हो जाय । तथापि यह निदेश वर्तमान अस्थायी कर्मचारियों को दी गयी विशेष रियायतों और भूतपूर्व सैनिकों को दिए गए 20 प्रतिशत स्थानों के प्रारक्षण के विरुद्ध नहीं थी । चूंकि गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों की नियुक्ति पर बिल्कुल प्रतिबन्ध नहीं है इसलिए बैंक ने सूचित किया है कि शायद यह सम्भव हो सकता है कि कुछ गैर-अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों को अधीनस्थ कर्मचारी संवर्ग में नियुक्त कर लिया गया हो ।

भारतीय स्टेट बैंक ने भी यह सूचित किया है कि चूंकि बैंक की सूची पर बहुत अधिक अस्थाई अधीनस्थ कर्मचारी हैं इसलिए इन निदेशों का उद्देश्य अर्थात् अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिनिधित्व

में सुधार लाने का लक्ष्य यथासमय प्राप्त कर लिया जायगा । अनुसूचित जाति/जनजाति के बहुत अधिक उम्मीदवार प्राप्त करने की दृष्टि से भारतीय स्टेट बैंक ने यह निदेश जारी किए हैं कि रोजगार कार्यालयों को सूचना भेजने के अलावा स्थानीय अनुसूचित जाति/जनजाति निकायों को भी उम्मीदवार भेजने के लिए कहा जाना चाहिए ।

Loans Advanced by Nationalised Banks in Hoshangabad and Eastern Nimar Districts of Madhya Pradesh

5582. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of loans advanced by each nationalised bank in the Hoshangabad and Eastern Nimar Districts of Madhya Pradesh during the last year and the objects for which loans were advanced ;

(b) whether some more applications have been received for loans this year ; and

(c) if so, the number of applications disposed of and the number of applications which are still pending and the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Smt. Sushila Rohatgi) (a) to (c) The information is not readily available and the same will be collected to the extent feasible and placed on the Table of Lok Sabha.

Less Amount of Loans Advanced by Nationalised Banks to Cooperative Sector

5583. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Cooperative sector gets lesser amount of loan from the nationalised banks as compared to the loan given to public and private sectors ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Smt. Sushila Rohatgi) (a) and (b) Yes, Sir. The cooperative sector meet their credit requirements primarily from within the sector through the cooperative credit structure. The commercial banks, including nationalised banks, where approached, supplement the credit requirements in certain fields of cooperative activities like marketing, processing, industry etc. As an experiemental measure, the commercial banks are also financing selected primary agricultural cooperative credit societies in six States in areas where the District Central Cooperative Banks are weak or defunct. In view of an independent and parallel channel of flow of funds to the cooperative sector, contribution of the commercial banks, including nationalised banks, is naturally much smaller vis-a-vis their finances to the public and private sectors.

कम्पनियों के अंशधारियों को मुआवजे का भुगतान

5584. **श्री सरजू पांडे :** क्या **कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंशधारियों के नेशनल फोरम ने सरकार से कम्पनी अधिनियम में संशोधन करने का अनुरोध किया है जिससे कम्पनियों को सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिये जाने के तुरन्त पश्चात प्रत्येक अंशधारी को मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) फोरम ने हाल ही में सुझाव दिया है कि कम्पनी अधिनियममें, इस प्रकार का प्रावधान होना चाहिए कि उस मामले में, जहां कम्पनी का राष्ट्रीयकरण किया गया है, कम्पनी का प्राप्त विचारार्थ-मुआवजे, को अंशधारियों में अनुपात के अनुसार जो वापिस लेना चाहें उन्हें वापिस किया जाना चाहिए।

(ख) अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं किया गया है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को स्कूटर खरीदने के लिए ऋण

5585. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी, जिसने पहले सरकार से ऋण लेकर सरकारी कोटे से स्कूटर खरीदा हो और दुबारा ऋण लेने के बारे में अक्तूबर, 1971 में प्रतिबन्ध लागू होने से बहुत पहले स्कूटर बेच दिया हो, स्कूटर खरीदने के लिए दुबारा पूरा ऋण लेने का अधिकारी है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार को पता है कि ऐसे मामलों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को नये स्कूटर के लिए धन जुटाने में कठिनाई हो रही है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) वर्तमान नियमों के अन्तर्गत वाहन खरीदने के लिए दूसरी बार अथवा उसके बाद केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी को पेशगी तभी मिल सकती है जब पहली पेशगी को मिले कम से फम 4 वर्ष हो चुके हों। पेशगी की रकम उस अन्तर के बराबर होगी जो खरीदे जाने वाले वाहन के मूल्य तथा पुराने स्कूटर को बेचने से प्राप्त मूल्य में से पहली बकाया पेशगी (मूल तथा ब्यांज मिलाकर) की वापिस अदायगी के बाद सरकारी कर्मचारी के पास अवशिष्ट रकम के बीच होगा, और यह पेशगी, सामान्य वित्तीय नियमों में दी गई सीमाओं के अधीन रहेगी। इस प्रकार दूसरी अथवा उसके बाद की पेशगी की रकम कई बातों पर निर्भर करती है।

सरकारी कर्मचारियों को संशोधित प्रतिबन्धों के अन्तर्गत स्कूटर खरीदने के लिए ऋण देना

5586. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी जिसने पहले सरकार से ऋण लेकर स्कूटर खरीदा हो और जिसने वह बेचा न हो अथवा जो उस स्कूटर को अपने परिवार के सदस्यों के इस्तेमाल के लिये रखना चाहता हो, संशोधित प्रतिबन्धों के अन्तर्गत स्कूटर खरीदने के लिये ऋण लेने का अधिकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो किस हद तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) वाहन खरीदने के लिए सरकारी कर्मचारियों को पेशगी मंजूर करने की मूल शर्तों में एक शर्त यह भी है कि पेशगी मंजूर करने वाले सक्षम प्राधिकारी को यह संतोष होना चाहिये कि यदि सरकारी कर्मचारी अपनी

सरकारी ड्यूटी के निष्पादन के लिए वाहन रखता है तो क्या यह लोक हित में उपयोगी होगा ? यदि सरकारी कर्मचारी के पास पहले से ही स्कूटर है तो इस तथ्य को, दूसरे स्कूटर की खरीद के लिए पेशगी पाने की उस की दरख्वास्त पर विचार करते समय स्पष्टत: ध्यान में रखना होगा । यदि उसने पूर्ववर्ती स्कूटर सरकार से ऋण लिए बिना खरीदा था और उसे वह अपने परिवार के इस्तेमाल के लिए रखना चाहता है तो नियमों के अन्तर्गत निर्धारित शर्तें पूरी होने की हालत में उसके अपने प्रयोग के लिए स्कूटर खरीदने के लिए सरकार से ऋण मिलने के मामले में कोई रोक नहीं है । परन्तु यदि उसने पहले सरकार से ऋण लिया हुआ है और उस ऋण से खरीदा हुआ स्कूटर उस के पास है तो सामान्यत: वह नया ऋण पाने का हकदार नहीं है, क्योंकि सरकारी ऋण की सहायता से खरीदी हुई काम देने योग्य सवारी उसके पास है ही ।

केन्द्रीय उत्पादनशुल्क तथा सीमाशुल्क कलक्टरी में हिन्दी अधिकारियों की नियुक्ति

5587. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री भोला मांझी :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय उत्पादनशुल्क तथा सीमाशुल्क कलक्टरी में कितने हिन्दी अधिकारियों की नियुक्ति की गयी है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : केन्द्रीय उत्पादनशुल्क तथा सीमा-शुल्क समाहर्ता-कार्यालयों में, जिनमें निरीक्षण निदेशालय, सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नारकोटिक्स आयुक्त के कार्यालय भी शामिल हैं, नौ हिन्दी-अधिकारी नियुक्त किये गये हैं । दो और अधिकारियों को अभी अपने पदों का कार्यभार संभालना है । इन दो अधिकारियों को भी नियुक्ति-पत्र भेजे जा चुके हैं ।

सीरा तथा अलकोहल का निर्यात

5588. **श्री एम ०रामगोपाल रेड्डी** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत से कितने सीरे का निर्यात किया गया और जहाज तक निःशुल्क पहुंचाने पर प्रतिवर्ष कितनी राशि प्राप्त हुई ;

(ख) किन-किन राज्यों से कितना कितना सीरा निर्यात किया गया तथा वह किस-किस पत्तन से लादा गया ;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष भारत ने कितना अलकोहल निर्यात किया तथा कितना आयात किया तथा जहाज तक निःशुल्क पहुंचाने पर प्रतिवर्ष कितनी राशि प्राप्त हुई है ; और

(घ) चीनी कारखानों से निर्यात के लिये खरीदे गये सीरे के लिये उनको क्या कारखाना द्वारा मूल्य दिया गया ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान सीरे के निर्यात निम्नलिखित अनुसार हुए थे ।

	जहाज पर निःशुल्क आधार पर प्राप्त राशियां	
	मात्रा (हजार मे० टन)	मुल्य (लाख रु० में)
1969-70	2.1	12.45
1970-71	123.9	162.29
1971-72	45.4	68.66

(ख) निर्यात आंकड़े राज्यवार नहीं रखे जाते । तथापि, जिन राज्यों के पास फालतू सीरा था वे हैं, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर, तमिल नाडु, और उत्तर प्रदेश । अब स्थिति बदल गई है और इन राज्यों के पास फालतू सीरा उपलब्ध नहीं है । नवम्बर, 1971 से सीरे के निर्यात पर रोक है । जिन बन्दरगाहों से लदान होता है वे हैं मद्रास तथा विशाखापटनम ।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारत को अल्कोहल के निर्यात और आयात सभी किस्म का– व्यापार कोड सं० 5122100 से 5122509) निम्नलिखित हुए हैं :–

		जहाज पर निःशुल्क आधार पर प्राप्त राशियां
निर्यात	मात्रा (हजार किग्रा०)	मूल्य (लाख० रु० में)
1969-70	1499.0	15.29
1970-71	7618.3	58.10
1971-72	12707.6	82.28
आयात		
1969-70	9095	279.43
1970-71	18535	365.27
1971-72	9510	224.14

(घ) चीनी कारखानों को दी गई कीमतें सीरे की क्वालिटी के आधार पर भिन्न-भिन्न थीं । गत तीन वर्षों के दौरान प्रदत्त न्यूनतम तथा अधिकतम कीमतें ये थीं :–

	न्यूनतम	अधिकतम
1969-70	10 रु०	40 रु० प्रति मे० टन
1970-71	8 रु०	40 रु० प्रति मे० टन
1971-72	8 रु०	22 रु० प्रति मे० टन

विदेश व्यापार के बारे में गलत आंकड़े

5589. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 4 अगस्त, 1972 के "टाईम्स आफ इण्डिया" में 'रोग स्टेटिस्टिक्स

अगेन औन फारेन ट्रेड (विदेशी व्यापार के पुनः गलत आंकड़े बताना)' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां ।

(ख) एक समिति इस की जांच कर रही है ।

निर्यातकर्ता फर्मों द्वारा विदेशों में प्राप्त कमीशन सम्बन्धी कदाचार

5590.**श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यातकर्ता फर्मों को विदेशी मुद्रा में देय कमीशन की सूचना रिजर्व बैंक आफ इंडिया को नहीं दी जाती है और उन्हें विदेशों में गुप्त रूप से रखा जाता है ;

(ख) क्या छोटी-मोटी निर्यातकर्ता फर्में बना दी जाती हैं और वे निर्यात से हुई आय स्वदेश भेजे बिना निर्यात व्यापार करके गायब हो जाती हैं ;

(ग) क्या विदेशी सहयोग करारों में शामिल गुप्त उपबन्धों द्वारा आयात के अधिक मूल्य दिखाने और विदेशों में विदेशी मुद्रा के भण्डार रक्षित रखने के उपबन्ध हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में यदि कोई कदम उठाए गए हैं या उठाए जायेंगे तो वे क्या हैं ?

वित्त मन्त्री(श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क)विनियमों के अन्तर्गत कमीशन आदि जैसी विदेशी मुद्रा की सभी प्राप्तियां नियन्त्रण विभाग को समर्पित करनी होती हैं और ये रुपयों में रखी जाती हैं । जो इन अपेक्षाओं का पालन नहीं करते उनके विरुद्ध प्रवर्तन प्राधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जाती है ।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के ध्यान में ऐसी निर्यात फर्मों के कुछ मामले आये हैं और ये विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के अन्तर्गत उपयुक्त कार्यवाही किए जाने के लिए इन मामलों की सूचना प्रवर्तन प्राधिकारियों को दे दी गई है और प्रवर्तन प्राधिकारी सम्बद्ध पार्टियों का पता लगाने में जहां तक समर्थ होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे ।

(ग) और (घ) निर्यात या आयात के सभी सहयोग प्रबन्धों के लिए भारत सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्वानुमति लेनी होती है । ऐसे मामलों में जिनमें किसी विशेष करार के उपबन्धों की प्राधिकारियों को पूरी तरह जानकारी नहीं दी जाती इस प्रकार के प्रबन्ध करने वाली पार्टियां मुद्रा विनियमों का उल्लंघन करेंगी तथा कानून के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायगी । समस्या का स्वरूप ऐसा है कि इस संबंध में की जाने वाली कार्रवाई की सार्थकता प्रवर्तन प्राधिकारियों की जागरुकता पर निर्भर करती है । प्रवर्तन प्राधिकारियों को अधिक अधिकार प्रदान करने के लिए विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम को समेकित किया जा रहा है और उसमें संशोधन किए जा रहे हैं । इसमें अधिक काठोर दण्डों की व्यवस्था भी की गई है ।

बम्बई-न्यूयार्क-बम्बई और दिल्ली-न्यूयार्क-बम्बई उड़ानों में मध्य-विश्राम (स्टाप ओवर) का प्रस्ताव

5591. **श्री पी गंगा रेड्डी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई-न्यूयार्क-बम्बई और दिल्ली-न्यूयार्क-बम्बई की उड़ानों, जोकि लगभग चार हजार रुपये किराये में भ्रमण उड़ानें होती हैं, में मध्य विश्राम को अनुमति देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : जी, नहीं ।

इंडियन एयर-लाइन्स की उड़ानों में यात्रियों को दिए गये नाश्ते, मध्याह्न भोजन तथा रात के भोजन के लिए दी गई राशि

5592. **श्री पी० गंगा रेड्डी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्डियन एयर-लाइन्स की उड़ानों के दौरान यात्रियों को दिये जाने वाले प्रत्येक नाश्ते, मध्यान्ह भोजन तथा रात के भोजन के लिए एयर-लाइन्स द्वारा सप्लायरों को कितनी राशि दी जाती है ; और

(ख) दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और हैदराबाद के सप्लायरों के नाम क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) नाश्ते के लिये 2.00 रु० से 5 75 रु० तक, मध्याह्न भोजन के लिये 5.00 रु० से 7.00 रु० तक और रात्रि-भोजन के लिये 5.00 रु० से 7 00 रु० तक की विभिन्न दरे हैं ।

(ख) : स्थान का नाम	सप्लायर का नाम
1. दिल्ली और बम्बई	एयर इण्डिया की एक सहायक कम्पनी—'मैसर्स चेफएयर' ।
2. कलकत्ता	'दम दम एयरपोर्ट रेस्टोरेंट' ।
3. मद्रास	इण्डियन एयरलाइन, का 'फ्लाइट किचन' ।
4. हैदराबाद	'मैसर्स क्वालिटी रेस्टोरेंट' ।

आयकर अधिकारी श्रेणी दो की वरिष्ठता निर्धारित करने के बारे में नियम

5593. **श्री जी० विश्वनाथन** : क्या **वित्त** मन्त्री 7 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5466 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीधे भर्ती किये गये क्लास दो के आयकर अधिकारियों की वरिष्ठता निर्धारित करने सम्बन्धी नियम इस बीच बना लिए गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस तथ्य को कि उनके भर्ती में तीन वर्ष से अधिक समय का

विलम्ब किया गया और इस दौरान बड़ी संख्या में पदोन्नतियां की गई ; नियम बनाते समय ध्यान में रखा गया है ;

(ग) क्या इन नियमों को संघ लोक सेवा आयोग तथा कार्मिक विभाग के परामर्श से बनाया गया है ; और

(घ) क्या इन नियमों को भारत के गजट में प्रकाशित कर दिया गया है ; और यदि नहीं, तो क्या उनकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) (क) से (घ) : विभिन्न स्रोतों से नियुक्त किये गये आयकर अधिकारी श्रेणी-II की वरिष्ठता निर्धारित करने के सिद्धान्त गृह मंत्रालय के साथ परामर्श करके ही अक्तूबर, 1955 में पहले ही निर्धारित किये जा चुके थे। उन सिद्धान्तों के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से तदर्थ भरती द्वारा 1969 में तथा उसके बाद नियुक्त किये गये आय-कर अधिकारी श्रेणी II की वरिष्ठता को विनियमित करने के अनुदेश मार्च, 1970 में जारी किये गये। भरती की कार्यवाही में अन्तर्ग्रस्त विभिन्न उपायों की प्रगति को, इन अनुदेशों के तैयार किये जाने से पूर्व ध्यान में रखा गया था।

वरिष्ठता विनियमित करने के कार्यकारी अनुदेशों को भारत के राजपत्र में प्रकाशित करने की प्रथा नहीं है।

ऐसे प्रत्येक पत्र की प्रति, जिनमें उपर्युक्त सिद्धान्त तथा अनुदेश दिये गये हैं, सदन की मेज पर रख दी गई है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4154/72]**

मैसर्स कछार प्लाई वुड लिमिटेड, करीमगंज, आसाम की ओर आयकर की बकाया राशि

5594. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिकारी करीमगंज, आसाम के निर्धारण के अनुसार कछार प्लाई वुड लिमिटेड, कछार, करीमगंज (असम) की ओर आयकर की राशि बकाया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसको वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायगी।

ब्रेबोर्न प्रापरटीज प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता की ओर आयकर की बकाया राशि

5595. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रेबोर्न प्रापरटीज प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता की ओर आयकर की राशि बकाया है ;

(ख) यदि हां, तो बकाया राशि को वसूल करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उसके अंशधारी/निदेशक वास्तविक मालिक हैं ; और यदि नहीं, तो वास्तविक मालिक कौन है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न पैदा नहीं होता ।

(ग) अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासँभव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

मैसर्स जैम्स फिन्ले एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता

5596. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स फिन्ले एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता ने अपना सँख्या 4 अशोक रोड़, कलकत्ता-27 स्थित भवन को बेच दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसे खरीदने वाले का नाम क्या है ?

(ग) क्या सरकार को पता है कि इसमें आंशिक भुगतान विदेशी मुद्रा में किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे मामलों में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वण) (क) से (घ) : जेम्स फिन्ले ऐण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा कथित परिसर की बिक्री के अनुमोदन के लिये कोई प्रार्थना सरकार को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है । लेकिन इस जायदाद की बिक्री के सम्बन्ध में सरकार को गुमनाम सूचना मिली है और मामले की जांच की जा रही है ।

सहायकों तथा आशुलिपिकों को एफ० आर० 22-सी का लाभ

5597. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 210-425 रुपए के वेतन-मान वाले आशुलिपिकों (श्रेणी III) को 210-530 रुपया के सहायक श्रेणी II (अराजपत्रित) के ग्रेड में पदोन्नति मिलने के पश्चात् वेतन निर्धारण के लिए एफ० आर० 22-सी में निहित लाभ मिलता है ;

(ख) क्या 210-425 रुपया के समान वेतनमान वाले पदों पर कार्य करने वाले अन्य वर्गों के कर्मचारियों को सहायक श्रेणी II (अराजपत्रित) के पदों पर पदोन्नति मिलने पर वेतन निर्धारण के लिए एफ० आर० 22-सी में निहित लाभ नहीं दिए जाते जबकि इनका कार्य तथा उत्तरदायित्व अधिक है ; और

(ग) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) (क) : जी, हां ।

(ख) और (ग) : मूल नियम 22-सी का लाभ उन्हीं नियुक्तियों के मामलों में देय होता है

जिनमें उच्चतर कर्तव्य और जिम्मेदारियां ग्रस्त होती हैं। पद की अपेक्षताओं, अर्हताओं और वहन की जानेवाली जिम्मेदारियों की सापेक्ष मात्रा को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार के 210-425 रुपये के वेतनमान में लगे व्यक्तियों की 210-530 रुपये वेतनमान के सहायकों के पदों पर नियुक्तियों में उच्चतर जिम्मेदारी का होना नहीं माना गया है। 210-425 रुपये के वेतनमान के श्रेणी III के आशुलिपिकों को 210-530 रुपये के वेतनमान में श्रेणी II के सहायकों के पदों पर नियुक्ति के मामले को ही, उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की आपेक्षिक प्रकृति का स्थूल निर्धारण करने के बाद, अपवाद रखा गया है।

कपड़ा मिलों द्वारा परिसम्पत्तियों को बेचने के समाचार

5598. **श्री राम भगत पसवान** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे समाचार मिले हैं कि राष्ट्रीयकरण से बचने के लिए संकटग्रस्त कपड़ा मिलों ने अपनी परिसम्पत्तियों को बेच दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस चोरी छिपे किए जाने वाले सौदों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) ऐसे कोई समाचार नहीं मिले हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बैंक ऋणों में वृद्धि

5599. **श्री रामभगत पसवान** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न वर्गों तथा क्षेत्रों को दिये जाने वाले बैंक ऋणों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, और

(ख) यदि हां, तो किस क्षेत्र अथवा व्यापार को अधिकतम ऋण दिया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) जी, हां। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये कुल ऋणों की राशि जो जून 1969 के अन्त में 3399 करोड़ रुपये थी बढ़कर नवम्बर 1972 के अन्तिम शुक्रवार को 5283 करोड़ रुपये हो गयी।

(ख) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये कुल ऋणों का अधिकांश भाग लघु उद्योग सहित उद्योगों को मिला है।

खोवाई हवाई अड्डे (त्रिपुरा) के धावन पथ को पक्का बनाए जाने की योजना

5600. **श्री दशरथ देव** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू पंचवर्षीय योजना में खोवाई हवाई अड्डे (त्रिपुरा) के धावन पथ को पक्का बनाये जाने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक आरम्भ हो जाएगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) (क) और (ख) : एच० एस०-748 विमान परिचालनों के लिये खोवाई हवाई अड्डे के धावनपथ के विकास की एक स्कीम पर अगली पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने के लिये विचार किया जा रहा है ।

एल० आई० सी० में कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति के मामले में कथित भ्रष्टाचार

5601. **श्री दशरथ देव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 अगस्त, 1972 के 'मार्च आफनेशंस' में "एल० आई० सी०-लाउजी इंश्योरेंस चेक" के अन्तर्गत कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति में अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार किए जाने के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत के जीवन बीमा निगम से रिपोर्ट मंगवाई गई है ।

खोवाई हवाई अड्डे (त्रिपुरा) पर एक नई टर्मिनल बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव

5602. **श्री दशरथ देव** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खोवाई हवाई अड्डे (त्रिपुरा) पर उपयुक्त सुविधायें प्रदान करने वाली एक नई टर्मिनल बिल्डिंग बनाने के लिये कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या प्रगति हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) 68,100/- रुपये की लागत वाले एक छोटे से टर्मिनल भवन के व्ययानुमान को मंजूरी दी जा चुकी है । निर्माण कार्य का ठेका देने के लिये शीघ्र ही टेंडर मंगवाए जाएंगे ।

Shri Hukam Chand Kachwai (Moren) : Sir, Yesterday you had stated that you are receiving notices from individual members and thereby you find some difficulty in accepting them.

Shri Phool Chand Verma : (Ujjain) : We have jointly given a notice and our number is ten.

Mr. Speaker : Some persons are in a habit to make noise.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) :*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जायेगा । मैं किसी नोटिस को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता हूं ।

* कार्यवाहीं वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

*Not recorded.

Shri Hukam Chand Kachwai : *

श्री ज्योतिर्मय बसु आज सत्र का अन्तिम दिन है। प्रत्येक सत्र में ऐसा ही होता है।*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

बिहार, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों के भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने सम्बन्धी कानूनों को स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : Sir, I call the attention of the Minister of Food and Agriculture to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon :

"Delay in approving land ceiling legislations of Bihar, Andhra Pradesh, Maharashtra and other States."

कृषि मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : 23 जुलाई, 1972 को आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में जोत की सीमा के सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की गई थीं। भारत सरकार ने इन सिफारिशों को दृष्टि में रखते हुए कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किये थे। ये राज्य सरकारों को भेजे गए थे और उनसे अनुरोध किया गया है कि राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए वे अपने वर्तमान सीमा निर्धारण सम्बन्धी नियमों में संशोधन करें या नये कानून बनाएं। आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा और महाराष्ट्र के विधान मण्डलों ने संशोधित कानून पारित करके राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भारत सरकार के पास भेजे थे। भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों ने इन राज्य सरकारों के अधिकारियों के परामर्श से इन कानूनों की जांच की है। चूँकि ये कानून राष्ट्रीय मार्ग-दर्शी सिद्धांतों में दिये गये मानदण्डों के सूर्णतः अनुरूप नहीं थे, अतः इन पर राज्य सरकारों से विचार-विमर्श करके आश्वासन मांगे गये कि वे अपने कानूनों को राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप बनाने के लिए उनमें आवश्षक संशोधन करें।

बिहार बिधेयक पर राज्य सरकार से विचार-विमर्श किया गया है और सभी मुद्दें सुलझा लिये गये हैं। आशा है कि भारत सरकार बिहार विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति दिये जाने की सूचना शीघ्र ही दे देगी।

हरियाणा विधेयक को राष्ट्रपति की स्वींकृति देने के सम्बन्ध में सभी अपेक्षित औपचारिकतायें पूरी कर ली गई हैं और आशा है कि इस बिधेयक को एक-दो दिन में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाएगी।

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*Not recorded.

महाराष्ट्र विधान-मण्डल ने विधेयक राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए जाने से पहले पारित किया था । इस सम्बन्ध में महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया गया है और महाराष्ट्र सरकार से आगे पत्र की प्रतीक्षा है ।

आंध्र प्रदेश के विधेयक की जांच में काफी प्रगति हो चुकी है । आशा है कि इसे शीघ्र ही राष्ट्रपति की स्वीकृत मिल जाएगी ।

भारत सरकार और सम्बन्धित राज्य सरकारें सीमा निर्धारण सम्बन्धी कानून यथाशीघ्र बनाने की आवश्यकता के प्रति पूर्णतः सजग है । भूमि सुधार और खासकर जोत की सीमा निर्धारित करना जटिल समस्याएं हैं । ऐसे कानून बनाने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार राज्य सरकारों को जहां इस बात का ध्यान रखना होता है कि ये इस सम्बन्ध में बनाये गये राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप हों, वहां भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को भी इनके विभिन्न प्रावधानों के सम्भावित परिणामों की जांच करनी पड़ती है, ताकि इनके परिणामस्वरूप अन्तिम रूप से जो कानून बनें वे भूमि सुधार सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति के अनुरूप हों और इनसे हमारी विकास सम्बन्धी नीति को बढ़ावा मिले । मैं इस अवसर पर उन राज्य सरकारों से जिन्होंने कि अभी तक जोत की सीमा निर्धारण सम्बन्धी कानून नहीं बनाये हैं, यह कहना चाहूंगा कि वे इस कार्य को पूर्ण करने के लिए सभी सम्भव कदम उठाएं । मुझे पूरी आशा है कि अब इसके लिए जो कानून बनाए जा रहे हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी और कारगर ढंग से कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारें जबरदस्त और अर्थपूर्ण कदम उठाएंगी ।

Shri Bhogendra Jha : The very purpose of the ceiling on land is defeated by the amendments passed by Centre. These amendments go in favour of Zamindars. 'In spite of this if some State send some legislation after passing it in the legislature to the Centre for approval the latter tates one to two years.in according its approval. This has already happened in Tata Zimindari Abolition Act. Th Acts submitted by Andhra Government are also meeting the same fate. The Central Government is delaying its approval in all these cases. In this way the big landlords are distributing their land taking advantage of this delay.

I want an assurance from the hon. Minister that clearance will be given to the pending Acts. After taking into account all the aspects a Central Land Reforms Committee was appointed which made some suggestion. Although I do not approve of all the suggestions yet I think that if these suggestions have been implemented it would have met the objective to some extent Another Committee of nine Members was constituted afterwards which put emphasis on the facts that ceiling is best applied to the family of five as a unit, consisting of the husband, wife and three children whether minor or major. It has been further stated that in case the actual number of members in a family is less than five, the ceiling should be reduced by fifth persons. The Act which the Government of Madhya Pradesh has passed recently goes in favour of the big landlords. Similar thing has already happened in Maharashtra and Uttar Pradesh is going to enact a law on the same lines. May I know whether by delaying its approval to the Acts the Government in not so encouraging the big landlords to undo the effects of these Acts and make them useless ? In this bonnection I may tell you that approval on the Act submitted by the Assam Government was delayed and in between Mr. F. A. Ahmad's land was acquired by the Defence Ministry for about 34-35 lakhs of rupees. Had the approval been accorded to the Act in time the said Ministry would not have to pay such large amount for acquisition. I want to emphasise on the point that we have to pay a very high price for the delay. During the last ten minutes almost the big landlords have joined the ruling Congress. Eight promiment social workers have been killed in

Madhubani district. May I know the time by which the Government will accord approval to the pending Acts ?

It was decided in the meeting of the Congress Working Committee that ceiling will be put between 10 to 18 acres of land. Now the general tendency is to fix the ceiling somewhere near 18 acres. May I know whether some instructions have been issued in this regard ? In regard to Bihar we have been told that this Act is still under examination in consultation with the administratively concerned Ministry of the State Government. May I know the reasons for delay in this matter ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जहां तक भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों का सम्बन्ध है केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा की जा रही कार्यवाही के बारे में मैं पहले ही संकेत दे चुका हूं, मैंने यह भी बताया है कि मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के पश्चात राज्यों को कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत क्रियान्विति के लिए भेजे गये हैं ।

बिहार से हमें जैसे ही कानून प्राप्त हुआ था हमने उसके उपबन्धों पर विचार किया था और इस बारे में योजना आयोग से भी विचार विमर्श किया गया था, इसके पश्चात स्थानीय अधिकारियों से भी बातचीत की गई थी । उसके पश्चात हमने अपनी टिप्पणियां उनको भेज दी थी ताकि कानूनों में उनके अनुसार संशोधन किये जा सके । इसके पश्चात हमें हाल में ही उनसे विधेयक प्राप्त हुआ है और उसे शीघ्र ही मंजूरी दे दी जायेगी ।

महाराष्ट्र सरकार से हमें अभी अपनी बातों का उत्तर प्राप्त करना है । जैसे ही उत्तर प्राप्त हो जायेंगे इस मामले को भी निपटा दिया जायेगा । हमारा प्रयास यह है कि इस वर्ष के समाप्त होने से पूर्व सभी विधेयकों को पास कर दिया जायेगा । राजस्थान और मैसूर से हमें अभी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है । परन्तु मैसूर सरकार इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही कर रही है । आसाम तथा पश्चिम बंगाल में पहले ही ऐसे कानून पास हो चुके हैं । आसाम सरकार ने हमें अपना विधेयक नहीं भेजा है । हमने इस बारे में उन्हें लिखा है, जैसे ही यह हमें प्राप्त होगा हम उस पर आवश्यक कार्यवाही करेंगे ।

जहां तक माननीय सदस्य द्वारा किये गये व्यक्तिगत उल्लेख का सम्बन्ध है हमारे पास वही भूमि है जिसे हम भूमि की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत अपने पास रख सकते हैं । मुझे आशा है माननीय सदस्य मेरे उत्तर से संतुष्ट हो गये होंगे ।

वियतनाम में अमरीका द्वारा बमबारी के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *RE*: U.S. BOMBING IN VIETNAM

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) मैं एक बात स्पष्ट कर लेना चाहता हूं । वियतनाम में बमबारी के सम्बन्ध में मैंने पांच बार ध्यानाकर्षण की सूचना दी थी किन्तु एक बार भी स्वीकार नहीं किया गया । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्वीकार करने का आधार क्या है ? अमरीका द्वारा वियतनाम में की जा रही बमबारी की सरकार ने भर्त्सना क्यों नहीं की है ? **(अन्तर्बाधाएं)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी भी सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दी है। इसी सत्र में वियतनाम का प्रश्न नियम 377 के अन्तर्गत या सरकार के वक्तव्य के रूप में सभा में आ चुका है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : **

अध्यक्ष महोदय : आप ठीक भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आप सब बैठ जायें। वियतनाम पर कई रूपों में चर्चा हो चुकी है। पहले मंत्री ने वक्तव्य दिया था और उसके बाद इस प्रश्न पर विचार किया गया था। शायद श्री इन्द्रजीत गुप्त ने यह प्रश्न उठाया था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैंने यह प्रश्न नियम 377 के अन्तर्गत उठाया था और मंत्री ने वकक्तय दिया था। साथ ही कई सदस्यों ने यह मांग की थी कि इस प्रश्न पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से विचार करने का अवसर दिया जाये।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : यदि सरकार इस सम्बन्ध में सचमुच चिन्तित है तो उसे आज एक संकल्प लाना चाहिए जिसे सर्वसम्मति से पास किया जाये।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : यदि मंत्री एक वक्तव्य दें और उस पर हमें कुछ प्रश्न करने का अवसर प्रदान कर दिया जाय, तो हमें संतोष हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : वियतनाम की समस्या पर हम अपने विचार प्रकट करते आये हैं। इस सत्र में भी 3 दिन पहले मंत्री जी ने मास्को जाने से पूर्व इस प्रश्न पर वक्तव्य दिया था। किन्तु इसके बाद वियतनाम पर बमवारी तेज हो गई है। यदि उपमंत्री इस पर वक्तव्य देना चाहें, तो वह दोपहर बाद वक्तव्य दे सकते हैं।

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : आज सत्र का अन्तिम दिन है। हमें यह बताया जाये कि उगांडा हाई कमीशन के विरुद्ध बदले में क्या कार्यवाही की गई है, क्योंकि सरकार ने बताया था कि इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : दोनों प्रश्नों पर दोपहर बाद वक्तव्य दिये जाने चाहिए।

Shri Ram Dhan (Lalganj) : Mr. Speaker there is a danger to my life. In last June Azamgarh police harassed me, when I was going to attend the meeting of the Committee of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. In this connection I wrote a letter to you as well as to the Prime Minister. I am grateful to the Prime Minister, who helped me in getting the local police officers transferred immediately. But these police officers have been given promotions instead of stern action against them. I have requested that the whole matter should be inquired into. In this connection I contacted several times the Chief Minister of U. P. and the Minister of State in the Ministry of Home Affairs, Shri K. C. Pant. But no action has been taken in the matter so far. In this way Harijans are being harassed. Being a Harijan M. P. I want my grievances to be recorded in Parliamentary proceedings. I request that protection should be given to me.

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।
Not recorded.

श्री श्याम नन्दन मिश्र : यह एक गम्भीर मामला है । आप इस पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस मामले में क्या कराना चाहते हैं, यह लिखकर मुझे दें दे और मैं गृह मंत्री से इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करने के लिए कहूंगा ।

Shri Narendra Singh Bist (Almora) : Mr. Speaker, Sir, today I am coming from Pithoragarh. There police resorted to firing on innocent students. I want that the Central Government should instruct the State Government to institute a judicial inquiry in this firing incident and to suspend, in the meantime, the Government officials responsible for it.

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : Sir, the Minister assured that the Pay Commission report would be submitted by the end of this year. But now it is known that the Pay Commission want moretime. So you should ask the Minister to make it clear as to when Pay Commission report will be submitted.

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैंने आपको लिखा है कि····

अध्यक्ष महोदय : आपको अनुमति नहीं दी गई है । आप जो भी कहेंगे उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

श्री समर गुह : * *

अध्यक्ष महोदय : अब पत्र सभा-पटल पर रखे जायेंगे ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS TO BE LAID ON THE TABLE

स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम 1952 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : मैं श्री उमाशंकर दीक्षित की ओर से स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 की धारा 17 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां० आ० 3480 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो भारत के राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर, 1971 में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-4114/72]

भारतीय तेल निगम की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजो संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखेंगे —

(1) भारतीय तेल निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1971-72 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

---

* * कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

*Not recorded.

(2) भारतीय तेल निगम लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1971-72 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-4115/72]

भारतीय पर्यटन विकास निगम की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन तथा एयर इण्डिया और इण्डियन एयर लाइन्स के प्रतिवेदन और लेखे

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): मैं सभा-पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1971-72 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1971-72 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-4116/72]

(2) वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 37 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति —

(एक) एयर इण्डिया का वर्ष 1971-72 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) इण्डियन एयरलाइन्स का वर्ष 1971-72 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये : देखिये संख्या एल० टी०-4117/72]

(3) वायु निगम अधिनिमम, 1953 की धारा 15 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) एयर इण्डिया के वर्ष 1971-72 सम्बन्धी प्रमाणित लेखे तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) इण्डियन एयरलाइन्स के वर्ष 1971-72 सम्बन्धी प्रमाणित लेखे तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे खये। देखिये संख्या एल० टी०-4118/72]

दिल्ली विकास प्राधिकरण विनियम

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : मैं प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय की ओर से दिल्ली विकास अधिनियम, 1957, की धारा 58 के अन्तर्गत दिल्ली प्राधिकरण (बन्ध-पत्रों का निगम ओर प्रबन्ध) विनियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 20 मई, 1972 में अधिसूचना

संख्या सा० आ० 1135 में प्रकाशित हूए थे। **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4119/72]**

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन और अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 15 (1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1969-70 सम्बन्धी प्रतिवेदन–केन्द्रीय सरकार (वाणिज्यिक) भाग 11 भारतीय तेल निगम लिमिटेड (रिफाइनरीज प्रभाग पाइपलाइन अनुभव को छोड़कर) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4120/72]

(2) (एक) दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में यथा प्रवृत्त बंगाल वित्त (विक्रय कर) अधिनियम 1941 की धारा 26 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :–

(क) दिल्ली विक्रय कर (पांचवां संशोधन) नियम 1972 जो दिल्ली राजपत्र दिनांक 8 जून, 1972 में अधिसूचना संख्या एफ० 4 (45)/71–फिन (जी) में प्रकाशित हुए थे।

(ख) दिल्ली विक्रय कर (छठा सशोधन) नियम 1972 जो दिल्ली राजपत्र दिनांक 3 अगस्त, 1972 में अधिसूचना संख्या एफ० 4 (60)/71 फिन (जी) में प्रकाशित हुए थे।

(ग) दिल्ली विक्रय कर (सातवां संशोधन) नियम 1972 जो दिल्ली राजपत्र दिनांक 6 अक्तूबर, 1972 में अधिसूचना संख्या एफ० 4 (24)/72 फिन (जी) में प्रकाशित हूए थे।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये लंख्या एल० टी०-4121/72]

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (चौदहवां संशोधन) नियम 1972 जो भारत के राजपत्र दिनांक 2 सितम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1494 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (पन्द्रहवां संशोधन) नियम, 1972 जो भारत के राजपत्र दिनांक 2 दिसम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1495 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गईं । देखिये संख्या एल० टी०-4122/72]

(4) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखिन अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :–

(एक) सा० सां० नि० 479 (ङ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० सां० नि० 480 (ङ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-4123/72]**

(5) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अधीन जारी की गयी निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संश्करण) की एक-एक प्रति :–

(एक) सा० सां० नि० 472 (ङ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 नवम्बर, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० सां० नि० 476 (ङ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
[ग्रन्थालय में रखी गईं । देखिये संख्या एल० टी०-4124/72]

समीक्षाएं और वार्षिक प्रतिवेदन

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एकप्रति सभापटल पर रखता हूं :

(1) (एक) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड के वर्ष 1971-72 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड का वर्ष 1971-72 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-4125/72]**

(2) (एक) माईनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर के वर्ष 1971-72 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) माईनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर, का वर्ष 1971-72 संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-4126/72]**

(3) (एक) भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 1971-72 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 1971-72 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । **[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०-4127/72]**

रुई निगम के बारे में वक्तव्य और भारतीय चलचित्र निर्यात निगम के वार्षिक प्रतिवेदन

विदेश व्यापार मन्त्री (श्री एल० एन० मिश्र) : मैं सभा-पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं

(1) भारतीय रुई निगम द्वारा 1971-72 के दौरान खरीदी गई रुई और वर्ष 1972-73 के लिए रुई की कीमत संबंधी नीति के बारे में एक विवरण, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-4128/72]**

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारतीय चलचित्र निर्यात निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1970-71 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । **[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०-4129/72]**

पश्चिम बंगाल कृषि उद्योग निगम का वार्षिक प्रतिवेदन

संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1979-70 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां सभा-पटल पर रखता हूं । **[ग्रन्थालय में रखे गये : देखिये संख्या एल० टी०-4130/72]**

काफी बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन और अधिसूचनाएं

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : मैं श्री ए० सी० जार्ज की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) काफी अधिनियम, 1942 की धारा 48 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) काकी (चौथा संशोधन) नियम, 1972 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 929 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) काफी (पांचवां संशोधन) नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 2 सितम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1077 में प्रकाशित हुए थे । **[ग्रथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-4131/72]**

(2) काफी बोर्ड के वर्ष 1971-72 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । **[ग्रन्थालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी०-4132/72]**

वक्तव्य-लेखे,अधिसूचनाएं

संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के निम्नलिखित दस विवरण सभा-पटल पर रखता हूं :

चौथी लोक सभा

(एक)	विवरण संख्या 27	सातवां सत्र, 1969
(दो)	विवरण संख्या 26	आठवां सत्र, 1969
(तीन)	विवरण संख्या 24	नौवा सत्र, 1969
(चार)	विवरण संख्या 27	दसवां सत्र, 1970
(पांच)	विवरण संख्या 17	बारहवां सत्र, 1970

पांचवी लोक सभा

(छः)	विवरण संख्या 18	दूसरा सत्र, 1971
(सात)	विवरण संख्या 10	तीसरा सत्र, 1971
(आठ)	विवरण संख्या 9	चौथा सत्र, 1971
(नौ)	विवरण संख्या 3	पांचवां सत्र, 1972
(दस)	विवरण संख्या 1	छठा सत्र, 1972

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०-4133/72]

श्री बी० शंकरानन्द : श्री बालगोविन्द वर्मा की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वर्ष 1968-69 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । **[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-4134/72]**

(2) कर्मचारी बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम वर्ष 1969-70 सम्बन्धी लेखापरीक्षित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
[ग्रन्थालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी०-4135/72]

(3) एक कोयला खान भविष्य निधि, परिवार, पेंशन और बोनस स्कीम अधिनियम,

1948 की धारा 7क के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं) हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) कोयला खान भविष्य निधि (पहला संशोधन) स्कीम, 1972 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 509 में प्रकाशित हुई थी ।

(ख) आंध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि (पहला संशोधन) स्कीम, 1972 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 510 में प्रकाशित हुई थी । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-4136/72]**

(ग) राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि (पहला संशोधन) स्कीम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल, 1972 में अधिसूचना संच्या सा० सां० नि० 512 में प्रकाशित हुई थी । **[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-4137/72]**

(घ) नेवेली कोयला खान भविष्य निधि (पहलां संशोधन) स्कीम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 512 में प्रकाशित हुई थी । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०--4138/72]**

(दो) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण । **[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०--4139/72]**

दिनांक 29 मई 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7755 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग में उपमत्री (श्री डी० पी० यादव) : (एक) सांस्कृतिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता के बारे में श्री रामावतार शास्त्री के अतारांकित प्रश्न संख्ता 7755 के 29 मई, 1972 को दिये गये उत्तर की शुद्धि करने और (दो) उत्तर को शुद्ध करने में हुए विलम्ब के कारणों के सम्बन्ध में एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं । **[ग्रन्थालय में रखागया । देखिये संख्या एल० टी०-4140/72]**

राज्य सभा से संदेश
MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है ।

(एक) कि राज्य सभा 20 दिसम्बर, 1972 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 15 दिसम्बर, 1972 को पास किये गये राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक, 1972 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है ।

(दो) कि राज्य सभा 21 दिसम्बर, 1972 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 19 दिसम्बर, 1972 को पास किये गये ऋण कपड़ा उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक, , 1972 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है ।

(तीन) कि लोक सभा द्वारा 19 दिसम्बर, 1972 को पास किये गये भारतीय टैरिफ (संशोधन) विधेयक, 1972 के बारे में राज्य सभा को लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति
LEAVE OF ABSENCE FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने आठवें प्रतिदेदन में यह सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को प्रतिवेदन में उल्लिखित अवधि के समय तक के लिए अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की जाये :

(एक) श्री मार्तण्ड सिंह–रीवा

(दो) श्री तुला राम

माननीय सदस्य समिति के सिफारिशों से सहमत होंगे ।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां ।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों को सूचित कर दिया जायेगा ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AT RESOLUTIONS

(कार्यवाही सारांश)

श्री जी० जी० स्वैल (स्वायत्तशासी जिले) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबन्धी समिति की चालू सत्र के दौरान हुई अट्ठारहवीं से इक्कसवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा-पटल पर रखता हूं ।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति
COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

(कार्यवाही सारांश)

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबन्धी समिति की चालू सत्र के दौरान हुई आठवीं बैठक के कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखता हूं ।

संविधान संशोधन विधेयक
CONSTITUTION AMENDMENT BILL

सातवी अनुसूची का संशोधन (विधेयक पर राय)

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : मैं सभा पटल पर एक पत्र रखता हूं जिसमें भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर जिसे सभी के निदेश से उस पर राय जानने के लिये 12 मई, 1972 को परिचालित किया गया था, अभिव्यक्त राय दी गई हैं।

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMTTIEE

60 वां और 61 वां प्रतिवेदन

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

(1) विदेश व्यापार मन्त्रालय और कृषि विभाग के सम्बन्ध में समिति के 28वें प्रयिदवेन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 60 वां प्रतिवेदन ।

(2) विनियोग लेखे (डाक और तार) 1968-69 और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (डाक और तार), 1970 के सम्बन्ध में समिति के दूसरे प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 61वां प्रतिवेदन ।

याचिका समिति
COMMITTEE ON PETITIONS

आठवां और नौवां प्रतिवेदन

श्री देवेन्द्र सत्पथी (ढेंकानाल) : मैं याचिका समिति का आठवां और नौवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति
JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT

चौथा प्रतिवेदन

श्री डी० बसुमतारी (कोकराझार) : मैं लाभ के पदों संबन्धी संयुक्त समिति का चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

गेहूं और चावल के थोक व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लेने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT REGARDING TAKE-OVER OF WHOLE-SALE TRADE IN WHEAT AND RICE

कृषि मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : माननीय सदस्यों को मालूम ही है कि सरकार ने गेहूं और चावल के थोक व्यापार को अपने हाथ में ले लेने का निर्णय ले लिया था। यह निर्णय राज्यों के मुख्य मन्त्रियों के परामर्श से किया गया था। इस योजना की आवश्यक बातें सरकारी एजेन्सियों को गेहूं और चावल की अधिप्राप्ति और वितरण में और अधिक प्रभावी भूमिका देकर विचौलियों कि भूमिका को समाप्त करना है। इस निर्णय के सम्बन्ध में चालू अधिवेशन के दौरान सदन में पूछे गए कई एक प्रश्नों के उत्तर में लोक सभा को पहले ही सूचित कर दिया गया है ।

2. गेहूं और चावल के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने से सम्बन्धित सरकार द्वारा पहले ही लिए गए निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक उपायों को अन्तिम रूप देने के लिए राज्यों के खाद्य मन्त्रियों का एक सम्मेलन 15 और 16 दिसम्बर, 1972 को हुआ था। सम्मेलन में राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार द्वारा लिए गए निर्णय से सिद्धांत रूप में सहमत थीं। तथापि, उन्होंने थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने से सम्बन्धित कुछेक परिचालन सम्बन्धी कठिनाइयों का सामना करने की संभावना के बारे में उल्लेख किया था। इस निर्णय को कार्यान्वित करने से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जिन विभिन्न परिचालन संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, उनकी जांच करने के एक समिति नियुक्त करने के बारे में सम्मेलन में मतैक्य था। अधिशेष और कमी वाले राज्यों, योजना आयोग और केन्द्रीय सरकार के आर्थिक मन्त्रालयों के प्रतिनिधियों की एक समिति गठित करने के लिए आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। इस समिति के अध्यक्ष कृषि मन्त्री होंगे।

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh) : I want to make a submission that the Governments of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh have banned the movement of Jowar from their States———

Mr. Speaker : You cannot put this question after the statement.

———

बेलापुर शूगर एण्ड अलाइड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के मामले में निरीक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *RE.* ACTION TAKEN ON THE INSPECTION REPORT IN THE CASE OF BELAPUR SUGAR AND ALLIED INDUSTRIES LTD.

कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : माननीय सदस्य को स्मरण होगा कि 11 अगस्त, 1972 को बेलापुर सुगर एण्ड अलाइड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में कम्पनी कार्य मन्त्री का ध्यानाकर्षण करते हुए श्री पीलू मोदी द्वारा की गई चर्चाओं के मध्य, मैंने सदन को आश्वासन दिया था कि कंपनी अधिनियम की धारा 209 (4) के अन्तर्गत निरीक्षण रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही से इस सदन को अवगत कराऊंगा ये वक्तव्य ऊपर कथित आश्वासन के अनुसरण में दिया जा रहा है :–

2. इस कंपनी का निरीक्षण 26-7-72 से 9-8-72 की अवधि के मध्य सम्पन्न किया गया था एवं

इसकी रिपोर्ट कंपनी विधि बोर्ड को 5-10-72 को प्राप्त हुई थी । ब्यौरेवार परीक्षा के पश्चात कंपनी विधि बोर्ड द्वारा निम्नांकित कार्य रूप के अनुसार कार्यवाही की गई है :–

1. प्रादेशिक निदेशक, बम्बई को 2-12-72 को कंपनी अधिनियम के अतिक्रमण एवं स्पष्टीकरण की अपेक्षायुक्त कुछ अन्य लक्षणों पर कंपनी के साथ पत्र व्यवहार करने को कहा गया है ।

2. आयकर विभाग को 2-12-72 को कुछ ऐसे व्यापारावर्त्त की सूचना की गई है, जिसमें उनकी ओर से पुनः प्रत्यक्ष जांच-पड़ताल अपेक्षित है ।

3. 8-12-72 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को कुछ ऐसे व्यापारावर्त्त की जांच-पड़ताल के लिए पत्र लिखा गया था जिसमें प्रथम दृश्या कम्पनी के प्रबन्धक मंडल द्वारा आपराधिक षड़ यन्त्र, विश्वासघात एवं बनावटी लेखाओं आदि से युक्त अपराध्र किये गये प्रतीत हुए थे ।

4. कंपनी से यह कारण बताने की अपेक्षा करते हुए कि कंपनी अधिनियम की धारा, 408 के अन्तर्गत उसके प्रबन्धक मंडल में 2 सरकारी निदेशक क्यों नहीं नियुक्त कर दिए जाएं, एक नोटिस 12-12-72 को प्रेषित किया गया है क्योंकि कंपनी विधि बोर्ड का प्रथम दृश्या थे विचार था कि इस कंपनी का प्रबन्ध लगातार इस ढंग से होता रहा, जो कम्पनी एवं जनता के हितों के प्रतिकूल था ।

चर्चा के मध्य कुछ माननीय सदस्यों में जीवन बीमा निगम के कार्यरूप को और निर्देश किया था । जीवन बीमा निगम के अनुसार उनके एवं साथी यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया के प्रतिनिधियों ने कंपनी की 9-6-72 को हुई वार्षिक साधारण बैठक में भाग लिया था । यह सत्य है कि जीवन बीमा निगम ने किसी मतदान में भाग नहीं लिया परन्तु वो परिस्थितियां जिनके अन्तर्गत ये निर्णय किया गया था, निम्न प्रकार है :–

जीवन बीमा निगम की हिस्सेधारित केवल 9.9 प्रतिशत होने के कारण उन्होंने अनुभव किया कि लेखाओं के स्वीकरण के लिए संकल्प का विरोध करने से अथवा निदेशकों के पुन निर्वाचन से कोई फल प्राप्त नहीं किया जा सकता । अतः कंपनी के प्रतिनिधि वार्षिक साधारण बैठक से पहिले 30-9-71 की वर्ष समाप्ति की वार्षिक रिपोर्ट द्वारा प्रगट में आई अनेक वित्तीय अनियमितताओं पर चर्चा करने के लिए, जीवन बीमा निगम के कार्यालय में बुलाए गये । भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात कंपनी के प्रबन्धक मंडल से कहा गया था कि वो ये सुनिश्चित करने के लिए बैठक में एक वक्तव्य देंगे कि कंपनी का निदेशक मंडल अपने बैंकरों एवं लेखा–परीक्षकों से परामर्श करके कंपनी की निधियों की अदायगी के लिए अपने प्रयासों को संकेन्द्रण करने के लिए वचनबद्ध हैं । अपेक्षित वक्तव्य वार्षिक साधारण बैठक में दे दिया गया था एवं जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रतिनिधि, जिन्होंने बैटक में भाग लिया था, मतदान में सम्मिलित नहीं हुए ।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : We want statement regarding Pay Commission from the Government.

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : *

वेतन आयोग के अंतिम प्रतिवेदन के बारे में
RE : FINAL REPORT OF PAY COMMISSION

अध्यक्ष महोदय : यह तीसरे वेतन आयोग के अंतिम प्रतिवेदन को बिलंब से प्रस्तुत करने के बारे में है। मैं मंत्री महोदय को वक्तव्य देने के लिए कहूंगा।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : सरकार ने बार-बार यह आश्वासन दिया है कि इस वर्ष के अंत तक तीसरे वेतन आयोग का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जायेगा। मुझे भय है कि वेतन आयोग इसके लिए और अधिक समय मांगेगा तथा इस प्रकार प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने में विलंब किया जायेगा।

प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलंब से लाखों कर्मचारी चिंतित हैं और उनमें से हजारों कर्मचारी वर्ष 1971 और 1972 के दौरान सेवानिवृत्त हो चुके हैं। यदि प्रतिवेदन को पूर्व तिथि से लागू नहीं किया गया तो इन कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे इस संबंध में यह आश्वासन दें कि वेतन आयोग को समय वृद्धि नहीं की जाएगी तथा प्रतिवेदन इस वर्ष प्रस्तुत कर दिया जायेगा और इसे पूर्व तिथि से लागू किया जायेगा।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : माननीय सदस्यों को याद होगा कि इस सदन में उठाए गए प्रश्नों के उत्तर में कुछ समय पहले यह बताया गया था कि उस समय उपलब्ध संकेतों के अनुसार तीसरे वित्त आयोग की रिपोर्ट चालू वर्ष के अन्त तक प्राप्त हो जाने की सम्भावना है। आयोग इस अवधि में अपने कार्य को पूरा करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न करता रहा है। हाल ही में आयोग ने इस दिशा में हुई प्रगति पर विचार किया था ताकि शेष कार्य को पूरा करने के लिए जितने और समय की आवश्यकता हो उसका अनुमान लगाया जा सके और आयोग के विचार में उसे कुछ और समय की आवश्यकता होगी। सरकार आयोग के साथ सम्पर्क बनाए हुए है और आशा है कि आयोग शीघ्र ही अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : कृपया मंत्री महोदय अपना वक्तव्य पूरा करें, हम इसे सुन नहीं पाये हैं।

श्री के० आर० गणेश : मैं अपने वक्तव्य का आखिरी भाग पुनः पढ़ कर सुनाने को तैयार हूं।

हाल ही में आयोग ने इस दिशा में हुई प्रगति पर विचार किया था ताकि शेष कार्य को पूरा करने के लिए जितने और समय की आवश्यकता हो उसका अनुमान लगाया जा सके और आयोग के विचार में उसे कुछ और समय की आवश्यकता होगी, सरकार आयोग के साथ सम्पर्क बनाए हुए है और आशा है कि आयोग शीघ्र ही अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा। (**व्यवधान**)

---

*कार्यवाही—वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*Not recorded.

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप सब बैठ जायें ।

श्री के० आर० गणेश : वेतन आयोग के कथनानुसार उनका प्रतिवेदन इस वर्ष के अंत तक प्रस्तुत कर दिया जायेगा । हाल ही में वेतन आयोग ने अपने कार्य की समीक्षा करके कहा है कि अभी कुछ कार्य शेष रह गया है, सरकार वेतन आयोग से सम्पर्क बनाए हुये है और वह यह सुनिश्चित करेगी कि वेतन आयोग यथाशीघ्र अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : वेतन आयोग कितना समय लेगा ?

श्री के० आर० गणेश : आयोग शेष कार्य करने के लिए कुछ और समय चाहता है ।

उत्तर प्रदेश के बुनकरों द्वारा धरना देने के बारे में

RE : DHARNA BY U. P. WEAVERS

Shri Ishaque Sambhali (Amroha) : Due to the policy of the Government, the 40 lakhs weavers of Uttar Pradesh have been uprooted. They have not made any new demands but only want that the Government should honour its previous three commitments regarding the fixation of price of yarn, purchasing of handloom and granting amount of Rs. 1,500 and Rs. 5,000 to handloom and Power loom respectively. It is a matter of shame that Government is not meeting its assurances. I request you to ask the Government to look into this matter.

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय से इस मामले की जांच करने को कहूंगा ।

तमिलनाडु के मुख्य मंत्री और उसके मंत्रि मंडल के सहयोगियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के बारे में

RE : CHARGES AGAINST TAMILNADU CHIEF MINISTER AND HIS CABINET COLLEAGUES

श्री एम० कल्याणसुन्दरम् खड़े हुए—

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये । किसी राज्य के मुख्य मंत्री के विरुद्ध आरोपों पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है ।

श्री एम० कल्याणसुन्दरम् : मैं जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री इस पर क्या कार्यवाही कर रही हैं, प्रधान मंत्री ने मुख्य मंत्री से इस संबंध में उत्तर मांगा था जो प्राप्त हो गया है । हम उसके बारे में जानना चाहते हैं ।

श्री जी० विश्वनाथन (वान्डीवाश) : हम श्री कल्याणसुन्दरम् के बारे में जांच करवाना चाहते हैं **(व्यवधान) । इस देश के प्रति उनकी निष्ठा संदेहास्पद है ।

---

* *अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया ।

* *Expunged as ordered by the Chair.

श्री बालदन्डायुतम (कोयम्बटूर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । क्या किसी सदस्य का यह कहना उचित है कि इस सभा का एक सदस्य .....

श्री जी० विश्वनाथन (वान्डीवाश) : यदि आप जो कुछ कह रहे हो, वह ठीक है तो जो मैं कह रहा हूं, वह भी ठीक है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : जो लोग देश से अलग होने की बात सोचते हैं, उन्हें अन्य लोगों की वफादारी की बात नहीं करनी चाहिये (**व्यवधान**) ।

श्री बालदन्डायुतम : मैं अपने व्यवस्था के प्रश्न के बारे में आपका विनिर्णय चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप आपस में क्यों लड़ते हो ? यदि आप मेरे साथ लड़ें तो ठीक है परन्तु आप आपस में मत लड़िये । यदि कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य के विरुद्ध आरोप लगाना चाहता है तो उसके लिये एक प्रक्रिया है । आप ऐसा मत करिए ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : When C. I. A. activities were being discussed a charge was levelled against us. (**Interruptions**).

अध्यक्ष महोदय : वह बात गलत थी । श्री इन्द्रजीत गुप्ता : जहां तक प्रक्रिया की बात है उसका श्री वाजपेयी के कथन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । प्रश्न यह है कि क्या एक सदस्य इस प्रकार किसी अन्य सदस्य के विरुद्ध आरोप लगा सकता है ? मैंने इस देश में ब्रिटेन के उच्चायुक्त को उद्धृत किया था और मैंने कहा था कि इस बात का खण्डन नहीं किया गया है कि कुछ दल विदेशी धन प्राप्त कर रहे हैं । मैंने किसी सदस्य का नाम नहीं लिया था (**व्यवधान**) ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तरपूर्व) : व्यवस्था के प्रश्न का समाधान नहीं किया गया है, एक सदस्य ने दूसरे सदस्य के विरुद्ध कायरतापूर्ण ढंग से आरोप लगाया है और आपने इस ढंग से आरोप लगाने के बारे में अपनी नाराजगी भी व्यक्त नहीं की हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपना विनिर्णय दिया है, आपने सुना नहीं ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : सामान्य रूप से आरोप लगाने और व्यक्तिगत आरोप लगाये जाने की तुलना करके भ्रम पैदा कर दिया गया है । व्यक्तिगत आरोप लगाया जा रहा है परन्तु अध्यक्ष द्वारा कोई संरक्षण नहीं दिया जा रहा है । आप सम्बन्धित सदस्य को क्षमा याचना करने के लिये कहें या उसको कहें कि वह सदन से बाहर इस आरोप को दोहरा कर देखें । राजनीतिक आरोप और व्यक्तिगत आरोप की तुलना करना उचित नहीं है ।

श्री बालदन्डायुतम : आपने श्री कल्याण सुन्दरम का नाम पुकारा था और कोई प्रश्न पूछना चाहते थे ;**

अध्यक्ष महोदय : श्री विश्वनाथन, आपको नियम की जानकारी होनी चाहिये । जब आप इस सभा के किसी दूसरे सदस्य पर आरोप लगाते हैं तो इस बारे में प्रक्रिया यह है कि इस सम्बन्ध में अध्यक्ष को लिखित रूप में भेजी जानी चाहिये कि वह क्या कहना चाहते हैं । इसमामले में आपने बहुत अनुचित बात की है ।

---

* *अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया ।

* *Expunged as ordered by the Chair.

श्री जी० विश्वनाथन : यदि मुझे पहले पता होता तो मैं आप को सूचना भेज देता । मैं विगत तिथि डाल कर आपको सूचना भेज दूंगा (**व्यवधान**) ।

अध्यक्ष महोदय : श्री सेझियान, क्या आप अपने दल के सदस्य से कहेंगे कि वह उन शब्दों को वापिस ले लें ?

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मेरा निवेदन यह है कि आपको ऐसे मामलों के सम्बन्ध में इस सभा के सदस्यों के लिये एक आचार संहिता बनानी चाहिये । अन्यथा अध्यक्ष महोदय के निर्णय से ऐसा अनुभव होता है कि वह कुछ सदस्यों के बड़े गन्दे शब्दों को भी बर्दाश्त कर लेते हैं और कुछ के नहीं । मैं ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं जब श्री पीलू मोदी को अमरीकी एजेंट बताया गया । मैंने कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया है जैसे श्री विश्वनाथन ने एक अन्य सदस्य के विरुद्ध किये हैं । इसके साथ ही मैं इस मामले में आपका पथ पदर्शन चाहता हूं कि क्या किसी अन्य अवसर पर भी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है और उन्हें वापिस लिया गया था । मेरे जैसे व्यक्तियों ने आपको कल भी कहा था कि कुछ सदस्य कठोरतम शदों का प्रयोग करते हैं । यदि आप इस अवसर पर माननीय सदस्य को शब्द वापिस लेने पर वाध्य करते हैं तो यह भेदभाव की कार्यवाही होगी और इसमें हमारी सहमति नहीं होगी । जब तक आप कोई आचार संहिता नहीं बना देते (**व्यवधान**) ।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार के गत अवसरों पर ऐसे शब्दों को वापिस लेने के लिये कहा गया था ?

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : एक बार शासक दल के एक सदस्य ने एक अन्य सदस्य को पाकिस्तानी एजेंट बताया था । आपने उस सदस्य को वे शब्द वापस लेने के लिये कहा था परन्तु उस सदस्य ने उन शब्दों को वापस नहीं लिया था । बाद में आपने उन शब्दों को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया था । इस मामले में भी यदि आप यह महसूस करते हैं कि ये शब्द असंसदीय और अवांछनीय हैं तो आप उनको कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल सकते हैं । हम चाहते हैं कि एक जैसी प्रक्रिया होनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : इन शब्दों को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाये ।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : अन्य सदस्यों द्वारा इस प्रकार के प्रयुक्त शब्दों को भी कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : उन सब को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जायेगा ।

भारतीय और पाकिस्तानी सेना के हटने और नियंत्रण रेखा के युक्तिकरण के बारे में

RE: WITHDRAWAL OF INDIAN AND PAKISTANI TROOPS AND RATIONALISATION OF LINE OF CONTROL

श्री समर गुह (कन्टाई) : सरकार द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय और पाकिस्तानी सेना की वापसी का काम पूरा हो गया है। इसके साथ यह भी कहा गया है कि यह काम पारस्परिक आधार पर किया गया है और इस बात का भी समाचार मिला है कि नियंत्रण रेखा का कुछ युक्तिकरण किया गया है। सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है कि उन्होंने कौन-सा क्षेत्र दिया है और कौन-सा क्षेत्र लिया है। संविधान के उपबन्धों के अनुसार सरकार संसद की अनुमति के बिना एक इंच भी भूमि पाकिस्तान को न दे सकती है और न ले सकती है। सभा को इस सम्बन्ध में तथ्य जानने का अधिकार है। अत: आप सरकार से कहें कि वह स्पष्ट रूप से बताये कि कितनी भूमि पाकिस्तान को दी गई है और उनसे कितनी भूमि ली गई है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I had also sought your permission to discuss this matter.

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : The Station Masters and Assistant Station Masters of the Railways have started mon-cooperation movement throughout the country and therefore situation is deteriorating. The hon'ble Minister of Railways should be asked to discuss this matter with the office bearers of All India Station Masters Association and look into their grievances.

कार-निर्माण के बारे में सरकार की नीति पर प्रस्ताव

MOTION *RE*: POLICY OF GOVERNMENT IN REGARD TO MANUFACTURE OF CAR

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं अपना भाषण आरम्भ करने से पूर्व इस प्रस्ताव के लिये निर्धारित समय के सम्बन्ध में आपका विनिर्णय चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति में यह निर्णय किया गया था कि गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर चर्चा करने से पूर्व इस पर चर्चा समाप्त कर ली जायेगी। यदि सभा को आपत्ति नहीं तो गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर चर्चा एक घण्टा बाद में की जा सकती है। इस प्रकार समय की क्षतिपूर्ति हो जायेगी।

श्री ज्योतिमय बसु : हम मार्क्सवादी हैं और हम योजनाबद्ध अर्थ व्यवस्था—सरकारी क्षेत्र, प्राथमिकता तथा गैर-प्राथमिकता क्षेत्रों में विश्वास रखते हैं। हम ऐसा प्रशासन चाहते हैं जिसमें भाई-भतीजावाद और भ्रस्टाचार का कोई स्थान न हो। जिन लोगों के हाथ में यह परियोजना दी गई है, हम उनका विरोध करते हैं क्योंकि इससे गैर-सरकारी क्षेत्र और पूंजीवाद को प्रश्रय मिलेगा। सरकार कहती है कि इस कार को आम आदमी खरीद सकेगा। परन्तु यह गैर-प्राथमिकता क्षेत्र की चीज है। योजना आयोग भी महसूस करता है कि सभी साधनों का प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिये ही उपयोग किया जाना चाहिये। औद्योगिक विकास मंत्रालय का कहना है कि इस समय बनाई जाने

वाली कारें अब पुरानी फैशन की हो गई हैं और निर्माता उनके स्थान पर नई किस्म की कारें बनाना चाहते हैं। नवम्बर, 1970 में मंत्रिमंडल ने सरकारी क्षेत्र में, जिसमें कुछ धन बाजार द्वारा नियंत्रित क्षेत्र का, कुछ सरकार का और कुछ विदेशी पूंजीपतियों का होगा। इस परियोजना का आधार वर्ष 1961 की कम लागत वाली कार सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन था। मंत्री महोदय ने कहा था कि यह परियोजना निर्यात प्रधान होगी। इस परियोजना का प्रतिवेदन तैयार करने पर विदेशी मुद्रा में लगभग 15 लाख रुपये खर्च किये गये क्योंकि इस सम्बन्ध में कई विदेशी सहयोगकर्ताओं के साथ परामर्श किया गया था। परन्तु अब पता चला है कि ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्ति को—जिसकी आय-कर की घोषित राशि 748 रुपये थी—30 नवम्बर, 1970 को आशय-पत्र जारी किया गया था। अब सरकारी परियोजना का परित्याग कर दिया गया है ताकि उल्लिखित व्यक्ति को नई परियोजना में सफलता मिल सके। क्या यह ठीक है कि श्री मोइनुल हक चौधरी को मंत्रिमंडल से इसलिए त्याग-पत्र देना पड़ा था क्योंकि वह गैर-सरकारी क्षेत्र वाली छोटी-कार परियोजना के विरुद्ध थे ? मैं पूछना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र की परियोजना का परित्याग क्यों किया गया है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस विषय पर संसद में चर्चा क्यों नहीं की गई ? सरकार ने जो संसाधन सरकारी क्षेत्र के लिये जुटाने थे वही संसाधन अब इस परियोजना के लिये जुटाये जायेंगे क्योंकि वे अतिरिक्त संसाधन जुटा ही नहीं सकते। हमें इस उद्यमकर्ता कि केवल एक योग्यता का पता है कि उसने एक शिल्पी का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। हम जानना चाहते हैं कि उसकी शैक्षिक योग्यता और अनुभव क्या है ? फिर आशय-पत्र की अवधि कब बढ़ाई गई थी ? ओर ऐसा करने के कारण क्या थे ?

श्री सुब्रह्मण्यम के अनुसार आशय पत्र की अवधि 6 महीने से लेकर अधिक से अधिक एक वर्ष तक हो सकती है। इस मामले में उसकी अवधि दो वर्ष और तीन महीने तक क्यों बढ़ाई गई ? देश में इतने अधिक बेरोजगार इंजीनियरों को देखते हुए यह क्यों किया, गया, यह बात मेरी समझ में नहीं आई।

इस कम्पनी ने बल्कि वास्तव में एक व्यक्ति ने केन्द्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन किया है। ऐसा उदाहरण इतिहास में दूसरा नहीं मिल सकता। मुख्य मन्त्री, श्री बंसी लाल ने पत्र लिखा था उसमें यह कहा गथा था कि कुल 420.54 एकड़ भूमि अर्जित की गई थी जिसमें से 296.80 एकड़ भूमि मैसर्स मारूती लिमिटेड को कार बनाने का कारखाना खोलने के लिये अलाट की गई।

श्री राम सहाय पांडे : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मूल प्रस्ताव कार उत्पादन के संबंध में सरकार की नीति से संबंधित है। यह मामला केवल मारूती लि० से ही संबंधित नहीं है। अन्य फर्मों को भी आशय पत्र दिये गये हैं।

श्री विक्रम महाजन : माननीय सदस्य का कहना सच है। सभा के समय प्रस्ताव कार उत्पादन के सम्बन्ध में सरकार की नीति के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : कार उत्पादन के बारे में यह सामान्य प्रस्ताव है यदि कोई माननीय सदस्य केवल एक ही फर्म के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो उन्हें कैसे रोक सकता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसके अतिरिक्त दिनांक 24 फरवरी 1971 के गजट अधिसूचना में कहा गया है कि भूमि का अर्जन योजनाबद्ध विकास कार्यों के लिये किया गया था । मेरे पास इस समय गजट की प्रति है । उस भूमि में से लगभग तीन चौथाई भूमि इस कार्य के लिये दे दी गई । कार परियोजना के वारे में जिन्हें कुछ जानकारी है उन्हें यह ज्ञात होगा कि इतनी भूमि बहुत अधिक है ।

औद्योगिक बस्ती बनाए जाने के नाम पर यह सब कुछ किया जा रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सभा का यह कर्त्तव्य नहीं है कि केन्द्रीय कानूनों का दुरुपयोग न होने दिया जाए ? तथा एक व्यक्ति के हितों के लिये कानूनों का उल्लंघन न किया जाए । मैं सभा का ध्यान उक्त अधिनियम के भाग सात की 39 से 42 तक धाराओं की ओर दिलाना चाहता हूं ।

धारा 39 में कहा गया है कि किसी कम्पनी के लिये भूमि का अर्जन करने के लिये धारा 6 से 37 तक को लागू नहीं किया जाएगा जब तक उपयुक्त सरकार से पूर्व सहमति न ली जाए ।

धारा 40 में कहा गया है कि जब तक सम्बद्ध सरकार इस बात से संतुष्ट नहीं होती कि भूमि का अर्जित किसी कम्पनी द्वारा, जो जनहित के लिये कार्य में लगी हुई है, श्रमिकों के लिये मकान बनाने के लिये किया जाना है तब तक वह अनुमति नहीं देगी ।

किन्तु उन्होंने इन सभी उपबन्धों का उल्लंघन कर दिया है तथा 420 एकड़ भूमि का अर्जन करके उसमें से तीन चौथाई भूमि एक व्यक्ति को आबंटित कर दी है । यह एक घोटाला है जिसको वहां के रहने वाली जनता पर बुरा प्रभाव पड़ा है । उक्त कम्पनी से भूमि अर्जन की लागत भी वसूल नहीं की गई ।

भूमि का विवरण वड़ी अच्छी तरह से दिया गया है । उसमें कहा गया हे कि लगभग प्रत्येक 25 एकड़ भूमि में एक–एक नलकूप है और 90 प्रतिशत भूमि सिंचित है । वहाँ पर पर्याप्त संख्या में ट्रेक्टरों का भी उपयोग किया जा रहा है, आदि-आदि ।

इसके अतिरिक्त रक्षा विभाग ने भी एक आर्डर जारी किया जिसकी संख्या पी० सी० संख्या 10 (10) /ई०/डी० (जी० एस० 1) इस आर्डर में केन्द्रीय सरकार ने यह घोषित किया है कि हरियाणा राज्य के गुड़ गांव के जिले में स्थित उस भूमि पर जिसका विवरण अनुसूची 'ए०' और 'बी०' में दिया गया है, खण्ड (बी) की धारा 7 में उल्लिखित पाबंदिया लगाना आवश्यक है । जिससे उक्त भूमि में इमारतें आदि नहीं बनाई जा सकें ।

आपको यह जान कर दुःख होगा कि 1500 व्यक्तियों को उनके पैतृक मकानों से निकाल बाहर किया गया है । इन गरीब लोगों ने 11 मार्च, 1971 को न्यायालय में लेखा याचिका प्रस्तुत की तथा हरियाणा के महान्यायवादी ने अर्जन सम्बन्धी आदेश को वापस ले लिया ।

ग्रामवासियों को इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई और समझा कि संकट टल गया है । किन्तु 24 मार्च को विशेष अर्जन आदेश जारी कर दिया गया जब कि 23 जून 1971 तक इस बारे में कुछ नहीं कहा गया ।

भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 6 के अधीन आठ घन्टे में 200 व्यक्तियों को अपनी-अपनी आपत्ति बताने बुलाया गया। मुझे आश्चर्य है इतनी कम अवधि में 200 व्यक्तियों की आपत्तियां किस प्रकार सुनी जा सकती हैं ऐसा योग्य और कुशल व्यक्ति कौन हो सकता है। तहसीलदार ने इन लोगों से कहा कि रुपया लो और जमीन दो, रुपया नहीं लोगे, जमीन भी जाएगी रुपया भी नहीं मिलेगा।

हरियाणा के मुख्य मन्त्री श्री बंशी लाल ने मुझे पत्र में लिखा है कि इस भूमि का अर्जन 11,776·33 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से किया गया है। वहां पर भूमि का भाव बहुत अधिक है। मेरे पास फोटो स्टैट प्रतियां हैं जिससे ज्ञात होता है वहां भूमि का निम्नतम मूल्य 60,000 रुपया प्रति एकड़ है। इतना ही नहीं भुगतान की शर्तें भी अदुभुत हैं। दो वर्ष के पश्चात् 18 समान वार्षिक किश्तें। कम्पनी ने फैक्ट्री आरम्भ करने से पहले ही करोंड़ों रुपयों का लाभ उठा लिया।

मुख्य मन्त्री महोदय ने बताया है कि कुल 49,52,414 रुपयों का भुगतान किया गया है। किन्तु दूसरों के आंकड़ों के अनुसार यह राशि 30,19,632 रुपया है। मैं जानना चाहता हूं कि इन आंकड़ों में इतना अन्तर क्यों है। मैं मांग करता हूं कि फालतू भूमि को किसानों को तुरन्त वापस किया जाए तथा भूमि का मूल्य बाजार मूल्य के अनुसार दिया जाए। जिन व्यक्तियों से उनकी भूमि छीनी गई है उन्हें रोजगार दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : आपका समय समाप्त हो गया।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय मुझे 10 मिनट का समय और दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : आपकों दो–तीन मिनट और मिल सकते हैं। आप 30 मिनट का समय ले चुके हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सितम्बर 1972 तक सात करोड़ रुपयों के वित्तीय संसाधन जुटाए गए हैं। यह समाचार है कि सम्पूर्ण नियन्त्रण अंश पूंजी हरियाणा सरकार की होगी। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इसकी पुष्टि करे अथवा इसका खण्डन करे। क्या सरकारी पूंजी को गैर-सरकारी उद्यम में लगाया जाएगा ? यह भी शर्त थी कि विदेशी सहयोग नहीं लिया जाएगा। क्या यह सच नहीं है कि नेशनल एण्ड ग्रिंडलेज बैंक इस कम्पनी का वित्तीय सलाहकार है ? क्या यह बैंक विदेशी बैंक नहीं है ? यह सच है कि ऋण स्वदेशी बैंक, इण्डियन बैंक से लिये गये हैं। क्या इसी कारण से विदेशी बैंकों के साथ पक्षपात किया गया था तथा उन्हें राष्ट्रीयकृत नहीं किया गया ?

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक ने सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति को गलत जानकारी दी जिसके विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव भी लगाया गया था। आज समझ में आ रहा है कि उस व्यक्ति ने ऐसा इसलिये किया कि उसे बचाने में किसी का हाथ था। परियोजना प्रतिवेदन में कहा गया है कि चार वर्षो में 17 करोड़ रुपयो की आवश्यकता होगी। तथा 1972 में 9.4 करोड़ रुपये और 1973 में 6 करोड़ रुपयों की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया। किन्तु दो राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 90 लाख रुपयों की अतिरिक्त राशि मंजूर की है। मैं इस सम्बन्ध में सरकार से ब्यौरा जानना चाहता हूं। उक्त कम्पनी में प्रत्येक दस्तावेज गोपनीय है तथा उसके बारे में कुछ नहीं

जाना जा सकता। इस कार की उपयोगिता तथा तकनीक के बारे में भी अच्छी टिप्पणियां नहीं हैं।

अतारांकित प्रश्न संख्या 1912 के उत्तर में बताया गया था कि श्री संजय गांधी इस कम्पनी के प्रबन्ध निदेश हैं तथा श्री वी० आर० मोहन, श्री एम० ए० चिदाम्बरन आदि इसके निदेशक हैं। इनमें से एक व्यक्ति जो दक्षिण भारत के धनाड्य व्यक्तियों में से है मैं जानता हूं उन्होंने नेफ्ता पर आधारित उर्वरक सन्यन्त्र पर अधिक बल दिया था किन्तु डा० त्रिगुण सेन ने इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनके अनुसार इस कारण कच्चे माल के लिये देश अमरीका पर आश्रित हो जाता। डा० सेन को जब टिकट नहीं मिला तो इस सन्यत्र की अनुमति मिल गई।

दूसरे व्यक्ति एक बड़े डिस्टलर हैं तथा वह अधिष्ठापित क्षमता से अधिक शराब का उत्पादन कर रहे थे। उन्हें पद्म श्री की उपाधि भी मिल गई। उन्हें मूल रूप से 4091 किलो लीटर शराब उत्पादन करने का लाइसेन्स दिया गया था जिसे बढ़ाकर 15.000 किलो लीटर कर दिया गया।

मुझे पता चला है कि श्री सेवक सिंह मोटर के फालतू कल पुर्जे सप्लाई करते हैं। उनकी फर्म को काली सूची में भी रखा गया था क्योंकि उन्होंने इस्पात की चोर बाजारी तथा धन सम्बन्धी भारी गड़बड़ी की थी। क्या यह सच है कि इस व्यक्ति के घर से छापा मार कर सितम्बर 1972 में 17 लाख रुपया बरामद किये गये थे। क्या यह भी सच है कि इस व्यक्ति को अपने उद्योग के लिए 1.5 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया था ?

इसके अतिरिक्त हम प्रबन्ध निदेशक की योग्यताएं भी जानना चाहते हैं तथा यह भी कि उनकी नियुक्ति की शर्तें क्या हैं। उसने घोषणा की है कि मेरे पास केवल 748 रुपया हैं। क्या यह सच है कि लाइसेंस, आशयपत्र वास्तव में इन करोड़पतियों के हाथ बेचा जा रहा है क्योंकि 748 रुपयों से 17 करोड़ रुपयों की लागत की परियोजना कैसे आरम्भ की जा सकती हैं ?

जहां तक अंशधारियों की बात है उनमें से कुछ व्यक्ति अत्यन्त बुद्धिमान हैं। श्री तुलशन को सभी जानते हैं कि उन्होंने कितना रुपया बनाया है। सुदर्शन चिट फंड, जिसके विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो जांच कर रहा है (**व्यवधान**)। क्या यह सच है कि विदेशी मशीनरी मंगाई गई है ? प्रधान मन्त्री के पद का दुरुपयोग किया जाना अत्यन्त गम्भीर मामला है। सभी स्थानों पर टेलीफोन कर दिये गये। मैं श्री यशपाल कपूर या श्री धावन का नाम नहीं लेना चाहता। हिन्दुस्तान स्टील यार्ड को तार दिया गया कि सारा इस्पात गुड़गांव भेज दो। 6,000 टन इस्पात वहां से भेजा गया जिसमें से कुछ रास्ते में चोर बाजारी में बेच दिया गया।

यदि यह सब कुछ इस लिये हुआ कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ऐसा चाहती थी तो उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिये क्योंकि यह मामला स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार और भाई भतीजा वाद का मामला है।

श्री अमृत नाहटा (बाड़मेर) : ऐसा कहा गया गया है कि कार के सम्बन्ध में कोई निश्चित नीति नहीं बनाई गई है। किन्तु अनेक स्रोतों से सूचना एकत्र करने से यह पता चला है कि भारत में कारों की कुल आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग के एक दल ने प्रथम बार मशीन उद्योगों का अध्ययन किया था '।...

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

यह समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि 1979-80 तक कुल 1.34 लाख कारों की आवश्यकता होगी। किन्तु वास्तविक उत्पादन केवल 320644 कारों का होता है। अतः उत्पादन और मांग में एक लाख का अन्तर है। एक लाख अतिरिक्त कारों का यह अनुमान वर्तमान मूल्यों के आधार पर लगाया गया है। यदि कार अपेक्षाकृत कम मूल्य पर मिलने लगे तो इसकी मांग और भी बढ़ जायेगी। 1979-80 तक कारों की कुल मांग 1.50 लाख तक हो जायेगी।

कम मूल्य की कार का सरकारी क्षेत्र में निर्माण करने की बात कही गई थी। इस सम्बन्ध में सरकार ने वर्षों तक जांच की थी और एक बार तो तत्कालीन उद्योग मन्त्री ने इस सदन में कहा था कि सरकारी क्षेत्र में कम मूल्य की कार की परियोजना आरम्भ करने के बारे में निर्णय कर लिया गया है। यदि सरकारी क्षेत्र में कार का कारखाना आरम्भ किया जाए तो सरकार को विदेशी सलाहकारों की सहायता प्राप्त करनी होगी तथा विदेशी सहयोग प्राप्त करना होगा और इसके लिए कुल 57 करोड़ रुपये का निवेश करना पड़ेगा। अन्य देशों के आर्थिक विकास के इतिहास से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सामान्य आर्थिक विकास के लिए मोटर गाड़ी प्रौद्योगिकी के विकास की अत्यन्त आवश्यकता है। यह निर्विवाद बात है कि इस उद्योग से अन्य अनेक छोटे एवं अनुषंगी उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है। यदि मोटरगाड़ी प्रौद्योगिकी का देश में ही विकास किया जाए तो प्रश्न यह उठता है कि क्या इसका विकास सरकारी क्षेत्र में किया जाए अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में। यदि इसका विकास बड़े एकाधिकारी गृहों द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र में किया जाए तो इसे कोई प्रगतिशील लोकतांत्रिक देश सहन नहीं करेगा। इसके साथ ही, पांचवी योजना में कार-परियोजना के लिए 57 करोड़ रुपये का आवंटन करना राष्ट्रीय प्राथमिकता की दृष्टि से अनुचित होगा। अतः इस सम्बन्ध में सन्तुलन बनाये रखने की अत्यन्त आवश्यकता है। इसलिए सरकार ने यह निर्णय किया कि यदि कोई नया भारतीय उद्यमी कम मूल्य की कार का निर्माण करने के लिए इस क्षेत्र में आए तो उसका स्वागत किया जाएगा। किन्तु इसके साथ यह शर्त भी लगाई गई कि विदेशी सहयोग या विदेशी सलाहकारों या मशीनों या पूंजीगत वस्तुओं या कार के हिस्सों आदि का आयात करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। इसलिए, इन शर्तों के अन्तर्गत, यदि हम इस अपेक्षित क्षेत्र में मोटर कार प्रौद्योगिकी में आत्यनिर्भरता प्राप्त कर लें तो इसमें गलत बात क्या है ? अतः कोई भी विवेकशील व्यक्ति कार सम्बन्धी इस नीति की आलोचना नहीं करेगा।

इस नीति पर निर्णय लेने के पश्चात् गैर-सरकारी क्षेत्र में कम मूल्य की कार का निर्माण करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए गए। 11 आशय-पत्र जारी किये गये थे। यदि इन 11 फर्मों के प्रस्ताव लाभदायक हुए तो हमारी स्थापित क्षमता 1.56 लाख कारों की हो जायेगी और 1980 तक लगभग एक लाख कारों का निर्माण होने लगेगा। अतः सरकार का आशय है कि देश के विभिन्न भागों के इन 11 उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाय और केवल मैसर्स मारूति को ही छोटी कार का निर्माण करने का लाइसेंस न दिया जाए। इन में से कोई भी एकाधिकारी गृह अथवा बड़ा उद्योग गृह नहीं है अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि इन सभी 11 उद्यमियों को कार निर्माण कार्य आरम्भ करने में सहायता दी जानी चाहिए। यह कार्य राष्ट्र के हित में होगा।

यह कहा गया है कि केवल मैसर्स मारुति लिमिटेड को ही अधिक समय दिया गया है। यह

बात सही नहीं है । अन्य सब कम्पनियों को, जिन्हें आशय-पत्र जारी किए गए हैं, अधिक समय दिया गया है ।

यह प्रश्न उठाया गया है कि हरियाणा सरकार ने जिस भूमि का अर्जन किया है उसका मूल्य लगभग 60,000 रुपये प्रति एकड़ है जब कि मैसर्स मारूति ने इसका मूल्य 11,776.32 रुपये प्रति एकड़ दिया है । किन्तु यह बात गलत है । यदि लोगों की भूमि वास्तविक मूल्य से कम मूल्य पर अर्जित की गई है और यदि वे समझते हैं कि उनके साथ अन्याय किया गया है तो वे न्याय के लिए कानून का सहारा ले सकते हैं और अपनी शिकायतें दूर करा सकते हैं ।

मारुति लिमिटेड के साथ करार में यह उपबन्ध है कि यदि अपील करने के पश्चात्, भूमि का मूल्य बढ़ जाये तो उन्हें अतिरिक्त मूल्य देना पड़ेगा और मुआवजा भी देना पड़ेगा । ऐसी कानूनी ऐहतियात बरती गई हैं । किसी भी प्रकार का कहीं भी ऐसा कानूनी उल्लंघन नहीं किया गया है जिससे कि इस बात का पता चले कि भूमि अर्जन के मामले में मारुति लिमिटेड के प्रति पक्षपात किया गया है । मुझे पूरा विश्वास है कि यह बात कोई व्यक्ति भविष्य में भी नहीं कह सकता कि प्रधान मन्त्री के सुपुत्र ने अपने ही देश के किसानों को लूटा है । इसलिए मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि इस भूमि के लिए जितना धन दिया गया है यह उचित है और अधिक ही है । हरियाणा सरकार ने राज्य में अन्यत्र भी अन्य अनेक औद्योगिक परियोजनाओं को आवंटन के लिए भूमि अर्जित की है । यह सब इससे कम मूल्य पर दी गई है । अतः मैसर्स मारुति लिमिटेड से बहुत अधिक मूल्य लिया गया है अतः इस संबन्ध में मारूति लिमिटेड के साथ किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया गया है ।

छोटी कार के बारे में इस सदन में जितनी बार चर्चा की गई है विपक्ष ने उतनी ही बार सरकार पर यह आरोप लगाया है कि सरकार छोटी कार का उत्पादन करना नहीं चाहती क्योंकि सरकार बिड़लाबन्धुओं की रक्षा करना चाहती है । किन्तु जब 11 फर्मों को छोटी कार का निर्माण करने के लिए कहा गया है तो अब छोटी कार को कोई नहीं चाहता । अतः इस संबन्ध में हमें राजनीतिक ईमानदारी बरतनी चाहिए । देश को मोटर कार के क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय जानकारी की बड़ी आवश्यकता है । जब विश्व के अन्य देशों में छोटी कारें हैं तो इस देश में भी कम मूल्य की छोटी कार का निर्माण किया जाना चाहिए । किन्तु विपक्षी दल चाहते हैं कि छोटी कार निर्माण उद्योग की स्थापना केवल धनी व्यक्ति ही करें । विपक्ष ने यह आरोप लगाया है कि वित्तीय पक्षपात भी बरता गया है । दो राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 26.13 लाख रुपये के ऋण दिए हैं । किन्तु आई० डी० बी० आई०, अथवा आई० एफ० सी० या आई० सी० आई० सी० आई० ने मारुति लिमिटेड को कोई ऋण नहीं दिया है । केवल दो राष्ट्रीयकृत बैंकों ने इस परियोजना के लिए 26 लाख रुपये का ऋण दिया है जो न्यायोचित है ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि समय पर कारों के मूल्य में वृद्धि होती रही है । इन मूल्यों में वृद्धि के पक्ष में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात्, हमने इस सदन में यह मांग की थी कि इनमें से कुछ मोटर गाड़ी कम्पनी परियोजनाओं को सरकार को अपने नियन्त्रण में लेना चाहिए । जब हम सबने बिड़लाबन्धुओं की हिन्दुस्तान मोटर्ज का राष्ट्रीयकरण करने की मांग की थी तो बिड़ला की अध्यक्षता में इन बड़ी बड़ी एकाधिकारी फर्मों ने सरकार पर

इसके विरुद्ध दबाव डाला। सरकार इन मोटर परियोजनाओ का राष्ट्रीयकरण करने अथवा सरकारी क्षेत्र में छोटी कार परियोजना बनाने का साहस नहीं कर सकी।

मेरा अब भी यह मत है कि जनता-कार या यात्री-कार के निर्माण कार्य को इतनी अधिक प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि हमारे जैसे देश में, जहां बेरोजगारी और भुखमरी में कोई अन्तर नहीं है, बहां हमें अधिक बसे, ट्रक, लारियां और अधिक ट्रैक्टर और स्कूटरों की अत्यन्त आवश्यकता है। आज देश की यही आवश्यकता है किन्तु 15 मार्च 1972 को इस सदन में एक वक्तव्य दिया गया कि सरकार ने यात्री कार का सरकारी क्षेत्र में निर्माण करने का निर्णय किया है किन्तु तब से अब तक इस बारे में कुछ भी नहीं हुआ है। हमें यह पता था कि सरकारी क्षेत्र के एकक की स्थापना नहीं हो सकती। इसके पश्चात गैर-सरकारी क्षेत्र की कहानी आई और इसके अन्तर्गत मारुति लिमिटेड एक गैर-सरकारी एकक है।

मेरा पहला प्रश्न यह है कि सरकार ने इतनी अधिक वृद्धि की अनुमति क्यों दी जबकि हमारे हिसाब से उत्पादन लागत बहुत कम है? यह मूल्य काफी कम किया जा सकता है। किन्तु हम सस्ते मूल्य की कार के बारे में कोई निर्णय नही कर सके हैं जबकि हम कम मूल्य की कार के लिए तकनीकी जानकारी का आयात कर सकते हैं और विदेशी सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। किन्तु हमने ऐसा कभी नहीं किया। हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने एक बार छोटी कार के सम्बन्ध में निर्णय किया था और कार का एक नमूना भी तैयार किया था। किन्तु इसे अनुमति नहीं दी गई। क्यों कि सरकार सदा ही बड़े बड़े व्यापार गृहों के दबाव में रही है और इन तीन कारों के नमूनों, जो तैयार किये जा रहे हैं, को छोड़कर और किसी को इस देश में कार का निर्माण करने की अनुमति नहीं देती है।

आज भी एक व्यक्ति को फियेट कार खरीदने के लिए लगभग 5 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। सरकार के आश्वासन देने पर भी ऐसी स्थिति क्यों है, यह पता नहीं लगता। अतः मैं सरकार की इस सम्बन्ध में कोई नीति न होने के कारण और बिड़ला जैसे बड़े बड़े एकाधिकारवादियों का पक्ष लेने और अपनी परियोजना न बनाने के कारण, निन्दा करता हूं।

मेरे मित्र श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा भूमि के सम्बन्ध में जो आरोप लगाये गए हैं वे निस्सन्देह अत्यन्त गम्भीर हैं। एक मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि भू–स्वामियों को उनकी वैध देय राशि से वंचित नहीं किया जाना चाहिए और उनकी भूमि का पूरा मूल्य दिया जाना चाहिए। इसी मामले के फलस्वरूप भूमि अर्जन अधिनियम में संशोधन किया गया था। इस लिए या तो सरकार को इन आरोपों का प्रभावी ढंग से खण्डन करना चाहिये या इनकी भली प्रकार जांच की जानी चाहिए। सरकार हमें यह बताए कि कारों के निर्माण के सम्बन्ध में सरकार की भावी नीति क्या होगीक्या मोटर-गाड़ी परियोजनाओं को सरकार अपने हाथ में लेगी या नहीं? यदि सरकार ने इन परियोजनाओं को अपने हाथ में नहीं लिया तो बिड़ला सरकार पर औरअधिक हावी हो जायगा और श्री संजय गांधी को भी इस कार का निर्माण नहीं करने दिया जायेगा।

अतः इन सब आरोपों की जांच तो की जानी चाहिये किन्तु श्री संजय गांधी को इसका इसलिये शिकार नहीं बनाया जाना चाहिये क्योंकि वह प्रधान मन्त्री का पुत्र है। यदि वह कार बनाना चाहते हैं तो बिड़ला आदि इसका अवश्य ही विरोध करेंगे क्योंकि ये किसी अन्य व्यक्ति को इस क्षेत्र में नहीं आने देना चाहते हैं। इन आरोपों की जांच कराने के साथ-साथ, सरकार को कार-निर्माण

सम्बन्धी एक विशिष्ट राष्ट्रीय नीति निर्धारित करनी चाहिये और इसे गैर-सरकारी क्षेत्र के हाथों में नहीं देना चाहिए। सरकार को इसे अपने हाथों में ले लेना चाहिए।

रक्षा उद्योगों के अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि सरकारी क्षेत्र में कार निर्माण में हम अवश्य सफल होंगे।

सभा में आश्वासन दिया गया था कि उच्चतम न्यायालय के कारों के मूल्य-वृद्धि सम्बन्धी निर्णय को विचार के पश्चात् ही लागू किया जाएगा। परन्तु अब मूल्य क्यों बढ़ाए गए हैं? मंत्री महोदय को इन उद्योगपतियों की बैठक बुलानी चाहिए और उन्हें बता दिया जाना चाहिये कि यदि वे कारों के मूल्य नही घटायेंगे तो उनके उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा—चाहे वे टाटा हों, बिड़ला हों, या संजय गांधी हों।

श्री संजय गांधी के विरुद्ध योग्यता न होने की बात कही गई है। बात तो उत्साह की है, परन्तु मैं समझता हूं उन्हें अपने सहयोगियों का चुनाव ध्यानपूर्वक करना चाहिये। श्री रौनक सिंह और श्री मोहन के विरुद्ध मुझे व्यक्तिगत रूप में कोई शिकायत नहीं है।

अन्त में, मैं सरकार से फिर यही अनुरोध करूंगा कि सरकार अपनी नीति घोषित करे और मोटर-गाड़ी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करे।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : मुझे प्रस्ताव का भाषण सुनकर निराशा हुई है और उनके द्वारा सरकार को दिए गए सुझाव उनके राजनीतिक सिद्धान्तों से मेल नहीं खाते हैं।

क्या श्री बसु को पता नहीं है कि बिड़ला, वालचन्द और स्टैंडर्ड मोटर वाले बहुत ही घटिया कारें बना रहे हैं? और यदि उनके भाषण से उक्त कार निर्माताओं को संरक्षण मिलता हो तो क्या वह अपनी टिप्पणियां वापस लेने को तैयार हैं और क्या वह सरकार से यह कहेंगे कि वह इनका राष्ट्रीयकरण करे ओर जनता को एक सस्ती कार उपलब्ध करे (**व्यवधान**)

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : वह इस पर संकलप लाएं तो हम इसका समर्थन करेंगे। (**व्यवधान**)

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : जब आपके नेता के विरुद्ध आरोप लगाए जा रहे थे तब हमी ने उन्हें बचाया था क्योंकि वह अनुचित था। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति। शान्ति।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : इन कारों के मूल्य बढ़ते जा रहे हैं और इनका स्तर घटता जा रहा है। अतः मेरा सुझाव है कि इन तीनों कार कम्पनियों का बिना मुआवजा दिये तुरन्त राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए—यह शोषण समाप्त करने का यही उपाय है।

श्री बसु ने उन लोगों का पक्ष लेकर आंसू बहाये हैं जिनकी भूमि उद्योंगीकरण के लिये ले ली गई है। यह तो सभी राज्यों में हुआ है और होगा। भूमि लिए बिना उद्योगीकरण कैसे होगा? उनका संकेत हरियाणा में संजय गांधी के कारखाने के लिये ली गई भूमि की ओर है। उन्हें उस

विशिष्ट अधिकारी का नाम बताना चाहिये जिसने अनियमित कायवाही की है ताकि उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा सके ।

उन्होंने भूमि-अधिग्रहण अधिनियम के बारे में कहा है । यह अधिनियम संजय गांधी के लिये नहीं बना है : यह तो काफी समय से लागू है और इस पर कई बार कार्यवाही की गई है । सभी मामलों में भूमि अधिग्रहण को चुनौती दी गई है (**व्यवधान**) निर्णय कुछ ही मिनटों में लेने की आलोचना की गई है परन्तु यदि कोई अनियमितता हुई है तो न्यायालय में चाराजोई हो सकती है जैसा कि अनेक मामलों में हुआ है ।

बैंक-ऋणों के बारे में मैं मारुति लिमिटेड को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि 26-13 लाख रुपये के सभी ऋण या तो भवन, या भूमि या मशीनों आदि के बदले में लिये गये हैं ।

यद्यपि एक और कम्पनी ने भी नमूने की कार बनाने के लिये आशय-पत्र प्राप्त किया है परन्तु मारुति ने सराहनीय प्रगति दिखाई है । अब समय आ गया है जब संजय गांधी जैसे प्रति भावना व्यक्ति अन्य साधन न होते हुए भी आगे आकर प्रगति कर सकते हैं ।

अन्त में, मैं यह बताना चाहता हूं कि 'रेनाल्ट' के सहयोग से 'डोल्फिन' मोटर बनाने की अपेक्षा यह परियोजना किस प्रकार अधिक लाभकारी है । 1961 में पांडे समिति की रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी क्षेत्र में 50,000 कारें 5,100 रुपये प्रतिकर की क्षमता बन सकती थी परन्तु वर्तमान परिस्थितियों में इतनी अधिक विदेशी मुद्रा खर्च करना ठीक नहीं था, अतः इसे रद्द कर दिया गया ।

1966 में सरकार ने देश में ही कारें बनाने की योजना बनाई जिसमें विदेशी मुद्रा का कोई खर्च न हो, इससे अधिक उचित और क्या योजना हो सकती है ?

डोल्फिन कार के मुकाबले 56 करोड़ की योजना के स्थान पर 1975 तक 16.82 करोड़ की वर्तमान योजना प्रत्येक पहलू में बेहतर है ।

मैं व्यक्तिगत रूप में संजय गांधी को नहीं जानता परन्तु उन जैसे उत्साही और प्रतिभावान् उद्योग आरम्भ करने वालों और उनकी कठिनाइयों को भली प्रकार जानता हूं । उनका दोष यही तो है कि वह एक नेता के पुत्र हैं और उस नेता ने अपने सभी राजनीतिक प्रतिद्विन्दयों को धूल चटा दी है । उन्हें इन सभी बातों की परवाह किये बिना आगे बढ़ते रहना चाहिये । हमारी शुभ कामनाएं उनके साथ हैं ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Recntly, Government had announced its policy regarding production of cars in the Public Sector and it was stated that since the resources were limited, they could not be utilised for car-production. It could howeuer be produced in the Private Sector, it was stated. In fact, I have basic difference with the Government on the concept of cars. Today, when 30 crore people in our country are living below poverty-line, we are talking of cars and producing other luxury-items. It is said that small car would be available at 11,000 rupees. May I know how many persons can go in for it ? The Prime Minister herself had said, while addressing the F. I. C. C. I., that "It is not possible to convert the reources committed to luxury goods into commodities of mass consumption like transport or houses for the poor."

In his article Shri Chandra Shekhar, a well known progressive, has said that Rupees 250 crores have been allocated in the next Plan for public transport whereas Rupees 250 crores have been made available to Government officials for advances to purchase cars. ... (**Interruptions.**)

श्री बी० आर० भगत (शाहाबाद) : यह ठीक नहीं हो सकता ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : यह बात तो फिनांशियल एक्सप्रैस में भी छपी है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : If I am wrong the hon. Minister can correct me.

The speed with which Maruti car has been devopeled shows that it only jumps in every matter and does not touch the road. The farmers whose land has been acquired have been paid perat Rs. 11000/- per acre where as the land is being sold in adjoining areas perat Rs. 40 thousands acre. These farmers who complain against it are threatened with ejection.

It has been argued that a letter of intent was not issued to Maruti alone but others can also get it and they can also get licences after the road worthiness has been proved. A private firm has been constantly asking for the conditions of road worthiness but these have not been revealed to them. The hon. Minister should clarify it.

6000 tons of steel has been speedily given to Maruti. The coal allotted to them is sufficient for 100 years for brick making. The factory has a direct telephone connection with Delhi. The road has been widened up to Maruti factory.

The investors and the Directors of the concern are being benefited in so many ways.

This is not Maruti Limited but this is corruption unlimited. This is the biggest scandle of the contury. It is for the person in power to see that nobody has an accession to point towards him. The manner in which this factory has come about betrays that the office of Prime Minister has been misused.

Shri H. K. L. Bhagat (East Delhi) : I have heard Shri Vajpayee. His speech is similar to those which he delivered during the Election campaigns.

I was surprised to hear that Maruti is taking jumps. He has argued that this would spoil the uniage of the Prime Minister. That image was never better in his eyes. In the eyes of Janta it was good, it is good and it will remain good. Shri Basu says. produce cars whether these are small or cheap. But neither he nor Shri Vajpayee speak anything against the Birlas.

Have the members of Shri Vajpayee's party not said on the flour of this House that there is shortage of cars in the country? Now that Maruti is going to start manufacturing cars he wants that these small cars may not be produced.

It has been stated that land has been acquired and allotted. Is there any part of the country where land has not been acquired for the capitalists ? It has also been said that excessive land has been allotted. My contention is that the cause is great. As to the price of land acquired I may mention that land has been acquired from the peasants perat Rs. 3/- per yard. The writs in this connection, if any, have to be decided by the court.

Shri Vajpayee has opposed the allocation of coal. Should we allocate water in place of coal to the factory ? Should we give paper in place of steel ?

There are various other concerns enjoying direct telephone lines.

There is demand from the people for small car. Now that Sanjay Gandhi is making it they are against it. various factories have been allowed extententions.

When the policy for the manufacture of cars was being discussed we hoped that the Members from the oppositions would contribute something. Instead they preferred to discuss Maruti. (**Interruptions**).

उपाध्यक्ष महोदय : बार बार व्यवधान पैदा करना उचित नहीं है ।

Shri H. K. L. Bhagat : As Members of Parliament we have certain privileges. But we should act in a responsible manner and should speak only where we have substantial evidence, Shri Basu tells wrong things in the House.

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । श्री भगत ने कहा है मैं जो कुछ भी कहता हूं गलत है । उनके समान कोई समस्या····· (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : गलत असंसदीय नहीं है ।

Shri H. K. L. Bhagat : Whatever has been said by Shri Vajpayee or Shri Basu is only a Cheap propaganda Stunt which has not befooled the people. I am sure they will not be be fooled now.

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : इस बात पर विचार करते हुए कि श्री संजय गांधी ने वर्कशाप में दिन रात कार्य किया है, उन्हें पद्म भूषण देना चाहिए ।

जब मैं सदस्यों को किसी बात के बचाव में इस प्रकार बोलते हुए देखता हूं तो मुझे वास्तव में आश्चर्य होता है कि क्या यह देश कभी विकास कर पाएगा ।

यह ठीक ही कहा गया है कि सरकार 25 वर्षों में कारों के निर्माण के बारे में नीति निर्धारित नहीं कर पाई है । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में भी सरकार किसी नीति को नहीं अपना पाएगी क्योंकि उनकी नीतियां दल के लिये बनायी गई हैं ।

छोटी कार के लिये दर्जनों निविदाएं मांगी गई थी । परन्तु यह निश्चय किया गया कि छोटी कार सरकारी क्षेत्र में बनाई जाएगी ।

अब सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि छोटी कार अर्थात् जनता कार को जनता के लिये बनाया जाना चाहिए और इसे पुनः गैर-सरकारी क्षेत्र में ढकेल दिया गया है ।

एक मूर्ख भी जानता है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में दिन रात फैक्टरी में काम करने वाला मकेनिक भी कार नहीं बना सकता ।

श्री आर० बी० स्दामीनाथन : वह मूर्खों की बात कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इससे सदस्य महोदय का अपने से आशय है ।

श्री पीलू मोदी : जब श्री संजय गांधी के नाम लाइसेंस स्वीकार किया जा रहा था तो यह शर्त रखी गई थी कि कोई भी विदेशी मुद्रा नहीं दी जायगी और कार पूर्णतः स्वदेशी होगी । अत सरकार को यह निर्णय लेना चाहिये कि इस कार को बनाने के लिये कोई भी विदेशी मुद्रा नहीं दी जायेगी ।

श्री संजय गांधी को सरकार ने जो जमीन उपलब्ध कराई है उसके बारे में यहां चर्चा हो

चुकी है । पक्षपातपूर्ण कई काम इस देश में हो रहे हैं। जब इस प्रकार की कई बातें इस देश में हो रही हैं तो प्रधान मंत्री का बेटा ऐसा क्यों न करे ? मेरे विचार में ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिये भिन्न कानून हो और एक व्यक्ति के लिये भिन्न कानून हो क्योंकि वह प्रधान मंत्री का पुत्र है। मैं इस प्रकार के भेदभाव में विश्वास नहीं रखता। यदि देश को ऐसे भ्रष्ट प्रशासन द्वारा चलाया रहा है तो श्री संजय गांधी भी इस प्रकार के समाज से क्यों न लाभ उठायें। यदि जैन, डालमिया आदि इस प्रकार के समाज से लाभ उठा रहे हैं तो श्री संजय गांधी इससे क्यों वंचित रहें ? यदि प्रधान मंत्री के आत्मसम्मान को इससे चोट नहीं पहुंचती तो मैं यह कहने वाला कौन होता हूं कि उनका भी कोई आत्म सम्मान होना चाहिये । मैं केवल यही बात कहना चाहता हूं कि पक्षपात और सत्ता का मूल्य काफी ऊंचा हो सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि हमें इस चर्चा का समय बढ़ाना है तो हमें समय निश्चित करना है । क्या संसदीय कार्य मंत्री कुछ कह सकते हैं ?

श्री राज बहादुर : हमें इसे पांच बजे तक समाप्त करना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि हम इसे 5 बजे समाप्त करें तो मंत्री को भी आधा घंटा चाहिये । श्री बसु को कितना समय चाहिये ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : आधा घंटा ।

अध्यक्ष महोदय : हम इसे $5\frac{1}{2}$ बजे के लिये निश्चित करते हैं । माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे 10 मिनट से अधिक समय न लें अन्यथा हम इसे $5\frac{1}{2}$ बजे समाप्त न कर पायेंगे ।

श्री आर० डी० भंडारे (बम्बई मध्य) : सारे विरोधी दल के सदस्य एक ही व्यक्ति पर केंद्रित हो गये हैं । मुझे आश्चर्य है कि ये किस सीमा तक बढ़ कर अपने को गिरा सकते हैं और एक व्यक्ति की निन्दा कर सकते हैं ।

श्री वाजपेयी तथा पीलू मोदी ने प्राथमिकता का प्रश्न उठाया है । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि योजना के अधीन छोटी कार के निर्माण हेतु क्या प्राथमिकता निश्चित की गयी है ? उनकी यह धारणा गलत है कि छोटी कार के निर्माण को उच्च प्राथमिकता दी गई है ।

जब हम छोटी कार के निर्माण की बात करते हैं तो प्रश्न प्राथमिकता का नहीं बल्कि इस देश के लोगों द्वारा अनुभव की गई आवश्यकता का है ।

क्या हमें चरित्र हनन की राजनीति को अपनाना है ? मुझे आशा है कि श्री श्यामनन्दन मिश्र, श्री ज्योतिर्मय बसु तथा विपक्ष के अन्य सदस्य इस बात का उत्तर देंगे ....

क्या इस देश में किसी व्यक्ति को अपने गुणों का विकास नहीं करने दिया जाना चाहिये ? क्या मध्य वर्ग की छोटी कार की मांग को पूरा करना चाहिये या नहीं ? क्या हमें बेरोजगारी की समस्या हल करनी चाहिये अथवा नहीं ? इन प्रश्नों पर इन्हें विचार करना चाहिए। मेरे विचार से ये 'राजनीतिज्ञ' जब राजनीति में अपना स्थान न बना पाये तो इन्होंने लोगों के बीच अपना प्रभाव डालने के लिये चरित्र हत्या का सहारा लिया । वे ऐसा इसलिये करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी नीतियां

सफल नहीं होंगी और उनके कार्यक्रम लोगों को आकर्षित नहीं कर सकेंगे। वे इस ख्याल में हैं कि प्रधान मन्त्री की हत्या करके वे लोगों के बीच अपना नाम ऊंचा करेंगे। मुझे पूरा निश्चिय है कि वे इस में पूर्णतः असफल होंगे। उन्हें इस प्रकार की चरित्र हत्या छोड़ देनी चाहिये अन्यथा अपनी राजनैतिक हत्या करेंगे।

श्री जी० विश्वनाथन (वांडीवाश) : मेरे विचार में इस देश के अन्दर संसार में सबसे घटिया किस्म की कारें बनती हैं। क्या सारा देश कार की आवश्यकता के लिये इन तीनों कार निर्माताओं पर ही निर्भर करेगा ?

वर्ष 1959 में सरकार ने एक समिति का गठन किया था समिति ने 13 कम्पनियों से सुझाव मांगे थे और 1961 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। अगस्त 1962 में इस्पात और भारी उद्योग मंत्री ने घोषणा की कि छोटी कार परियोजना सिद्धांत में स्वीकार कर ली गई है लेकिन इसे योजना में शामिल किया जाना सुझाव नहीं हो सका। सन् 1969 मई में श्री भानुप्रकाश सिह ने कहा था कि सरकार छोटी कार को गैर सरकारी क्षेत्र में बनाने की बहुत इच्छुक है। सितम्बर 1969 में भारत सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा था कि यदि कार का निर्माण सरकारी क्षेत्र में हो तो इससे कार निर्माता खुली मार्किट में आने के लिये वाध्य हो जायेंगे। इसी साल में श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने कहा था कि सरकारी क्षेत्र सम्बन्धी निर्णय की घोषणा शीघ्र कर दी जायेगी। दिसम्बर, 1969 में हमने सुना था कि योजना आयोग ने छोटी कार को चौथी योजना में शामिल करने का विरोध किया है।

अगस्त 1970 में श्री दिनेश सिह ने कहा था कि केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने छोटी कार परियोजना को स्वीकृति दे दी है। छोटी कार सम्बन्धी सरकार की घोषणा का लोगों ने स्वागत किया था क्योंकि इससे मध्य वर्ग को लाभ पहुंचेगा।

अक्तूबर, 1970 में योजना आयोग ने फिर अपने निर्णय में परिवर्तन किया था और कार को गैर सरकारी क्षेत्र के स्थान पर सरकारी क्षेत्र बनाने का निर्णय किया था। इसके वाद मार्च, 1972 में यह घोषणा की गयी कि छोटी कार सम्बन्धी निर्णय 2 महीने के अन्दर लिया जायेगा। जुलाई 1972 में घोषणा की गयी कि सरकारी क्षेत्र में छोटी कार का निर्माण नहीं होगा। सरकार ने 1959 से 1972 के बीच इस मामले में कई गलतियां की हैं। सरकार कहती है कि सरकारी क्षेत्र में कार का निर्माण नहीं होगा। मैं जानना चाहता हूं कि भविष्य के लिये सरकार की क्या नीति है। यदि गैर सरकारी क्षेत्र के लिये बैंक धन दे सकते हैं तो सरकारी क्षेत्र के लिये क्यों नहीं दे सकते ?

मारुति लिमिटेड के बारे में श्री ज्योतिर्मय बसु तथा श्री वाजपेयी ने कहा कि कई कानूनों का उल्लंघन किया गया है। लेकिन आरोपों का जवाब देने के स्थान पर सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने श्री ज्योतिर्मय बसु की निन्दा की।

राज्य सभा में मारूती लिमिटेड को दिये गये ऋणों सम्बन्धी एक प्रश्न के उत्तर में वित्त मन्त्री महोदय ने कहा कि मैसर्स मारूती लिमिटेड ने किसी भी वित्त संस्था को ऋण के लिये प्रार्थना पत्र नहीं दिया।

मेरा विचार था कि कोई ऋण नहीं दिया गया। लेकिन वास्तविकता यह है कि 26 लाख रुपये का ऋण दिया गया। वित्त मन्त्री महोदय ने इस तथ्य को छिपाने की कोशिश की।

भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी लगाये गये आरोपों का भी किसी ने उत्तर नहीं दिया।

श्री एल० एन० मिश्र : सब ने उत्तर दिया है।

श्री जी० विश्वनाथन : मैं जानना चाहता हूं कि छोटी कार के बारे में तथा बड़ी तथा मध्यम आधार की और साथ ही देश में निर्मित देने वाली तीन प्रकार के कारों के बारे में सरकार की नीति क्या है। मैं सरकार से यह भी आश्वासन चाहता हूं कि काफी संख्या में कारें उपलब्ध कराई जायेंगी तथा हमें इन कार-निर्माताओं की दया पर ही नहीं छोड़ दिया जायेगा।

Shri Satpal Kapur (Patiala) : Before the last elections we saw that there was Grand Alliance whose only Policy was to malign the Prime Minister and her party. But despite being crushed in the elections they continued with their policy of defancing the Prime Minister personally. They could not bring any healthy criticism on any basic policy of her Government, because their mighty braing do not beyond this pollic of maligning.

They demand the resignation of the Prime Minister because her Son has manufactured the small car and because it has hurt the selfish interests of Birlas. Side by side they blame the Governtment for helping Birlas when the small car project was postponed for sometime.

Then they blamed the Government of Bansilal for the scandal in the matter of land. It generally happens that a Government offers facilities of land and other civil amenities besides relaxation in taxes if a new industrialists comes forward and if there is a need of developing a backward region. Not only the Congress Government but other Governments also have done like that. Mr. Nambrodripad had himself approached Birlas to set up industries in Kerala, and for that he offered several concessions.

But the opposition perhaps do not want any sort of development either of the backward areas or any other region lest the Government should get any praise from the people.

Now Ghaziabad is being is being developed as an industrial town and no development charges are being recovered, but on the other hand, land has been acquired in Gurgaon, much more money has been spent thereon and development charges would be recovered from all the industrialists may it be Maruti Limited or anybody else.

I know that the opposition are not going to change their attitude after bearing my speech, they would continue their policy and stralegy of maligning the Government since they do not have the programmes or suggestions to put forth, but let them note that the people of the country very well understand their tactics and are not going to be misled.

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगूसराय) : यह चर्चा बस्तुतः अविश्वास के प्रस्ताव जैसा रूप ले चुकी है क्योंकि इसमें भी प्रधान मन्त्री के विरुद्ध अविश्वास जैसी भावनायें यह व्यक्त की जा रही हैं।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं नहीं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : प्रधान मन्त्री के विरुद्ध जो इतना कुछ कहा गया है उससे मुझे बड़ा

दुःख होता है क्योंकि वस्तुतः तो मैंने भी उनके साथ काफी निकट रह कर कार्य किया है तथा वह भी हमारे ही दल से संबंधित रहीं है भले ही बाद में वह दल बदल गई .... (**व्यवधान**)

कुछ माननीय सदस्य : नहीं नहीं ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मारूति लिमिटेड को दिये गये संरक्षण तथा सहायता व रियायतों के बारे में यहां काफी कुछ कहा गया है । मैं उसकी चर्चा यहां नहीं करता परन्तु इतना जारूर चाहूंगा कि प्रधान मन्त्री इस सम्बन्ध में जांच करके इस मामले को साफ करें । हां, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हरियाणा के मुख्य मन्त्री ने प्रधान मंत्री की प्रतिष्ठा को दाव पर लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है । उन्होंने प्रतिरक्षा नियमों का भी उल्लंघन करके यह दिखा दिया है कि प्रधान मन्त्री के नाम में वह कुछ भी कर सकते हैं । उन्होंने सरकारी हितों तथा गैर सरकारी स्वार्थों को समान दर्जा दिया है और यह सिद्ध किया है कि सरकारी सम्पदा का अर्थ है निजी सम्पदा ।

अतः प्रधान मंत्री के लिये यही उत्तम होगा कि वह इस सारे मामले की जांच करें क्योंकि हरियाणा के मुख्य मन्त्री ने ये कदम ठीक उसी समय उठाये हैं जबकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के गम्भोर आरोप लगाये गये थे तथा उनकी जांच हो रही यी ।

सत्तारूढ़ दल के अत्यन्त निकट पत्र 'पेट्रियर'के 4 नवम्बर के अंक में समाचार देते हुए लिखा है कि जब प्रधान मन्त्री प्रदर्शिनी में हरियाणा मण्डप देखने गईं और जब उन्होंने श्री बंसीलाल से पूछा कि क्या उन्होंने नुमाइश देखी है, तो श्री बंसीलाल ने कहा—"बहिन जी, मुझे तो आपको देखना है ।" .... (**व्यवधान**)

श्री एल० एन० मिश्र : "आपको दिखाना है ।"

श्री श्यामनन्दन मिश्र : इस प्रकार की अन्धा भक्ति के प्रदर्शन से स्वयं प्रधान मन्त्री की प्रतिष्ठा को ठेस पहूंचती है ।

कारों के निर्माण के बारे में सरकार की नीति कुछ इस प्रकार की है जिससे कि एकाधिकार-वादियों, पूंजीपतियों तथा व्यक्तिगत रूप से लोगों को लाभ पहुंचाती है । छोटी कार के निर्माण के कार्य को सरकार ने सरकारी क्षेत्र के अधीन रखने का आश्वासन दिया था परन्तु यह सरकार झूठी सिद्ध हुई और इस कार्य को गैर सरकारी क्षेत्र के हवाले कर दिया क्योंकि आरम्भ से ही सरकार की नीति पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की रही है । यह कहना गलत है कि सरकार यात्री कारों के निर्माण के लिये दुर्लभ संसाधनों को खर्च नहीं करना चाहती यदि ऐसा होता तो छोटी कार के निर्माण का कार्य सरकारी अथवा गैर सरकारी किसी भी क्षेत्र में नहीं होता और यदि सरकार यह कहती हैं कि सार्वजनिक स्रोत तथा सामुदायक स्रोत भिन्न-भिन्न हैं तो फिर सरकार को अपनी अर्थ-व्यवस्था के ढांचे का पुनरीक्षण करना होगा । वस्तुतः तो समूचे सामुदायिक स्रोतों का ही महत्व होता है ।

सरकार ने छोटी कार परियोजना को जो यह अनुमति दी है उसका अर्थ कुल सामुदायिक बचत पर भार पड़ना है । इस परियोजना को सरकारी क्षेत्र में नरखकर इसके माध्यम से गैर

सरकारी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया, इसे पनपाया गया है नियम विरुद्ध प्रोत्साहन तथा सहायता की गई है। अतः सरकार इस संदर्भ में सार्वजनिक हित का बहाना न बनाये।

श्री वाजपेयी द्वारा 'फिनेन्शियल एक्सप्रैस" से उद्धृत आंकड़े, सम्भव है, अतिशियोक्त हों परन्तु क्या यह सच नहीं है कि सिविलियन परिवहन में तो 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि सार्वजनिक परिवहन में केवल 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

छोटी कार की यह परियोजना वस्तुतः केवल श्री संजय गांधी की नहीं है बल्कि इसके पीछे वास्तव में कुछ पूंजीपति शिकार खेल रहे हैं, वे महान नवरत्न हैं। इसके पृष्ठ में बिड़ला और टाटा हैं मैं तो निश्चित रूप से यह आरोप लगाता हूं कि जिन टाटा बन्धुओं को ईमानदार समझा जाता था वे भी कालाधन का खजाना बने हुए हैं तथा सरकार को रुपया दे रहे हैं। संजय गांधी ने जो पूंजी लगाई है वह तो केवल नाम मात्र की है। अतः इस परियोजना में वस्तुतः रौनक सिंह, चिदाबरम् जैसे लोग भी हैं।

अपने दल की ओर से मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम प्रधान मन्त्री की प्रतिष्ठा को खराब नहीं होने देंगे क्योंकि प्रधान मन्त्री केवल सत्तारूढ़ दल की नहीं हैं। वह तो इस समूची सभा की हैं, सारे देश की प्रधान मन्त्री हैं।

मेरा दल चाहता है कि मारुति लिमिटेड सहित सभी एककों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये। इससे प्रधान मन्त्री इस झंझट से छुटकारा पा जायेंगी। अथवा फिर सरकार संजय गांधी जैसे प्रतिभाशाली, उत्साही तथा विदेशी मुद्रा की सहायता के बिना ही स्वयं पर भरोसा रखकर कार्य करने वाले युवक के साथ एक सरकारी क्षेत्रीय परियोजना लेकर सहयोग करार करे। हम चाहते हैं कि इस नवयुवक की पहल शक्ति अभियान-भावना तथा ज्ञान का भरपूर उपयोग करें।

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur) : Maruti is actually the symbol of ablity and it is not a crime or a sin that it speaks of the son Prime Minister. Hariyana has been making rapid progress in industrial development. Several Industrial Estates are coming up and the Government are giving all possible facilities for them. Then what is the Harm if Maruti Ltd., has also been given land at Gurgaon for the small car project ? The Government are offering land and other facilities and Tax concessions to industrialists belorging to the other States. So what sort of scandal is there with Maruti Ltd. ?

They say that the cost of land is much more than taken. It can well be understood that the prices of lands go high when an industrial set up has come up over there. Naturally a developed area costs more than what it had been Price to any sort of development.

So, it is not worthwhile to indulge in personal character assissnation.

औद्योगिक विकास और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : इस संकल्प के पैदा होने से जहां मेरी यह आशा पूरी नहीं हुई कि मुझे विपक्ष की ओर ओटोमोबाईल उद्योग के सम्बन्ध में कोई नीति निश्चित करने हेतु अच्छे अच्छे सुझाव मिलेंगे वहां मुझे यह भी प्रसन्नता है कि हमें इस सम्बन्ध में अपनी बात कहने का अवसर मिल गया।

इस चर्चा के दो पहलू हैं—एक तो मोटर गाड़ी उद्योग सम्बन्धी सरकार की नीति तथा दूसरे श्यामनन्दन बाबू के शब्दों में मारुति लिमिटेड के संदर्भ में सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव।

मोटर गाड़ी उद्योग के बारे में मानता हूं कि इस उद्योग के विकास के बारे में अब तक हम कोई निश्चित नीति नहीं बना सके हैं। एक नीति हमने 1953 में निर्धारित की थी जिसके अनुसार हमने यह निर्णय किया था कि पूरी तरह अथवा आंशिक रूप में विदेशी कल पुर्जों को जोड़ कर कारों का निर्माण करने वालों को सरकार यह उद्योग चलाने की अनुमति नहीं देगी। केवल निर्माण कार्यक्रम वाले लोगों को ही देश में कार बनाने की अनुमति दी जायेगी। यह निर्णय टेरिफ आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर किया गया था। इस निर्णय के फलस्वरूप देश में कार बनाने वाले तीन एकक चलते रहे ये एकक हैं हिन्दुस्तान मोटर्स, प्रीमियर तथा स्टेन्डर्ड, परन्तु बाद में इस सम्बन्ध में एक प्रगतिशील नीति बनाने के उद्देश्य से हमने इस समिति को नियुक्ति कीं थी हमने सिफारिश की कि इन तीन एककों के साथ 30,000 कारों के निमांण कार्यक्रम के साथ साथ 50,000 कारों के निर्माण का एक और येम बनाया जाये, अतः इस सम्बन्ध में पांडे समिति नामक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई। उसने सुझाव दिया कि 5000-6000 रुपये तक कार का निर्माण करने के लिये एकक होना चाहिये।

इस सिफारिश के संदर्भ में वर्ष 1962 में एक निर्णय किया गया कि विदेशी मुद्रा की कमी के कारण 50,000 कारों के निर्माण का कार्यक्रम आरम्भ करना सम्भव नही होगा। इसी वीच हम इन तीनों के कार्यकरण के बारे में चिन्तित थे। अतः 1964 में मैने सुझाव दिया कि इन तीनों एककों परस्पर समन्वित करके इनसे एक ही छतरी के नीचे लाया जाये ताकि तीनों में निर्माण कार्य युक्ति संगत हो तथा तोनों की अर्थव्यवस्था सुयोजित हो। मेरा यह भी सुझाव था कि यदि ऐसा सम्भव न हो तो तीनों में है एक को अधिग्रहीत करके उसका विस्तार किया जाये। परन्तु यह इम्तान फलीभूत नहीं हुआ।

यह मामला जुलाई, 1966 में फिर उठा, तथा मन्त्रीमण्डल से कहा गया कि यह निर्णय करे कि 50,000 कारों का निर्माण का कार्यक्रम चलाया जाये या नहीं, परन्तु इस बार फिर निर्णय नहीं लिया जा सका था। यह महत्वपूर्ण बात है।

जुलाई, 1966 में यह निर्णय किया गया कि देश में ही गैर-सरमारी क्षेत्र में एक एकक लगाने के प्रस्ताव की जांच की जानी चाहिये जिसमें आयात करने अथवा चिदेशी मुद्रा की आवश्यकता न हो। उस समय श्री संजय गांधी के नाम का किसी को पता तक नहीं था।

वर्ष 1970 में यह मामला निर्णय के लिये पुनः उठाया गया। उस समय के उद्योग मन्त्री का विचार था कि एक सरकारी क्षेत्र की परियोजना होनी चाहिये और इस बारे में जांच की अनुमति दी गई। इस बारे में यह निर्णय लिया गया कि यद्यपि इस पर विचार किया जा सकता है किन्तु 1966 के स्वदेशी प्रौद्योगिक सम्बन्धी प्रस्ताव को भी लागू किया जाये जिसके अन्तर्गत विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं है तथा इसी आधार पर हमने यह पता लगाने का प्रयास किया है कि क्या इस देश में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बिना विदेशी मुद्रा की सहायता से स्वदेशी प्रीद्योगिकी के आधार पर कार निर्माण कर सकता हो ? इसी आधार पर श्री संजय गांधी तथा कुछ अन्य लोगों को आशयपत्र जारी किये गये।

अतः हमें इस बारे में निर्णय करना था कि क्या हमें छोटी कार का निर्माण सरकारी क्षेत्र में करना चाहिए। हमने जो प्रयोग किया उससे विदित होता है कि इसके लिये लगभग 57 करोड़

रुपये के निवेश की आवश्यकता होनी जिसमें लगभग 17 से 20 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा भी शामिल है। हमने यह निर्णय किया कि नई परिस्थितियों में ऐसी परियोजना आरम्भ करना उचित नहीं है। वर्ष 1970 में भी हमने आशय पत्र जारी किये थे।

सरकार की यह नीति है कि लोक परिवहन पद्धति को प्राथमिकता दी जाये और जहां तक सम्भव हो लोक परिवहन पद्धति का निर्माण किया जाये लेकिन यदि कोई अन्य मार्ग अपनाया जाता है, तो उसमें विदेशी मुद्रा खर्च नहीं होनी चाहिए बल्कि यह परियोजना ऐसी होनी चाहिए जो देश के आन्तरिक स्रोतों पर ही निर्भर हो।

सरकार देश में ही औद्योगिक विकास करना चाहती है और इसीलिये इतने भारी निवेश को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय किया है कि यदि निजी क्षेत्र में ऐसी परियोजनाएं स्थापित की जाती हैं, तो हमें उनके मार्ग में बाधा नहीं डालनी चाहिये।

मारुति लिमिटेड के बारे में अनेक आरोप लगाये गये हैं। प्रधान मन्त्री पर इस बारे में संदेह करना उचित नहीं है। यदि कोई व्यक्ति यह सिद्ध कर दे कि उन्होंने अपने लड़के को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अपनी व्यक्तिगत सत्ता का दुरुपयोग किया है, तो मैं सदन को यह आश्वासन देता हूं कि वह इसके लिये हर प्रकार की सजा भुगताने को तैयार हैं।

ऐसा हो सकता है कि उनके कुछ मित्रों ने आपत्तिजनक कार्यवाही की हो। इस मामले में भी यदि उनकी जानकारी में यह आता है कि कुछ अनियमितताएं बरती गई हैं, तो वह खेद प्रकट करने के लिये तैयार हैं।

यह सच नही है कि श्री संजय गांधी 1970 में बिना किसी अनुमति के इस काम में लग गये थे और उन्होंने आशय-पत्र के लिये अनुरोध किया था। उन्होंने मोटर गाड़ी उद्योग में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और एक ऐसी कार के देश में ही निर्माण करने का निर्णय किया जिसमें विदेशी उपकरण अथवा माल का उपयोग न किया गया हो।

उन्होंने कठोर परिश्रम करके देश में उपलब्ध सामग्री से दो कारों का निर्माण किया। उसी आधार पर उन्होंने इस कार के निर्माण के लिये आवेदन-पत्र दिया और यह कहा कि वह देश में कार का निर्माण करने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति से मुकाबला करने के लिये तैयार हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्हे आशय-पत्र दिया गया।

इस मामले में मुख्य विरोध भूमि अर्जन के सम्बन्ध में किया गया है। इस सम्बन्ध में निर्धारित नियम हैं और उनमें से किसी नियम अथवा कानून का उल्लंघन करने पर किसी भी न्यायालय में जाया जा सकता है और अर्जन सम्बन्धी कार्रवाही को रद्द कराया जा सकता है। यदि भूमि अर्जन का किसी व्यक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, तो वह चुप नहीं बैठ सकता था।

भूमि का 11,000 रुपये मुआयजा मेरे विचार से पर्याप्त है।

छोटी कार परियोजना स्थापित करने के लिये राज्यों के मुख्य मन्त्रियों में प्रतिस्पर्धा चल रही थी, विशेशतौर पर इसके गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये जाने से मुख्य मन्त्रियों की रुचि का

और बढ़ जाना स्वाभाविक ही था अतः इसकी स्थापना में यदि राज्य सरकारें विशेष सुविधाएं देती हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अतः इस बारे में आपत्ति नहीं उठाई जानी चाहिए। मैं आश्वासन देता हूं कि यदि मारुति लिमिटेड के बारे में अनियमितताओं का आरोप लगाया जाता है और उनको सिद्ध करने के लिये उचित प्रमाण दिये जाते हैं, तो उनके बारे में पूरी जांच की जायेगी। अतः भूमि अर्जन अथवा भूमि आवंटन के आधार पर प्रधान मंत्री की प्रतिष्ठा पर कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता।

यह कहना उचित नहीं है कि श्री संजय गांधी को ऐसी सुविधाएं दी गई हैं जो अन्य व्यक्तियों को नहीं दी गई हैं। वास्तव में हमने कुछ मामलों में सावधानी से काम लिया है जिससे यह न कहा जा सके कि श्री संजय गांधी के साथ पक्षपात किया गया है।

इस मामले को स्पष्ट करने के लिये ही हमने इस विषय पर चर्चा की है। इस मामले में ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई है जिस पर हमें दुःख हो अथवा जो हमारे लिए शर्म की बात हो।

यदि एक नवयुवक एक कार का डिजाइन तैयार करता है, उसमें विकास करता है और हम उसे अपनी आंखों से देख लेते हैं तो क्यां हमें उसे केवल इस कारण प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये कि वह प्रधान मंत्री का पुत्र है ?

कुछ सदस्यों ने यह आरोप लगाया है कि उक्त कार में मार्ग योग्यता नहीं है। यदि ऐसा होगा तो इसे कोई भी व्यक्ति नहीं खरीदेगा। ऐसा कहना अनुचित होगा कि यह कार प्रधान मंत्री के पुत्र की है, अतः उसे सब खरीदेंगे। ऐसा हो सकता है कि कुछ कारों की विक्री इस आधार पर हो लेकिन कोई भी व्यक्ति 50,000 कारों का उत्पादन तब तक नहीं करेगा जब तक उसे यह विश्वास नहीं हो जाता कि ये कारें सड़क पर चलने योग्य हैं और विश्वसनीय हैं।

माननीय सदस्यों को उक्त नवयुवक को प्रोत्साहन देना चाहिये और उसके रास्ते में बाधा नहीं डालनी चाहिये। हमें मारुति लिमिटेड को सफल बनाने में पूरी सहायता करनी चाहिए।

मैं यह भी आश्वासन देता हूं कि यदि इस मामले में सरकार अथवा गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा की गई कोई अनियमिताएं हमारी जानकारी में लाई जायेंगी तों हम उनकी पूरी जांच करेंगे। किसी उच्चतम पद पर आसीन व्यक्ति पर बेबुनियाद आरोप नहीं लगाये जाने चाहिए इससे आप देश का अहित करेंगे।

औद्योगिक उत्पादन के साथ साथ हम इसका भी परीक्षण कर रहे हैं हम एक आटोमोबाईल नीति बनाने का भी प्रयत्न करेंगे। जहां तक मारुति लिमिटेड का सम्बन्ध है, निसंदेह रूप से कहा जा सकता है कि इसमें कोई भी गलती नहीं हुई।

श्री ज्योतिर्मय बसु: मंत्री महोदय ने हमें पूरे तथ्यों की जानकारी नहीं दी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कार के उत्पादन को उच्च प्राथमिकता दी गई है अथवा निम्न प्राथमिकता ? क्या यह सच नहीं है कि स्वर्गीय प्रो० गाडगिल ने इसको अस्वीकार कर दिया था, जिसके परिणामस्यरूप उन्हें अपना पद तो छोड़ना ही पड़ा, साथ ही इस दुख से उनकी मृत्यु भी हो गई थी। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने बाजार मूल्य राज्य धनराशि, विदेशी सहयोगियों की धन-राशि और

निर्यात होने वाले उत्पादन की सहायता से संयुक्त क्षेत्र स्थापित करने का मूल विचार क्यों त्याग दिया ।

संसाधनों के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि जिन वस्तुओं के उत्पादन को निम्न प्राथमिकता दी गई है उनके लिए संसाधन कैसे जुटाए जा सकते हैं ? मैंने इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा था लेकिन मन्त्री महोदय ने कोई जवाब नहीं दिया ।

कार संयत्र के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि इसमें, छिपी विदेशी मुद्रा तथा मशीनरी का प्रयोग किया जाता है । मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दें ।

यह अत्यन्त दुःख की बात है कि एक ओर तो सरकार बुद्धिजीवियों के विदेशों में बसने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए विधान बनाना चाहती है और दूसरीं ओर बेरोजगारों को, 70,000 स्नातक इंजीनियरों को, नौकरी देने में असमर्थता प्रकट कर रही है ।

आशय-पत्र प्रायः 6 महीने से लेकर 1 वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाता है लेकिन मंत्री महोदय ने किसी को अनुगृहीत करने के लिए इसको 2¼ वर्ष की अवधि के लिए जारी किया । मैं जानना चाहता हू कि किन परिस्थितियों में और क्यों ऐसा किया गया ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : आशय पत्र की अवधि केवल मारुति के लिए ही नहीं बढ़ाई गई है । आशय-पत्र उत्पादन आरम्भ करने हेतु पूरी तैयारी करने के उद्देश्य से जारी किया जाता है । केवल संजय गांधी ही नहीं, कोई भी व्यक्ति, जिसे आशय पत्र जारी किया गया हो, आशय पत्र की अवधि बढ़ाए जाने की मांग कर सकता है बशर्ते कि वह प्राधिकारियों को इस बात का प्रमाण दे सके कि उत्पादन की दिशा में पर्याप्त कार्रवाई की जा चुकी है और थोड़ी कार्रवाई और की जानी बाकी है । इससे पहले भी कई संयंत्रों के मामले में अवधि 4 वर्ष तक बढ़ाई गई थी । यह सब उद्योग की जटिलता पर निर्भर करता है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : स्वामीनाथन् समिति के प्रतिवेदन में स्पष्ट कहा गया है कि सरकार लाइसेंस देने पर विचार करेगी और आशय पत्र की अवधि 6 महीने और एक साल के बीच होगी । अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने अधिग्रहण आदेश जारी क्यों किया । तत्काल ही 11.3.71 को एक लेख याचिका दायर की गई तथा चार दिन के भीतर ही हरियाणा के महाधिवक्ता अधिग्रहण आदेश को वापिस लेने के लिए न्यायालय में पेश हुए ताकि रिट विफल हो जाए और आपको या संजय गांधी को हर बार अपने परामर्शदाता को कुछ धनराशि देने की आवश्यकता न पड़े । अधिग्रहण आदेश जारी किया गया है फिर वापिस लिया गया तथा तब पुनः जारी किया गया । क्या मंत्री महोदय बता सकते हैं कि ऐसा क्यों किया गया ? 420 एकड़ अधिगृहीत भूमि को औद्योगिक सम्पदा का नाम देकर जानबूझकर केन्द्रीय विधान की भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 31-42, जिसके अनुसार कम्पनी को भूमि का कब्जा लेने से पहले पूरी रकम अदा करना तथा एक समझौता करना और उसे गजट में छपवाना आवश्यक है, की उपेक्षा क्यों की गई ? मूल्यों के सम्बन्ध में मेरे पास विक्रय प्रलेख तथा हलफनामें की फोटोस्टेट कापियां हैं । अगर अध्यक्ष महोदय अनुमति दें तो मैं सरकार की जांच-हेतु इसे सभा-पटल पर रख सकता हूं । स्टाम्प शुल्क, आयकर, पूंजी लाभकर से बचने के लिए क्रय तथा विक्रय प्रलेखों में धनराशि कम दिखाई जाती है । प्रलेखों

में केवल 40 हजार और 50 हजार का उल्लेख है जबकि फरीदाबाद में सरकार ने 2 एकड़ प्लाट को 1,21,000 में बेचा है। आप उस निर्वाचन क्षेत्र के संसद सदस्य से पूछ सकते हैं।

Shri Tayyab Hussain (Gurgaon) : What the hon. Member has said is not correct. Previously the price of land in Gurgaon was not much but now as new industrial units are being set up there, the price of land is increasing day by day.

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह कहना ठीक नहीं है कि सरकारी क्षेत्र में 17 करोड़ रु० की लागत से लगने वाले कार संयत्र के लिए धन की कमी है। धन उपलब्ध कराया जा सकता है। विदेशी मुद्रा के संबंध में मैं पहले ही कह चुका हूं।

मुझे यह समझ नहीं आता कि गैर-सरकारी क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने में तो हमें विदेशी तकनीकी सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती और जब वही उद्योग सरकारी क्षेत्र में लगाया जाता है तो विदेशी मुद्रा को अत्यंत आवश्यक समझा जाता है।

लोकसभा से राज-सहायता प्राप्त 'दि पार्लियामेंटरी टाइम्ज' ने मेरे बारे में लिखा है कि मैं दूसरों के व्यक्तित्व का हनन करने में लगा हूं। परन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि जिनका अपना व्यक्तित्व ही नहीं, उन्हें क्या हनन किया जा सकता है ? सरकार का अपना कोई व्यक्तित्व ही नहीं, तो मैं उसको खराब कैसे कर सकता हूं (**व्यवधान**) ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया सच कहने का प्रयत्न करें। यह न कहिए कि पत्रिका को लोक सभा से राज सहायता प्राप्त है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री कार मूल्य आयोग के समक्ष बिरला बन्धुओं की ओर से पेश हुए थे और एम्बैसेडर कार की कीमत बढ़ाने की मांग की थी। क्या यह सच नहीं है कि श्री ए० वी० एम० बिरला ने कांग्रेस को 55 लाख रूपये दान किए हैं (**व्यवधान**) एकाधिकारियों से टक्कर लेने वाली कोई पार्टी है तो वह हमारी पार्टी है—(**व्यवधान**) सरकार में यदि आत्मसम्मान की भावना है तो उसे चाहिए कि वह पूरे मामले की जांच करे।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है "कि यह सभा कार-निर्माण के बारे में सरकार की नीति पर असंतोष व्यक्त करती है।"

जो सदस्य इसके पक्ष में मत देना चाहते हैं वे 'हां' कहें।

कुछ **माननीय सदस्य :** हां

अध्यक्ष महोदय : जो इसके विपक्ष में मत देना चाहें 'नहीं' कहें।

कई **माननीय सदस्य :** नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में विपक्ष में अधिक मत आए हैं।

कुछ **माननीय सदस्य :** इसके पक्ष में अधिक लोग हैं।

अध्यक्ष महोदय : सदस्य सभा कक्षों को छोड़कर मतदान हेतु आ जाएं। मैं प्रस्ताव को पुन: मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है "कि यह सभा कार-निर्माण के बारे में सरकार की नीति पर असंतोष व्यक्त करती है"

जो सदस्य इसके पक्ष में हैं हां कहे।

कुछ **माननीय सदस्य** : हां।

अध्यक्ष महोदय : जो सदस्य विपक्ष में मत देना चाहते हैं, न कहें।

कई **माननीय सदस्य** : नहीं।

अध्यक्ष महोदय : विपक्ष में आए मतों की संख्या अधिक है।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।
The motion was negatived.

— ———

कम्पाला में भारतीय उच्चायोग के प्रथम सचिव, श्री एन एन देसाई के निष्कासन के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : EXPULSION OF SHRI N. N. DESAI, FIRST SECRETARY IN THE HIGH COMMISSION OF INDIA IN KAMPALA

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देशानुसार में दो वक्तव्य देना चाहता हूं; एक उगाण्डा के बारे में है और दूसरा वियतनाम के बारे में।

सदन को मेरे उस वक्तव्य की जानकारी है जो मैंने उगांडा की सरकार द्वारा कम्पाला स्थित हमारे हाई कमीशन के प्रथम सचिव, श्री एन० एन० देसाई के निष्कासन के विषय पर बल दिया था। इस घटना के बारे में सदन में जो गहरी चिन्ता है और उगांडा सरकार की इस कार्रवाई के बारे में जो भावनाएं हैं, उन पर मैंने ध्यान दिया है।

हमारे हाई कमिश्नर ने 19 दिसम्बर को उगांडा के विदेश कार्यालय के पास जो नोट भेजा था, उसमें उन्होंने दृढ़ता-पूर्वक उस निराधार एवं थोथे आरोप के प्रति विरोध प्रकट किया जो उन्होंने श्री देसाई के खिलाफ लगाया था और इस बात पर जोर दिया कि श्री देसाई को दिये गये निष्कासन आदेश मनगढ़न्त बहाना मात्र है और उसका कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट तौर पर कहा कि इससे उगांडा तथा भारत के बीच वर्तमान संबंधों पर असर पड़ेगा जिसकी पूरी जिम्मेदारी उगांडा सरकार पर होगी और यह भी कहा कि भारत सरकार का यह अधिकार सुरक्षित है कि वह जैसा उचित समझेगी, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी।

बाद में हमारे हाई कमिश्नर ने उगांडा के विदेश कार्यालय के पास दूसरा विरोध पत्र भेजा जिसमें यह मांग की गई कि श्री देसाई के खिलाफ उनके राजनयिक प्रत्यायन की मर्यादा के विपरीत

अनुचित कार्रवाई और व्यवहार के आरोप को या तो तत्काल सिद्ध किया जाये अथवा भारत उगांडा सम्बन्धों के हित में उसे स्पष्ट रूप से वापस ले लिया जाये।

हमारे हाई कमिश्नर अपने दो लिखित विरोधपत्रों के उत्तर की उगांडा सरकार से प्रतीक्षा कर रहे हैं।

नई दिल्ली में भी हमने इस मामले को उगांडा के कार्यकारी हाई कमिश्नर के साथ दृढ़तापूर्वक उठाया है और कहा है कि उनकी कार्रवाई के जो भी परिणाम होंगे, उन सब की जिम्मेदारी उगांडा की सरकार पर होगी क्योंकि उनकी यह कार्रवाई तमाम राजनयिक सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत है।

कम्पाला में हमारे हाई कमिश्नर ने भी इस घटना से सम्बद्ध हमारे विचारों और हमारी गम्भीर भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उगांडा के विदेश मंत्री से, जहां तक हो शीघ्र ही, मुलाकात करने की मांग की थी। उगांडा के विदेश मंत्री से हमारे हाई कमिश्नर की मुलाकात होने के बाद वह यथासमय अपने वार्तालाप के बारे में हमें अपनी पूरी रिपोर्ट भेजेंगे।

हमारे प्रथम सचिव के निष्कासन के परिणामस्वरूप जो स्थिति उठ खड़ी हुई है, उससे हमें बहुत गहरी चिंता हुई है। अन्तिम निर्णय करने से पहले हमें सभी पहलुओं पर विचार करना होगा। जैसा कि मैंने कल सदन को बताया था, हम उगांडा की घटनाओं पर निगाह रख रहे हैं और अपने हितों की रक्षा के लिये हम जो भी उचित कार्रवाई समझेंगे करेंगे।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) : क्या सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मैंने अपने वक्तव्य में कहा है कि उचित समय पर कार्यवाही की जायेगी। हम पूरे विवरण के प्राप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और जब तक हम पूरी रिपोर्ट नहीं देख लेते, हम कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना अगला वक्तव्य दें।

वियतनाम में अमरीका द्वारा बमबारी के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : U. S. BOMBING IN VIETNAM

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : इस महीने की 19 तारीख को विदेश मंत्री इस विषय पर पहले ही एक वक्तव्य दे चुके हैं। उस वक्त वियतनाम में बमबारी और युद्ध की कार्रवाईयां फिर शुरू होने पर हमने खेद व्यक्त किया था और घटनाओं के इस तरह दुखद मोड़ लेने पर हमने अपनी गम्भीर चिंता भी व्यक्त की थी।

इसके बाद से विश्व के बहुत से देशों ने इस बमबारी के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है जो कि स्पष्टतः सैनिक लक्ष्यों तक सीमित नहीं है जैसा कि दावा किया जाता है। प्राप्त समाचारों के अनुसार हनोई के मध्य में स्थित बहुत से राजदूतावासों की इमारतों को नुकसान पहुंचा है या वे नष्ट हो गई हैं। सदन को यह सूचना देते हुए मुझे दुख हो रहा है कि हनोई स्थित अपने राजदूत से अभी-

अभी यह सूचना मिली है कि वहां कल जो बमबारी हुई है उससे हमारी चान्सरी की इमारत और स्टाफ क्वार्टरों को भी नुकसान पहुंचा है पर खुशी की बात यह है कि हमारे सभी अधिकारी और कर्मचारी सुरक्षित बताए गए हैं।

इस तरह की अंधाधूंद बमबारी के विरोध में, खासतौर से जब यह असैनिक क्षेत्रों पर और उससे भी बढ़कर राजनयिक क्षेत्रों पर की गई हो हम बिना आवाज उठाये नहीं रह सकते। पिछली बार 12 अक्टूबर को हमने अमरीकी सरकार से विरोध प्रकट किया था और तब अमरीकी अधिकारियों ने खेद प्रकट करते हुए इस बमबारी को 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताया था और कहा था कि यह इरादतन नहीं किया गया है। अब हम देखते हैं कि यह अंधाधूंद बमबारी फिर की गई है। असैनिक जान और माल को इतने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने वाली बमबारी से और अधिक चिन्ता की बात क्या हो सकती है? भारत सरकार हनोई स्थित अपने राजनयिक अहाते पर इस तरह बमवारी किये जाने के खिलाफ अत्यन्त सख्त विरोध प्रकट करना चाहेगी।

वियतनाम में भीषण ट्रजेडी का जो दृश्य दुहराया जा रहा है उसका वर्णन करने में शब्द समर्थ नहीं है। पिछले एक वर्ष में, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, भारत सरकार ने कई मौकों पर इस छोटे से देश और इसके बहादुर देशवासियों के खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर युद्ध की कार्रवाईयों की निन्दा की है। लेकिन, हमारे कहने का कुछ असर नहीं हुआ है और न सिर्फ इस सरकार की भावनाओं को नजरन्दाज करते हुए बल्कि संसार भर के शांति-प्रेमियों की भावनाओं को नजरन्दाज करते हुए पहले से कहीं बड़े पैमाने पर बमबारी की जा रही है।

हमें ऐसा लगता है कि इतिहास के नये पुराने सभी पाठ मानों नजरन्दाज कर दिये गए हों। अभी पिछले वर्ष ही बंगलादेश में वहां के लोगों की इच्छाओं का दमन करने के लिए बर्बर शक्ति का प्रयोग किया गया था लेकिन क्या यह सफल हुई? प्रारम्भ से ही हम इस बात को साफ समझते आये हैं कि वियतनाम की समस्या को सैनिक साधनों से नहीं सुलझाया जा सकता। हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि चाहे कितना ही सैनिक दबाव क्यों न डाला जाय वियतनाम के बहादुर लोगों का रूख मोड़ा नहीं जा सकता और न उन्हें रोका ही जा सकता है। असल में इसका अगर कुछ भी असर हो सकता है तो सिर्फ यही कि इससे उन लोगों का इस युद्ध को अंत तक लड़ने का संकल्प और दृढ़ हो जायेगा और सारे संसार की सहानुभति उन्हीं के साथ होगी।

इस दुखद घड़ी में भी हम सच्चे हृदय से यह आशा करते हैं कि सद्बुद्धि जागेगी और बर्बर शक्ति का प्रयोग करने की बजाय ऐसा समाधान खोजने की दिशा में जो वियतनाम के बहादुर लोगों की इच्छाओं के अनुरूप हो, तुरन्त बातचीत फिर शुरू हो जायेगी।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : We had urged the Defence Minister to make a statement on the agreement with Pakistan on the issue of delination of border, but no statement has been made so far.

Mr. Speaker : That was not to be made today.

श्री समर गुह (कन्टाई) : वियतनाम और उगांडा की घटनाओं के बारे में तो वक्तव्य दिया गया है, परन्तु जमीन देने अथवा लेने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें आज वक्तव्य देने के लिए नहीं कहा गया था .. (**व्यवधान**) इस बारे में वह बिना किसी तैयारी के भाषण नहीं दे सकते । अगले सत्र में हम इस बारे में विचार करेंगे ।

राष्ट्रीय पुस्तकालय विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने का संशोधन
NATIONAL LIBRARY BILL

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नूरूल हसन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस प्रस्ताव पर वाद-विवाद, 'कि राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रशासन का और उससे संबंधित कतिपय अन्य विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये', जो 20 दिसम्बर, 1972 को स्थगित किया गया था, अब पुनः आरम्भ किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस प्रस्ताव पर वाद-विवाद, 'कि राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रशासन का और उससे संबंधित कतिपय अन्य विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये', जो 20 दिसम्बर, 1972 को स्थगित किया गया था, अब पुनः आरम्भ किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री हीरेन मुखर्जी का प्रस्ताव मतदान के लिए रखता हूं । प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को 31 मार्च, 1973 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाये ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।
The motion was negatived.

प्रो० एस० नुरूल हसन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रशासन का और उससे सम्बन्धित कतिपय अन्य विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें 45 सदस्य हों— इस सभा से अर्थात् :—

(1) श्री अचल सिंह

(2) श्री धर्मराव अफजलपुरकर

(3) श्री वीरेन्द्र अग्रवाल

(4) श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल

(5) श्री आनन्द सिंह

(6) श्री पन्नालाल बारूपाल

(7) श्री एस० सी० बेरुरा

(8) श्री बीरेन एंगटी

(9) श्री आर० आर० सिंह देव

(10) श्री के० गोपाल

(11) श्री समर गुह

(12) श्री वी० आर० कवाड़े

(13) श्री ई० आर० कृष्णन

(14) श्री आई० एस० महाजन

(15) श्री कुमार माझी

(16) श्री एच० एन० मुकर्जी

(17) श्री सरोज मुखर्जी

(18) श्री टुना उरांव

(19) श्री नारायण चन्द पाराशर

(20) श्री नटवर लाल पटेल

(21) श्री पी० एंथनी रेड्डी

(22) श्री पी० गंगा रेड्डी

(23) श्री शक्ति कुमार सरकार

(24) श्री एस० ए० शमीम

(25) श्री राजाराम शास्त्री

(26) श्री सोमचन्द सोलंकी

(27) श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्

(28) श्री अमरनाथ विद्यालंकार

(29) श्री डी० पी० यादव

और राज्य सभा से 15 सदस्य ; कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गण-पूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी ;

कि समिति मार्च, 1973 के 15वें दिन तक अपना प्रतिवेदन सभा को पेश करेगी ;

कि अन्य मामलों में, संसदीय समितियों सम्बन्धी इस सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष करें ; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 15 सदस्यों के नाम इस सभा को बताये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रशासन का और उससे सम्बन्धित कतिपय अन्य विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें 45 सदस्य हों—इस सभा से अर्थात् :—

(1) श्री अचल सिंह

(2) श्री धर्मराव अफजलपुरकर

(3) श्री वीरेन्द्र अग्रवाल

(4) श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल

(5) श्री आनन्द सिंह

(6) श्री पन्नालाल बारूपाल

(7) श्री एस० सी० बेरुरा

(8) श्री बीरेन एंटरी

(9) श्री आर० आर० सिंह देव

(10) श्री के० गोपाल

(11) श्री समर गुह

(12) श्री बी० आर० कवाड़े

(13) श्री ई० आर० कृष्णन

(14) श्री आई० एस० महाजन

(15) श्रा कुमार माझी

(16) श्री एच० एन० मुकर्जी

(17) श्री सरोज मुखर्जी

(18) श्री टुना उरांव

(19) श्री नारायण चन्द पाराशर

(20) श्री नटवर लाल पटेल

(21) श्री पी० एंथनी रेड्डी

(22) श्री पी० गंगा रेड्डी

(23) श्री शक्ति कुमार सरकार

(24) श्री एस० ए० शमीम

(25) श्री राजाराम शास्त्री

(26) श्री सोमचन्द सोलंकी

(27) श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्

(28) श्री अमर नाथ विद्यालंकार

(29) श्री डी० पी० यादव

और राज्य सभा से 15 सदस्य ; कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गण-पूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी ;

कि समिति मार्च, 1973 के 15 वें दिन तक अपना प्रतिवेदन सभा को पेश करेगी ;

कि अन्य मामलों में, संसदीय समितियों सम्बन्धी इस सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष करें ; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 15 सदस्यों के नाम इस सभा को बताये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : श्री ए० पी० शर्मा सदन में उपस्थित नहीं हैं, इसलिए आधे घण्टे की चर्चा नहीं होगी ।

अब हमारे पास एक घण्टा और पांच मिनट का समय है । हम अब श्री ए० के० गोपालन के संकल्प को ले सकते हैं ।

श्री जी० विश्वनाथन (वान्डीवाश) : श्री गोपालन के संकल्प पर अगले सत्र में विचार किया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप सब इससे सहमत हैं ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हाँ ।

श्री बी० के० दासचौधरी (कूच बिहार) : कृपया मुझें भी अपना संकल्प पेश करने की अनुमति दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं । यह गलत उदाहरण होगा ।

श्री ए० के० गोपालन (पालघाट) : अगर सदन बैठना चाहता है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है और अगर अगले सत्र में विचार के लिए इसे ले जाया जाता है, तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप सब इससे सहमत हैं ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

अध्यक्ष महोदय : और कोई कार्यवाही ?

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 21वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ।

श्री जी० जी० स्वैल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 21वें प्रतिवेदन से, जो 20 दिसम्बर, 1972 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 21वें प्रतिवेदन से, जो 20 दिसम्बर, 1972 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : नव वर्ष और क्रिसमस की बधाई । अब सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित होता है ।

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई ।
The Lok Sabha then adjourned Sine die.

(Raja) Ram Kumar Press, Lucknow, 21-5-73—490.

PLS 48. XXII-29. 72 (N)
490

© 1972 प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और
व्यवस्थापक, (राजा) राम कुमार प्रेस, लखनऊ द्वारा मुद्रित ।

© 1972 By the Lok Sabha Secretariat

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure
and Conduct of Business in Lok Sabha (Fifth Edition) and
Printed by the Manager, (Raja) Ram Kumar Press,
Lucknow.